Page No.1

(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 11] पंचम् विधान सभा के 11वें सत्र का पच्चीसवां दिवस [संख्या 20

बृहस्पतिवार

दिनांक 1 अप्रेल, 1976

विधान सभा की बैठक म. पू. 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर, में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

1 अप्रेल, 1976

तारांकित प्रश्नोत्तर

[स्वायत्त शासन, सार्वजनिक निर्माण, सिचाई, पंचायत, विद्युत, राजस्व, सहकारिता, जन-स्वास्थ्य, नागरिक रसद, कारागृह, कृषि, खनिज, उपनिवेशन, राजस्थान आवासन मंडल, पशुपालन, वन, पर्यटन, वित्त—विभाग]

अध्यक्ष नगर नगरपालिका मालपुरा के विरुद्ध शिकायतें

564. श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास (मालपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि मालपुरा जिला—टोंक की जनता की ओर से एक शिकायत-पत्र वहां के नगरपालिका अध्यक्ष के विरुद्ध आपके पास प्रस्तुत हुआ था ?

(2) क्या यह सही है कि आपने उक्त प्रार्थना पत्र पर नगरपालिकाध्यक्ष के विरुद्ध जांच के आदेश कर दिये थे ?

(3) क्या यह सही है कि निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग द्वारा टोंक के जिलाधीश की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, नगरपालिकाध्यक्ष को निलम्बित करने व स्पष्टीकरण के लिये फाइल आपके पास प्रस्तुत की गई थी जिस पर आपने स्वीकृति प्रदान की थी ?

(4) क्या यह सही है कि निलम्बन आदेश के स्थान पर निदेशक ने नगरपालिका अध्यक्ष के साथ फाइल, पुनः आपके पास प्रस्तुत की थी ?

(5) क्या यह सही है कि आपने उक्त फाइल पर पुनर्जांच के आदेश प्रदान कर दिये ?

(6) क्या यह सही है कि निदेशक द्वारा आपका ध्यान दिलाया गया था कि पुनर्जांच के लिये कानून एवं नियमों में कोई प्रावधान नहीं है ?

(7) क्या यह सही है कि नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध समस्त आरोप, नगरपालिका के रिकार्ड से सिद्ध है व मौके पर जांच की कोई आवश्यकता नहीं है ?

Page No.2

(श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास)

(8) यदि हां, तो आपने पुनर्जांच के आदेश किन कारणों से किये व अब इस मामले में क्या स्थिति है ?

स्वायत्त शासन मन्त्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) जी हां। अध्यक्ष, नगर पालिका, मालपुरा के खिलाफ एक शिकायत-पत्र बिना तारीख के दिनांक 16-5-75 को प्रस्तुत किया गया था।

(2) जी हां। दिनांक 16-5-75 को जिलाधीश, टोंक से जांच करवाने के आदेश दिये थे।

(3) जी नहीं। निदेशक स्वायत्त शासन विभाग द्वारा टोंक के जिलाधीश का रिपोर्ट प्राप्त होने पर नगरपालिका अध्यक्ष को कारण बताओ नोटिस देने व अध्यक्ष का जवाब प्राप्त होने पर उस पर विचार कर निलम्बनाधीन करने के प्रश्न पर विचार करने को लिखा गया था।

(4) निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग के इस प्रस्ताव को मान्य किया गया और कारण बताओ नोटिस दिनांक 17-10-75 को जारी हुआ था।

(5) अध्यक्ष, नगरपालिका, मालपुरा ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी, जयपुर के अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र दिया जिसमें जिलाधीश टोंक के खिलाफ यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने पक्षपात-पूर्ण और आधारहीन रिपोर्ट निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग को दी है, क्योंकि वे अध्यक्ष से नाराज थे।

उक्त प्रार्थना-पत्र राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष के पत्र के साथ राज्य सरकार को प्राप्त हुआ जिसमें प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा कहा गया कि इस मामले की पुनः जांच करवाई जाकर आवश्यक कार्यवाही की जावे।

(5) अध्यक्ष नगरपालिका के रिप्रजेन्टेशन को ध्यान में रखते हुए पुनः जांच कराने के आदेश दिनांक 11-11-75 को दिये गए।

(6) निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग ने लिखा था कि शो-काज-नोटिस जांच का अंग है, अतः पुनः जांच करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु जिस व्यक्ति का रिपोर्ट के आधार पर शो-काज-नोटिस दिया गया था, उसी के खिलाफ अध्यक्ष को शिकायत थी, अतः पुनः जांच कार्यवाही की जाना न्यायोचित समझी गई।

(7) चूंकि अभी जांच रिपोर्ट जिलाधीश टोंक से प्राप्त नहीं हुई है अतः आरोपों के सिद्ध होने या न होने के सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।

(8) इसका जवाब प्रश्न संख्या (5) में दिया जा चुका है। इस मामले में वर्तमान स्थिति यह है कि जिलाधीश टोंक को पुनः दिनांक 1-3-76 व 23-3-76 को अर्धशासकीय-पत्र के द्वारा लिखा गया है और टेलीफोन से भी कहा गया है कि वे अपनी जांच रिपोर्ट शीघ्र भेजें।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय, क्या आपने नगरपालिका एक्ट को पढ़ा है ? पूरे एक्ट में कहीं भी रिइन्क्वायरी के लिये कोई प्रावधान नहीं है। आपने रिइन्क्वायरी का आॅर्डर दे दिया तो उस पर डाइरेक्टर ने यह नोट

Page No.3

(श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास)

लगाया कि "Minister is not empowered for ordering a re-enquiry. He can deliver his decision on either side." आपने इसमें पी. सी. सी. को भी बीच में घुसाया है। उनके लिये आप पर क्या बाइन्डिंग है? ऐसे तो कोई भी लिख सकता है, हम भी लिख सकते हैं, कोई एम. एल. ए. भी लिख सकता है, कोई भी आदमी लिख सकता है। इसमें आपकी रेस्पान्सिबिलिटी है कि आप इसका एग्जामिन करते। क्या आपने यह जानने की कोशिश की कि वे उनसे प्रिजुडिस हैं? आपने खुद ने कष्ट किया है क्या? उपाध्यक्ष महोदय, जब कलेक्टर और एस. डी. एम. ने रिपोर्ट पेश कर दी उसके बाद में चेयरमेन ने शिकायत पेश की है और वह इसलिए कि वे उनके खिलाफ थे। मैंने यह पूछा था "क्या यह सही है कि नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध समस्त आरोप नगर पालिका रिकार्ड से सिद्ध हैं व मौके या जांच की कोई आवश्यकता नहीं है?" इस पर आपने यह कहा है कि जिलाधीश टोंक से अभी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। अतः उसके आने पर मालूम हो सकेगा। मैंने फिर भी निवेदन किया है कि इसमें जांच का कोई प्रश्न नहीं है। अगर कलेक्टर और एस. डी. एम. की रिपोर्ट प्रिजुडिस्ड है तो आपको स्वयं को उसका मुआयना करना चाहिए था।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बून्दी) : उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह ...

श्री उपाध्यक्ष : श्री राजेन्द्र भारतीय !

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : माननीय मन्त्री महोदय यह बतलाने का कष्ट करें कि आपके पास अध्यक्ष महोदय का क्या जवाब आया है? गवर्नमेन्ट ने क्या नोटिस लिया है, उसके बारे में क्या जवाब है कांग्रेस अध्यक्ष ने एज ए मिनिस्टर कन्सर्न्ड आपको क्या लिखा है, यह भी बताने की कृपा करें?

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : That is a party affair.

श्री उपाध्यक्ष : श्री दीपंकर !

श्री दीपंकर (लाडनूं) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने जो जवाब दिया है वह बिल्कुल क्लियर है, पी. सी. सी. के अध्यक्ष, आर्गेनाइजेशन के हैड बीच में आ जाते हैं, इसलिए मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि आप संस्था के अध्यक्ष की रिपोर्ट को जो महत्व देना चाहते हैं उसके लिये तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन जांच कब तक पूरी होकर जिलाधीश से आ जायगी? इसका समय और बताने की कृपा करें।

श्री मूलचन्द साम्भरिया (दौसा) : उपाध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि क्या म्युनिसिपल एक्ट में रिइन्क्वायरी का कोई प्रावधान है? दूसरी बात, क्या पी. सी. सी. के अध्यक्ष ने आपको लिखा था कि कानून में कोई प्रोवीजन नहीं है लेकिन आपको पुनः जांच करवानी ही है? क्या आपको लीगली भी बाइन्ड किया है या कानून के मुताबिक प्रोसीड होने के लिये लिखा है?

Page No.4

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा है कि क्या मन्त्रीजी ने म्युनिसिपल एक्ट पढ़ा है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि म्युनिसिपल एक्ट की धारा 63 के तहत जांच कराने का प्रावधान है, उसके लिये राजस्थान सरकार सक्षम है । मान-नीय सदस्य इसको पढ़ने की कृपा करें ।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : मैंने इसको चैलेन्ज नहीं किया है।

श्री रामनारायण चौधरी : जहां तक इन्क्वायरी और रिइन्क्वायरी का प्रश्न है, अभी तो, उपाध्यक्ष महोदय, इन्क्वायरी कम्पलीट नहीं हुई है और वह इन-प्रोसेस है। प्रिलिमिनरी जांच रिपोर्ट कलेक्टर से आई थी, उस पर शो-काज-नोटिस उसको दे दिया गया था । पी. सी. सी. के अध्यक्ष ने भी रिप्रजेन्ट किया था, उन्होंने लिखा था कि इसकी पुनः जांच करवाई जाय । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जांच पूरी हो जाने के बाद ही पुनः जांच का प्रश्न आता है, अभी तो जांच पूरी नहीं हुई है । जब राजस्थान सरकार उस जांच रिपोर्ट से सेटिस्फाई हो जायगी, तो चार्जशीट फ्रेम करेगी । इसलिए अभी तो इन्क्वायरी इन-प्रोसेस है और मैं समझता हूं कि इन्क्वायरी और रिइन्क्वायरी का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है । मान्यवर, जब एक इलेक्टेड रिप्रजेन्टेटिव के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो कम से कम यह तो देखना ही पड़ेगा कि कहीं वह व्यर्थ में बिना वजह विक्टीमाइज तो नहीं हो रहा है। वहां के अध्यक्ष ने यह कहा है कि कलेक्टर और एस.डी.ओ. दोनों उसके खिलाफ है, इसके लिए मुख्य मन्त्रीजी को भी शिकायत की गई थी कि ये दोनों उसके खिलाफ हैं यह मेलाफाइड है, मेलीशियस है। ऐसी हालत में सरकार का यह कर्तव्य हो जाता है कि कहीं इलेक्टेड रिप्रजेन्टेटिव बिना वजह विक्टी-माइज नहीं हो जाय । लेकिन मैं यह भी नहीं मानता हूं कि इलेक्टेड रिप्रजेन्टेटिव कोई गलत काम भी नहीं करे और अगर गलत काम नहीं करता है, बिना वजह उसको परेशान किया जाता है तो सरकार को उसको सपोर्ट भी देना चाहिए । इसकी जांच के लिये कलेक्टर को लिख दिया है, टेलीफोन भी कर दिया है। जो भी उनकी रिपोर्ट आयेगी, उसके पश्चात् अध्यक्ष को भी सुना जायगा और उसके पश्चात राज्य सरकार कोई निर्णय लेगी ।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : आपने खुद ने फर्माया है कि अध्यक्ष ने कलेक्टर और एस.डी.ओ.के खिलाफ शिकायत मुख्य मन्त्री जी को पेश की । मैं आपसे यह नम्र निवे-दन करता हूं कि वह शिकायत इसलिए की गई क्योंकि उसके खिलाफ पहले ही शिका-यत आ गई थी और यह साबित हो गया कि वह किस आधार पर की गई। यह आपने देखने की तकलीफ गवारा नहीं की। पहले तो आप यह बतावें कि क्या आपका नजरिया पॉलिटिकल नहीं है ? सामंत पन्त आज भी पी. सी. सी. का मेम्बर है, जिसको बिना इन्क्वायरी के सस्पेण्ड कर दिया था । आप अध्यक्ष को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं । आपने क्यों उसको रिसाइन किया ? वहां के चेयरमेन ने बिना टेन्डर के जी. ई. सी. से बिजली का सामान खरीद लिया, उसका अभी तक पेमेन्ट नहीं किया, आपको लिखकर भी दिया।

Page No.5

(5)

(श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास) :

आपको सारे ट्रान्जिक्शन्स का बताऊं। वहां जनसंघ के प्रवीणचन्द्र हैं वह वार्ड मेम्बर हैं, उनको नीस है, वाईफ है, उनको साढ़े तीन रुपये स्क्वायर यार्ड के हिसाब से बेची है। इसमें कौनसी इन्क्वायरी करा रहे हैं? आप देखिये, रमजान है, अब्दुल्ला वार्ड मेम्बर का भतीजा है (व्यवधान) मैं बता रहा हूं, इसमें इन्क्वायरी का मसला नहीं है। मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया, आप रिपोर्ट देख लीजिये। लेकिन आपने कष्ट नहीं किया फाइल देखने का। रमजान, वार्ड मेम्बर अब्दुल्ला का भतीजा है····

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : मेरा भी सप्लीमेन्ट्री है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : क्वेश्चन मेरा है, मुझे सप्लीमेन्ट्री करने दीजिये। आप भी कर लेना। मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, आप अध्यक्ष को बीच में डाल रहे हैं। आप उनकी कितनी बात मानते हैं? आप प्रेसीडेन्ट की बात नहीं सुनते हैं। उनके पास कोई एप्लीकेशन पेश होती है तो नेचुरली उनको लिखना पड़ेगा····

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : भाषण हो रहा है या सप्लीमेन्ट्री हो रहा है? हमारे सप्लीमेन्ट्री जेनुइन हो सकते हैं।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : वहां पर अपॉइन्टमेंट हुए हैं। उनकी बिना पर शिकायत की। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ने शो-कॉज नोटिस दिया। फिर नियुक्ति को निरस्त किया है। यह शिकायत आई कि इस प्रकार अनियमितता हो रही है, गड़बड़ी हो रही है। आप फाइल देखते।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : यह बहुत सीरियस मामला है।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : यह रिपोर्ट आयी है, उसमें क्या उनको भी सुना गया था या एक्स पार्टी रिपोर्ट आयी है? इस चीज को एक्सप्लेन कर दें।

श्री रामनारायण चौधरी : मेरा पॉलिटिकल नजरिया नहीं रहा है।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : पॉलिटिकल रहा है।

श्री रामनारायण चौधरी : मेरा जुडिशियस रहा है, माननीय सदस्य का दृष्टिकोण कुछ भी रहा हो। माननीय सदस्य मेरे पास आये थे और कहा था कि इस चेयरमेन को सस्पेन्ड किया जाय····

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : मैंने कहा था कि फाइल देख लीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : लेकिन जब तक प्रॉपर प्रोसिडिंग नहीं हो जाय मैं चेयरमेन को सस्पेन्ड नहीं कर सकता। आपके प्रति मेलाफाइड ···

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : आप उसको छोड़िये।

श्री रामनारायण चौधरी : आप स्वर्गीय दामोदर लाल व्यास के सुपुत्र हैं। आपके प्रति मेलाफाइड····

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : आप सवाल का जवाब दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी बात सुन लें।

Page No.6

(6)

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : प्रेमालाप हो रहा है क्या सदन में ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : चेयरमेन को सस्पेन्ड करने में एक मिनिट नहीं लगाया वेग चार्जेज के ऊपर।

श्री रामनारायण चौधरी : इस मामले में, मान्यवर, पूरी जुडिशियल एप्रोच रखी गई है। माननीय सदस्य ने यह जानना चाहा कि रिपोर्ट पहले आयी या अध्यक्ष ने शिकायत पहले की ? यह जांच हो रही थी, जो कलेक्टर के द्वारा की जा रही थी, उस वक्त इन अध्यक्ष द्वारा इन अधिकारियों की चीफ मिनिस्टर को एक बार नहीं अनेक बार शिकायत की गई, डेपूटेशन भी मिला था....

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : आप चीफ मिनिस्टर साहब से पूछ लीजिये।

श्री रामनारायण चौधरी : जिलाधीश और एस. डी. ओ. के खिलाफ मिला था। उसके परिणाम-स्वरूप नाराज होकर उनके खिलाफ रिपोर्ट दी है। उनका कहना था कि जिलाधीश इस मामले में जांच नहीं कर रहा है, वह टालमटोल कर रहा है। चीफ मिनिस्टर को शिकायत की कि इसकी तुरन्त जांच करायें क्योंकि वह मेलेसिअस है, मेलाफाइड है। जिलाधीश ने जांच की। इस जांच के दरम्यान कलेक्टर ने चेयरमेन को नहीं सुना। चेयरमेन को तलब नहीं किया। उन्होंने अपने रिकार्ड के आधार पर राज्य सरकार को जांच रिपोर्ट भेजी। आपने कहा कि कैसे पी सी सी. के प्रेसीडेंट ने यह लिख दिया है। प्रेसीडेंट ने सुना है और कैटेगरीकली ... ...

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : रिकार्ड नहीं देखा। रिकार्ड आपके पास है।

श्री रामनारायण चौधरी : सुनिये। यह लिखा है कि मैं चाहता हूं कि इनके विरुद्ध आरोप लगाये गये हैं उनकी पूरी पूरी जांच की जाय। अध्यक्ष ने कब कहा कि रिपोर्ट में मेलेसिअस, मेलाफाइड एलीगेशन लगाये गये हैं। प्रेसीडेंट की तरफ से इस तरह लिखा है। उसके बाद प्रोसेस में इन्क्वायरी थी, कलेक्टर का तबादला हो गया। दूसरे कलेक्टर ने फिर जांच की। अब जो रिजल्ट आयेगा, उसके हिसाब से कार्यवाही की जायगी।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : आपने जवाब दे दिया, लेकिन क्या आपने तकलीफ करी फाइल देखने की ? कलेक्टर की शिकायत की—यह बात अलग है। आप चीफ मिनिस्टर से पूछ लीजिये, तारीख का मिलान कर लीजिये। आप पी. सी. सी. के प्रेसीडेंट का हवाला देते हैं। भीनमाल के पी.सी. सी. के प्रेसीडेंट हैं उनको सस्पेन्ड कर दिया। क्या चार्जेज हैं ? आपने सस्पेंड कर दिया क्योंकि लोकल एम.एल. ए. नहीं चाहता है। प्रेसीडेंट पर कोई चार्ज नहीं फिर कैसे उसे सस्पेन्ड कर दिया ? मेरे यहां स्वतंत्र पार्टी का है उसको सस्पेन्ड नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : मैं भी एक सप्लीमेन्ट्री पूछना चाहता हूं।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : मंत्री महोदय, यह समझते हैं.... ...

श्री उपाध्यक्ष : Don't disturb him. आप तशरीफ रखिये।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : भाषण देने के लिए यह टाइम नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : That is my function and my job.

श्री दीपंकर : आपसे निवेदन कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : उपाध्यक्ष महोदय मुझे मेलाइन करते हैं। मैंने जो कहा, वह माननीय फूलचन्दजी जैन और माननीय पुखराज कालानी के सामने बात हुई थी। मैंने कहा था कि डाकूमेंट देख लीजिये, फाइल देख लीजिये। फाइल और डाकूमेंट आपने नहीं देखे। मैं आपको चुनौती देता हूं, आप फाइल स्पीकर को सबमिट कर दीजिये। लेकिन फाइल दिखाते नहीं हैं, डाकूमेंट दिखाते नहीं हैं और मेलेसिग्रस काम करते हैं। आप तैयार हैं फाइल स्पीकर को देने के लिए ?

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : मेरे सवाल का जवाब आने दीजिये।

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर दूं....

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मिनिस्टर के खिलाफ जो रिमारकेशन्स किये गये हैं उनको एक्सपन्ज किया जाय।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : नहीं....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह एब्सोल्यूटली करेक्ट है। स्वतन्त्र पार्टी के आदमी का इतना फेवर कर रहे हैं।

श्री दीपंकर : फेवर करने का सवाल नहीं है।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : I am occupying the floor, gentleman! Don't disturb. माननीय मंत्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि पी. सी. सी. के अध्यक्षजी ने किसी प्रेसीडेन्ट साहब के लिए क्या लिखा है ?

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक प्रश्न में अननेसेसरी इतना समय ले लिया है। 7 दिन से मेरा प्रश्न नहीं लिया जा रहा है। अननेसेसरी एक सवाल में इतना समय जाता है और हमारे जरूरी सवाल रह जाते हैं इस तरीके से। इसलिए हमारे साथ न्याय करने की ज्यादा जरूरत है।

श्री बिरदाराम (जालौर) : मैं निवेदन कर दूं कि भीनमाल का चेयरमैन एक ईमानदार आदमी है और उसके साथ में न्याय हो।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : इमर्जेन्सी के अन्दर आर. एस. एस. के आदमी को "

श्री उपाध्यक्ष : आप जवाब नहीं चाहते ?

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : जवाब चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : तो फिर विराजिये अगर आप जवाब चाहते हों तो।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : जिस आर. एस. एस. के आदमी ने इमर्जेन्सी के अन्दर 'इन्दिरा गांधी मुर्दाबाद' के नारे लगाये थे वह आदमी चेयरमैन है उसी आदमी को चुंगी पर लगाते हैं। जिस आदमी ने 'इन्दिरा गांधी मुर्दाबाद' के नारे लगाये उस आदमी को चेयरमैन ने एम्प्लॉयमेंट दिया है। वह स्वतन्त्र पार्टी का है। आप डिप्टी स्पीकर को फाइल सबमिट करने को तैयार हैं आपको नॉलेज थी यह तो मालूम पड़ेगा....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य....

श्री रामनारायण चौधरी : जिस नगरपालिका के अध्यक्ष के लिए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कुछ बोला तो वह स्वतन्त्र पार्टी और जनसंघ का नहीं हो सकता है निश्चित रूप से। यहां पर यह भी कहा गया कि मैंने फाइल नहीं देखी। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सारी पत्रावली को पूरे तरीके से देखा है, शो कॉज नोटिस के जवाब को देखा है और इनर ओपीनियन को देखा है और जुडिशियसली उस पर विचार किया है। यह समझा गया है कि कलेक्टर पर आरोप लगाये गये हैं तो एन्क्वायरी की जानी चाहिए। अगर अध्यक्ष ने मेलाफाइडली है और आरोप कलेक्टर पर लगाये हैं तो उस आरोप के आधार पर यह जरूरी समझा गया है कि इन्क्वायरी कम्प्लीट तभी मानी जायगी जब कि कलेक्टर के तथ्यों और जानकारी पर विचार किया जायगा कि वह परफेक्टली एकार्डिंग टू लॉ है या नहीं। कानून के खिलाफ या रिकार्ड के खिलाफ किया गया हो ऐसी बात नहीं है।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : आप उपाध्यक्ष महोदय को फाइल देने को तैयार हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनारायण ! I have closed it. Please sit down.

श्री सुरेन्द्रप्रसाद व्यास : उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : Please sit down.

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर ....

श्री उपाध्यक्ष : Please sit down.

प्रश्न संख्या 565

श्री विशम्भरनाथ जोशी !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

छत्रपुरा प्रोजेक्ट की डूब में आई भूमि

566. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) [**श्री शिवनारायण** (बारां) की अनुपस्थिति में] : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि छत्रपुरा प्रोजेक्ट में ग्राम छतरपुरा की काश्त की जमीन एवं मकान डूब में आये हैं ? यदि

(श्री रामप्रसाद बोहरा)
हां, तो क्या काश्तकारों की जमीन एवं मकानों का मुआवजा दिया जा चुका है ?

(2) यदि नहीं दिया गया, तो कब और किस दर से मुआवजा दिया जायेगा ?

सिंचाई मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) जी हां । 34 काश्तकारों में से 17 काश्तकारों को जमीन का मुआवजा दिया जा चुका है । 17 काश्तकारों को देना बाकी है । 16 मकानों का मुआवजा देना शेष है ।

(2) जिन 17 काश्तकारों को मुआवजा नहीं दिया गया है उनके मामले तथा मकानों के मुआवजे के अवार्ड के मामले भूमि अवाप्ति अधिकारी को भेजे जा चुके हैं । उनसे प्राप्त होने पर मुआवजे की धनराशि निर्धारित दर से चुका दी जावेगी ।

श्री रामप्रसाद बोहरा : कितने साल का अर्सा हो गया है और कब तक जल्दी से जल्दी यह तय हो जायगा ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मुआवजा तय हो चुका है और 17 काश्तकारों का मुआवजा दे दिया गया है और 17 काश्तकारों के मुआवजे के मामले भूमि अवाप्ति अधिकारी के पास हैं । वह जब तक अवार्ड न दें तब तक विभाग उनको पैसा नहीं चुका सकता । डिले क्यों हुई इसकी जानकारी मेरे पास नहीं है । जिन 17 कृषकों की जमीन का मुआवजा तय हो चुका है उनमें से तीन तो कहीं गांव छोड़कर चले गये जिनका पता नहीं है और 10 की डेथ हो चुकी है तो उनके जो नेक्स्ट वारिस या उत्तराधिकारी हैं उनको दिलाने के लिए, वापिस अवार्ड करेक्ट करने के लिए उनको भूमि अवाप्ति अधिकारी के पास भेजा गया है कि वे करेक्ट करके भेज दें ताकि उनको मुआवजा दिया जा सके । चार के मुआवजे आपस में बातचीत होने पर तय नहीं हो पाये हैं जो दुबारा तय करने के लिए भेजे हैं । इसलिए कोई विलम्ब नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री भोमाराम !

शिक्षा कर की राशि

567. **श्री भोमाराम चौधरी** (डीडवाना) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डीडवाना पंचायत समिति क्षेत्र में शिक्षा कर कब से लगाया गया ?

(2) इस शिक्षा कर के उपयोग के बारे में पंचायत समिति, डीडवाना ने क्या-क्या व कब कब निर्णय लिये ?

(3) इस शिक्षा कर की राशि के उपयोग के विभागीय नियम क्या हैं ?

(4) इस शिक्षा कर की कितनी कितनी राशि प्रत्येक पंचायत क्षेत्र से प्रत्येक बार आज तक वसूल हुई है एवं कितनी कितनी राशि इस शिक्षा कर की किस किस ग्राम पंचायत क्षेत्र में कितनी कितनी बकाया है ?

पंचायत मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) पंचायत समिति की ग्राम सभा की बैठक दिनांक 25-7-66 के निर्णय के अनुसार शिक्षा कर लगाया गया है ।

(श्री रामनारायण चौधरी)

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) शिक्षा कर की राशि के उपयोग हेतु अलग से कोई विभागीय नियम नहीं है। विभागीय परिपत्र संख्या लेखा/पंचा/68/18400, दिनांक 28-10-68 के द्वारा निजी आय के उपयोग के बाबत प्रक्रिया निर्धारित की गई है उसमें शिक्षा कर से प्राप्त आय को शिक्षा प्रवृत्तियों में व्यय किया जाना अंकित किया गया है।

(4) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

श्री भोमाराम चौधरी : आपने जो सूची दी है उसके अनुसार कई ग्राम पंचायतों में इस सेस की वसूली नहीं हुई है इसका क्या कारण है?

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य वहां के हैं वह कारण, तो आपको ज्यादा मालूम होगा। वसूली नहीं होने के कई कारण हो सकते हैं। अकाल का कारण भी हो सकता है या वसूली में शिथिलता रह गई हो। शिक्षा उप-कर की वसूली पूरी नहीं हुई है जब कि सारी वसूलियां एक साथ हो जाती हैं, यह बात देखनी है। लेकिन पंचायतें इस बात का प्रयत्न कर रही हैं कि वसूली तीव्र गति से हो।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) : पंचायत समितियों मे शिक्षा सेस की वसूली के लिए क्या राजस्व विभाग ने प्रयत्न नहीं किया?

श्री रामनारायण चौधरी : जी नहीं, राजस्व विभाग पंचायत समितियों के शिक्षा उपकर की वसूली में पूरा सहयोग कर रहा है।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद व्यास : कारण रहे होंगे यह कोई जवाब नहीं हुआ। स्पेसिफिक बतायें कि क्या कारण रहे। स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है तो स्पेसिफिक जवाब आना चाहिए कि क्यों वसूली नहीं हुई?

श्री भोमाराम चौधरी : शिक्षा उप कर को किसी भी काम में खर्च करने में क्या आपत्ति है सरकार को?

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : राजस्व विभाग वसूली करता है और शिक्षा उप कर की भी वसूली करता है। जहां पर शिक्षा उप कर की वसूली उसके साथ में नहीं हो तो मंत्री महोदय देखेंगे कि राजस्व विभाग सहयोग कर रहा है या नहीं? मालगुजारी की वसूली के साथ-साथ शिक्षा उप कर की भी वसूली होनी चाहिए।

श्री भोमाराम चौधरी : क्या यह सही है कि पंचायत समिति, डीडवाना ने प्रस्ताव पास किया है उसके आधार पर पंचायत द्वारा खर्च करने में राज्य सरकार को कुछ आपत्ति है?

श्री रामनारायण चौधरी : शिक्षा उप कर को खर्च करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है। शिक्षा सम्बन्धी प्रवृत्तियों पर इसको खर्च किया जाना चाहिए, लेकिन पंचायत समिति ने प्रस्ताव पास करा अमुक ग्राम पंचायत को 5,000) रुपये, अमुक ग्राम पंचायत को 3,000) रुपये लम्पसम में एलाट कर दिये जायं यह प्रस्ताव पास कर दिया

(श्री रामनारायण चौधरी)

कि जिस काम में खर्च करना है उसमें खर्च कर दें। यह नियमानुसार नहीं है। पंचायत समिति सक्षम है कि किस प्रकार से उसको खर्च किया जाय और राज्य सरकार को उसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन पंचायत समिति ग्राम पंचायतों में रकम वितरण करके यह बताये कि ग्राम पंचायतें किस प्रकार से उसको खर्च करेगी, चाहे प्राथमिक शालाओं की मरम्मत के लिए 2 हजार खर्च किये जायं, यह अपने प्रस्ताव में रखती है तो निश्चित रूप से पंचायत समिति ग्राम पंचायतों से खर्च करवा सकती है, लेकिन बिना शर्त लगाये हुए ग्राम पंचायतों को एक लम्पसम में रकम भेज दे तो यह ठीक नहीं है। एक निश्चित पर्पज के लिए रकम दी गई है तो यह जरूरी नहीं है कि ग्राम पंचायतें किसी पर खर्च करें। इसलिए पंचायत समिति को निश्चित रूप से यह निर्णय करना चाहिए कि किस काम के लिए शिक्षा उप कर की राशि को खर्च किया जाना चाहिए, और ग्राम पंचायतों को जिस काम के लिए दी जाती है उसी काम में वह खर्च करे। लेकिन पंचायत समिति यह डिसीजन ले कि अमुक पंचायत को इतना इतना लम्प सम के रूप में दे दो तो राज्य सरकार इसको नहीं मानने वाली है।

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी एक समिति का सदस्य हूं।........

श्री भोमाराम चौधरी : पंचायत समिति 75 परसेन्ट पंचायतों पर खर्च करेगी वह भवन निर्माण के माथे या पुस्तकों के माथे खर्च करेगी। स्कूलों की बिल्डिंग टूटी हुई पड़ी है और पंचायत समितियों को ऐसे आदेश हैं गवर्नमेंट के कि पंचायतें खर्च नहीं कर सकती हैं। यह आपके यहां के आदेश हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : जरूरी है या नहीं लेकिन ग्राम पंचायतें अपने आप खर्च नहीं कर सकती हैं। पंचायत समिति ही इसको खर्च करायेगी। खर्च करने वाली एजेन्सी वह पंचायत समिति होगी, लेकिन किसी ग्राम पंचायत के मार्फत खर्च करवाये तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। वह पंचायत समिति किसी प्राथमिक स्कूल के भवन की मरम्मत के लिए दे या मकान बनाने के लिए दे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन एक लम्प सम में एलॉट कर देती हैं और उसके साथ में कोई शर्त नहीं रखती है, उसमें मकसद नहीं लिखा होता है, इसको राज्य सरकार पसन्द नहीं करेगी। यदि पंचायत समिति शिक्षा उप कर की रकम को खर्च करने का प्रस्ताव पास करे तो उस संबंध में निर्देश दिये हुए हैं कि इस प्रकार की शिक्षा उप-कर की रकम शिक्षा के कामों में ही खर्च करनी चाहिए। इन कामों पर पंचायतें खर्च करती हैं या पंचायत समिति ग्राम पंचायतों से ही काम करवाती है तो राज्य सरकार को कहीं आपत्ति नहीं होगी।

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय,....

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये।

श्री दीपंकर : आपकी मार्फत, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से एक बात पूछना चाहता हूं। मैं भी पंचायत समिति, डीडवाना का सदस्य हूं। जहां कहीं भी शिक्षा उप कर की वसूली होती है तो लोगों

(श्री दीपंकर)

में यह चर्चा होती है कि कई पंचायत समितियों ने शिक्षा उप कर लगा रखा है जब कि कई पंचायत समितियों ने नहीं लगा रखा है। किसलिए लगा रखा है मालूम नहीं है लेकिन लोग चर्चा करते हैं इसलिए एक ऐसा वातावरण बनता है और लोग उसमें पैसा कम देते हैं। तो क्या राज्य सरकार की मन्शा यह नहीं है कि इस प्रकार का उपकर राजस्थान के लेवल पर और किसी तरह के आधार पर सब जगह लागू करवा द ताकि कोई पंचायत समिति बदनाम न हो। कहीं पर कर लगा रखा है और कहीं पर नहीं लगा रखा है तो सब जगह के लिए लागू करने की मन्शा है ?

श्री रामनारायण चौधरी : राज्य सरकार की मन्शा सब जानते हैं। राजस्थान की 232 पंचायत समितियों से राज्य सरकार ने अनुरोध किया है कि शिक्षा उप कर उनको लगाना चाहिए। इसमें राज्य सरकार की पूरी मन्शा है कि सब पंचायत समितियां निश्चित रूप से इसको लगायें। शिक्षा उप कर लगाना चाहिए क्योंकि यदि पंचायत समितियां शिक्षा उप कर नहीं लगायेंगी तो प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए माननीय सदस्य के सुझाव से मैं सहमत हूं और राज्य सरकार सब पंचायत समियियों में यह लागू करे।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामरघुनाथ चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, ...

श्री उपाध्यक्ष : I have closed it.

प्रश्न संख्या 568

श्री मनोहरलाल !

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 569

श्री गोरधन सिंह ।

(अनुपस्थित, कृपया आगे देखिये)

श्री श्रीराम गोटेवाला ।

जयपुर की गृह निर्माण सहकारी समितियां

570. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशन पोल बाजार, जयपुर): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर शहर की किस किस गृह निर्माण सहकारी समिति के पास कितनी कितनी भूमि कहां कहां पर है ?

(2) सहकारी समितियों की जमीन कितनी मास्टर प्लान में है और कितनी मास्टर प्लान के बाहर है ? कृपया नाम व क्षत्र बताने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि इन सहकारी समितियों के चुनाव (बहुतों के) विधान के अनुसार वांछित समय पर नहीं होते हैं ?

(4) क्या यह सही है कि इन समितियों का ऑडिट प्रति वर्ष सहकारी विभाग द्वारा किया जाता है ? यदि हां, तो किस किस गृह निर्माण सहकारी समिति के क्या क्या ऑडिट आब्जेक्शन्स हैं ?

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

(5) क्या यह सही है कि उक्त समितियों ने जनता को झांसा देकर विकास कार्य कराने के नाम पर रुपए ले लिये एवं रुपये लेने के बाद आज तक कुछ भी विकास नहीं कराया ?

सहकारिता मन्त्री (श्री रामनारायण चौधरी): (1) सूचना परिशिष्ट 'अ' के कॉलम नंबर 2 व 3 में अंकित है, जो सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) इन सारी समितियों की जमीन जयपुर शहर के मास्टर प्लान में है। नाम व क्षेत्र परिशिष्ट 'अ' में दिए हुए हैं।

(3) इन सहकारी समितियों के चुनाव अंगीकृत उपनियमों के अनुसार कराए जाते हैं। जिन जिन सहकारी समितियों के चुनाव वांछित समय पर नहीं हुए हैं उनके शीघ्र चुनाव कराए जाने की कार्यवाही जारी है।

(4) राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 1965 के अंतर्गत प्रति वर्ष ऑडिट कराए जाने का प्रावधान है जिसके अनुसार अधिकांश समितियों के ऑडिट हो चुके हैं। सामान्यत: निम्न प्रकार के ऑडिट आक्षेप इन समितियों में पाए गए हैं:—

1. अधिकांश गृह निर्माण सहकारी समितियों के पास कृषि भूमि है जिसे हा समितियों ने प्लाट काट काट कर दिए हैं।
2. अधिकांश गृह निर्माण सहकारी समितियों के चनाव प्रति वर्ष उपनियमानुसार नहीं करवाए जा रहे हैं।
3. अधिकांश गृह निर्माण सहकारी समितियों में कृषि भूमि के ही विकास में भारी मात्राओं में विकास व्यय, भूमि को समतल करने, रोड आदि का निर्माण कराने में किए हैं जिसके कारण अधिकांश समितियां हानि में आ गई हैं।
4. अधिकांश गृह निर्माण समितियों के पास कृषि भूमि होने के कारण उन्हें गृह निर्माण हेतु सुविधायें उपलब्ध नहीं हो पाई हैं।
5. प्राय: गृह निर्माण सहकारी समितियों ने गत वर्षों के ऑडिट आक्षेपों की पूर्ति रिपोर्ट नहीं पठाई है।

(5) इस प्रकार की कोई सूचना विभाग में प्राप्त नहीं हुई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री श्रीराम गोटेवाला : जो लिस्ट मुझे दी गई है उसमें 114 समितियां कृषि भूमि में हैं और बाकी 80 यू. आई. टी. की भूमि में है। मैंने प्रश्न पूछा क्योंकि ऑडिट ऑब्जेक्शन्स हैं, मैं जानना चाहता था कि 114 के अन्दर कितने ऑडिट ऑब्जेक्शन्स हैं ? एक तरफ तो मंत्री जी ने कहा कि अधिकांश समितियों के ऑडिट हो चुके हैं, दूसरे प्रश्न के उत्तर में मन्त्री जी ने अभी बताया कि ऑडिट

(श्री श्रीराम गोटेवाला)
आक्षेपों में मुख्य आपत्ति यह है कि चुनाव समय पर नहीं करवाए जाते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य ने मूल प्रश्न के भाग '4' में पूछा है "क्या यह सही है कि इन समितियों का ऑडिट प्रति वर्ष सहकारी विभाग द्वारा किया जाता है? यदि हां, तो किस-किस गृह निर्माण सहकारी समिति के क्या क्या ऑडिट आब्जेक्शन्स हैं?" यदि हर समिति ऑडिट आब्जेक्शन्स पढ़ूं तो मुझसे भी 7 फीट लम्बा रिकार्ड हो जाएगा। इसलिए मैंने ऑब्जेक्शन्स की लिस्ट बताई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा: इन आपत्तियों को बजाए एक दूसरे के ऊपर रखने के फर्श पर क्यों नहीं बिछा देते?

श्री रामनारायण चौधरी : जो प्रश्न-कर्त्ता हैं उनको सहकारी समितियों की पूरी-पूरी जानकारी है। उनका मकसद प्रश्न पूछने का पूरा हो गया है और कहीं कमी रह गई है तो मैं उनको सूचना दे दूंगा। माननीय सदस्य हमेशा सब जानकारी करते रहते हैं।

श्री श्रीराम गोटेवाला : मुझे अधिकांश के बारे में जानकारी है, इसलिए प्रश्न पूछा है। इन समितियों में विकास के नाम पर, बिजली, सड़क व पानी की लाइन डालने के नाम पर अध्यक्षों और मंत्रियों ने रुपए लिए हैं, कन्वर्शन के नाम पर भी यू. आई. टी की तरफ से जो जमीन एक्वायर की गई थी, डीएक्वीजिशन के नाम पर भी रुपया लिया गया। जब सहकारिता विभाग की मांग पर बहस थी, तो कुछ मुद्दे मैंने उठाए थे और आज भी कह रहा हूं कि ये समितियां विभिन्न काम के नाम पर रुपए खा गई हैं। इसलिए मैंने अपने प्रश्न में भी कहा है "जनता को झांसा देकर जो रुपया लिया गया है, उसके लिए आपका विभाग क्या कार्यवाही कर रहा है?" मैंने पहले भी यह सवाल उठाया था और 1974 में सूचना दी थी कि इन गृह निर्माण सहकारी समितियों का सारा विकास यू. आई. टी. को करना पड़ेगा। जयपुर शहर में कम से कम 50 लाख रुपए ये दूसरे बेईमान लोग खा गए हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : यदि ऐसी समितियों की सूची मुझे माननीय सदस्य दे दें तो निश्चित रूप से मैं जांच करवाऊंगा और उस पर लिए गए निर्णय से आपको अवगत कराऊंगा। जांच के दौरान यदि आप सहयोग दें तो मैं आपको उस जांच में एसोसिएट करूंगा। जहां तक मूल प्रश्न में झांसे की बात कही गई है, वह अस्पष्ट है। आपने पूछा है "क्या यह सही है कि उक्त समितियों ने जनता को झांसा देकर विकास कार्य कराने के नाम पर रुपये ले लिए एवं रुपये लेने के बाद आज तक कुछ भी विकास कार्य नहीं कराया?" माननीय सदस्य, मुझे आप सूची दे दें कि विकास के नाम पर जिन सहकारी समितियों ने अपने सदस्यों से, शेयर होल्डर्स से रुपए लिए हैं, किसी प्रकार का झांसा दिया है, तो मैं उसकी जांच कराऊंगा और जो जांच का नतीजा निकलेगा, उस पर आगे कार्यवाही करूंगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : क्या यह सही है कि जिन लोगों की मास्टर प्लान में जमान आती थी ऐसे लोगों ने गृह

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)
निर्माण सहकारी समिति बनाकर एग्रीकल्चरल पर्पजेज के लिए जमीन बताकर, मास्टर प्लान से बचने का प्रयत्न किया है ?

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्या अपना प्रश्न स्पष्ट नहीं रख सकी। मैं उनके प्रश्न को और स्पष्ट कर देता हूं। माननीय सदस्या की मन्शा है कि मास्टर प्लान सारे जयपुर का ही मास्टर प्लान है। उसमें कुछ जगह ऐसी दिखाई हैं जो रेजीडेंशियल यानी आवासीय हैं कुछ नॉन-रेजीडेंशियल है जैसे इन्डस्ट्रियल, कामर्शियल हैं, रीक्रीएशनल सेंटर्स हैं, एजूकेशनल सेंटर्स हैं। माननीय सदस्या का पूछना है कि कई लोगों ने, जो जमीन रेजीडेंशियल एरिया में नहीं, नॉन-रेजीडेंशियल एरिया में ली, सहकारी समितियां बनाकर मास्टर प्लान के अन्तर्गत एक्वीजीशन से बचने की कोशिश की है।

मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने इस मामले में निर्णय लिया है। बड़े पैमाने पर राज्य सरकार ने काफी कन्सल्टेशन्स के बाद, माननीय अध्यक्ष के साथ बैठकर, जयपुर के विधायकों के साथ बैठकर यह निर्णय लिया कि जहां मास्टर प्लान एफेक्ट नहीं होता है, मतलब जो रेजीडेंशियल एरिया डिक्लेअर हुआ है, उसमें यदि सहकारी समितियों का निर्माण हो गया है, ऐसी समितियों के उन सदस्यों को, जिनके पास जयपुर में कोई आवासीय व्यवस्था नहीं है, जिनके पास अपना आवासीय भूखण्ड या मकान नहीं है, किसी प्रकार की आवासीय सुविधा जयपुर में उपलब्ध नहीं है, एक-एक को 300 वर्ग गज तक का प्लॉट देकर, डीएक्वीजीशन करके, रैग्यूलराइज करने की अनुमति दी है। हमने जनरल डीएक्वीजीशन नहीं किया है। वह भी इस शर्त के साथ डीएक्वीजीशन किया है कि वहां निर्माण मास्टर प्लान के अनुरूप, टाउन प्लानिंग विभाग की सलाह के अनुसार होगा, उसके कन्वर्शन चार्जेज राजस्व विभाग को देने होंगे। डेवलपमेंट एक्सपेन्सेज यू. आई. टी. को पे करने होंगे, उसके बाद ही उन प्लॉट्स को डीएक्वीजीशन की कार्यवाही करके, रेगुलेराइज किया जाएगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या यह सही है कि ये 114 सहकारी समितियां कृषि भूमि की बनाई गई हैं, आपकी जानकारी में होते हुए भी इन्होंने इस कृषि भूमि के भू-खण्ड बनाकर अपने सदस्यों को बेचे हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी . माननीय सदस्य का प्रश्न बहुत व्यापक है और बहुत पुराना प्रश्न है। ये समितियां वर्षों से बनी हुई हैं और उस समय सहकारी विभाग का दृष्टिकोण रजिस्ट्रेशन का था लेकिन जब सरकार के ध्यान में आया कि कुछ लोग मिलकर, कृषि भूमि खरीदने के लिए सहकारी समिति बना रहे हैं, सहकारी समितियों के माध्यम से गड़बड़ियां भी कर रहे हैं और जयपुर के प्लान्ड डेवलपमेंट के अन्दर हर्डल पैदा कर रहे हैं, तो सरकार ने निर्णय लिया है कि जयपुर में जिन सहकारी समितियों के पास आवासीय भूमि नहीं होगी, उनका रजिस्ट्रेशन भविष्य में नहीं किया जाएगा। मैं नहीं कह सकता कि सहकारी विभाग को इस प्रकार की जानकारी थी या नहीं लेकिन जब कोई 25

(श्री रामनारायण चौधरी)
सदस्य मिलकर समिति बना लेते थे तो विभाग उनका रजिस्ट्रेशन कर लेता था। सहकारी विभाग को जानकारी नहीं रही होगी कि इसके आगे चलकर क्या परिणाम होंगे। लेकिन जब इनके कॉन्सावयूएन्सेज राज्य सरकार के सामने आये तो राज्य सरकार ने इसके बारे में गम्भीरता से सोचा। आज जयपुर के डवलपमेंट के लिए, लोगों की हाउसिंग नीड्स को पूरा करने के लिए उनकी सुविधा के लिये, कि लोगों को हाउसिंग फैसीलिटीज देने के लिए राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब यहां पर हाउसिंग सोसाइटीज के नाम पर किसी भी सोसाइटी का फर्दर रजिट्रेशन नहीं किया जाये। उन्हें रोक दिया गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल: उपाध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि क्या राज्य सरकार ने जयपुर के अलावा भी और दूसरे ज्यादा आबादी वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की सोसाइटीज के रजिस्ट्रेशन के लिये रोक लगायी है? अभी थोडे दिन पहले ही वहां एक सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इन्डिया के कर्मचारी लोगों ने एग्रीकल्चर लैण्ड के लिए एक कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का पंजीकरण कराया है। यह पिछले साल की ही बात है। क्या राज्य सरकार इस ओर ध्यान देगी?

श्री रामनारायण चौधरी: माननीय सदस्य जो बात बता रहे हैं उसकी जानकारी मुझे नहीं है लेकिन मैं इसकी जानकारी कर लूंगा। कि इसके लिए जो भी आवश्यक कार्यवाही है वह की जावेगी। राजस्थान सरकार ने जयपुर और दूसरे बड़े जिलों के लिए इस प्रकार के निर्णय लिए हैं कि वहां पर इस प्रकार की सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाय। उन्हें रोक दिया गया है।

(व्यवधान : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष: माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करे। श्री गोटेवाला!

श्री श्रीराम गोटेवाला: उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर में एक गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति है उसने बहुत बड़ी लैण्ड एक्वायर कर रखी है और उसमें लाखों रुपयों का घोटाला है। इसके अलावा जयपुर यू.आई.टी. से अभी जो 84 ऐसी सहकारी समितियां हैं उनको नोटिसेज जाने चाहिये थे पर नहीं देकर उसमें से 50 सहकारी समितियों को तो यू. आई. टी. ने एग्जेम्पशन दिया है बाकी जो 34 सहकारी समितियां है उनको आपने एग्जेम्प्ट नहीं किया है। इसका क्या कारण है? इन सहकारी समितियों के कर्ता धर्ताओं ने लोगों से पानी, बिजली और विकास के नाम पर काफी रुपया एक्स्ट्रा लिया है लेकिन न तो वहां पर कोई प्रकार का डवलपमेन्ट ही किया गया है न ही वहां पर कोई सड़कें वगैरह बनी हैं उन्होंने लोगों से पैसे लिये हैं डेवलपमेन्ट के नाम पर। इसके अलावा इन समितियों की यह हालत है कि इन सोसाइटीज के, आज दस दस साल से ज्यादा समय हो गया है, कोई चुनाव नहीं हुये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, दस दस साल तक चुनाव नहीं हुए उन सहकारी समि-

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

तियों के ऑडिट तक नहीं हुये हैं काफी घोटाला है इसमें आपने 50 सहकारी समितियों के बारे में तो एग्जेम्पशन दे दिया और बाकी बचा सोसाईटीज 34 जो हैं उनके बारे में क्या सोचा ? आखिर इन सोसाइटीज का कोई चुनाव नहीं हो, डवलपमेन्ट के नाम पर पैसे ले लें उनका कहीं लेखा जोखा नहीं हो, ऑडिट नहीं हो, यह कहां तक उचित है ? कम से कम इन सारी अनियमितताओं के लिए तो राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिये। जहां तक गोविन्द गृह निर्माण सहकारी समिति का सवाल है वह तो हमने अपनी तिकड़म से उसमें कार्यवाही करा ली क्योंकि वहां तो लाखों रुपयों का गबन था लेकिन दूसरी सोसाइटीज के खिलाफ में आप क्या एक्शन ले रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : आप सिर्फ सप्लीमेन्ट्री ही पूछें। भाषण नहीं दें।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने काफी लम्बी सूचना चाही है, बहुत सी सहकारी समितियों के बारे में पूछा है इसलिए मेरा निवेदन यह है यह 50 सहकारी समितियां नहीं है बल्कि इस प्रकार की 56 गृह निर्माण सहकारी समितियां है जिनका डी—एक्वीजीशन किया है उसमें से तीन घट गई तो इस प्रकार रेजिडेन्शियल को-ऑपरेटिव सोसाइटीज की संख्या 53 रह गई। अब रहा सवाल जैसा आपने कहा कि ऑडिट नहीं हो सका है तो इसके लिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इनके ऑडिट करवाये जायेंगे और चुनाव भी करायें जायेंगे। इसके अलावा जहां जहां भी गबन ओट ले हैं और जो दोषी व्यक्ति हैं उनके खिलाफ में आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या आप उन सभी सोसाइटीज को, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है और उनमें सब डिविजन हो गया है रेग्यूलराइज करने का विचार करते हैं ? दूसरे जिन लोगों ने सड़को के नाम पर और विकास के नाम पर बिजली के नाम पर जो पैसा लिया है और वहां पर किसी प्रकार का विकास का काम नहीं हुआ है क्या आप उनके खिलाफ में कार्यवाही करेंगे क्योंकि इनमें ऐसी समितियां हैं आज दस साल से ज्यादा हो गया है न तो उनका ऑडिट ही हुआ है न ही उन सहकारी समितियों के पदाधिकारियों ने जिनसे पैसा लिया है उसकी कहीं दर्ज ही किया है। तो क्या ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आप मुकदमा चलाने के दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि वहां पर काफी गड़वड़ घोटाले हैं तो मैं इसकी जांच करवा लूंगा और उन लोगों ने अगर लोगों से विकास के नाम पर या पानी बिजली के नाम पर पैसे लिये हैं और उनका हिसाब किताब नहीं रखा है तो उनके ऑडिट होने पर उनके खिलाफ में कार्यवाही की जावेगी। अगर रिकार्ड पर है और उसमें घोटाला है तो उस तरह की कार्यवाही की जायेगी।

(18)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : वह तो फिर 406 का केस बन जायेगा।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य खुद कानून के ज्ञाता हैं वह खुद जानते हैं क्रिमिनल प्रोसिजर कोड और सिविल प्रोसिजर कोड के तहत क्या कार्यवाही दोषी व्यक्तियों के खिलाफ में हो सकती है, वह की जायेगी। मैं जांच करवा लूंगा और बाद में अगर उसमें किसी प्रकार की गुंजाइश होगी तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ राज्य सरकार जो भी कानूनी कार्यवाही कर सकेगी वह निश्चित रूप से करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री मूलचन्द सामरिया।

दौसा में पानी के टैंक का कार्य

571. **श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :** क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) क्या दौसा जलदाय योजना के अन्तर्गत पानी का टैन्क बनाना आवश्यक है ?

(2) क्या उक्त टैन्क की साइट को निर्धारित किया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ?

(3) क्या उक्त टैन्क को बनाने हेतु ठेका भी दिया जा चुका है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उक्त टैन्क के अभाव में आज भी कई स्थानों पर पानी नहीं पहुंच रहा है ? यदि हां, तो कब तक बनकर तैयार हो जावेगा।

जन स्वास्थ्य मन्त्री (श्री चन्दनमल बैद) : (1) जी हां।

(2) जी हां। साइट दिनांक 25-2-75 को निर्धारित की जा चुकी है।

(3) जी हां। ठेका दिनांक 12-11-75 को दिया गया था।

(4) टंकी का कार्य पूरा न होने के कारण सीधी पंपिंग द्वारा पूरे नगर को जल वितरण किया जा रहा है।

श्री मूलचन्द सामरिया : उपाध्यक्ष महोदय, वहां पर खास तौर से ऊपर के स्थानों पर पानी नहीं पहुंच पाता है। आपने कहा कि दिनांक 12-1-75 को ठेका दिया जा चुका है पर यह पूरी कब तक बनकर तैयार हो जायेगी ?

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, यह कैसे कहा जा सकता है कि पूरी कौनसी तारीख तक बन जायेगी। उपाध्यक्ष महोदय, टंकी का काम है। ठेका तो दे दिया लेकिन बाद में इसी बीच में ठेकेदार काम छोड़कर सितम्बर के माह में ही चला गया। उपाध्यक्ष महोदय, इस ठेकेदार ने और भी जगह टंकी निर्माण के काम हाथ में ले रखे थे लेकिन कहीं पर टंकी टूट गई और वह ठेकेदार, जो दौसा में टंकी निर्माण का कार्य कर रहा था, चला गया। इसी बीच में दौसा की जनता को पानी का तकलीफ नहीं हो इसलिए राज्य सरकार डाइरेक्ट पम्पों से पानी सप्लाई कर रही है लेकिन टंकी के निर्माण में अभी समय लगेगा।

श्री मूलचन्द सामरिया : आप इसके लिए अन्तिम तारीख बता दें यह कब तक बन कर तैयार हो जायेगी ? जनता को वहां पर बहुत ही तकलीफ हो रही है। कहीं पर पानी आता है और कहीं पर खास तौर से ऊपर के हिस्से में पानी नहीं आता है। इसके लिये आप प्रकाश डालें।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, टंकी बनाने के लिए टेण्डर दे दिए गए हैं। अब वह जल्दी से जल्दी बना दी जायेगी। इसमें कोई महीना या निश्चित तारीख नहीं बताई जा सकती है।

श्री मूलचन्द सामरिया : फिर भी एक साल में, दो साल में कोई समय तो हो।

श्री चन्दनमल बैद : एक साल में जल्दी से जल्दी।

श्री उपाध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री अजीतसिंह।

शक्कर का वितरण

572. **श्री अजीतसिंह (टोंक)** : क्या नागरिक रसद मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि कई जिलों में शक्कर समय पर नहीं पहुंचती है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

(2) शक्कर के होल सेल व्यापारी या संस्था को क्या कमीशन दिया जाता है ?

(3) शक्कर के रिटेल व्यापारी को या संस्था को क्या कमीशन दिया जाता है ? और क्या किराया दिया जाता है ?

(4) क्या राज्य सरकार कमीशन बढ़ाने का विचार कर रही है ?

(5) शक्कर की बोरियों में तोल कम होने पर घाटा कैसे पूरा किया जाता रहा है ?

मंत्री, नागरिक रसद (श्री शिवचरण माथुर) : (1) लेवी की शक्कर करीब-करीब समय पर ही पहुंच रही है कहीं-कहीं पर समय पर शक्कर नहीं पहुंचने के निम्न कारण हैं:—

1. आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण सहकारी संस्थानों द्वारा समय पर चीनी मिल को चीनी लदान हेतु अग्रिम राशि नहीं देना।

2. रेल्वे वैगनों की कमी के कारण समय पर मिलने में देरी।

3. सहकारी संस्थाओं की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण बिल्टयां रेल्वे से समय पर नहीं छुड़ाना।

4. चीनी मिलों द्वारा वैगन हेतु समय पर इन्डेन्ट लगाने में कभी कभी देरी करना आदि।

(2) लेवी शक्कर का होलसेल व्यापार राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ, जयपुर के द्वारा किया जाता है। इस हेतु उन्हें भारत सरकार द्वारा 20 रुपये प्रति क्विन्टल के स्वीकृत किए हुए हैं।

(श्री शिवचरण माथुर)

(3) उपरोक्त रुपये 10) में से करीब 3) रुपये प्रति क्विन्टल की दर से निम्न प्रकार से रिटेल व्यापारी को दिया जाता है :

1.40 पैसे प्रति क्विन्टल की दर से कमीशन व चीनी की खाली बोरी फ्री दी जाती है, तथा परिवहन खर्चा निम्न प्रकार से किया जाता है:—

10 किलोमीटर तक 60 पैसे प्रति क्विन्टल।

20 किलोमीटर तक एक रुपया प्रति क्विन्टल।

20 किलोमीटर से अधिक पर परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित परिवहन व्यय की सीमा तक। प्रचलित बाजार दर दी जाती है। परिवहन व्यय दर निम्न प्रकार है:—

(अ) 'अ' श्रेणी का माल 2.7 पैसे प्रति क्विन्टल प्रति किलो।

(ब) 'ब' श्रेणी का माल 3.2 पैसा प्रति क्विन्टल प्रति किलो।

(स) 'स' श्रेणी का माल 4.5 पैसा प्रति क्विन्टल प्रति किलो।

(4) कमीशन की दरें भारत सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं अतः दरें बढ़ाने का प्रश्न नहीं उठता।

(5) बोरियों में कम तोल के घाटे की पूर्ति उसके कमीशन की राशि में से ही पूरी की जाती है। यदि रेल मार्ग में कोई कमी होती है तो रेल्वे से नियमानुसार काम किया जाता है।

श्री अजीतसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल कमीशन की रेट्स बढ़ाने का नहीं है लेकिन वहां पर जो बिजनेस किया जा रहा है इसमें सिवाय घाटे के कुछ नहीं है। घाटा अधिक होने के कारण कई सहकारी समितियां माल उठाती नहीं हैं। इसलिए घाटे का काम तो कौन करेगा? तो कमीशन पर ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा यह पूछना चाहूंगा कि और प्रोविन्सेज में क्या रेट्स हैं? दिल्ली में कमीशन की रेट्स ज्यादा हैं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो परिवहन के रेट्स हैं यह कब तय की? और उसके बाद रेट्स बढ़ाने की आवश्यकता है या नहीं?

श्री मीठालाल मीणा (लालसोट) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, क्या माननीय मन्त्रीजी यह महसूस करते हैं कि कमीशन वगैरह दिया जाता है, यदि ईमानदारी से कोई काम करता है तो उसमें कुछ भी नहीं बचेगा? ऐसी स्थिति में उनको ब्लैक मार्केट, भ्रष्टाचार, चोरी करनी पड़ती है। तो क्या सही तरीके से सरकार इसको नहीं कर सकती है? कमीशन कम होने के कारण ईमानदारी से काम करने पर उनको घाटा होता है।

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : माननीय मन्त्री महोदय ने बताया। लेकिन एक सहकारी समिति एक ग्राम पंचायत पर होती है। 84 बोरी चीनी मिलती है। 36 रुपया उसको कमीशन का मिलता है। उसमें नौकर रख कर चीनी बंटवाने का

(श्री प्रद्युम्नसिंह)
यह काम उसके लिए संभव है क्या ? इससे भ्रष्टाचार बढ़ता है पर्सनल एक्सपीरियेन्स की बात है। कमीशन ना के बराबर है। मंत्री महोदय, ऐसा कोई व्यवस्था कर दें कि जिससे इस प्रकार का भ्रष्टाचार समाप्त हो जाय। इसको समाप्त करने के लिए कमीशन बढ़ाने की आवश्यकता होगी, चाहे सरकारी हो या इन्डिविजुअल की हो। इतना तो किराये का ही लग जाता है। बचता बचाता कुछ नहीं।

श्री शिवचरण माथुर : उपाध्यक्ष महोदय, स्पष्ट तौर पर प्रश्न के उत्तर में मैंने निवेदन किया है कि कमीशन मिलता है। बोरी मिलती है फ्री जो करीब पांच रुपये की होती है। रिटेलर को 6.40 रु. प्रति बोरी के हिसाब से मिल जाते हैं। यदि कमीशन को बढ़ाया जाता है तो अल्टीमेटली इंश्यू प्राइस है उस पर असर पड़ता है। भारत सरकार की मंशा यह है कि 2.55 रु. कीमत शक्कर की है उसको बढ़ाया नहीं जाय। भारत सरकार ने मंजूर नहीं किया है। हमने फेयर प्राइस शोप्स को परमिट दी है पहले अनाज और शक्कर कन्ट्रोल से मिलती थी उसको बांटने के अलावा दूसरी चीजें वह नहीं रख सकता था। चूंकि शक्कर और अनाज के अलावा नहीं रख सकता था और इसके आधार पर उसकी दुकान नहीं चल सकती थी इसलिए 25 आइटम्स और फेयर प्राइस शोप्स को रख कर बेचने की इजाजत दे दी। और आइटम्स रख कर चलेगा तो दुकान चल जावेगी। केवल शक्कर पर नहीं चलेगी।

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उपाध्यक्ष : Let him finish.

श्री शिवचरण माथुर : परिवहन का जहां तक सवाल है, अल्टीमेटली कन्ज्यूमर प्राइस पर ही इसका असर जाकर पड़ता है। उसको बढ़ा नहीं सकते हैं। भारत सरकार ने इन्कार किया है। 73 में यह फिक्स की।

श्री नत्थीसिंह (नदबई) : माननीय मन्त्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि कामां की चीनी भरतपुर में मिलती है, राजाखेड़ा में मिलती है, धौलपुर में मिलती है क्या कारण है इसका ? राजाखेड़ा में, बाड़ी में कामां की चीनी मिलती है, इसका क्या कारण है ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, ट्रान्सपोर्टेशन रेट्स के बारे में माननीय मन्त्री जी ने बताया कि इनको 73 में फिक्स किया था। उसके बाद रेट्स बढ़ गई हैं। डेजर्ट एरियाज में तो और भी बढ़ गई हैं। वहां की पापूलेशन कम होने के कारण कम बोरियां मिलती हैं। जो को-ऑपरेटिव सोसाइटीज बिजनेस कर रही हैं वे बिल्कुल करप्ट प्रेक्टिसेज एडोप्ट करती हैं तो उनको रोकना क्या आवश्यक नहीं है ?

श्री शिवचरण माथुर : दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं दे चुका हूं। 73 में परिवहन की रेट्स तय की गई थीं। कन्ज्यूमर्स प्राइस चीनी पर बढ़ती है इसलिए भारत सरकार इसको स्वीकार नहीं करती। फेयर प्राइस शोप्स पर दूसरी चीजें रखने की इजाजत दे दी है।

(श्री शिवचरण माथुर)
एक आइटम के अलावा 25 आइटम रखते हैं तो दुकान चल जावेगी ।

श्रीमती उषा प्रकाश (बर) : दूसरे आइटम रखेंगे । व्यापारी गेहूं, चीनी कन्ट्रोल की चीनी के अलावा दूसरी चीनी रख लेते हैं तो इन्सपेक्टर तंग करते हैं । क्या वे तंग नहीं करेंगे ?

श्री शिवचरण माथुर : हमारे आदेश हैं ।

श्रीमती उषा प्रकाश : तंग करते हैं । वे कहते हैं कि यह चीनी तो हमारी नहीं बेच रहे हैं । दूसरी बेच रहे हैं । कन्ट्रोल की नहीं बेच रहे हैं इसका क्या इलाज है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह (राजाखेड़ा) : दूसरे आइटम्स के रखने की इजाजत दे दी । कपड़े की क्या स्थिति है ?

श्री शिवचरण माथुर : जहां तक माननीय सदस्या ने यह प्रश्न किया कि दूसरी चीनी रखने की इजाजत देंगे या नहीं, मेरा यह निवेदन है कि लेवी के अलावा इजाजत नहीं मिलेगी । दूसरी चीजें शोप्स वगैरह पर रख सकते हैं पहले । फेयर प्राइस शोप्स पर वे ही रखी जा सकती थीं जिनको हमने कन्ट्रोल में ले रखा था । ड्राई फ्रूट्स, साबुन, मिर्च मसाले....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : किशमिस और बादाम कौन खावेगा, माननीय मंत्री महोदय ?

श्री शिवचरण माथुर : वनस्पति, खाद्य तेल, टार्च, ब्लेड, बीड़ी, सिगरेट, माचिस, ऊन का सामान, स्टेशनरी, सौंदर्य प्रसाधन का सामान, सब तरह की दालें बेसन, गेहूं के अलावा सब तरह के खाद्यान्न, चांवल, चना चाय, काफी, गुड़— इन सब की इजाजत दे दी है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : लकड़ी तो महंगी हो गयी और मुर्दा फिर भी नहीं जलता ।

कई माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री दीपंकर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न ले लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज । स्थगित प्रश्न ।

श्री दीपंकर : हमेशा मेरे प्रश्न का नम्बर आता है और रह जाता है । उसको स्थगित करवाने की कृपा करें ।

श्री उपाध्यक्ष : स्थगित प्रश्न ।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 18-3-76)

वन श्रमिक सहकारी समितियों के बेरोजगार कार्यकर्ता एवं सदस्य

162. **श्री नत्थीसिंह (नदबई)** : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति की कितनी वन श्रमिक सहकारी समितियां हैं और इन समितियों में कुल कितने सदस्य व कार्यकर्ता हैं ?

(श्री नत्थीसिंह)

(2) क्या यह सही है कि वन उपज का राष्ट्रीयकरण होने के कारण इन समितियों को कार्य नहीं मिला है ? यदि हां, तो इन समितियों के सदस्य व कार्यकर्त्ता जो बेरोजगार हैं उनकी संख्या कितनी है ? जिलेवार पृथक् पृथक् बतलावें।

(3) इन बेरोजगारों को राज्य सरकार ने अब तक कोई रोजगार देने की व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? और की है, तो क्या की है ?

सहकारी मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) राजस्थान में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जातियों की 115 वन श्रमिक सहकारी समितियां हैं। इन समितियों की सदस्य संख्या 8878 है और इनमें 16 कार्यकर्त्ता हैं।

(2) जी हां। वन उपज का राष्ट्रीयकरण होने के बाद इन समितियों को काम नहीं मिल पा रहा है। बेरोजगार सदस्यों व कार्यकर्त्ताओं की जानकारी एकत्रित की जा रही है, जो अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है।

(3) छोटी वन उपज के ठेके सहकारी समितियों को प्राथमिकता के आधार पर दिये जाने सम्बन्धी विषय राज्य सरकार के विचाराधीन है।

श्री नत्थीसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी से मैं यह पूछना चाहता हूं कि वनों का राष्ट्रीयकरण हुआ है और करीब 8 हजार लोग श्रमिक आदिवासी बेकार बैठे हुए हैं और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के भी बेकार बैठे हुए हैं। यह राष्ट्रीयकरण कब हुआ ? इन मजदूरों को बैठे कितने दिन हो गए और राज्य सरकार ने इनके लिए क्या व्यवस्था की ? यह मंत्री महोदय बताने का कष्ट करें।

श्री मूलचन्द सामरिया : समाजवाद और सहकारिता में अच्छा साधन कौन सा है जिससे जल्दी समाजवाद आये ?

श्री रामनारायण चौधरी : जो लोग सहकारी समितियों में काम कर रहे हैं उन्हीं के कामों का राष्ट्रीयकरण हो जाने के बाद उनको उधर भी काम मिल सकता है इसलिए ऐसी समस्या नजर नहीं आती कि उनका राष्ट्रीयकरण से ज्यादा नुकसान हो गया है।

श्री मूलचन्द सामरिया : आप काल्पनिक तरीकों से क्यों बताते हैं ? ठोस तरीके से बतायें। आप हमेशा काल्पनिक बातें करते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : लेकिन जो छोटे छोटे काम हैं वन श्रमिक सहकारी समितियों को देने पर राज्य सरकार विचार कर रही है।

श्री नत्थीसिंह : मैंने माननीय मंत्री जी ने पूछा है कि राजस्थान वन श्रमिक सहकारी समितियां आपने 115 बताई हैं और करीब 8 हजार श्रमिक काम करने वाले आपने बताये हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ और श्रमिकों को बेकार बैठे हुए कितने दिन हो गए हैं ? यह पूछना चाहता हूं। राज्य सरकार की तरफ से उनके लिए आपने क्या व्यवस्था की है और आगे क्या

(श्री नत्थीसिंह)
व्यवस्था करने के लिए जा रहे हैं? माननीय मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : क्या आपने इस संबंध में 'एग्रीकल्चर क्रेडिट इस्टीट्यूशन्स इन राजस्थान' जो रिजर्व बैंक ने रिपोर्ट छपाई है उसको आपने पढ़ने का कष्ट किया है जिसमें उन्होने विशेष रूप से 115 सहकारी समितियों और 8 हजार बेकार लोगों के लिए टास्क अलॉट करने की बात कही है? क्या आपने उनको कोई काम दिया है?

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि राष्ट्रीयकरण के बाद भी वन विभाग अपनी लकड़ियों के ठेके प्राइवेट लोगों को देता है रिटेल सेल के लिए? रिटेल सेल का काम प्राइवेट लोगों को देने के बजाय सहकारी समितियों को दे दिया जाये तो राष्ट्रीयकरण होलसेल के रूप में हो जायेगा और जहां सरकार अपनी रिटेल शोप नहीं खोल रही है तो वह सहकारी समिति को काम दे दिया जाये तो दोनों काम ठीक चल सकते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में 115 वन श्रमिक सहमारी समितियां हैं। जहां तक सहकारी विभाग का प्रश्न है इस सहकारी विभाग का काम रजिस्ट्रेशन करने का है और उसके बाद काम तलाश करना, अपना कारोबार बढ़ाना आदि का काम स्वयं के प्रयत्नों का है। इन सहकारी समितियों के पास काम था उसका राष्ट्रीयकरण हुआ। राष्ट्रीयकरण हो जाने के बाद माननीय सदस्य ने पूछा कि कितने श्रमिक बेकार हैं और 8878 में से कितने आदमियों के पास काम नहीं है? उसकी जानकारी मैं प्राप्त नहीं कर सका। मूल रूप में मैं अनुरोध करूंगा कि इसमें सन्तोषजनक उत्तर वन विभाग ही दे सकता है क्योंकि राष्ट्रीयकरण का काम उनके पास है और वह बता सकते हैं कि इन सहकारी समितियों को कैसे-कैसे एडजस्ट करेंगे और कितनों को काम दे रखा है। सहकारी विभाग इस प्रश्न में नहीं आता। इसका काम केवल रजिस्ट्रेशन का ही है। इसकी जानकारी जो भी मेरे पास थी वह मैंने इसलिए दी कि मैं इसको टालना नहीं चाहता था और जितनी जानकारी हमारे पास है सदन को दे दी जाये, यही हमारी मंशा थी।

श्री मूलचन्द सामरिया : क्या राष्ट्रीयकरण करके सरकार ने अपनी अदूरदर्शिता का प्रदर्शन किया और लोगों को बेरोजगार किया?

श्री रामनारायण चौधरी : जी नहीं।

श्री मूलचन्द सामरिया : जी नहीं कहने से उनको रोजगार मिल जायेगा क्या?

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, वन मन्त्री जी भी बैठे हैं और यह एक मानवीय प्रश्न है। अगर आप रिटेल का काम इन सहकारी समितियों को दे दें जिस काम का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया है तो गवर्नमेन्ट की पॉलिसी को जरूर सप्लीमेन्ट ही करेगा। आप लकड़ियों को कटवाते हैं गवर्नमेन्ट की तरफ से और फिर नीलाम करते हैं जिसे प्राइवेट लोग ले जाते हैं। अगर उस काम को सहकारी समितियों को निश्चित तौर पर देना शुरू कर दें तो मैं समझता हूं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

कि राष्ट्रीयकरण को और मजबूत करने वाला कदम होगा। सब लोगों को रोजगार मिल जायेगा। तो वन मन्त्री जी इसका जवाब दें।

श्री परसराम मदेरणा (वन मन्त्री) : उपाध्यक्ष महोदय, वन उपज का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया था कि ठेकेदारी प्रथा के अन्तर्गत ठेकेदार आदिवासी और गरीब आदमियों का एक्सप्लोइटेशन करते थे, उसको रोकने के लिए राष्ट्रीयकरण किया गया। जहां तक श्रमिक वन सहकारी समितियों का प्रश्न है मेरे पास सब सूचना नहीं है लेकिन जहां तक वन उपज लेने का प्रश्न है राज्य सरकार ने कमेटी कान्स्टीट्यूट की है कन्जर्वेटर की अध्यक्षता में जिसमें सोसायटीज का संघ बना हुआ है उसका रिप्रेजेन्टेटिव भी है। राज्य सरकार के पास विचाराधीन है कि रिटेल का काम इन सहकारी समितियों को दिया जाये। करीब 25 ठेके पिछली साल छोटे लोगों को दिये गए थे और स्टेट ट्रेडिंग जो काम कर रहा है उसमें इन सहकारी समितियों को प्राथमिकता दी जा रही है जैसे तेंदू पत्तों का काम है वह उनको दिया जा रहा है। फिगर्स मेरे पास नहीं हैं कि वन सहकारी समितियों के कितने सदस्य हैं जो बेकार बैठे हैं, मैं उत्तर नहीं दे सकता लेकिन इनको काम दिया जाये यह बात सरकार के विचाराधीन है और जल्दी ही निर्णय कर लिया जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

(शेष तारांकित प्रश्नों के लिये परिशिष्ट 1 देखिये।)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

बांदीकुई–बढ़ियाल सड़क का कार्य

565. **श्री विशम्भरनाथ जोशी** (बांदीकुई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

(1) बांदीकुई, बढ़ियाल कलां सड़क का कार्य किस वर्ष प्रारम्भ हुआ व कब तक चलता रहा व उस पर अब तक कुल कितना खर्च किया जा चुका है? इस सड़क पर कितनी मील तक अर्थ वर्क हो चुका है?

(2) पिछली जनगणना के आंकड़ों के अनुसार बढ़ियाल कलां कस्बे की आबादी क्या आई है व क्या उसके आधार पर यह कस्बा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत सड़क से जोड़े जाने योग्य है?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़क के दोनों ओर अर्थ वर्क की पूरी लम्बाई तक पत्थर व रोडियां भी कई वर्षों से पड़ी हुई हैं जो नियमित रूप से शनैः शनैः मात्रा में कम होती जा रही हैं और विभाग को इस प्रकार काफी नुकसान हो रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क के निर्माण कार्य को प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) बांदीकुई बढ़ियाल कलां सड़क का कार्य वित्तीय वर्ष 1969-70 में अकाल राहत कार्यों में आरम्भ हुआ था? वर्ष 71-72 में योजना कार्यों के अन्तर्गत एवम्

(सार्वजनिक निर्माण मन्त्री)
75-76 में अकाल राहत कार्यों में कार्य कराया गया था। उक्त सड़क पर 1,56,105) रुपये की धनराशि व्यय की गई है। इस सड़क पर लगभग 8 किलोमीटर में मिट्टी का कार्य हुआ है।

(2) वर्ष 1971 की जनगणना अनुसार बढ़िाल कलां की आबादी 4171 है। ग्राम बढ़िवाल कलां को न्यूनतम आवश्यकता योजना के अन्तर्गत सड़क से जोड़ने की योजना है।

(3) पत्थर एवं रोड़ी सड़क के दोनों ओर पड़े हुये हैं। ग्राम बढिवाल कलां को सड़क से न्यूनतम आवश्यकता योजना में जोड़ने की योजना है।

ग्राम रांफ के काश्तकारों को बिजली

568. श्री मनोहरलाल (कामां): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि तहसील कामां के ग्राम रांफ के 40 काश्तकारों ने सिंचाई के लिए विद्युत् कनेक्शन कराने के लिए प्रार्थना-पत्र दे रखे हैं?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम रांफ में होकर ही ग्राम कैथवाड़ा को बिजली की लाइन डाली गई है और कैथवाड़ा में विद्युत् कनेक्शन दे दिये गये हैं? यदि हां, तो ग्राम रांफ में विद्युत् कनेक्शन कब तक स्वीकार कर दिये जायेंगे? और यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। कैथवाड़ा ग्राम को सीकरी पट्टी से बिजली दी गई है। 11 के. वी. लाइन ग्राम रांफ के पास से निकलती है। ग्राम रांफ किसी भी विद्युतिकरण योजना में स्वीकृत नहीं है। अतः वहां अभी कनेक्शन देने का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम भगतपुरा से ग्राम शेषम की पहाड़ी पर जाने का रास्ता

569. श्री गोरधनसिंह (सीकर): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि तहसील दांतारामगढ़ (सीकर) के ग्राम भगतपुरा से ग्राम शेषम की पहाड़ी पर जाने आने का रास्ता राजकीय रेकार्ड में दर्ज है?

(2) क्या यह सही है कि ग्राम भगतपुरा (सीकर) हरिजन गृह निर्माण समिति के भवन निर्माण का कार्य गत 3 वर्ष से हो रहा है? अगर हां, तो इस पहाड़ी के रास्ते में अतिक्रमण रहने से इस समिति को पत्थर लाने में रुकावट पड़ने से कितना आर्थिक नुकसान हुआ है?

(3) जिलाधीश, सीकर द्वारा इस रास्ते की पत्थरगढ़ी (सीमांकन) की आज्ञायें गत 1 वर्ष में कितनी बार हुई? अगर हुई हैं तो क्या उनका पालन हुआ है? हुआ तो कब? अगर नहीं हुआ है तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां यह सही है कि ग्राम भगतपुरा से शेषम जाने-आने का रास्ता राजकीय रेकार्ड में दर्ज है।

(राजस्व मन्त्री)

(2) इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ?

(3) जिलाधीश द्वारा रास्ते की पत्थरगढ़ी के कोई आदेश नहीं दिये गये।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

नागौर जिले में सिंचाई कार्यों के लिये अधिशासी अभियन्ता की नियुक्ति का प्रस्ताव

303. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर जिले के सिंचाई कार्यों के लिये कितने अधिशासी अभियन्ता लगाये हुए हैं एवं उनके मुख्यालय कहां कहां स्थित हैं ? कौन कौन सा क्षेत्र इनके जिम्मे है ?

(2) क्या जिला परिषद्, नागौर में पूरे जिले के लिये एक अधिशासी अभियन्ता की नियुक्ति हेतु प्रस्ताव लिया गया एवं सरकार से इस हेतु निवेदन किया गया ? यदि हां, तो प्रस्ताव की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(3) नागौर जिले में कितने सिंचाई कार्य इस विभाग के अधीन हैं, उनकी सूची मय उन पर किये गये लागत व्यय के आंकड़ों के विवरण सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

उत्तर

(1) नागौर जिले के सिंचाई कार्यों के लिए अलग से कोई अधिशासी अभियन्ता नहीं लगाया गया है जिले के पहले से स्थित कार्य अधिशासी अभियन्ता अजमेर के अधीन है व डी. पी. ए. पी. के कार्य अधिशासी अभियन्ता, जोधपुर के देखरेख में प्रगति में है।

(2) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विभाग के सामने नहीं आया।

(3) सूची संलग्न है।

(सूची के लिये कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

पंचायत समिति विराटनगर के क्षतिग्रस्त बांध

304. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि पंचायत समिति विराटनगर द्वारा निर्मित बांध ग्राम बाकावास चौरासी गत बरसात में क्षतिग्रस्त हो चुका है ? यदि हां, तो इसकी मरम्मत में कितनी राशि व्यय होने की सम्भावना है ?

(2) क्या यह सच है कि पंचायत समिति द्वारा इस बांध को विभाग को सम्भलाने हेतु निर्णय कर निवेदन किया है ? क्या यह सच है कि केवल 15,000 की लागत से बांध की मरम्मत हो सकती है ? यदि हां, तो क्या सरकार बरसात से पूर्व इसकी मरम्मत कराने को तैयार है।

उत्तर

(1) यह बांध सिंचाई का नहीं है।

(2) जी नहीं। चूंकि यह बांध सिंचाई विभाग का नहीं है अतः इसकी मरम्मत का प्रश्न ही नहीं उठता।

काली गांटी माइनर पर खर्च की गई राशि

305. श्री देवीलाल (सराड़ा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि जिला उदयपुर, तहसील सराड़ा, गांव टोकर मजरा काली गांटी को लाडदा टैंक से जाने वाला माइनर नहर का कार्य अकाल सहायता कार्यों के अन्तर्गत कराया गया है? यदि हां, तो काली गांटी माइनर पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है और इससे कितनी भूमि सिंचित होगी और इसका कार्य कब तक पूरा होगा ?

उत्तर

जी हां। इसका कार्य 1974-75 में अकाल सहायता कार्यों में शुरू किया गया था। इस पर अब तक लगभग 60,000 रु. खर्च किया गया है। इससे 184 एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी। इसकी अनुमानित लागत 1,13,000 रु. है।

अब ट्राइबल एरिया कार्यों में इसे ले लिया गया है और सन् 1978 तक इसके पूरा हो जाने की आशा है।

गजसिंहपुर से रायसिंहनगर वाया थांदेवाला भादवी वाला सड़क

306. श्री बेगाराम चौहान (रायसिंहनगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या गजसिंहपुर से रायसिंहनगर वाया थांदेवाला-भादवी वाला पक्की सड़क मंजूर हो चुकी है ?

(2) क्या उपरोक्त सड़क पर कार्य चालू हो गया था ? अगर हां, तो फिर बन्द क्यों हो गया ? अब निर्माण कार्य कब चालू होगा ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सड़क का ठेका जिस व्यक्ति के नाम से दिया गया था उसने राज्य सरकार से पूर्ण राशि वसूल कर ली है ? अगर हां, तो अभी तक सड़क नहीं बनने का क्या कारण है ? अब यह सड़क कब तक पूर्ण हो जायेगी ?

उत्तर

(1) इस सड़क की वर्ष 1971-72 में 50,000) रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी।

(2) 17 किलोमीटर में से 3 किलोमीटर का ठेका दिया गया था। जिस पर मिट्टी व ईंटों के सोलिंग का कार्य करवाया गया था। आगामी वर्षों में बजट प्रावधान प्राप्त नहीं होने के कारण कार्य बन्द कर दिया है।

(3) ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य का ही उसे भुगतान किया गया है। यह कार्य अभी योजना से स्वीकृत नहीं है। धनाभाव के कारण अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता।

ग्रामों को सड़कों से जोड़े जाने की योजना

307. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने ग्रामों को सड़कों से जोड़

(श्री प्रजातसिंह)
जाने की योजना है ? कृपया जिलेवार सूची ग्रामों के नाम सहित सदन की मेज पर रखें।

(2) इन ग्रामों को सड़क से जोड़ने पर अनुमानतः क्या खर्च आवेगा ?

(3) हर साल इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कितनी धनराशि खर्च किये जाने का प्रावधान है एवं राशि के एलोकेशन का आधार क्या है ?

उत्तर

(1) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 2500 या अधिक आबादी वाले जिन जिन ग्रामों को सड़कों से जोड़ने की योजना है, उन ग्रामों की सूची संलग्न है।

(2) पांचवी पंच वर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 2,500 या इससे अधिक आबादी वाले ग्रामों को सड़कों से जोड़ने हेतु 20 करोड़ रुपये की योजना बनाई गई है।

(3) उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1974-75 में 97.15 लाख रुपया व्यय किया गया है। तथा वर्ष 75-76 तथा 76-77 में क्रमशः 94.00 लाख रुपये तथा 25.00 लाख रुपये व्यय का प्रावधान है। आगामी वित्तीय वर्षों के प्रावधान अभी निश्चित नहीं है। सड़कों का अनुमानित लागत ही एलोकेशन का आधार है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बनास नदी बांध योजना

308. श्री अजीतसिंह (टौंक) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला टौंक में बिसलपुर के पास बनास नदी बांध योजना पर कितना खर्च होने का अनुमान है ?

(2) क्या सिंचाई विभाग तथा जन-स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग इस पर कार्य शुरू करने पर सहमत हो गये हैं ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

(3) सिंचाई एवं पीने के पानी का बंटवारा किस प्रकार होगा तथा सिंचाई के लिये कितना पानी मिल सकेगा ?

उत्तर

(1) पेयजल के लिए प्रस्तावित बनास नदी पर बांध की योजना की अनुमानित लागत लगभग 12 करोड़ रुपया है।

(2) सिंचाई विभाग की सहमति की जरूरत नहीं हैं। चूंकि योजना केवल पेयजल के लिए ही प्रस्तावित है। पानी पेयजल की आवश्यकता तक का ही उपलब्ध है।

(3) यह योजना पेयजल व्यवस्था हेतु बनाई गई है। इस योजना से सिंचाई के लिए पानी नहीं मिल सकेगा।

ग्राम अमरसर में गाइड बांध का निर्माण कार्य

309. श्री हनुमान सहाय व्यास (बैराठ) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि ग्राम अमरसर में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के अन्तर्गत

(श्री हनुमानसहाय)
ऋण योजना के तहत गाइड बांध का निर्माण कराया गया था ? यदि हां, तो किस किस वर्ष में कितनी कितनी धन राशि व्यय की गई तथा कार्य पूर्ण हुआ या नहीं ? क्या कार्य पर लगे सभी मजदूरों का भुगतान कर दिया गया है या नहीं ?

(2) क्या यह सच है कि कार्य अपूर्ण है ? यदि हां, तो कब तक पूर्ण किए जाने का प्राग्राम है ?

उत्तर

(1) जी हां। यह कार्य ऋण योजना के अन्तर्गत वर्ष 1971-72 में चालू कराया गया था जिस पर 1971-72 में 1,773.50, 1972-73 में 16,962.35 व वर्ष 1973-74 में 29,934.20 की राशि खर्च की गई है। इस कार्य का 57,000.00 का तखमीना स्वीकृत हुआ है। जिसमें से 48,670.05 पैसे खर्च हो चुके हैं। परन्तु अचानक कार्य बन्द हो जाने के कारण कुछ कार्य अधूरा पड़ा है।

कार्य पर लगे मजदूरों का भुगतान अतिरिक्त जिला विकास अधिकारी द्वारा किया जाता था। अतः इस सम्बन्ध में इस विभाग को जानकारी नहीं है।

(2) जी हां। आवश्यक धनराशि उपलब्ध होने पर कार्य कराया जाना सम्भव होगा।

तहसील विराटनगर के बांधों का सर्वे

310. श्री हनुमानसहाय व्यास (बैराठ): क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि तहसील विराटनगर के ग्राम पीपलोद, चतरपुरा, देवीपुरा, पणदो, भूलकोट, आतेला, लुहाकना, बाडीजोडी, रूघनाथपुरा, गैलमवाम, देवन, राडावास आदि बांधों का सर्वे कराया गया था ? यदि हां, तो किस किस बांध का सर्वे कार्य पूरा हो चुका तथा किस किस बांध का निर्माण कार्य पूरा हो गया तथा किस किस का अपूर्ण है तथा कब तक समस्त बांधों का कार्य पूरा हो जावेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सच है कि ग्राम ढाणी जयसिंहपुरा के पानी के निकालने हेतु सिंचाई विभाग द्वारा निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो क्या इस नाली का निर्माण हो चुका है ? यदि नहीं, तो कब तक होगा ?

उत्तर

(1) जी हां। बांधों का सर्वेक्षण का विवरण संलग्न है। किसी भी बांध पर अभी निर्माण कार्य नहीं किया गया है। स्वीकृति होने व उपयुक्त धनराशि उपलब्ध होने पर कार्य कराये जा सकेंगे।

(2) जी हां। सिंचाई विभाग ने आवश्यक सर्वेक्षण कर कई प्रकार के हल ढूंढे और एक स्थाई नाली बनाना प्रस्तावित किया था। इस प्रस्तावित नाली के बीच पड़ने वाले खेतों के स्वामियों द्वारा विरोध करने के कारण नाली नहीं बन सकी। अब राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है। भूमि अवाप्त होने पर व उपयुक्त धनराशि उपलब्ध होने पर नाली बनाने का कार्य किया जायेगा।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 3 देखें)

राज्य के ग्रामों का विद्युतिकरण

311. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में अब तक कुल कितने गांवों का विद्युतिकरण किया जा चुका है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। अन्य पड़ोसी राज्यों की तुलना में राजस्थान में विद्युतिकरण का क्या प्रतिशत है ?

(2) नागौर जिले में किस किस तहसील में कितने गांवों में विद्युतिकरण हो चुका है तथा आगामी वित्तीय वर्ष में किन किन गांवों में विद्युत् पहुंचाने की योजना है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) राजस्थान में फरवरी, 1976 तक 7003 गांवों का विद्युतिकरण किया जा चुका है। जिलेवार विद्युतिकृत ग्रामों की संख्या की सूची संलग्न है। राजस्थान में विद्युतिकरण का प्रतिशत फरवरी 1976 तक 20.93 है। राजस्थान के पड़ोसी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात एवं मध्यप्रदेश में विद्युतिकरण का प्रतिशत क्रमशः 27.7, 74.9, 100.00, 34.1 एवं 16.3 है।

(2) वांछित सूचना संलग्न है। मेड़ता की ग्रामीण विद्युतिकरण निगम की योजना चालू है, जिसमें फेजिंग के अनुसार आगामी वित्त वर्ष में गांवों का विद्युतिकरण किया जावेगा।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखें)

विद्युत् व्यवस्था पर खर्च की गई राशि

312. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में सन् 1971-72 से लेकर 1975-76 तक विद्युत् व्यवस्था पर कुल कितनी राशि खर्च की गई ?

(2) इसमें से जयपुर जिले में कितनी राशि खर्च की गई ?

(3) अगले वित्तीय वर्ष में जयपुर जिले में कितनी राशि का प्रावधान रखा गया है ?

उत्तर

(1) वर्ष 1971-72 से 1975-76 तक राज्य का विद्युत् व्यवस्था पर कुल 14762.69 लाख रुपये व्यय किए गए।

(2) पूंजीगत व्यय का हिसाब जिलेवार नहीं रखा जाता है। जयपुर जिले में ग्रामीण विद्युतिकरण व अन्य विद्युत् व्यवस्था पर अनुमानित 247.38 लाख रुपये की राशि खर्च हुई।

(3) वर्ष 1976-77 में जयपुर जिले से सम्बन्धित विद्युत् व्यवस्था के कार्यों के लिए करीब 1,59,29,200 रुपये का प्रावधान रखा गया है।

राज्य विद्युत् मण्डल के तकनीकी श्रमिकों के स्थानान्तरण करने के नियम

313. श्री चतरभुज (टोडारायसिंह) क्या विद्युत् मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान राज्य विद्युत् मण्डल (ओ. एण्ड एम.) में तकनीकी

(श्री चतुरभुज)
श्रमिकों के स्थानान्तरण करने के बारे में कोई नियम बने हुये हैं और क्या उन नियमों में यह प्रावधान है कि फोरमैन एवं इन्जीनियरिंग सुपरवाइजर के पद पर काम करने वाले कर्मचारियों का 35 वर्ष तक एक ही स्थान पर उनके होम टाउन में रखा जा सकता है और मस्टररोल हेल्पर, वर्कचार्ज हेल्पर या अन्य अल्प वेतन भोगी श्रमिकों को कहीं भी, कभी भी होम टाउन से बाहर या अन्दर ट्रान्सफर किया जा सकता है (जिसमें एक वर्ष में कई ट्रान्सफर भी सम्मिलित हैं)।

(2) यदि हां, तो नियमों की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखी जावे और यदि ऐसे कोई नियम नहीं है तो कुतुबुद्दीन खां इन्जीनियरिंग सुपरवाईजर कितने साल से किस किस पद पर टोंक में कार्यरत हैं और टोंक डिवीजन के मस्टररोल हेल्परों, वर्कचार्ज हेल्परों या अल्प वेतन भोगी श्रमिकों में से गत तीन वर्षों में किस किस का कब कब कहां से कहां किन किन अधिकारियों (अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियन्ता) ने ट्रान्सफर किए हैं? सूचीमय ट्रान्सफर आदेशों के सदन की मेज पर रखी जावे।

उत्तर

(1) ट्रान्सफर (स्थानान्तरण) साधारण तौर पर प्रशासनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये किया जाता है। किन्हीं मामलों में कर्मचारियों के स्थानान्तरण उनकी प्रार्थना पर भी किये जाते हैं। आवश्यकता के अनुसार किसी भी कर्मचारी को किसी भी स्थान पर रखा जा सकता है। अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के स्थानान्तरण राज्य सरकार की नीतियों के अनुसार ही किए जाते हैं। साधारणतः उनके स्थानान्तरण अपने निवास स्थान के आस पास ही किए जाते हैं।

(2) वांछित सूचना सूची 'अ' एवं 'ब' पर संलग्न हैं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई।)

जयपुर जिले में सड़क निर्माण एवं मरम्मत कार्य पर व्यय की गई राशि

314. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले को सन् 1965 से अब तक सड़क निर्माण व मरम्मत कार्य के लिये कुल कितना रुपया स्वीकृत किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत राशि में से किस-किस तहसील में किस-किस सड़क पर कितना कितना रुपया खर्च किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि तहसील चाकसू एवं फागी में नई सड़कें बनाने व मरम्मत कार्य में बहुत कम पैसा खर्च किया गया है? क्या सरकार इस वर्ष अधिक राशि प्रदान करेगी?

(स्थगित किया गया)

राजस्थान नहर

315. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) अब तक राजस्थान नहर कितनी लम्बी बन चुकी है और इस पर कितनी राशि खर्च की जा चुकी है ?

(2) राजस्थान नहर कब तक पूरी हो जावेगी ?

उत्तर

(1) 134 मील लम्बी राजस्थान फीडर के अलावा 124 मील लम्बी राजस्थान मुख्य नहर व लगभग 10 लाख एकड़ क्षेत्र के लिये आवश्यक वितरक प्रणाली अब तक बन पाई है। इस सारे निर्माण कार्य पर जनवरी, 1976 तक लगभग 131.48 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं।

(2) आवश्यक शेष धनराशि की उपलब्धि पर, जिसकी मात्रा करीब 200 करोड़ रुपये होगी, अगले छः वर्षों में या इससे अधिक समय में यह परियोजना सम्भवतः पूरी हो सकेगी।

गृह निर्माण सहकारी समिति लि. खजवाणा

316. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) खजवाणा गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, खजवाणा जिला नागौर की कब रजिस्ट्री हुई थी ?

(2) खजवाणा गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड खजवाणा में कितने सदस्य हैं एवं इनमें से कितने सदस्य अनुसूचित जाति के हैं ?

(3) इस सहकारी समिति को कितना ऋण स्वीकृत किया गया ? कितना ऋण दिया गया एवं नहीं, तो क्यों ?

(4) नागौर जिले में कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियों को कब कब व कितना कितना ऋण दिया गया है ? अन्य जिलों में कितना कितना ऋण दिया गया है ?

उत्तर

(1) खजवाणा गृह निर्माण सहकारी समिति लि. की रजिस्ट्री दिनांक 2[illegible]-3-75 को हुई।

(2) इस समिति में कुल 34 सदस्य हैं। समस्त अनुसूचित जाति के हैं।

(3) इस समिति को वित्त समिति ने दिनांक 29-3-75 की बैठक मे रुपये 1,12,000/- ऋण स्वीकृत किया। ऋण का भुगतान नहीं किया जा सका है। अभी तक ऋण न दिये जाने का कारण इनके हस्तान्तरण अभिलेखों में कमियां थीं जिनको दूर करने की कार्यवाही की जा रही थी। इसी बीच संचालक मण्डल द्वारा यह निर्णय ले लिया गया कि जीवन बीमा निगम से पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने तक उनने सहकारी समितियों को ऋण दिया जावे जिनको कि प्रथम किश्त दी जा चुकी है। चूंकि इस समिति को प्रथम किश्त नहीं मिली थी इस लिये ऋण नहीं दिया गया।

(4) नागौर जिले मे दिये गये ऋणों की सूची परिशिष्ट (क) पर संलग्न है।

(सहकारिता मंत्री)
अन्य जिलों में दिये गये ऋणों की सूची परिशिष्ट (ख) पर संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

अनुसूचित जाति/जन जाति के सदस्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माण हेतु दी गई निःशुल्क भूमि

317. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को ग्रामीण क्षेत्रों में भवन निर्माणार्थ निःशुल्क भूमि देने की योजना क्रियान्वित की है ?

(2) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह भी जानकारी प्राप्त की है कि विभिन्न जिलों में कितनी कितनी भूमि निःशुल्क प्लॉट देने हेतु उपलब्ध है ?

(3) उन प्लाटों को आवंटन करने हेतु राज्य सरकार ने विभिन्न जिलों में जो कदम उठाये हैं उनकी क्या प्रगति है ?

(4) 31 जनवरी, 1976 तक विभिन्न जिलों में कितने प्लाटों का आवंटन किया जा चुका है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। जब आवंटन सबको पूर्ण कर दिया गया है तो अब भूमि उपलब्ध होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) आबादी भू-खण्ड आवंटन कार्य पूर्ण हो चुका है एवं जो निर्देश दिये थे, उनकी प्रति परिशिष्ठ 'क' पर संलग्न है।

(4) अब तक आवंटन किये गये भूखण्डों की सूची परिशिष्ट 'ख' पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई)

पंचायत समिति सांगानेर के ग्राम-सेवक

318. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) पंचायत समिति, सांगानेर के अधीनस्थ कितने ग्राम सेवक हैं तथा जहां जहां वे कार्य करते हैं उनको कितना कितना समय हो गया ? सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) पंचायत समिति, सांगानेर में ऐसे कितने ग्राम सेवक हैं जिनको कितनी कितनी बार ट्रेनिंग में भेजने के आदेश हुए और कितनी बार कैंसिल किये गये ? कारण सहित सूची सदन की मेज पर रखें ?

(3) ऐसे कितने ग्राम सेवक हैं जिन्हें एक स्थान पर दो वर्ष से ज्यादा समय हो गया है ? सूची सदन की मेज पर रखें। उनका स्थानान्तरण कब तक कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति सांगानेर के अधीनस्थ 26 ग्राम सेवक पदेन पंचायत

(पंचायत मंत्री)
सचिव कार्यरत हैं, जिनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। प्रत्येक कर्मचारी का मुख्यालय व कब से कार्यरत है, का उल्लेख सदन की मेज पर रखी गई सूचना में कर दिया गया है।

(2) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है। जहां तक उनके स्थानान्तरण का प्रश्न है, यह पंचायत समिति के अधिकार की बात है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर नगर की कच्ची एवं गन्दी बस्तियां

319. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर नगर में कुल कितनी कच्ची एवं गन्दी बस्तियां हैं ?

(2) कितनी कच्ची बस्तियों में वातावरण सुधार योजना के अन्तर्गत विकास कार्य प्रारम्भ किया गया है और अभी तक इनमें कुछ स्वीकृत राशि में से कितना व्यय किया जा चुका है ?

(3) कितनी कच्ची बस्तियों में कितने निवासियों को भू-खण्ड आवंटन किये जा चुके हैं और कम से कम कितने वर्ग गज का भू-खण्ड दिया गया है ? इन बस्तियों की जनसंख्या क्या है ?

(4) क्या वातावरण सुधार योजना के अन्तर्गत बाकी कच्ची बस्तियों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं ? यदि हां, तो किन-किन में ?

(5) नगर की सम्पूर्ण बस्तियों में कब तक भू-आवंटन व नागरिक सुविधाएं उपलब्ध करा दी जायेंगी ?

उत्तर

(1) जयपुर नगर में कुल 109 कच्ची बस्तियां हैं।

(2) वातावरण सुधार योजना कार्य-क्रम के अन्तर्गत 67 कच्ची बस्तियों में कार्य प्रारम्भ किया गया। इस कार्य-क्रम के अन्तर्गत प्राप्त 98,18,763/- रुपये की धनराशि में से 60 कच्ची बस्तियों में 79,92,248/- रुपये की धनराशि खर्च की जा चुकी है।

(3) न्यास द्वारा अब तक 32 कच्ची बस्तियों को 54 समितियों को 5,785 भू-खण्डों का आवंटन किया जा चुका है। कम से कम 55-55 वर्ग गज का भू-खण्ड मुस्लिम स्कूल के पीछे कैलाश पुरी गृह निर्माण सहकारी समिति को आवंटित किया गया है। उक्त 32 कच्ची बस्तियों की कुल जनसख्या करीब 30 हजार है।

(4) व (5) वातावरण सुधार योजना कार्य-क्रम के अन्तर्गत धनराशि प्राप्त होने पर बाकी कच्ची बस्तियों में भी मूल-भूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकेंगी।

झालरापाटन नगरपालिका द्वारा दिये गये पट्टे

320. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या स्वायत शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि नगरपालिका क्षेत्रों में आवासीय भू-खण्ड देने का अभियान 26 जनवरी तक था और 26 जनवरी को ही पट्ट दिये जाने थे परन्तु झालरापाटन नगरपालिका ने 26 जनवरी को पट्टे न देकर 1 फरवरा को क्यों दिये ?

(2) क्या यह भी सही है कि नगरपालिका झालरापाटन के प्रशासक व ई. ओ. ने लोगों को ऐसी जमीनें देनी चाही जहां बाढ़ आती है, नाला है, लेट्रीन बने हुए हैं और जमीनों पर 5 से 15 फीट तक मलबा पड़ा है ? इसकी शिकायतें कब कब की गई और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

(3) क्या यह सही है कि प्रशासक व ई. ओ. नगरपालिका ने 1 फरवरी को पट्टे जबरन बुलाकर दे दिए जब कि एस. डी. ओ. ने जमीन ठीक न होने के कारण देने से मना किया था ?

(4) क्या यह सही है कि लगभग 100 व्यक्तियों को सूचना न मिलने से, खराब जमीन देने की वजह से रकम जमा नहीं की गई और वे लोग भू-खण्ड लेने से वंचित रह गए ?

(5) क्या यह सही है कि समतल व अच्छी जमीनों को इन अधिकारियों ने देने से मना कर दिया व रिजर्व रख दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि एस. डी. ओ. ने दो बार मौका देखकर जमीनें दूसरी जगह देने को कहा था ?

(7) किन किन लोगों को जमीन के पट्टे दिये गये और कौन कौन लोग रह गए जिनका रुपया जमा नहीं हुआ यद्यपि वे आवासीय भूखण्ड पाने के हकदार थे। दोनों प्रकार के व्यक्तियों की सूची मय नाम, वल्दियत के सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(8) जिन अधिकारियों ने 20 सूत्री कार्यक्रम को विफल करने की कोशिश की है उनकी जांच क्यों नहीं कराई गई और प्रशासक व ई. ओ. नगरपालिका झालरापाटन के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गई ?

उत्तर

(1) जी हां। नगरपालिका झालरापाटन में 26 जनवरी, 76 तक जिन व्यक्तियों ने राशि जमा कराई उनमें से 69 व्यक्तियों को पट्टे दे दिये गये हैं। दिनांक 1 फरवरी, 76 को कोई पट्टे वितरण नहीं किये गये हैं।

(2) जी नहीं। इस बारे में पालिका को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। जिन व्यक्तियों को भूमि दी गई है उनसे सहमति ली जाकर ही आवंटित की गई है।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। भू-आवंटन की अवधि 26 जनवरी, 76 तक थी। जिसे अब 31 मार्च तक बढ़ाई जा चुकी है। इसलिए

(स्वायत शासन मंत्री)
शेष व्यक्तियों को नियमानुसार भू-खण्ड आवंटन किये जा सकेंगे।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं। एस. डी. ओ. ने मौका निरीक्षण अवश्य किया है, किन्तु कोई आदेश नहीं दिये हैं।

(7) जिन व्यक्तियों ने 26 जनवरी, 76 तक रकम जमा करा दी थी उन्हें पट्टे दे दिये हैं एवं जिन व्यक्तियों ने रकम जमा नहीं कराई है उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(8) नगरपालिका अधिकारियों के विरुद्ध जो शिकायतें प्राप्त हुई थीं उन पर परगना अधिकारी द्वारा जांच करवाई गई है। जांच के पश्चात् ही इस बारे में कुछ कहा जा सकेगा।

(सूची प्राप्त नहीं हुई)

निर्माण कार्यों के ठेके

321. श्री भैरूलाल (अकलेरा): क्या सामुदायिक विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालावाड़ जिले में भवन एवं पथ विभाग द्वारा जो निर्माण कार्यों के ठेके दिये जाते हैं वह बी. एस. आर. से 40 से 50 प्रतिशत अबोव पर दिये जाते हैं?

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति में पंचायतों द्वारा जो निर्माण कार्य करवाये जाते हैं वह बी. एस. आर. रेट से अधिक पर उनका मूल्यांकन नहीं होता? इसी कारण पंचायतों द्वारा जो कार्य करवाये जाते हैं वह कम राशि के उतरते हैं।

(3) क्या यह सही है कि इस प्रवृत्ति से क्षेत्र के सरपंच परेशान हैं और अब उनकी रुचि निर्माण कार्यों की ओर नहीं आ रही है? अगर, हां, तो क्या राज्य सरकार क्षेत्रीय स्थिति को देखते हुए बी. एस. आर. से 40 से 50 प्रतिशत अबोव पर पंचायतों के कार्यों को भी मूल्यांकन करने के आदेश देने का विचार रखती है?

(4) क्या यह भी सही है कि निर्माण कार्यों का मूल्यांकन पूरा न बैठने की वजह से पंचायत समिति में निर्माण कार्य प्रायः बन्द से हो गये हैं?

(5) क्या यह भी सही है कि एक ही स्थान पर निर्माण विभाग एवं पंचायत द्वारा निर्माण कार्य एक जैसे ही करवाये गये हैं लेकिन निर्माण विभाग द्वारा निर्मित भवन की लागत 12,000/- हुई है जब कि सरपंच द्वारा बनाये गये भवन की लागत केवल 6,000/- ही रह गई?

(6) क्या यह भी सही है कि पंचायत समितियों के लिए बी. एस. आर. में नियमानुसार स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए संशोधन के अधिकार एक समिति को दिये गये थे? अगर हां, तो झालावाड़ जिले में इस समिति ने कब कब बी. एस. आर. बदली और यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। निर्माण कार्यों के ठेके बी. एस. आर. रेट से कम और अधिक

Page No.38

(38)

(सामुदायिक-विकास मंत्री)
दोनों पर ही दिये जाते हैं इस प्रकार रेट बदलती रहती है।

(2) यह सही है कि पंचायतों के सरपंचों द्वारा करवाये गये निर्माण कार्यों का मूल्यांकन बी. एस. आर. रेट से अधिक रेट पर नहीं किया जाता है।

(3) ऐसी कोई जानकारी राज्य सरकार को नहीं है। जहां तक बी. एस. आर. रेट से 40 से 50 प्रतिशत अबाउ पर सरपंचों के कार्यों के मूल्यांकन कराने का प्रश्न है इस बारे में आवश्यक जानकारी की जा रही है।

(4) जी नहीं।

(5) ऐसा कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(6) इसकी जानकारी सरकार को नहीं है। झालावाड़ जिले में इस प्रकार की किसी भी समिति ने बी. एस. आर. नहीं बदली है।

जयपुर नगर परिषद् द्वारा शहर के विकास की योजना

322. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर नगर परिषद् ने शहर के विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं बनाई हैं? इन योजनाओं को पूरा करने में क्या कठिनाइयां हैं और उन्हें किस अवधि तक पूरा कर लिया जावेगा? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) जयपुर नगर परिषद् द्वारा नगर के गुलाबीकरण की क्या कार्यवाही चल रही है और इसमें कितना काम पूरा हो चुका है और शेष कार्य कब तक पूरा होने की आशा है?

(3) परिषद् द्वारा गुलाबीकरण को स्थाई बनाये रखने की क्या योजना है और क्या इस सम्बन्ध में कोई नियम बनाये गये हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) नगर के विकास के लिए नगर परिषद् द्वारा बनाई गई एवं क्रियान्वित की जा रही योजनाओं का विवरण निम्न प्रकार है:—

1. राजामल के तालाब क्षेत्र में व्यवसायिक केन्द्र की स्थापना। इस स्थान के डवलपमेन्ट का कार्य परिषद् द्वारा समाप्त किया जा चुका है। दुकानें बनाने का कार्य राजस्थान हाउसिंग बोर्ड द्वारा किया जा रहा है। जिसके जून 76 तक समाप्त होने की संभावना है।

2. चांदपोल श्मशान घाट का विकास कार्य। यह कार्य निरन्तर प्रगति पर है तथा दिसम्बर, 76 तक पूरा होने का आशा है।

3. रामलीला रंगमंच का नव निर्माण। यह कार्य लगभग समाप्ति पर है।

(स्वायत्त शासन मंत्री)

4. रामगंज चौपड़ का सौन्दर्यकरण। यह कार्य 31-3-76 तक पूरा हो जावेगा।

5. अजमेरी गेट के बाहर विभागीय स्तर पर मिनी दुकानों (Mini shops) का निर्माण कार्य। यह कार्य भी 31-3-76 तक पूरा हो जावेगा।

6. जयपुर की विभिन्न चौकड़ियों में 83 स्थानों पर सड़क का निर्माण कार्य। जिसमें से 26 स्थानों पर सड़क निर्माण कार्य समाप्त हो चुका है। शेष सड़क निर्माण अप्रैल, 76 तक समाप्त हो जावेंगे।

7. जयपुर के मुख्य बाजारों में रोशनी की समुचित व्यवस्था। यह कार्य विद्युत् विभाग द्वारा किया जा रहा है। तथा दिसम्बर, 76 तक पूरा होने की सम्भावना है। परिषद् की भावी योजनाएं निम्न प्रकार हैं:—

(क) बड़ी चौपड़ एवं चांदपोल दरवाजे बाहर सौन्दर्यकरण का कार्य।

(ख) गनगौरी बाजार में लगने वाले हटवाड़े वालों के लिए चौगान में बैठने की व्यवस्था हेतु विभागीय स्तर पर कार्य।

(ग) जयपुर की विभिन्न चौकड़ियों में 31 अन्य स्थानों पर सड़कों का निर्माण कार्य।

(2) जयपुर नगर में गुलाबीकरण का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा किया जा रहा है। जौहरी बाजार में गुलाबीकरण का कार्य लगभग समाप्ति पर है। एवं शेष बाजारों में भी शीघ्र ही पूरा होने की संभावना है।

(3) गुलाबीकरण को स्थाई रखने के लिए नगरपरिषद् को भवन निर्माण नियमों में समुचित प्रावधान है। यदि कोई इन नियमों का उलंघन करता है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती रही है। एवं भविष्य में और भी सख्ती से नियमों की पालना करवायी जायेगी। भवन निर्माण उप-विधियों की एक प्रति संलग्न है।

(नियम विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

नगर परिषद् कोटा की सब्जी मण्डी की दुकानें

323. श्री केशरीमल (ब्यावर): क्या स्वायत शासन मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे:—

(1) क्या नगर परिषद, कोटा, द्वारा छोटे तालाव क्षेत्र में नवनिर्मित थोक सब्जी मण्डी की दुकानों को किराए पर देने हेतु नीलाम की गई थी ? क्या यह सत्य है कि इन दुकानों में से सिर्फ दस दुकानें ही 13,500 रुपये से 16,500 रुपये तक की बोली पर छोड़ी गई जब कि सरदार श्री ईश्वर सिंह प्रतिपाल सिंह (2) श्री हबीबुल्लाह श्री मोहम्मद यासीन, (3) श्री लक्ष्मन दास चाननदास, (4) श्री गंगाराम केसूमल, (5) श्री ताराचन्द उग्रसेन तथा श्री कन्हैयालाल प्रभूदास को एक एक दुकान बिना पगड़ी के देने के बाद हर एक को सिर्फ 2,500 रुपया पगड़ी लेकर एक एक

(श्री केशरीमल)

दुकान और दी गई ? यदि हां तो क्यों ? इन दुकानों का एलॉटमेंट बोली लगाकर क्यों नहीं किया गया ?

(2) क्या यह सही है कि पुरानी सब्जी मण्डी कोटा में उपरोक्त फर्मों के पास एक एक दुकान ही थी तो फिर नई सब्जी मण्डी में एक से अधिक तथा कम पगड़ी लेकर ही दुकानें क्यों दे दी गई जबकि उस समय 13,500 से 16,500 तक पगड़ी मिली थी ?

(3) क्या उस समय श्री प्रभूदास, श्री मोहनलाल, श्री हुकमराय, श्री हीरालाल, श्री भीमचन्द ने भी दुकान लेने के प्रार्थना-पत्र दिए थे ? यदि हां, तो क्या इनमें से किसी को दुकानें दी गई ? यदि नहीं तो क्यों ? जब कि वे भी अन्य शर्तों को मानते हुए 2,500 रुपये प्रति दुकान देने को तैयार थे ? इन दुकानों के वितरण में हुए गोलमाल की क्या जांच शुरू की है ? यदि नहीं, तो जांच करने की कार्यवाही कब शुरू कर रहे है ?

उत्तर

(1) नगर परिषद्, कोटा द्वारा छोटे तालाब क्षेत्र में नव निर्मित थोक सब्जी मण्डी की 10 दुकानें नम्बर 31 से 40 तक सन् 1974 में किराये पर देने हेतु नीलाम कर दी गई थी जिनके प्रीमियम की राशि 13,500/- रु. से 16,500/- रु. तक लगी और माहवारी किराया 100/- रु. माहवार निश्चित किया गया। (1) सरदार ईश्वरसिंह प्रतिपाल सिंह (2) हबीबुल्ला मोहम्मद यासीन (3) लक्ष्मणदास चाननदास (4) गंगाराम केसूमल (5) ताराचन्द उग्रसेन को बड़े थोक व्यापारी होने के कारण और पुरानी सब्जी मण्डी की किराये की दुकानो को छोड़ने की शर्त के साथ एक एक दुकान पुरानी दुकान की एवज में तथा एक एक अतिरिक्त दुकान 2,500/- रु. प्रीमियम लेकर अतिरिक्त रूप से दी गई। यह एलॉटमेंट राज्य सरकार की आज्ञा दिनांक 28-2-74 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा निर्मित एलॉटमेंट कमेटी जिसके सदस्य तत्कालीन जिलाधीश महोदय एवं प्रशासक महोदय थे, के द्वारा की गई था।

(2) तत्कालीन एलॉटमेंट कमेटी ने अपने आदेश दिनांक 26-4-74 (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा नीति निर्धारण कर ये दुकानें किराये पर दी थीं। जिनका राज्य सरकार के पत्रांक एफ. 5 (81) स्वा. शा. वि./74/38720, दिनांक 11-7-74 (प्रति संलग्न) द्वारा स्वीकृति दी गई।

(3) इसका उत्तर क्रम नं. 2 में आ गया है इस मामले की जांच राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।

(प्रतिलिपि प्राप्त नहीं हुई)

जयपुर जिले में आवासीय भू-खण्ड का आवण्टन

324. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) अनुसूचित जाति, जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग को 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक जिलों में कितने आवासीय भू-खण्ड आवन्टन किए गए ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

(2) जयपुर जिले में प्रत्येक तहसील में कितने आवासीय भू-खण्ड आवन्टित किए गए ? उसकी सूची भी कृपया सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या राज्य सरकार इनको मकान बनाने के लिए कोई वित्तीय सहायता देने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जयपुर जिले में आवन्टित आवासीय भू-खन्डों का पंचायत समितिवाइज सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(3) अभी केवल राजस्थान हाउसिंग फाईनेन्स सहकारी समिति द्वारा उन्हीं परिवारों को मकान बनाने हेतु धनराशि दी जा रही है जिन्हें पहली या दूसरी किश्त दी जा चुकी है । बाकी के लिए अभी कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट 6 देखिये) ।

नगरपालिका क्षेत्रों में आवासीय भू-खण्डों का वितरण

325. श्री चेतराम (टोडाभीम) : क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों/जनजातियों, शिल्पकारों तथा अन्य कमजोर वर्ग के लोगों को नगरपालिका, नगर परिषद् क्षेत्रों में आवासीय भू-खण्ड वितरित किए गए हैं ? यदि हां, तो नगरपालिका/नगर परिषद्-वार आंकड़े सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सच है कि बिना दरख्वास्त मांगे एवं लोगों को बतलाए बिना ही राजनैतिक गुटबन्दी के आधार पर लोगों को पट्टे दिए गए हैं और वास्तविक जरूरतमन्द लाग इस सुविधा से वन्चित रखे गए हैं ?

(3) इन प्लॉट्स के आवन्टन का आधार, प्रोसीजर क्या रखा गया था ?

(4) नगरपालिका/परिषद् की आबादी के अनुपात से इन कस्बों/शहरों में कितने प्रतिशत लोगों को पट्टे दिए गए हैं ? क्या अब इन क्षेत्रों में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचा है जो बिना भू-खण्ड रह गया है ?

उत्तर

(1) जी हां । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं । लेकिन यदि इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो जांच कराई जाकर आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

(3) आवन्टन का आधार समाज के कमजोर वर्ग का व्यक्ति जिसके पास कहीं पर भी आवासीय व्यवस्था नहीं है पारिवारिक वार्षिक आय 2,400/ रुपये से अधिक न हो, आबादी के अनुपात से जो भू-खण्ड आवन्टित किए गए

(स्वायत्त शासन मंत्री)

हैं उनकी सूचना एकत्रित की जा रही है। यह कहना कठिन है कि समाज के कमजोर वर्ग के सभी व्यक्तियों को आवासीय भू-खण्ड मिल गए हैं। राज्य सरकार इस बात लिए के प्रयत्नशील है कि ऐसे सभी व्यक्तियों को आवासीय भू-खण्ड मिलें।

(४) भाग 3 में दिए गए उत्तर में इसका स्पष्टीकरण दिया जा चुका है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

ए. पी. डी. पी. परियोजना का डीडवाना का कार्यालय

326. श्री भोमाराम चौधरी (डीडवाना) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर का डी. पी. ए. पी. परियोजना का डीडवाना शहर में कार्यालय कब से चालू है ? एवं इस शाखा का कितना व्यय पेट्रोल व अधिकारियों के टी. ए. एवं डी. ए. का क्या हुआ तथा सर्वे का कितना काम हुआ ?

(2) डीडवाना तहसील में डी. पी. ए. पी. परियोजना नागौर की किन किन स्कीमों के अन्तर्गत सर्वे चल रही है एवं कार्यों का प्रगति विवरण इस तहसील का कितना कितना प्रत्येक स्कीम का किस प्रकार है ?

उत्तर

(1) नागौर की डी. पी. ए. पी. परियोजना से सम्बन्धित भू-संरक्षण का उप खण्ड कार्यालय डीडवाना शहर में 8 मई, 1975 से है। इस कार्यालय में मई, 1975 से फरवरी, 1976 तक पेट्रोल व टी. ए. डी. ए. पर रुपये 5,799 व 10,638 रुपये क्रमशः व्यय किये गये। 12,070 हेक्टेयर क्षेत्र की साइटों का चयन किया गया व 4,193 हेक्टेयर का टोपोग्राफीकल सर्वेक्षण फरवरी, 1976 तक पूरा किया जा चुका है। 152.46 हेक्टेयर क्षेत्र का प्लानिंग व प्लाटिंग किया गया।

(2) नागौर डी. पी. ए. पी. परियोजना के अन्तर्गत डीडवाना तहसील में भू-सर्वेक्षण व टोपोग्राफीकल सर्वेक्षण किए जा रहे हैं। फरवरी, 1976 तक विस्तृत भू-सर्वेक्षण 1200 हेक्टेयर का व टोपोग्राफीकल सर्वेक्षण 4,192 हेक्टेयर का हो चुका है।

मत्स्य पालकों को छोटे तालाबों का ठेका

327. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य सरकार को मछली के ठेकों से कुल कितनी आय होती है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) मछली पालन को बढ़ावा देने हेतु क्या सरकार जिला पशु पालन अधिकारी को छोटे तालाबों के ठेकों को देने के अधिकार देने का विचार रखती है।

(3) क्या सरकार मत्स्य पालन के विकास को ध्यान में रखते हुये मत्स्य

(श्री अजीतसिंह)
-पालकों को छोटे तालाबों का ठेका पांच वर्ष तक के लिए देने का विचार करेगी ?

उत्तर

(1) जिलेवार सूची 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, नहीं।

(3) छोटे तालाबों में सघन मत्स्य विकास व उत्पादन के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुये राज्य सरकार ने वर्ष 1975-76 से इस श्रेणी के जलाशयों को 5 वर्ष की अवधि के लिये ठेके पर देने का निर्णय ले लिया है।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

टोंक जिले की खानों की चैकिंग व्यवस्था

328. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) टोंक जिले में खानों से क्या आमद होता है ?

(2) क्या पूरे जिले में केवल एक फोरमैन चैंकिग हेतु पर्याप्त है ?

(3) क्या चैंकिग व्यवस्था को ठीक करने हेतु फोरमैन को एक मोटर साईकिल उपलब्ध कराने का राज्य सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक उपलब्ध करादी जावेगी ?

उत्तर

(1) टोंक जिले से वर्ष में लगभग एक लाख रुपये की आय प्राप्त होती है।

(2) जी नहीं। एक फोरमैन के अलावा 3 माइन गार्ड्स भी कार्यरत हैं, जो कि उक्त क्षेत्र की चैंकिग के लिए पर्याप्त हैं।

(3) जी नहीं। फोरमैन चाहे तो प्रार्थना पत्र देकर सम्बन्धित जिलाधीश से मोटर साईकिल ऋण ले सकता है।

बनास नदी की रेत लेने का परमिट

329. श्री चतरभुज (टोडारायसिंह) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि ग्राम बनथली (तहसील देवली जिला टोंक) के आबादी के किनारे बनास नदी की रेत लेने का परमिट (रायल्टी के आधार पर) क्या मोहनसिंह नाम के जागीरदार को ही दिया गया है ? यदि नहीं, तो बनथली पंचायत क्षेत्र में सन् 1972 से 1975 तक किस किस को उपरोक्त परमिट दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

जी नहीं। सूची सदन की मेज पर रखदी है।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

तहसील किशनगंज व शाहबाद में भूमि का आवंटन

330. श्री रामगोपाल (किशनगंज) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील किशनगंज व शाहबाद जिला कोटा में माह नवम्बर, सन् 1975 से अब तक कितनी भूमि का आवंटन किया गया है ?

(2) उक्त दोनों तहसीलों में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के कितने व्यक्तियों को कितनी कितनी बीघा भूमि का आवंटन हुआ है ? अलग अलग व्यक्तियों के रकबे का विवरण आदि सहित तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) माह नवम्बर, 75 से अब तक तहसील किशनगंज में 14,472 बीघा व तहसील शाहबाद में 32,177 बीघा भूमि का आवंटन किया गया है ।

(2) कोटा जिले की दोनों तहसीलों में निम्न प्रकार से आवंटन किया गया:—

आवंटन का विवरण

नाम तहसील	अनुसूचित जाति		जनजाति	
	संख्या	रकबा	संख्या	रकबा
		(बीघों में)		(बीघों में)
किशनगंज	595	4,760	951	7,166
शाहबाद	765	8,112	1,963	21,207

अलग अलग व्यक्तियों की मय रकबा सहित तहसीलदार सूचियां सदन की मेज पर रख दी गई हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जयपुर जिले के पी.डी.आर के तहत मुकदमें

331. श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा (फागी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर जिले में सन् 1961 से अब तक पी. डी. आर. के तहत कितने मुकदमे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें ।

(2) इनमें से कितनी रकम वसूल हो चुकी है और कितनी रकम बकाया है ? कृपया विभागवाइज सूची सदन की मेज पर रखें ।

(3) बकाया रकम कब तक वसूल करली जावेगी ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले में सन् 1961 से अब तक 179 मुकदमे पी. डी. आर. एक्ट के अन्तर्गत चल रहे हैं । सूची संलग्न है ।

(2) इन मुकदमात में रु. 64458.54 पै. वसूल हो चुके हैं और रु. 10,21,993.85 पैसे बकाया हैं । सूची संलग्न है ।

(3) बकाया रकम की वसूली के लिए नियमानुसार प्रयास जारी हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

तहसील विराटनगर के जमीनों संबंधी अदालतों में विचाराधीन मामले

332. श्री हनुमानसहाय व्यास (बैराठ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) तहसील विराटनगर से सम्बन्धी जमीनों के मुकदमें किस किस अदालत में कितने कितने वर्षों से पेंडिग हैं? कृपया एस. डी. ओ. कोटपूतली, तहसीलदार, विराटनगर, नायब तहसीलदार, सहायक जिलाधीश, विराटनगर तथा अतिरिक्त जिलाधीश, जयपुर एवं राजस्व अपील अधिकारी के न्यायालयों में चल रहे मुकदमों की सूची मय मुकदमा दायर तिथि अंकित करते हुए सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या सरकार यह उचित समझती है कि इतनी इतनी लम्बी अवधि तक मुकदमों का निर्णय नहीं होना न्याय संगत है?

उत्तर

(1) तहसील विराटनगर से सम्बंधित जमीनों के मुकदमें जिस जिस न्यायालय में जिस जिस अवधि से विचाराधीन हैं उसका न्यायालय एवं वर्षवार मानचित्र संलग्न है।

सूची मुकदमात न्यायालयवाइज मुकदमा दायर तिथि सहित भेजी जा रही है।

(2) नहीं, सरकार पुराने मुकदमात का निर्णय शीघ्र करने के लिये समय समय पर अधिकारीगण को हिदायतें करती रहती है। किन्तु राजस्व अधिनियमों के अन्तर्गत प्रत्येक अधिकारी का प्रत्येक आदेश काबिल अपील है और सम्बंधित पार्टी अपने हित के लिये प्रत्येक अन्तरिम आदेश की अपील करता रहती है इसलिए इनके निस्तारण में अधिक समय लगता है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 25-3-76)

चूरू जिले की पंचायत समितियों के कर्मचारियों के स्थानान्तरण

184. श्री लूणाराम (श्री डूंगरगढ़) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे: —

(1) क्या यह सही है कि चूरू जिला कर्मचारी वर्ग समिति द्वारा बिना पंचायत समितियों की सहमति लिये व्यापक पैमाने पर स्थानान्तरण किये गये जिनका पंचायत समितियों द्वारा लिखित विरोध अपने प्रस्तावों द्वारा जिला विकास अधिकारी एवं विकास विभाग को भेजा गया?

(2) नियमों में सम्बन्धित पंचायत समिति की सहमति का जब प्रावधान है तो ऐसा न कर क्या जिला कर्मचारी वर्ग समिति ने अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं किया है? यदि हां, तो उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई?

(3) पंचायत समितियों के इस संबंध में असहमति के प्रस्तावों के बावजूद भी जिलाधीश चूरू ने अपने प्रभाव को विकास

(श्री लूणाराम)
अधिकारियों पर काम में लेते हुए, विकास अधिकारियों को पंचायत समितियों के प्रस्ताव एवं आज्ञाओं को न मान कर विकास अधिकारियों द्वारा जबरदस्ती से कर्मचारियों को रिलीव करवाया तथा आगे समितियों में उन्हें ज्वॉइन करवाया ? क्या यह विकास अधिकारियों की अनुशासनहीनता नहीं हुई है ? क्या राज्य सरकार अपने अधिकारों के अन्तर्गत कार्य करने वाला समितियों के निर्णयों के खिलाफ कार्य कराने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ?

(4) क्या यह सही है कि अभी तक भी उक्त आदेश को गलत मानकर कुछ पंचायत समितिया ने पालना नहीं करवाई है, और अपने कर्मचारियों को न रिलीव किया है और न वहां पर लगाये कर्मचारियों को ज्वॉइन करवाया, जिससे कई कर्मचारियों को जिला मुख्यालय पर बैठा रखा है, और पूर्व की तरह उसी अनुचित तरीके से जहां से वह रिलीव हुए हैं, जिला विकास अधिकारी द्वारा विकास अधिकारी को आदेश देकर उनको वेतन दिलवाया जा रहा है जबकि उनके स्थान पर दूसरे कर्मचारी लगाकर वेतन ले रहे हैं ? तो ऐसी अनुचित कार्यवाही का उत्तरदायित्व किस पर है ?

(5) क्या यह सही है कि विकास विभाग ने भी ऐसा कोई आदेश जिला कर्मचारी वर्ग समिति को भेजा है कि बिना पंचायत समितियों की सहमति के किये गये आदेश उचित नहीं हैं उन्हें क्रियान्वित न किये जायं और अगर किये हों तो उन्हें निरस्त समझे जायं तथा भविष्य में शीघ्र जिला कर्मचारी वर्ग समिति की बैठक बुला कर ही पंचायत समितियों की सहमति वाले कर्मचारियों का ही स्थानान्तरण किया जाय ?

(6) यदि हां, तो क्या ऐसी बैठक बुला ली गई है, और नहीं तो क्यों और कब तक बुलाई जावेगी ? ऐसी बैठकों की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(7) इन स्थानान्तरणों से पंचायत समितियों एवं राज्य कोष पर कुछ मितव्ययता हुई है तथा कितना कार्य सफर हुआ है ?

(8) क्या इस मामले में चाहे जिला-कर्मचारी वर्ग समिति हो या कोई प्राधिकारी, अगर उनकी इस सम्बन्ध में अधिकारों के दुरुपयोग की शिकायत सत्य होती है तो कार्यवाही की जावेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 25-3-76)

गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा ऋण

185. **श्री दीपंकर** (लाडनूं) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान राज्य में अब तक कितनी गृह निर्माण सहकारी समितियां

(श्री दीपंकर)

पंजीकृत की जा चुकी हैं ? जिलेवार सूची मय पंजीकरण तिथि के नाम दर्शाते हुए सदन की मेज पर रखें ?

(2) पंजीकृत सहकारी समिति में किस किस सहकारी समिति को कितनी किश्तें ऋणों की दी जा चुकी हैं तथा अब तक कुल कितने भूमिहीन लोगों के आवास का व्यवस्था पूर्ण हो चुकी है ? बांटे गये ऋण की रकम क्या है ? पूर्ण सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि अब नये रूप से किसी सहकारी समिति का पंजीकरण करवाया जाना राज्य ने वित्तीय व्यवस्था के अभाव में बन्द कर दिया है ? अगर हां, तो भूमिहीन लोगों को दिये गये भू-खण्डों पर मकान बनाने की रकम दिलवाने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था क्या सोची जा जा रही है ?

(4) अब तक पंजीकृत समितियों को कहां-कहां कितनी भूमि राज्य सरकार ने किन किन दरों पर अलॉट की है ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 22-3-76)

बीकानेर जिले की सहकारी समिति

127. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिले में कौन कौन सा सहकारी समितियां पंजीकृत हैं, प्रत्येक समिति का नाम उसका कार्यक्षेत्र, प्रकार एवं वर्तमान अध्यक्ष व मन्त्री कौन कौन हैं तथा उसके पंजीयन का महिना व वर्ष दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(2) प्रत्येक समिति ने पंजीयन के पश्चात् प्रति वर्ष क्या क्या कार्य कितनी धनराशि का किया तथा प्रत्येक समिति के पंजीयन के वक्त तथा आज कितनी कितनी हिस्सा राशि है ?

(3) सहायक पंजीयक एवं उसके अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रत्येक निरीक्षण प्रतिवर्ष कितनी दफा करना था तथा उन्होंने वास्तव में किस किस समिति का निरीक्षण न करके कर्त्तव्यहीनता का परिचय दिया जिसके संबंध में क्या कार्यवाही की गई ?

(4) उपरोक्त समितियों में से कौन कौन सी समिति सक्रिय तथा कौन-कौन सी समिति निष्क्रिय है ?

(5) निष्क्रिय समिति कब से निष्क्रिय है तथा उन्हें सक्रिय करने हेतु विभाग ने क्या क्या प्रयत्न किये ?

(6) निष्क्रिय समितियों को सुधार का अवसर देने के पश्चात् उन्हें अवसायन में लाने हेतु क्या कार्यवाही की गई ?

(7) जिले की कौन कौन सी समितियां अवसायन में हैं तथा कौन सी समिति की अवसायन कार्यवाही सम्पूर्ण हो चुकी है ?

(8) बीकानेर तहसील क्रय-विक्रय समिति लि. की अवसायन कार्यवाही किस

(श्री भीमसेन)

स्टेज पर है तथा इस समिति के अवसायन से पूर्व कौन-कौन संचालक थे तथा उनमें से प्रत्येक की जिम्मेदारी समिति के संचालन में क्या था तथा उनमें से किस किस संचालक पर कितनी कितनी राशि की जिम्मेदारी निर्धारित करके वसूली हेतु अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

दिनांक 18-3-76

नागौर जिले की सहकारी समितियां

53. श्री दीपंकर (लाडनू) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) नागौर जिले में कितनी सहकारी समितियां अब तक पंजीकृत की गई हैं ? तहसीलवाइज सूची सदन की मेज रखने का कष्ट करें।

(2) नागौर जिले में पंजीकृत सहकारी समितियों को कितना ऋण अब तक आवंटित किया जा चुका है जिनमें कितना वसूल हो चुका है तथा कितना किस किस में बकाया है ? तहसीलवार सूची सदन के पटल पर रखें ?

(3) जिले की कितना पंजीकृत समितियां कार्य कर रही हैं तथा कितनी बन्द पड़ी हैं ? सूची तहसीलवाइज पटल पर रखें।

उत्तर

(1) नागौर जिले में अबतक विभिन्न प्रकार की 990 (नौ सौ नब्बे) सहकारी समितियां पंजीकृत की गई जिनका तहसीलवाइज सूचना निम्न प्रकार है:—

क्र. सं.	नाम तहसील	संख्या समितियां
1.	नागौर	208
2.	मेड़ता	196
3.	डेगाना	65
4.	परबतसर	133
5.	नांवा	96
6.	डीडवाना	122
7.	लाडनूं	96
8.	जायल	72
		990

विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(2) नागौर जिले में पंजीकृत सहकारी समितियों को अब तक 1,42,66,244.69 रुपये का ऋण आवंटित किया जा चुका है जिसमें से 56,55,769.91 रुपये वसूल हो चुके हैं। तहसीलवार सहकारी समितियों की सूची परिशिष्ट 'अ' पर संग्लन है।

(3) जिले में विभिन्न प्रकार की 379 सहकारी सस्थाएं काम कर रही हैं तथा 496 सहकारी समितियां निष्क्रिय अवस्था में हैं, एवम् 115 सहकारी संस्थाएं अवसायनाधीन हैं। तहसीलवार सूची परिशिष्ट 'स' पर है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सदन की मेज पर रखे जने वाले पत्रादि

अधिसूचनायें

श्री परसराम मदेरणा (उपनिवेशन मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित अधिसूचनायें सदन की मेज पर रखता हूं—

1. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (8) रेव/कोल/76, दिनाक 8 मार्च, 1976।

2. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (8) रेव/कोल/76, दिनांक 8 मार्च, 1976।

3. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (8) रेव/कोल/76, दिनांक 8 मार्च, 1976।

4. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (8) रेव/कोल/76, दिनांक 8 मार्च, 1976।

5. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (8) रेव/कोल/76, दिनांक 8 मार्च, 1976।

6. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (10) रेव/कोल/75, दिनांक 19 मार्च, 1976।

7. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (8) राज/उप/76, दिनांक 13 मार्च, 1976।

8. अधिसूचना संख्या प. 4 (8) राज/उप/76, दिनांक 13 मार्च, 1976।

9. अधिसूचना संख्या प. 4 (8) राज/उप/76, दिनांक 13 मार्च, 1976।

10. अधिसूचना संख्या प. 4 (8) राज/उप/76, दिनांक 13 मार्च, 1976।

11. अधिसूचना संख्या प. 4 (8) राज/उप/76, दिनांक 13 मार्च, 1976।

12. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (8) राज/उप/76, दिनांक 13 मार्च, 1976।

13. अधिसूचना संख्या प. 4 (8) राज/उप/76, दिनांक 13 मार्च, 1976।

14. अधिसूचना संख्या प. 4 (8) राज/उप/76, दिनांक 13 मार्च, 1976।

15. अधिसूचना संख्या प. 4 (8) राज/उप/76, दिनांक 13 मार्च, 1976।

16. अधिसूचना संख्या एफ. 4 (10) रेव/कोल/75, दिनांक 19 मार्च, 1976।

प्रतिवेदन एवं लेखे आदि

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1973–74 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का पूरक प्रतिवेदन (सिविल) सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री हीरालाल देवपुरा (विद्युत मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी (सप्लाई) एक्ट, 1948 की धारा 61 (3), धारा 75 (1) एवं धारा 69 के अन्तर्गत राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के निम्नांकित प्रतिवेदन एवं लेखे आदि सदन की मेज पर रखता हूं :

(1) आय-व्ययक (बजट) अनुमान, वर्ष 1976-77

(2) वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन, वर्ष 1974-75 एवं

(3) लेखे वर्ष 1974–75।

श्री मोहनलाल छंगाणी (यातायात-मंत्री): उपाध्यक्ष महोदय, मैं परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35(3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य पथ परिवहन

(श्री मोहनलाल छंगाणी)
निगम के वार्षिक प्रतिवेदन 1974-75 को सदन की मेज पर रखता हूं।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

उदयपुर के समीप कैलाशपुरी में स्थित प्राचीन एवं सार्वजनिक मंदिर (एकलिंग जी) में चल रही दुर्व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव।

श्री मनोहरलाल कोठारी : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सबंधी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत उदयपुर के समीप कैलाशपुरी में स्थित एकलिंग जी के प्राचीन एवं सार्वजनिक मन्दिर में चल रही दुर्व्यवस्था, मन्दिर के बहुमूल्य आभूषणों की अनुपस्थिति, भूतपूर्व महाराणा द्वारा की जा रही अनाधिकृत कार्यवाही, जिसमें वहां के गुंसाई जी स्वामी श्री सूर्यानन्द जी महाराज को तीव्र विष दिये जाने व उनकी अस्वस्थता का गम्भीर स्थिति में धोखे से उनसे त्याग-पत्र पर हस्ताक्षर करवाने का प्रश्न भी सम्मिलित है तथा देवस्थान विभाग द्वारा राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम के प्रावधानों के अधीन उक्त मन्दिर को सार्वजनिक घोषित किये जाने में जान-बूझकर की जा रही उपेक्षा, प्रमाद एवं विलम्ब की ओर माननीय राजस्व (देवस्थान) मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : देवस्थान मंत्री जी—

श्री परसराम मदेरणा (देवस्थान मंत्री): माननीय उपाध्यक्षजी, मंदिर श्री एकलिंगनाथजी महादेव, कैलाशपुरी, जिला उदयपुर, श्री एकलिंगजी ट्रस्ट उदयपुर द्वारा प्रतिबंधित होकर उसके मैनेजिंग ट्रस्टी श्री भगवतसिंह, (भूतपूर्व महाराणा मेवाड़) हैं तथा श्री करणसिंह, श्री नरेन्द्र सिंह, श्री सुरेशचन्द्र चटर्जी व श्री चन्द्रनाथ पांडे ट्रस्टी हैं।

इस प्रन्यास में चल रही दुर्व्यवस्था, बहुमूल्य आभूषणों की अनुपस्थिति, भूतपूर्व महाराजा द्वारा की जा रही अनधिकृत कार्यवाही, सहायक गुंसाई स्वामी श्री सूर्यानन्द को तीव्र विष दिए जाने व उनकी अस्वस्थता की गंभीर स्थिति में धोखे से त्याग-पत्र पर हस्ताक्षर करवाने बाबत देवस्थान विभाग में कोई शिकायत नहीं हुई है। श्री सूर्यानन्द का स्वेच्छा से त्याग-पत्र देना प्रन्यास ने बताया है।

मंदिर में सेवा पूजा यथावत् हो रही है। रोजाना भगवान को धारण कराने के आभूषण मंदिर की परिक्रमा में रखी तिजोरी में भंडारी की तहवील में हैं। पाटोत्सव तथा शिवरात्रि के उत्सवों पर धारण कराने के बहुमूल्य आभूषण उदयपुर में प्रन्यास के कार्यालय के तोशाखाना रंग-भवन में 1971 से सील बन्द रखे हुए हैं। सन् 1971 में तहवीलदार भोपालसिंह मेहता की मृत्यु के समय से ये आभूषण पाटोत्सव व शिवरात्रि के उत्सव पर कैलाशपुरी नहीं लाये जा रहे हैं। नये तहवीलदार की नियुक्ति तक वहां न ले जाने का प्रन्यास का प्रस्ताव पारित किया हुआ है। यह समस्त सूचना प्रन्यास द्वारा दी गई है।

प्रन्यास सार्वजनिक है अथवा नहीं और उसका राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास

(श्री परसराम मदेरणा)

अधिनियम के अधीन पंजीयन होना चाहिए या नहीं इसके बाबत राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम की धारा 18 के अधीन न्यायिक जांच का मामला सहायक आयुक्त, देवस्थान, उदयपुर, के यहां विचाराधीन है।

श्री मनोहर कोठारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय देवस्थान मन्त्री महोदय ने जो वक्तव्य दिया है वह अत्यन्त ही निराशाजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं स्पष्ट तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि कानूनी स्थिति यह है कि एकलिंगजी का मन्दिर प्राचीन सार्वजनिक मन्दिर है और मेवाड़ का जो संविधान मुन्शी कांस्टीट्यूशन के नाम से जो जाना जाता है वह 1948 में पंजीकृत किया गया था। उस विधान के अन्तर्गत आज उसके, कांस्टीट्यूशन के पार्ट 2, आर्टिकल 2 और क्लॉज 2 यह कहता है :

"All shrines, temples and other religious and charitable institutions forming part of Devasthan described in Schedule I, or which may hereafter be found to have formed part thereof, or which form part thereof by future dedication, and all property and funds appertaining thereto are hereby declared to be vested in Devasthan Nidhi hereby constituted in law as a corporotion with a seal of its own."

और जो शिड्यूल—1 है उस शिड्यूल वन में एकलिंगजी के मन्दिर का नाम नम्बर एक पर आता है और उसके बाद कुल 85 ऐसे मन्दिरों की सूची है। शिड्यूल वन में ऋषभदेवजी की जो एन्ट्री है वह 32 पर है। मैंने, उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय से दो वर्ष पूर्व एक प्रश्न पूछा था इसी सदन में और मैंने कहा था कि इस संविधान को सुप्रिम कोर्ट ने वैलिड माना है और उसी के आधार पर स्टेट की अपील पर ऋषभदेवजी के मन्दिर को सार्वजनिक मन्दिर घोषित किया गया है। मेरी यह बात समझ में नहीं आती, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कि मन्त्रीजी यह कहते हैं कि प्रन्यास सार्वजनिक है या नहीं, यह प्रन्यास और यह मन्दिर सार्वजनिक है या नहीं इसके बारे में हमारे असिस्टेंट कमिश्नर देवस्थान के यहां पर विचाराधीन है मामला। यह मामला कब से विचाराधीन क्यों है और वह फाइनल क्यों नहीं किया जाता इसके बारे में माननीय मन्त्री महोदय ने कुछ भी नहीं बताया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस कांस्टीट्यूशन के बाद ही जो अमेंडमेंट फिर इस कांस्टीट्यूशन मे हुआ है जिसे सुप्रिम कोर्ट ने भी स्वीकार किया है अपने जजमेंट में, उसमें यह जो मैंने पढ़ा है, इसी आर्टिकल-2 के पैरेग्राफ 2 से लगाकर 10 तक अमेंड किया गया और उसकी मन्शा इस तरह से है :

"All shrines, temples and other religious and charitable institutions forming part of Devasthan described in Schecule I or which may hereafter be found to form part thereof, or which may form part thereof by future dedication and all property and funds appertaining thereto are hereby declared to be vested in Shriji

Page No.52

52

(श्री मनोहर कोठारी)

to be administered by him with the assistance of an advisory body in which representation shall be included for the different sections of worshippers at the temples. The income of these institutions shall be used for the purposes for which the institutions have been founded, the surplus income after meeting such purposes being available for other like or similar purposes."

तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान का स्थिति यह है कि महाराणा ने संविधान के अंतर्गत शिड्यूल वन में जिन इंस्टीट्यूशन्स को, जिन धार्मिक प्रन्यासों को डिसक्राइब किया वे सारे के सारे देवस्थान निधि हैं और उसको महाराणा में वेस्ट किया है और उसकी व्यवस्था एक एडवाइजरी बोर्ड के जरिये की जावे। सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम के प्रावधान के अन्तर्गत जब दूसरे के मंदिरों को लिया गया है फिर शिड्यूल वन में ही डेस्क्राइब्ड नम्बर वन के मंदिर को क्यों छोड़ा जा रहा है, इस बारे में माननीय मंत्री जी ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया हैं। और मैंने जैसा निवेदन किया कि सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम के अन्तर्गत आपके असिस्टेन्ट देवस्थान कमिशनर के पास कितने समय से पड़ा हुआ है। आपने गत बार भी असेम्बली में इस बात का एश्योरेंस दिया था कि इस पर शीघ्र ही निर्णय ले रहे हैं, सरकार निर्णय ले रही है और इसके बाद इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने यह कहा कि हमारे विभाग में इस सम्बन्ध की जानकारी नहीं है कि गोस्वामीजी, जो कि वहां के पीठाधिश्वर, श्री सूर्यानन्दजी महाराज हैं, उनको विष दिया गया या धोखे से हस्ताक्षर कराए या नहीं। अंत में यह कहा कि उससे यह स्पष्ट होता है कि स्वामीजी ने अपनी इच्छा से उस त्याग-पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान राजस्थान पत्रिका के दिनांक 28 मार्च, 1976 अंक की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें इस बात का इन्टरव्यू छपा है स्वामीजी का—"एकलिंग जी की सम्पत्ति पर षडयंत्रकारियों की नजर" और उसमें साथ ही यह कहा है: "उदयपुर से 14 मील दूर भगवान एकलिंगनाथ का मंदिर षडयंत्रों का केन्द्र बन रहा है। ऐसा पता लगा है कि मंदिर के महन्त मेवाड़ के राज्य गुरु स्वामी सूर्यानन्द महाराज, जो एकलिंग पीठाधीश्वर हैं, को या तो समाप्त कर दिया जाय या उन्हें पागल घोषित कर दिया जाय ऐसा षडयंत्रकारियों का विचार है।

"पत्रिका संवाददाता ने मेवाड़ राज्य गुरु से स्थानीय जनरल हॉस्पीटल में भेंट की। स्वामीजी ने बताया कि मंदिर की सम्पत्ति और प्राचीन मूर्तियों के अलंकरण आदि की करोड़ों रुपयों की बहुमूल्य सामग्री पर लोगों का आंखें लगी हुई हैं। महाराज ने यह भी आशंका व्यक्त की कि कुछ बहुमूल्य वस्तुओं को पिछले समय से देखा नहीं जा रहा है।

"महाराज ने रहस्योद्घाटन किया कि परम्परा से चला आ रहा भगवान का पूजा का एक नाग, जिस पर बहुमूल्य नगीने जड़े हुए हैं, पिछले समय से देखा नहीं गया है।

"महाराज से पुलिस कार्यवाही कराने के सम्बन्ध में पूछा गया तो उन्होंने एक

(श्री मनोहर कोठारी)

और रहस्योद्घाटन किया कि उन्हें कुछ समय पूर्व खाने के साथ एक ऐसा तीव्र विष दे दिया जिससे वह मृत्यु से तो बच गए लेकिन मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गये थे और उसकी अस्वस्थता की मन:स्थिति में कुछ समय पूर्व कुछ भक्त लोग आये और उन्होंने दर्शन का बहाना बना कर मेरे कमरे में प्रवेश किया और कमरा अन्दर से बन्द कर मुझ से त्याग-पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिये गये हैं।"

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि स्वामीजी का स्टेटमेंट छपा है, राज्य सरकार को इसकी जानकारी होनी चाहिए, देवस्थान विभाग को इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसके बारे में खोजबीन की जानी चाहिए थी लेकिन इस बारे में कुछ नहीं किया गया और एकलिंग जी के ट्रस्ट के बाबत आपने बताया कि देवस्थान डिपार्टमेंट विचार कर रहा है तो क्या आप महाराणा का ही ट्रस्ट बना देंगे। महाराणा ने अपने ही लोगों को, जिसमें महाराणा का मैनेजिंग ट्रस्ट है जिसमें उनके भाई नरेन्द्र सिंह जी ट्रस्टी हैं, उनके जागीरदार उसमें ट्रस्टी हैं जिसमे चैटर्जी ट्रस्टी हैं जो महाराणा का आदमी है, इन सब को मिला कर ट्रस्ट बनाया गया है तो क्या आप ऐसे व्यक्तियों के ट्रस्ट को स्वीकार कर लेना चाहते हैं और क्या आप इसको मान्यता देना चाहते हैं? मैं निवेदन करूंगा कि 1955 में इस मन्दिर की इन्वेंट्री बनाई गई और उस इन्वेंट्री में 56,69,250 रुपये की प्रोपर्टी उस समय आंकी गई थी और उस समय जो प्रोपर्टी आंकी गई उसमें एक सौ या सवा सौ रुपये तोले के हिसाब से सोने का भाव कूंता गया था। उस इन्वेंट्री में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि श्री रंगभवन में जेवर डबल लॉक में, जिसका चॉर्ज सहीवाला मोतीसिंह जी के जिम्मे है, जिसकी एक चाबी हाकिम श्री परमेश्वराजी महाराज की कचहरी ताल्लुक हाकिम ठाकुर उम्मेदसिंहजी व नायब हाकिम मनोहर नारायण जी माथुर के पास है, सोना 7578।।।)।।। तोला, चांदी 83 (2)तोला। और कैलाशपुरी श्री परमेश्वरी जी व दिगर देवी देवता का व मठ में जेवर हस्ते भण्डारी केसूलाल व दीगर टेलवा के तेहवील में है जिसकी एक चाबी भण्डारी केसूलाल व मुन्तजिम कैलाशपुरी पास रहती है सोना 5967।) और चांदी 90113।), 21 व वजन 8 मन।"

यह इसमें लिखा हुआ है और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो बहुमूल्य जवाहरात से जड़े हुये आभूषण हैं, इस मन्दिर के साथ ही केस आदि बड़ी संख्या में इसमें हैं, जैसा कि पहले निवेदन कर चुका हूं, मन्त्री महोदय वहां पर कलदार, जो कि इम्पीरियल रुपये के नाम से जाना जाता है, वह चढ़ावा में आता था। उस एक रुपये को आज के एक रुपये के नोट से रिप्लेस कर दिया गया है जिसकी कीमत आज बीस गुना अठारह गुना, और दस गुना है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से जो सार्वजनिक सम्पदा है, जो सार्वजनिक सम्पत्ति है, जहां हर आदमी आकर के श्रद्धापूर्वक चढ़ावा चढा जाता है, उस मन्दिर को ऐसे कैसे छोड़ा जा सकता है। मान्यवर, मैं मन्त्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं कि जिस असिस्टेन्ट कमिश्नर की आप बात कर

(श्री मनोहर कोठारी)

रहे हैं, वे स्वयं महाराणा के मर्जीदान हैं। वे एक जागीरदार हैं और उनसे यदि आप यह आशा करते हैं कि इस ट्रस्ट को, सार्वजनिक मन्दिर घोषित कर दें तो यह आपकी निरी कल्पना मात्र होगी। आप इस सम्बन्ध में इन्क्वायरी बिठाइये और इस बात को मालूम करिये कि इस मन्दिर की पूजा, इस मन्दिर की व्यवस्था किस तरह से हो। मैं माननीय मन्त्री महोदय का इसी सदर्भ में एक और बात की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसी परमेश्वर महाराज के नाम से महाराणा ने एक और आवरी माता के मन्दिर पर कब्जा कर रखा है और वहां पर जो सारा चढ़ावा आता है वह लेकर चले जाते हैं। रेवेन्यू रिकार्ड में इस बात का उल्लेख है मन्दिर आवरी माता का सरकार बिला नाम (अश्रव्य) सरकार ने (अश्रव्य) बीघा, 2 बिस्वा जमीन दी है। यह सारी जमीन उसके साथ है। सरकारी जमीन है बिला नाम है इस मन्दिर के। इस सार्वजनिक मन्दिर को आप केवल कुछ व्यक्तियों के हाथों में छोड़ें, उसका दुरुपयोग होता है। जनता का गाढ़ी कमाई के पैसे से कुछ लोग मौज उड़ाते हैं। मैं समझता हूं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में आप एक कमीशन इन्स्टीट्यूट कीजिये और इस बात की जानकारी कीजिये। मेवाड़ के संविधान की प्रति राज्य सरकार के पास नहीं है। लास्ट टाइम आपने फर्माया था तो यह एक वकील से मंगवाई है। आप इस संविधान की स्टडी करवाइये और उसके बाद यह देखिये कि क्या यह मन्दिर सार्वजनिक मन्दिर नहीं है? और क्या अब इसको सार्वजनिक मन्दिर बनाने की आवश्यकता नहीं है? और माननीय उपाध्यक्ष जी, हम आज विधान सभा में समय के अनुसार कानून में तरमीम करते हैं। सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम इतना लचर है कि यदि आप सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम के अन्तर्गत किसी प्रकार का कार्यवाही करते हैं, या कार्यवाही चल रहा है तो लोग उस कार्यवाही के दौरान हा जायदाद को खुर्द बुर्द कर के चले जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस एक्ट में भी इस बात की तरमीम करेंगे या संशोधन लायेंगे कि यदि सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई भी किसी भी ट्रस्ट पर कार्यवाही विचाराधीन हो तो उस समय कोई भी जायदाद खुर्द बुर्द नहीं हो सके। इस बात की सिक्युरिटी लेनी चाहिये। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इतना बड़ा मेवाड़ का सार्वजनिक मंन्दिर जो इतने वर्षों से वहां का गौरव रहा है, जिसके नाम से मेवाड़ के महाराणा मंत्री की हैसियत से राज्य किया करते थे और हमारे मेवाड़ के एकलिंगनाथ जी राजा और उनके दीवान के रूप में वे राज्य करते थे। आज राजा तो वहां ही रह गया और उसके दीवान को प्रिवीपर्स दिया, सब सुविधाएं दी और राजा को उसी तरह से छोड़ दिया और उनका दीवान उनको बरसों से लूटता चला आ रहा है। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में आपको गंभीरता से विचार करना चाहिये और राज्य सरकार को कोई सशक्त कदम

(श्री मनोहर कोठारी)
उठाना चाहिये, इतना ही मान्यवर, मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी !

श्री परसराम मदेरणा : उपाध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने मेरे वक्तव्य पर दो-तीन मुद्दे और उठाये हैं। एक तो यह कि उनको मेरे वक्तव्य से बड़ा भारी असन्तोष हुआ है। और मेरा वक्तव्य निराशापूर्ण था। दूसरा उन्होंने मेवाड़ के कान्स्टीटयुशन का हवाला दिया और साथ ही मेवाड़ के कान्स्टीट्यूशन के शिड्यूल का भी उल्लेख किया। उन्होंने यह बात भी कही कि ऋषभदेव मन्दिर का सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया है। इसलिए जब वह फैसला हो गया है और उसको पब्लिक ट्रस्ट माना गया है तो आप यहां पर पब्लिक ट्रस्ट की कार्यवाही करें। यह प्राइवेट ट्रस्ट नहीं है, यह बात कही है।

मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य जो नाथद्वारा से आते हैं, उनको इसी प्रकार के प्रश्न के सम्बन्ध में 19 अगस्त, 74 को उत्तर दे चुका हूं और मैंने अपने उत्तर के पार्ट 3 में यह स्पष्ट कहा है कि एकलिंगनाथ महादेवजी के मन्दिर में और ऋषभदेवजी के मन्दिर के सम्बन्ध में जो फैक्टस् हैं वे डिफरेन्ट हैं इसलिए उस तरह की कार्यवाही यहां पर नहीं की जा सकता है। 1948 में, उस वक्त में यह मन्दिर महाराणा के प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में था

श्री मनोहर कोठारी : वह निर्णय कहां हैं ?

श्री परसराम मदेरणा : आप सुन लीजिये। जो कुछ भी मैं कह रहा हूं वह किसी दस्तावेज के आधार पर ही कह रहा हूं। सन् 1949 में, 19-12-49 को राजस्थान सरकार ने भी यह आदेश दिया था कि एकलिंगनाथजी के मंदिर और आवरी माता के मन्दिर का प्रबन्ध, इनके पारिवारिक देवता होने के कारण, हिज हाईनेस द्वारा ही किया जायेगा। इसके बाद उन्होंने एक प्राईवेट ट्रस्ट बनाया। जब तक एक प्राईवेट ट्रस्ट है और वहां पर एक ट्रस्ट बनाया हुआ है और उस ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करा दिया गया है, तो यह मन्दिर सार्वजनिक है या नहीं, उस मन्दिर की जो प्रोपर्टी है वह ठीक से सुरक्षित हो रही है या नहीं हो रही है, तो रजिस्ट्रेशन से पूर्व हमारा कोई ज्युरिस्डिकशन इस पर नहीं था कि हम इसकी पड़ताल करें। जैसा कि मैं कह चुका हूं, पब्लिक ट्रस्ट की धारा 18 के अन्तर्गत असिस्टेन्ट कमिश्नर के सामने मामला जेर तजवीज है। यह बात सही हैं कि यह मामला धारा 18 के अन्तर्गत असिस्टेन्ट कमिश्नर के यहां पर चल रहा है। 1971 से चल रहा है। पहले भी चला था जब पब्लिक ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। अब इसकी कमिश्नर के यहां पर अपील हुई है। 71 में इसमें जांच हुई होगी। धारा 18 में जांच हो रही है। जांच में प्रगति हुई है। सरकार की ओर से आदेश दिये गये हैं कि जल्दी से जांच पूरी का जाये और इस मामले का फैसला किया जाये तब तक हम कोई कार्यवाही इस सम्बन्ध में नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनका ट्रस्ट बना हुआ है।

राजस्थान पत्रिका में यह जो बात छपी है और वहां पर जो सहायक गोस्वामी हैं.....

श्री मनोहर कोठारी : सहायक नहीं गोस्वामी हैं।

श्री परसराम मदेरणा : मैं गलत नहीं कह रहा हूं।

श्री मनोहर कोठारी : आपको गलत जानकारी दी गयी है। वे गोस्वामी हैं।

श्री परसराम मदेरणा : जैसी मुझे जानकारी मिली है, वह यह है वे गोस्वामी नहीं हैं, सहायक गोस्वामी हैं। गलत कहने की मेरी आदत नहीं है। मुझे जो इन्फरमेशन कमिश्नर ने दी है, उसी आधार पर कह रहा हूं। तो गोस्वामी को जहर दिया गया या नहीं दिया गया, गोस्वामी ने स्वेच्छा से त्याग-पत्र दिया या नहीं दिया, गोस्वामी से वहां की प्रोपर्टी को हड़प करने का जो षड्यन्त्र चल रहा है, ये सब बातें पत्रिका में आई हैं। जैसी कि मुझे जानकारी मिली है, यह पुलिस के हस्तक्षेप का मामला है। यह एक क्रिमिनल ऑफेन्स है। यह जाहिर है। एफ. आई. आर. इसकी लाज हुई या नहीं इसकी मुझे जानकारी नहीं है परन्तु मुझे ऐसी जानकारी मिली है जिसको मैं अभी वेरीफाई नहीं कर पाया हूं, पुलिस ने इस समाचार का कोग्नीजेन्स लिया है, एक्शन लिया है, यह मुझे पता नहीं है, ऐसी व्यवस्था है। बहुमूल्य आभूषण वहां पर नहीं हैं। वह कहां पर हैं? जैसा कि मैंने आपको अपने स्टेटमेंट में बताया कि 1971 से वह तोशाखाना में पड़े हुए हैं। तब से निकाले नहीं गये हैं क्योंकि वहां पर एक ट्रस्ट बन गया और ट्रस्ट ने यह रिजोल्यूशन पास कर दिया कि वे नहीं निकाले जायं।

जिस कन्डीशन के साथ में उनको किया था तो उनको नोटिस दिया गया था और नोटिस में कहा गया है कि बड़े लम्बे अर्से तक गैरहाजिर रहे हो, उसके साथ में सेवा-पूजा भी नहीं करते हो इसलिए तुम्हारी सर्विसेज को खत्म क्यों न किया जाय। नोटिस उन्होंने दे दिया। यह जानकारी मुझे वहां से मिली। क्योंकि मामला सबजुडिस है और जब तक रजिस्टर्ड न हो जाय पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अन्दर राज्य सरकार उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का ज्युरिस्डिक्शन नहीं रखती है।

अब रहा प्रश्न यह कि पब्लिक ट्रस्ट एक्ट जो है उसमें कुछ कमी है, उसमें संशोधन किया जाना चाहिए। क्योंकि यह स्थिति मन्दिर के रजिस्ट्रर्ड कराने के संबंध में है, जब तक वह रजिस्टर्ड न हो जाय तब तक उस प्रॉपर्टी को उस अर्से में खुर्द-बुर्द कर दी जाय तो इस एक्ट के अन्तर्गत आपको अटेचमेंट के पावर नहीं हैं। यह बात सही है। इस संबंध में यदि कोई आंशिक संशोधन की आवश्यकता होगी इसकी मैं जांच करवा रहा हूं और आवश्यकता होगी तो मैं समझता हूं कि संशोधन किया जायगा।

श्री मनोहर कोठारी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : There is no procedure for further discussions.

विधायी कार्य विधेयक का पुर: स्थापन

राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1976

विधायी कार्य। माननीय वित्त मंत्रीजी !

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1976 को पुर: स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

अनुमति दी गई।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, 1976 का पुर: स्थापित करता हूं।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदनों पर विचार

श्री उपाध्यक्ष : अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदनों पर विचार। माननीय समाज कल्याण मन्त्रीजी !

श्री मोहनलाल छंगाणी (समाज कल्याण मन्त्री) : माननीय उपाध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के आयुक्त की 19वीं रिपोर्ट वर्ष 1969-70 और 20वीं रिपोर्ट 1970-71 जो सदन की मेज पर क्रमश: दिनांक 8 मार्च, 1973 और 15 मार्च, 1975 को रखी गई थी और जहां तक उनका राजस्थान से सम्बन्ध है, पर अग्रेतर विचार किया जाय तथा अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की 21वीं रिपोर्ट वर्ष 1971-72 और 1972-73 जो दिनांक 22 मार्च, 1976 को सदन की मेज पर रखी गई थी और जहां तक उसका राजस्थान से सम्बन्ध है, पर विचार किया जाय।

श्री भीखाभाई : माननीय उपाध्यक्ष ...

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

मैं यह चाहता हूं कि चार बजे तक वाद-विवाद के लिए समय दिया जाय इस रिपोर्ट पर और चार बजे से सरकार की तरफ से उत्तर होगा।

श्री भीखाभाई (सागवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कास्टस और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कमिश्नर की 19वीं, 20वीं और 21वीं रिपोर्ट पर आज विचार किया जा रहा है। जब इस पर विचार करने का सवाल आता है तो अभी तक शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो लोग हैं वह इस बात को महसूस करते हैं कि भारत सरकार के द्वारा इस प्रकार का निर्णय लिया गया है कि रिपोर्ट जो है वह पार्लियामेंट के समक्ष ठीक समय पर प्रस्तुत हों तो उस रिपोर्ट को राज्यों के अन्दर समय पर सर्क्युलेट किया जा सके, और सभी विधान सभाओं में और साथ ही लोक सभा में और राज्य सभा में भी उस

(श्री भीखा भाई)

पर विचार प्रकट करने का अवसर मिल सके, परन्तु हो यह रहा है कि भारत की लोक सभा के अन्दर अभी तक इस प्रकार की जो रिपोर्ट्स हैं कई ड्यू हैं उन पर अभी तक विचार हुआ नहीं है। यहां पर यह बड़ी खुशी की बात है कि माननीय मन्त्री जी ने दो-तीन रिपोर्ट जल्दी जल्दी हमारे सामने रख दीं। समय का अभाव होने के कारण उन पर विचार नहीं हो सका, परन्तु खुशी है कि आज हम लोगों को मौका मिला है।

जहां तक कमिश्नर ऑफ शेडयूल्ड कास्ट्स एण्ड शेडयूल्ड ट्राइब्स का सवाल ..

(म. प. 2.35)

(श्री रघुनाथ विश्नोई, सभापति, पदासीन)

है वह कॉन्स्टीट्यूशनल इन्स्टीट्यूशन है और एक इम्पार्शल इन्स्टीट्यूशन है। और इम्पार्शल इन्स्टीट्यूशन होने के कारण से स्वतः अपने आप में उस रिपोर्ट को उपस्थित करने का उसका अधिकार है, और राज्य सरकारें उसके द्वारा या हरएक उसके अन्दर काम करने वाले आदिवासी विभाग या समाज-कल्याण विभाग या बेकवर्ड क्लासेज डिपार्टमेंट जो भी हों उनकी त्रुटियों के बारे में अपने सुझाव देने का उसके माध्यम से एक अवसर मिलता है।

जहां तक इस रिपोर्ट का सवाल है यह लम्बे अर्से से बराबर चली आ रही है, लेकिन जब हम यह देखते हैं कि रिपोर्ट करने वाले रिपोर्टिंग ऑफिसर वह शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमिशन की आंखें होती हैं वह इस वक्त में नहीं हैं। वह इसलिए नहीं हैं कि जो राज्यों के अन्दर असिस्टेन्ट कमिश्नर्स होते थे उन असिस्टेन्ट कमिश्नर्स की पोस्ट्स एबॉलिश कर दी गई हैं। और इस संबंध में अभी हाल में ही दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके समक्ष यह मामला आया था, और हमने कहा था कि राजस्थान के अन्दर असिस्टेन्ट कमिश्नर की पोस्ट होनी चाहिए।

सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि संविधान के अन्दर एक अधिकार हमारी विधान सभाओं को और लोक सभा का दिया गया है कि वह अपने विचार प्रकट कर सकें। राजस्थान के अन्दर जब पिछड़ी हुई जातियों के बारे में विचार करना चाहते हैं तो इस बात को बताना चाहता हूं कि यहां पर ऐतिहासिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से उस सम्बन्ध के अन्दर जाना पड़ेगा। राजस्थान, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एक इस प्रकार का राज्य है जहां पर छोटे-मोटे रजवाड़े और कई जागीरदार थे उस स्थिति का अगर अंदाजा लगाते हैं तो यहां पर इतनी आजादी और स्वतन्त्रता नहीं थी, और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग हैं या जंगलवासी या जिनको आदिवासी कह सकते हैं उनकी स्थिति कैसी होगी, उसका अन्दाजा स्वयं ही लगाया जा सकता है। तो उस वक्त के लिए हम कह सकते हैं कि फ्यूडल सिस्टम में शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की हालत बहुत खराब थी। शिड्यूल्ड कास्टस के भाई बहनों की हालत यह थी कि उनको जेवर पहनने नहीं दिया जाता था, उनको घोड़े पर बैठने नहीं दिया जाता था, और उन पर कई प्रकार

(श्री भीखा भाई)

के अत्याचार होते रहते थे, और आज भी कई तरह के होते रहे हैं। जहां तक ट्राइब्स का सवाल है, सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि उनकी आर्थिक हालत बहुत ही कमजोर है। ट्राइबल एरिया के हिसाबसे वैसे तो राजस्थान के अन्दर लगभग 31 लाख लाग ट्राइब्स के हैं, परन्तु जो बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ की प्रतापगढ़ तहसील, इधर धरियावद, सलूम्बर, उधर सिरोही का कुछ हिस्सा, किशनगंज, शाहबाद इनके अन्दर जो आदिवासी रहते हैं, खासतौर से सहरिया कहलाने वाले, गरासिया कहलाने वाले, भील कहलाने वाले लोग हैं उनकी हालत बहुत खराब है।

मैं कह सकता हूं कि राजस्थान निर्माण के पश्चात् श्री माणिक्यलाल जी वर्मा जो पहले राजस्थान के प्रधान मन्त्री बने, उस वक्त प्रधान मन्त्री ही कहा जाता था इसलिए मैं प्रधान मन्त्री कह रहा हूं, उन्होंने बहुत जोरों से काम किया और एक शिड्यूड ट्राइब्स डिपार्टमेंट की स्थापना 1948 में हुई, और एक सोशियल कार्यकर्त्ता को जो कि राजनीतिज्ञ नहीं थे उसको कहा गया काम करने के लिए और उनको उस डिपार्टमेंट का ऑफिसर बनाकर रखा और स्कीम बना कर उसका नींव ज्यादा गहरी दी और राजस्थान के समाज-कल्याण विभाग के द्वारा, जो कि पहले बैकवर्ड क्लास डिपार्टमेंट कहलाता था, शुरू के दिनों में जोरों से काम किया गया, और जगह जगह पर शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति का सुधारने के प्रयत्न किये गये। सरकारी समितियों का भी निर्माण किया गया और जगह जगह पर हमारे आदिवासी क्षेत्रों में होस्टल स्थापित हुए, स्कूल्स स्थापित हुए, लड़कियों के लिए होस्टल्स बने। और आज भी हम देखते हैं कि राजस्थान के अन्दर लगभग 300 से ऊपर होस्टल्स काम कर रहे हैं, और कितने शिड्ल्यूड कास्ट्स शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लड़के और लड़कियां शिक्षा प्राप्त करती हैं तो यह मामला है इसकी जांच करनी पड़ेगी, और जांच तभी कर सकते हैं, और जब तक हम उस परिपेक्ष में अन्दाजा नहीं कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि ठीक ढग से वह असेस नहीं हो सकता है। तो मैं एह समझता हूं कि यह ठीक नहीं होगा इसलिए यहां की पृष्ठ भूमि को भी देखना होगा जिसमें उस समय उनकी हालत क्या थी और उसके बाद में किन परिस्थितियों के अन्दर आदिवासियों का विकास और उनके उत्थान के काम शुरू हुए और आज हम देख रहे है कि कई प्रकार के काम उनके उत्थान के लिए किये जा रहे हैं। हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के भाई, हमारे हरिजन भाई और हमारे आदिवासी भाई भी अन्य सदनों में, सदस्य हैं लोक सभा में भी 132 के करीब सदस्य हैं, यहां पर भी कई सदस्य हैं। परन्तु दूसरे सदस्यों के मुकाबल म हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी राजनैतिक स्थिति और हमारी सामाजिक स्थिति में काफी अन्तर है, पहले से फर्क जरूर पड़ा है। लेकिन हमारी आर्थिक स्थिति अभी भी बहुत कमजोर है। सरकार ने इसको ऊंचा उठाने के लिए बहुत कुछ काम किये हैं परन्तु अभी भी बहुत अधिक काम करने की आवश्यकता है। और वह आवश्यकता इसलिए है कि आज हमारे आदिवासी भाई और हरिजन भाई जो भी हैं, वे सब साधा-

(60)

(श्री भीखा भाई)

-जिक असमानता की स्थिति में रह रहे थे तो उससे निकल कर एक प्रजातान्त्रिक युग में आ गये हैं और अब हम उस प्रजातान्त्रिक युग में से निकल कर समाजवादी युग से आना चाहते हैं। तो यह तो निश्चित बात है कि आर्थिक स्थिति के उत्थान के लिये बहुत कुछ किया गया है, लेकिन उसको एक समाजवादी तरीके के अनुरूप बनाया जाना चाहिये जिससे कोई विषमता नहीं रहे और यह तभी सम्भव हो सकता है जबकि सरकार यह प्रयत्न करे कि शिड्यूल्ड कास्टस और ट्राइब्स तथा आदिवासियों के लिये जो तमाम प्रकार के दरवाजें बन्द हैं, आदिवासियों के लिये, हरिजनों के लिये और पिछड़ी हुई जातियों के लिये, इन दरवाजों को खोला जाय। आज हम लोग यह विचार करते हैं कि क्या हम सब लोग समान हो गये हैं। मैं, सभापति महोदय, यह कहना चाहता हूं कि इस सदन में कुल मिला कर 184 सदस्य हैं, उनमें हम देखते हैं कि उनमें से कितने आदमी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति, और सामाजिक स्थिति तथा मानसिक स्थिति उतनी ऊंची उठी हुई है जितनी कि जो दूसरे हमारे साथी हैं। इसलिए इस बात पर भा हमको विचार करना पड़ेगा और मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि वैसे राजस्थान में कई मायनों में राजस्थान सरकार ने कुछ स्टेप्स लिये हैं कि जिनके कारण हम कह सकते हैं कि राजस्थान कई मामलों के अन्दर दूसरे राज्यों के मुकाबले में अग्रणी रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो छात्रवृत्ति मिली, उसमें राजस्थान सरकार ने अतिरिक्त छात्रवृत्ति का निर्माण किया वह कुछ समय तक जारी भी रही लेकिन बाद में एक करोड़ की लायबिलिटी हो जाने से उसको बन्द कर दिया गया फिर भी मैं राज्य सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि उसको फिर से शुरू करने के लिये भारत सरकार से निवेदन किया जाय, भारत सरकार भी इस सम्बन्ध में कोई कानून बनाने जा रही है। परन्तु फिर भी यह जरूरी है कि राजस्थान सरकार को चाहिए कि जो राजस्थान में आदिवासी लोग हैं, उनको एक तरह का अतिरिक्त छात्रवृत्ति दी जाय। राजस्थान सरकार ने यह छात्रवृत्ति दी भी है और उस दृष्टि से भी राजस्थान अन्य राज्यों के मुकाबले अग्रणी है। सभापति महोदय, दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासियों और जो ट्राइब्स के लोग हैं उनको बेरोजगारी का भत्ता भी, मुझे मालूम नहीं कि और किसी राज्य में दिया गया हो, परन्तु मैं यह कह सकता हूं कि राजस्थान इसमें भी अग्रणी रहा है और उसके आंकड़े आपके सामने पेश करना चाहूंगा। लगभग 991 व्यक्तियों को नौकरी दिलाई गई, और 52 लाख रुपये के करीब स्टाईपेन्ड के रूप में प्राप्त हुए हैं और अब तक जो व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं उनकी संख्या है 2,498 स्नातक यह कुल संख्या का 52.26 जाता है जिनको लाभ पहुंचा है। 75-76 के बजट में 16 लाख रुपयों प्रावधान रखा गया था और उनमें से 991 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हो चुका है और उसमें से भी 8 आदमी तो आई. ए. एस. में आ गये है, कुछ आर.ए.एस. और आई.पी.एस. में भी लिये गये हैं। फिर भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग अब भी पिछड़े हुए हैं, काफी संख्या के अन्दर हैं उन पर हमको

(श्री भीखा भाई)

विचार करने की जरूरत है, राज्य सरकार को उनके उत्थान के लिये भी विचार करना चाहिए, उनके लिये भी कुछ किया जाता है तो मैं सरकार का धन्यवाद मानूंगा।

इसके अलावा जैसा कि मैंने अभी कहा कि आदिवासियों और ट्राइब्स के लोगों के उत्थान का कार्य करने के लिए राजस्थान सरकार दो स्टेप्स में आगे रही है, उसी प्रकार से विशेष छात्रवृत्ति भी कुछ लोगों को मिली है, 65 विद्यार्थियों को विशेष तौर पर छात्रवृत्ति दी गई है, उसका प्रावधान रखा है जो कि अन्य राज्यों में नहीं देखा गया है। इसको भी और आगे बढ़ाने की जरूरत है और भारत सरकार के द्वारा जो स्कॉलरशिप फॉर अब्रोड दी जाती है, ऐसा मेरी जानकारी में कहीं नहीं है कि किसी शिड्यूल्ड कास्ट्स या ट्राइब्स के छात्रों को या जो कि पिछड़े इलाके के छात्र हैं उनमें से किसी को भी प्राप्त करने का मौका मिला हो। इसलिए मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस प्रकार की चीज को ऐसी स्कीम को इन्स्टीट्यूट करें, जारी करें जिससे कि कम से कम नमूने के तौर पर तीन-चार लड़कों को ही जो पिछड़ी जातियों के हैं, उनको विदेश भेजा जाय। यह भी ठीक है कि योग्यता रखने वाले हैं उनको तो भेजा ही जा सकता है परन्तु जो योग्यता नहीं रखते हैं, योग्यता के अलावा भी आज यह जरूरी हो गया है कि उनको इस प्रकार की सुविधा दी जानी चाहिये, यह मैं कहना चाहता हूं।

इसके अलावा मुझे जो कहना है वह यह है कि एक चीज और है कि जो सरकार ने सुधार के लिए की है, उत्थान के लिए वह यह है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का जिससे लाभ पहुंचा है, कुए के लिए जो ऋण बैंक से दिया जाता है, उसका भी उनको पैसा मिला है और उससे बहुत से लोगों को लाभ पहुंचा है। यह स्कीम अब भी जारी रखनी चाहिये, इसके लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मुझे जॉब ओरियन्टेड ट्रेनिंग के बारे में भी बहुत कुछ कहना है कि आज हमने कुछ शिक्षक, अण्डर मैट्रिक, मैट्रिक्यूलेट हैं, मिडिल हैं वह लोग जब शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के एरिया में जाते है जो कि बहुत दूर इन्टीरीयर में होता है, उन लोगों को जब किसी प्रकार की छात्रवृत्ति नहीं मिलती है या नौकरी नहीं मिलती है तब उनको बहुत दुःख होता है और वे बेचारे रोजगार के लिए मारे-मारे फिरते रहते हैं। परिणाम यह होता है कि उनका कोई आगे बढ़ने का या पढ़ने का कोई मौका नहीं मिलता, इसके लिए भी कुछ कार्य किया जाना चाहिये। इसके लिए मैं चाहता हूं कि जॉब ओरियन्टेशन ट्रेनिंग होनी चाहिये, आई. टी. आई. खोले जाने चाहियें ताकि शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग उसका फायदा उठा सकते हैं, जो बहुत ही गरीब लोग हैं, जो भील हैं, हरिजन हैं, पिछड़े हुये हैं और एक्स्ट्रीमली पूअर हैं। आपने राजस्थान पत्रिका में भी देखा होगा, कपूरचन्द्र जी कुलिश रोज लिख रहे हैं, यह बिल्कुल सही बात है। परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि शिड्यूल्ड एरिया में भीलों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा

(श्री भीखा भाई)

में, उदयपुर की आदिवासी तहसीलों में, एक्स्ट्रीमली पूअर लोग हैं, बैकवर्ड हैं आर्थिक दृष्टि से। समझ में नहीं आता है कि आने वाले वर्षों में डूंगरपुर की क्या हालत होगी। मुख्यमन्त्री जी ने भी आदिवासियों की गरीबी के बारे में कई बार कहा है, अखबारों में भी आया है। आपने भी देखा होगा। अखबार से आप अन्दाजा लगायें कि यहां कितनी गरीबी है। वहां पहाड़ ही पहाड़ हैं। इस कारण खेती की जमीन बहुत कम है, लैंड होल्डिंग बहुत कम है। इस स्थिति में डूंगरपुर जिले का क्या भविष्य होगा, आने वाले तीस-चालीस साल में-इसका अन्दाज नहीं लगा सकते हैं। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं, वहां माइन्स हैं, माइन्स का इण्डस्ट्री वहां हो सकती है। फोरेस्ट भी आज है नहीं। अगर फोरेस्ट को ग्रो करें तो फोरेस्ट हो जाए। आदिवासियों की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि उनके पास जमीन है ही नहीं। इसलिए वनों में जो जमीन है, वह लीज पर, लोंग लीज पर आदिवासियों को देनी चाहिये और उसके साथ में यह शर्त लगा देनी चाहिये कि इस जमीन में पेड़ लगा सकते हैं, वन लगा सकते हैं वह पेड़ लगा लें। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर में पहले राजाओं के समय में यह नियम था कि कोई आदमी दरख्त लगायेगा तो वह चाहे सरकार की जमीन पर लगाये वह उसका हो जायेगा। इसलिए आपको आज निश्चय करना पड़ेगा, जहां दूसरे जिलों में वन प्रतिबन्धित हैं, इस जिले में अमेण्डमेन्ट करके यह करने की जरूरत है। मैं निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार से और मुख्य मन्त्री जी से—यह जंगल है इनका विकास करने की जरूरत है।

जहां तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा के मामले में डूंगरपुर जिला ठीक है! मैंने कहा कि इन्सेन्टिव है लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। जो पढ़े-लिखे लड़के-लड़कियां हैं वह नौकरी के मारे-मारे फिरते हैं। इसलिए वहां पर औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलना चाहिये और जो धन्धे हैं उनको वहां पर शुरू करने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये। माइनिंग की लीज देनी चाहिये। इण्डस्ट्री के लिए लोगों को इन्सेन्टिव देना चाहिये। छोटे धन्धे करने के लिए औद्योगिक केन्द्र की व्यवस्था करनी चाहिये। मैसूर में कानून बना है, स्माल स्केल इण्डस्ट्री हैं, उनको खोलने के लिए। उस प्रकार की व्यवस्था यहां की जानी चाहिये और उनको फायदा पहुंचाना चाहिये ताकि यह लोग काम कर सकें। यह निवेदन इसलिए कर रहा था कि यह लोग बहुत गरीब हैं। आज तरक्की की जो स्थिति है, उसको देखते हुये आने वाले चालीस साल में क्या स्थिति होगी—यह भविष्य ही बता सकता है कि वहां की आर्थिक स्थिति क्या होगी।

एम्प्लायमेन्ट की बात का सवाल है तो वहां पर ऐसा इण्डस्ट्री हों, इस प्रकार के काम हों जहां पर लोगों को एम्प्लॉयमेन्ट मिल सके। सर्विसेज के बारे में कहूंगा कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर आदिवासी क्षेत्र हैं जहां 74 पर्सेन्ट से 85 पर्सेन्ट जनसंख्या है। उस क्षेत्र के लिए मैं कहूं, उसके पहले में राज्य सरकार को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता

(श्री भीखा भाई)

हूं कि उसने जनसंख्या के आधार पर कुल मिला कर 16 और 12 पर्सेन्ट, कुल 28 पर्सेन्ट सर्विसेज के लिए रिजर्वेशन कर दिया है। यह भी सही है कि पदोन्नति के अन्दर आरक्षण कर दिया है। यह खुशी की बात है। मेरा यह भी निवेदन है कि हमारे मुख्य मंत्री जी और स्पीकर साहब ने मिल कर यहां पर दो कमेटी बनाई आदिवासी की जनसंख्या को देख कर, अनूसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की। कई जगह भारत के अन्दर ऐसी कमेटी हैं, 11 राज्यों के अन्दर इस प्रकार की कमेटी हैं लेकिन राजस्थान में एक प्रकार से उनको बाय-फरकेट करके एक उदाहरण स्थापित किया है। आदिवासियों के वेलफेयर का सवाल है उसके लिए अलग कमेटा है। मेरा निवेदन है कि जो विकास के काम हैं, 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के काम हैं, जो योजना है, प्लान है उसको देखने के लिए कमेटी बननी चाहिए, अलग अलग कमेटी बननी चाहिए। समय को देखते हुए जो यहां पर दो कमेटी बनाई उसके लिए मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न अखिल भारतीय स्तर पर भी उठना चाहिए। सारे राज्यों में इस प्रकार की कमेटी बनें ताकि हमारी प्रधान मंत्री जी, इन्दिरा गांधी ने देश को नई दिशा दी है, उसमें आदिवासी क्षेत्र में विकास के कार्य करने की, चहुंमुखी विकास के कार्य करने की आवश्यकता है। और इस कार्य को करने के लिए इस कमेटी की अत्यन्त आवश्यकता हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की कमेटी द्वारा बहुत कुछ काम स्पेशल अटेंशन देकर किये जा सकते हैं। आदिवासी प्रॉब्लम पर यह कमेटी ध्यान देता है। इसलिए मैं चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से भी इसको बल मिलना चाहिए ताकि दूसरी जगह भी इस प्रकार की कमेटियों का निर्माण हो सके।

सभापति महोदय, शिक्षा के बारे में मुझे यह कहना है, मैंने यह कहा कि डूंगरपुर जिले में देखते हैं कि कुछ पढ़े-लिखे भाई हैं। हम यह कहेंगे कि भाई गौरीशंकर उपाध्याय, भोगीलाल पाण्ड्या और हरिदेव जोशी इन्होंने वहां स्कूल खोलने का काम किया—और अच्छा काम किया। इसलिए ही हम आज आगे हैं अगर किन्हीं को जलन होती हो तो वह बात दूसरी है। यहां यह भी प्रश्न उठता है कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मेवाड़ में ज्यादा खर्च किया गया है। कितना खर्चा किया गया है यह तथ्यों के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है। मेरा निवेदन है कि शिक्षा के आंकड़े निकाले जायं कि शिक्षा में कितना खर्चा हुआ है, कितने शिक्षित हैं और उनकी आर्थिक स्थिति देखी जाय। मैं चाहता हूं कि आप चाहें तो सर्वे कर लें। अप्रेल का महीना शुरू हुआ है अप्रेल के बाद मई और जून के महीने में जो कोई स्थान आपको अच्छा लगे, वहां माननीय सदस्य या समिति जाकर देख ले। अगर यह मालूम पड़ जाय कि किसी के पास दो महीने या एक महीने के लिए खाने को भी है, आठ दिन के लिए भी खाने को है तो बहुत बड़ा काम हुआ माना जा सकता है। मैं मानता हूं, कुछ लोगों की हालत अच्छी हो सकती है। कुछ प्रतिष्ठित हो सकते हैं। लेकिन मैं मेजोरिटी मास के लिए कहता हूं। अगर मास का सुधार नहीं होता है, तो मैं समझता हूं कि कुछ लोगों

(श्री भीखा भाई)

की स्थिति से सबकी स्थिति का अन्दाज लगाना ठीक नहीं है।

सभापति महोदय, एक बात योजना के बारे में कहनी है। योजना के सम्बन्ध में भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, आपके माध्यम से, इस सदन के माध्यम से कि जब योजना बनी थी उस वक्त काफ़ी बड़ी योजना बनी थी और सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम में ग्रान्ट हमको 83 करोड़ आने वाली थी और लगभग 150 करोड़ की योजना बनाई गई थी। लेकिन वह योजना खत्म होते होते दूसरी दुबारा योजना बनाई उसमें 28 करोड़ का प्रावधान सेन्ट्रल स्पोन्सर्ड स्कीम में किया। तीसरी योजना बनाने लगे, राज्य सरकार के द्वारा जो अभी हाल में निकली है, उसमें कुल मिला कर 65 करोड़ की योजना बनाई गई। इसके अन्दर सेन्ट्रल असिस्टेन्स हैं 18 समथिंग। मैं निवेदन कर रहा था कि अगर भारत सरकार हमको 18 करोड़ रुपया भी न दे और 9 करोड़ रुपया देने की बात करे तो हमारा काम नहीं चल सकता। मैं यह बात निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपको आदिवासियों की हालत सुधारनी है तो पर केपिटा एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा। आप हिसाब लगा कर देखें तो टोटल पापूलेशन सब-प्लान एरिया में 21.10 लाख है, इसमें शिड्यूल्ड ट्राइब्स की पापूलेशन है 13.67 लाख और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का पापूलेशन का पर्सेन्टेज है। 64.79 टोटल सब-प्लान आउट ले में 27.91 करोड़ स्टेट का है, डी. पी. ए. पी. आउट ले 9.32 करोड़ का है, स्पेशल सेन्ट्रल असिस्टेन्स आउट ले 18.18 करोड़ का है और 18.18 करोड़ अगर वह नहीं दे सकें तो 9 करोड़ रुपये देने का बात भारत सरकार करेगी। इस प्रकार जो योजना बनाई है उसमें न फिजिकल टार्जेट अचीव कर सकते हैं, न फाईनेन्शियल टार्जेट अचीव कर सकते हैं जो स्पेशल सेन्ट्रल असिस्टेन्स है उसमें 18.18 करोड़ हैं और सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम में 5.11 करोड़ रह गए। तो यह ठीक नहीं है। मैं समझता हूं आदिवासी क्षेत्रों में भारत सरकार की जिम्मेदारी है इन जातियों की। शिड्यूल में बिल्कुल साफ है यह जिम्मेदारी भारत सरकार और राजस्थान सरकार की है। इसलिए मैं भारत सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आदिवासियों का विकास करना है, शिड्यूल्ड एरियाज का विकास करना है, तो कोई योजना नहीं बनाई गई है। सब-प्लान में डेवलपमेंट करना है तो हमें अधिक से अधिक धनराशि सेन्ट्रल असिस्टेन्स के रूप में दें और इतना ही नहीं मैं कहूंगा कि अगर जनसंख्या के आधार पर पैसे का एलॉटमेंट करते हैं तो अन्याय होगा। बैकवर्ड आदमी को भी वही दें और दूसरों को भी बराबर दें तो यह गलत है। सभापति महोदय, यदि आदिवासी और नॉन-आदिवासी, आदिवासी क्षेत्र और नॉन-आदिवासी क्षेत्र में जो असमानता है, उसको पाटना है, तो इस बात के प्रयत्न किए जाएं। साथ ही साथ उनके विकास के लिए और रुपया दिया जाना चाहिए तभी सम्भव हो सकता है कि सेन्ट्रली स्पोन्सर्ड स्कीम हाथ में ली जा सके।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

यहां रिपोर्ट में रिकमेन्डेशन्स की गई हैं 18, 19 व 20। इसमें कई जगह पर राजस्थान सरकार की तारीफ की गई है। कई जगह कहा गया है कि इनको इस प्रकार का काम देना चाहिए।

(श्री भीखाभाई)

आंध्रप्रदेश के लिए आश्रम स्कूलों का उल्लेख किया गया है कि वहां 187 ऐसे आश्रमों में 10,150 लड़कों का संख्या है। हमारे राज्य में प्राइमरी स्कूल और मिडिल स्कूलों के बीच में ऐसे आश्रम स्कूल खुलें। इस रिपोर्ट में राजस्थान में 6 आश्रम स्कूल बताए हैं जिनमें 150 लड़के हैं। इन जातियों की प्रोग्रेस को यथावत् रखने के लिए जरूरी है कि और आश्रम स्कूल खोले जायं। इसके लिए केन्द्रीय सरकार उसका प्रावधान करे और शिक्षा विभाग उसके लिए कोशिश करे।

इसमें 18, 19 व 20 के अन्दर जो सिफारिशें राज्य सरकार द्वारा पूरी करनी हैं, मैं आशा करता हूं कि मंत्रीजी आश्वासन देंगे और उनको पूर्ण करने की कोशिश करेंगे।

श्री सभापति : श्री शंकरसिंह रावत।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद): सभापति महोदय, 1971-72 की रिपोर्ट जो पेश हुई है, उस पर बोलने से पहले निवेदन करना है कि वैसे तो देश में सबसे पहले माहत्मा गांधी ने इन जातियों के उत्थान के लिए अभियान शुरू किया था और आज भी उनका संदेश पूरा करने के लिए काफी प्रयास किये जा रहे हैं। राज्य सरकार भी इस ओर अधिक ध्यान दे रही है। भू-खंड आवंटन, बेगार प्रथा समाप्त करना, ये काफी सराहनीय कार्य हैं। दूसरे राज्यों के आंकड़े देखने से प्रतीत होता है कि राजस्थान भी कम नहीं है और अग्रसर है। अगर आज पिछड़े वर्ग की तरफ देखें, मान लीजिये कोई ग्रेजूएट है उसको 250) रु. दिया, यह सभी को प्राप्त नहीं है। काफी संख्या में अनुसूचित जाति व जन जाति के लोग हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ज्यादा प्रयास हुआ, कई योजनायें बनती हैं लेकिन इस ओर खासतौर से ध्यान दिया जाए। किसी पिछड़े हुए इलाके में, अगर उसको आगे लाकर बराबर समानता लानी है तो उससे देश का भला हो सकता है।

पंचायत राज संस्थाओं में राज्य सरकार के नियम से पिछड़े वर्गों का इन संस्थाओं में न आने से इनके लिए स्थान सुरक्षित रखे गए और इस तरह से इन जातियों के प्रतिनिधि ऐसी संस्थाओं पर आ सके। लेकिन यह भी मेरी मान्यता है कि भीखाभाई जैसे मंत्री बन गए तो कोई इससे अनुसूचित जाति व जन जाति का सुधार नहीं हुआ......

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : मुन्शीलाल ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर रखी है।

श्री शंकरसिंह रावत : अभी फल मिला है। जब दूसरों के लिए भी करें तब मानें। भू-खंड एलॉट करते समय मन्शा रहती है कि इन जातियों के लिए समझते हैं कि इनका खेती करने का कार्य नहीं है, इनका कार्य है बेगार प्रथा या सागड़ी प्रथा। इसके लिए कानून बना। जैसा कि रिपोर्ट में है सागड़ी प्रथा कानून 1961 में निकाला लेकिन 1971-72 तक एक मामला भी दर्ज नहीं हुआ। यह तो 20 सूत्री कार्यक्रम के दबाव के कारण हाल ही में सब कुछ हुआ है। यह 20 सूत्री कार्यक्रम की देन है। तो उस संबंध में राज्य सरकार को सोचना चाहिए था। जब कानून बना तो अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए था।

(श्री शंकरसिंह रावत)
आज भी सागड़ी प्रथा की रिपोर्ट्स आई हैं और 20 सूत्री कार्यक्रम के हमारे आंकड़े होते हैं कि कहां कहां सागड़ी प्रथा में लिप्त इन जाति के लोगों को मुक्त कराया, अगर यह प्रगति विवरण राजस्थान के स्तर पर होता तो हमारा अधिक ध्यान जाता, तो हम समझते कि राज्य सरकार ने भी प्रयास किया है। भूमि खंडों के भी राज्य सरकार के पास जिलावाइज आंकड़े होने चाहिए कि इतने एकड़ भूमि एलॉट हो रही है। 50 प्रतिशत या 25 प्रतिशत इन जातियों के लिए सुरक्षित रह गया। तो उसमें प्राथमिकता के आधार पर एलॉट करते। नारा तो आप लगाते हैं कि पहले शिड्यूल्ड कास्ट्स को देंगे, उनके लिए प्राथमिकता है तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि उतनी भूमि सुरक्षित रखनी चाहिए ताकि आवंटन करने में दिक्कत न हो। आज कई जगह भू-खंड दे दिए लेकिन ऐसा है कि जहाँ बड़े लोगों के कब्जे हैं वहां गरीब नहीं जा सकते। कई जगह इन जातियों को भूमि दी गई, पट्टा भी है लेकिन जमीन कब्जे में नहीं है, मालगुजारी वसूल की जा रही है। मैंने जिलाधीश को लिखा, उन्होंने कहा नम्बर और खसरा बता दो, उसके बाद भी आज की तारीख में उनसे मालगुजारी वसूल की जा रही है। मौके पर राजस्व विभाग के अधिकारी जाकर देखें कि जिनको लैंड एलॉटमेंट हुआ है उनके पट्टे उनको मिले हैं या नहीं।

पर, सभापति महोदय, मैं आपसे स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी जाकर मौके पर नहीं देखता है। इसलिये मेरा निवेदन है कि राज्य सरकार इस ओर विशेषतौर से ध्यान दे। इसके अलावा एक मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में ऐसी जगह है जहां पर 1,500 शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब के लोग हैं उनकी भी हालत यही है। वहां पर त्राहि-त्राहि मची हुई है। आखिर आपकी यह क्या व्यवस्था है? कोई प्रबन्ध नहीं है। आप कहते हैं कि हमने सीलिंग के अन्तर्गत जमीनें ली हैं लेकिन आपके पास सही आंकड़े नहीं हैं कि कितनी जमीन आपके पास भूमिहीनों को देने के लिये है, आप कितनी बांट सकेंगे, वह जमीन कैसी है। क्योंकि अच्छी जमीनें तो मैं समझता हूं कि पहले ही आपके हाथ से निकल गई हैं अब तो ऐसी जमीन होगी जहां पर खेती भी मुश्किल से हो सकेगी। इसी प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को कन्सेशन्स देने के बारे में कहा है लेकिन मैं समझता हूं आपके पास उसके लिये यहां पर आंकड़े देने को नहीं होंगे। कितने उद्योग आपने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को आपने लोन देकर लगवाये? कितनों को आपने इनको आगे लाने का कोशिश की? आज इन अनुसूचित जन जाति और अनुसूचित जाति के लोगों को कहीं पर भी अग्रिम नहीं दिया गया है। आपके समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को चाहिये कि राज्य सरकार के आदेशों की पालना हो रही है या नहीं उसका पता लगायें। नहीं तो आप आज पब्लिसिटी तो इतनी कर रहे हैं कि हमने इतनी फेसीलिटीज अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को दी है पर वास्तविक स्थिति क्या है इसके आंकड़े हमारे पास नहीं हैं।

(श्री शंकरसिंह रावत)

इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के जो छात्रावास हैं उनकी बहुत ही गति खराब है। समाज कल्याण विभाग को लिखते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती बहुतसी शिकायतें इस बारे में आई हैं। और ज्यादा लिखा पढ़ी करते हैं तो यह कह दिया जाता है कि बजट में कमी है तो इसके लिये पहले राज्य सरकार ध्यान क्यों नहीं रखती ? इसके अलावा कभी बजट सैंक्शन होता भी है तो भी पूरा साल निकल जाता है तब तक तो काम होता नहीं है और जब चार-पांच रोज 31 मार्च में घटते हैं तब सेंक्शन भेजी जाती है और फिर अपने अपने लागों को टेण्डर देते हैं और फिर उसमें काफी भ्रष्टाचार होता है। इसलिये इसकी जांच होनी चाहिये। इसके अलावा आपको इन अनुसूचित जाति के लोगों की आर्थिक हालत सुधारने के लिये पूरा प्रयत्न करना चाहिये उनमें आज बेरोजगारी फैली हुई है। उनके खाने के लाले पड़े हुए हैं। मैं खासतौर से आपको उदयपुर डिवीजन की बात बता रहा हूं। मैं खुद गया था वहां पर। मैंने उनकी हालत देखी कि बहुत ही खराब है वह लोग घुमक्कड़ों की हालत में हैं। आप जो 15-20 रुपया इनको छात्रावासों के लिये देते हैं, वह इनके बच्चों के पास नहीं जाकर वहां के जो छात्रावास के सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं वह खुद ही हजम कर जाते हैं। ऐसी रिपोर्ट देखने में आयी। आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को आगे लाने की बातें करते हैं पर वहां उनकी हालत खराब हो रही है। इसलिये मेरा समाज कल्याण मन्त्रीजी से निवेदन है कि इस ओर समुचित कार्यवाही करें। इसके अलावा आपने कानून बनाकर सहकारी समितियों में और सहकारी बैंकों में इनके लिये मेम्बरशिप में रिजर्वेशन किया है पर कानून बन गया है लेकिन कहीं भी उनको रिजर्वेशन इन बैंकों में और सहकारी समितियों में नहीं मिल रहा है। आदिवासी क्षेत्र में लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। सिर्फ मैं तो कहूंगा कि धोखामात्र है। आपने इनको आदिवासी क्षेत्र में ठेके देने की बात कही है तो वहां पर भी ठेकेदार ही ठेका ले रहे हैं और यह लोग वहां पर मजदूरी ही कर रहे हैं। आपने बेगार कानून बना तो दिया लेकिन आज भी उन लोगों को वही हालत में रहना पड़ रहा है। इसमें अभी भी सुधार करने की आवश्यकता है। आज हमारे पास जो यह शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के कमिश्नर की रिपोर्ट हमारे सामने है इसमें और भी स्टेटों की रिपोर्ट है लेकिन यह अगर रिपोर्ट हमारे पास पहले आती और माननीय सदस्यों को मिल जाती, उसके ऊपर डिस्कशन होता तो इसमें और अधिक प्रगति होती। यह सही है कि इसमें जो दूसरी स्टेटों के आंकड़े दिये हैं। उनसे अपने यहां आंकड़े देखने को अच्छे मिले हों लेकिन मेरा समाज कल्याण मन्त्री जी से यह निवेदन है कि इस प्रगति रिपोर्ट में जो आंकड़े दिये हुए हैं उसके अनुसार प्रगति हो रही है या नहीं इस ओर सर्वे समाज कल्याण विभाग द्वारा कराया जाना चाहिये और बाद में उसके अनुसार कार्यवाही की जानी चाहिये। नहीं तो मैं समझता हूं कि हमारे यहां के गरीब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति

Page No.68

(68)

(श्री शंकरसिंह रावत)

के लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। सभापति महोदय, यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भले के लिये सबसे पहले हमारे देश के पूज्य नेता श्री महात्मा गान्धी का ध्यान गया और उन्होंने इन पिछड़े हुए लोगों को ऊपर उठाने के लिये दृढ़ संकल्प किया। उन्होंने कहा कि जो लोग मैला करते हैं उनसे तो नफरत लोग नहीं करते हैं प्यार करते हैं लेकिन जो लोग मैला साफ करते हैं उनसे लोग नफरत करते हैं यह कैसी विडम्बना है। इसलिये जो मैला साफ करते हैं उनसे नफरत नहीं करके उन्हें ऊपर लाना चाहिये। इधर हमारे देश की प्रधान मन्त्री ने 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत इनको आगे लाने के लिये आर्थिक कार्यक्रम बनाया है उसका सही ढंग में क्रियान्वयन किया गया तो जरूर उनको लाभ होगा। प्रगति रिपोर्ट में आप चाहे दूसरे प्रान्तों से अग्रसर हैं लेकिन यह रिपोर्ट सन् 1961 से लेकर जबकि यह कमेटी बनी उसके बाद में सन् 1971-72 तक यह रिपार्ट आती रही पर इसकी रिपोर्ट पर सदन में कोई बहस नहीं हुई। यह तो हमारे देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम दिया तो उसके अन्तर्गत उसको सफल बनाने के लिये इसमें कितनी प्रगति हुई है राज्य सरकार को इस पर विचार करना पड़ा। सभापति महोदय, इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रगति रिपोर्ट पर हमें स्टडी करके इसकी कमियों को किस प्रकार पूरी करें हमें समाज कल्याण विभाग द्वारा उन कमियों को दूर कराया जाना चाहिये।

श्री सभापति : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : सभापति महोदय, काफी प्रतीक्षा के बाद भारत सरकार की तीन रिपोर्ट—अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के आयुक्त की—इस सदन में एक साथ डिस्कशन हेतु प्रस्तुत की जा रही हैं। सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के आयुक्त की 19, 20, 21वीं रिपोर्ट में आज जो हमने नया दृष्टिकोण अपनाया है और हमारे देश में घेराबन्दी करके हमारे देश के प्रतिक्रियावादियों ने किस तरह की कार्यवाही की उसके बारे में असन्तोष व्यक्त किया गया है। सभापति महोदय, हमारे देश में प्रतिक्रियावादियों ने जो साम्प्रदायिकता फैलाने की कोशिश की है उसके लिये हमारा परम कर्त्तव्य हो जाता है कि हम एक ऐसे तबके को जो कि बहुत पिछड़े हैं उनको आगे लायें। और जो साम्प्रदायिक तत्व हैं उन्हें नष्ट कर दिया जाय। और प्रजातान्त्रिक आधार पर निष्पक्ष होकर इस रिपोर्ट पर वाद-विवाद करें। चूंकि यह रिपोर्ट बहुत अर्से बाद सदन में प्रस्तुत हुई इसलिये मैं इसका स्वागत नहीं करता। लेकिन देर आयद दुरुस्त आयद। आज यह रिपोर्ट सदन में डिसकस की जा रही है। सभापति महोदय, आपातकालीन स्थिति के दौरान हमारे देश में कुछ मजबूती के कदम उठाये गये हैं। और हमारे राज्य में भी कुछ मजबूत कदम उठाये हैं। और इसके अन्तर्गत इन पिछड़े वर्ग के लोगों की आर्थिक हालत, सामाजिक हालत सुधारने के लिये एक नया आर्थिक कार्यक्रम—20 सूत्री-कार्यक्रम हमारे सामने रखा गया है। आज राजस्थान की आबादी की अनुसूचित जाति की जनसंख्या 40.36 लाख और

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

अनुसूचित जन जाति की आबादी 31.39 लाख है। और इस प्रकार करीबन 80.49 लाख लोग शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब के राजस्थान में आते हैं। और अगर लघु कृषक, सीमान्त कृषक लें तो उनमें अधिकतर जो 7,11,388 हैं, हरिजन और आदिवासी लोगों का उसमें समावेश करते हैं। हमने कर्ज के अन्दर मोरेटॉरियम आॅफ डेट एक्ट लागू किया लिक्वीडेशन आॅफ डेट के सम्बन्ध में एक्ट बनाया, मनीलेन्डर्स पर रोक लगायी और भारत सरकार का कानून बोन्डेड लेबर के सम्बन्ध में लागू किया। इन सब कानूनों का इम्पेक्ट और हमारे टिनेन्सी एक्ट की धारा 42 43 में जो प्रावधान हैं उनको इम्पलीमेन्ट करने के लिए सख्ती से कदम उठाये।

सभापति महोदय, हमने मोरेटोरियम आॅफ डेट एक्ट और लिक्वीडेशन आॅफ डेट एक्ट के कानूनों को लागू किया उस समय हमारी पार्टी ने इस बात पर जोर दिया था कि लघु कृषक और सीमान्त कृषक के लिये जो आपने प्रावधान रखे हैं और जिस पर मारेटोरियम आॅफ डेट एक्ट लागू कर रहे हैं उनके पास .66 हैक्टीयर भूमि है और सीमान्तक कृषक के पास .33 है जिस पर आप लिक्वीडेशन आॅफ डेट एक्ट लागू कर रहे हैं। सारे राजस्थान के आंकड़े यदि मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं तो 48 लाख जोतें ऐसी हैं जो .5 हैक्टीयर्स को जोतते हैं, इससे भी अधिक 69 लाख जोतें ऐसी हैं जो 1 और 2 हैक्टीयर के बीच में हैं। इसीलिये मेरी पार्टी ने यह कहा था कि कम से कम सीमान्त कृषक पॉइन्ट पर अधिक सीमा लागू करें ताकि सारे देश के आदिवासी और हरिजनों का इसमें समावेश हो जाय।

सभापति महोदय, उन सब कानूनों के अन्दर जो सबसे शिथिल तबका है वह कॉन्ट्रेक्ट लेबर है। राजस्थान यह गिना सकता है कि हमने 42।। हजार फेमीलिज को जमीन आवंटित कर दी। यह कहा जा सकता है कि नवम्बर, 1975 तक 6 हजार फेमीलीज का राजस्थान कैनाल में धरती अलॉट कर दी। 50 पर्सेन्ट हरिजनों को राजस्थान कैनाल पर धरती अलॉट कर दी। जो बोन्डेड लेबर और लिक्वीडेशन आॅफ डेट के बारे में कदम उठाये गये हैं उनकी रिपोर्ट निराशाजनक है। राजस्थान में फरवरी के अन्त तक कुल मामले बोण्डेड लेबर के बनाये वे 335 हैं और इसमें से केवल 133 लोगों का चालान किया और, सभापति महोदय, इस रिपोर्ट में समाविष्ट है कि राजस्थान सरकार ने जहां विभिन्न राज्यों में हरिजनों के लिये सैल बनाने के लिये प्रश्न उठा तो राजस्थान ने कहा कि 71 में ही गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में सैल बना दिया और पिछले वर्षों में मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की कि उन्होंने भी एक प्रकोष्ठ, सैल आदिवासी और हरिजनों के लिये अपने चेम्बर में कायम किया है। उस प्रकोष्ठ में केवल 550 मामले आये जिनमें से 250 से अधिक मामले निपटाये नहीं गये। इसी प्रकार से लिक्विडेशन आॅफ डेट की स्थिति भी देखें और मनीलेंडर्स की स्थिति भी देखें तो यह रिपोर्ट जो आपके सामने है "रिपोर्ट आॅन दी स्टडी टीम आेन इन्स्टीट्यूशन्स इन राजस्थान"। यह अलार्मिंग फिगर्स देती है। आदिवासी कर्जदार हैं। एवरेज जो कर्जा है, 4 आदिवासियों के मुक्त जिले हैं और 22 ब्लॉक्स हैं जिनका सर्वे समिति ने किया है, जिसमें माननीय राजस्व मंत्री जी, माननीय गुलाबसिंहजी,

Page No.70

(70)

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

माननीय सदस्य शोभारामजी भी हैं, उनके प्रयत्नों की सराहना करता हूं, लेकिन इसमे यह दिया हुआ है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं "the amount of loan due to money-lenders reaches between two to three thousands." और इसके साथ साथ ही The rate of interest is exhorbitantly ranges from 36% to 130%

यह सारा का सारा इन्ट्रेस्ट, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट और अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का इन्ट्रेस्ट जितने भी हैं वे आदिवासियों और हरिजनों पर हैं और हम आराम से कह सकते हैं कि वे कर्ज के सागर में डूबे हुए हैं।

(1. 25. म. प.)

(श्री मीठालाल मीणा, सभापति, पदासीन)

और इसी प्रकार से क्रेडिट सोसाइटीज का फंक्शनिंग देखें तो आदिवासी क्षेत्र में पहले से ही बहुत कमजोर रही है। केवल फोरेस्ट कॉन्ट्रेक्ट सोसाइटीज होती हैं, Out of 40 societies as many as 33 about 82% were dormant. ऑलरेडी 80 पर्सेन्ट गवर्नमेंट की हैं और अब स्थिति यह हो गयी है नेशनेलाईजेशन ऑफ फोरेस्ट के बाद कि 511 सोसाइटीज को कॉन्ट्रेक्ट दिलवाये और 8 हजार आदिवासी इसमें काम करते थे, यह कहीं नोट नहीं है इसमें कि उनके सम्बन्ध में क्या कुछ किया गया।

सभापति महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि चाहे आर्थिक स्थिति का प्रश्न हो, चाहे सामाजिक स्थिति का प्रश्न हो, चाहे शिक्षा का प्रश्न हो, चाहे हरिजनों और आदिवासियों के क्षेत्र में ब्लॉक के फंक्शनिंग का प्रश्न हो, चाहे हरिजनों के यहां बिजली पहुंचाने और सामाजिक अत्याचारों से उनको मुक्त कराने का प्रश्न हो और चाहे भूपतियों के अत्याचारों से पीड़ित हरिजनों को राहत पहुंचाने का प्रश्न हो, आज भी सामन्ती अवशेष प्रचण्ड हैं, चाहे आसपुर तहसील का भील कांवलिया को आज भी ठाकुर पृथ्वीसिंह ने चौक में कूट-कूट कर बेरहमी से मारा हो, चाहे कंवरसिह वाला में बसने वाला हरिजन हो जिसको ऊंटावाली जेल और सरदारपुर के बीच में धरती के अलॉटमेन्ट के सम्बन्ध में प्रेमनाथ थानेदार औंधा लटका कर छः-छः दिन तक कूटता रहा हो, 'कब्जा लेने जाना' कहते हुए, चाहे पीपलदा के 100 आदमियों का परिवार हो। राजस्व मंत्री जी आदेश दे देते हैं कि धरती का कब्जा ले लो और तहसीलदार ठोकरें मार मार कर निकाल दे। चाहे आदिवासी हों, हरिजन हों भयंकर अत्याचारों से पीड़ित हैं। चाहे चूरू में आज भी तख्तसिंह नाम का गुण्डा, पचास-पचास आदमी पानी भरते हैं कुए पर वहां पर हरिजनों को कुए पर नहीं चढ़ने दे। और भयंकर अत्याचार किया गया। एक नहीं अनेकों मिसालें मैंने सदन में प्रस्तुत की हैं। विशिष्ट वर्ग आज भी सारे सिस्टम्स को स्ट्रीमलाइन कर रहा है। 20 सूत्री कार्यक्रम में से 6 सूत्र गांवों से ताल्लुक रखते हैं, पीड़ित लोगों से ताल्लुक रखते हैं। ब्यूरोक्रेसी और आज के विशिष्ट लोग पूरी तरह एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। आज भी खेद के साथ कहना पड़ता है, सभापति

Page No.71

(71)

(श्री योगेन्द्र नाथ हाण्डा)

महोदय, यदि पेय जल की स्थिति को इस रिपोर्ट के मुताबिक देखेंगे कि पेयजल की कितनी उपलब्धि हुई है। पेज 449 पर है। राजस्थान की सूची दी हुई है।

71-72	1.50 लाख
72-73	शून्य

आदिम जातियों के सम्बन्ध में भी देखिये :

आवंटन :	71-72	शून्य
	72-73	शून्य
व्यय :	72-73	शून्य

जब आवंटन ही नहीं हुआ तो व्यय क्या होगा ? 1972-73 में शून्य है। यह स्थिति है पेयजल की और अगर इसी सम्बन्ध के अन्दर आपकी इसी रिपोर्ट में दिये हुए सर्वेक्षण का जिक्र करूं जो कि 1971 में आदिवासी अनुसंधान केन्द्र अहमदाबाद में उदयपुर के बोथरा आदिवासी विकास खण्ड में किया है तो आप उस विकास खण्ड की स्थिति देखिये। आगे इसी रिपोर्ट में प्रस्तुत है 15 ग्राम-सेवक नियुक्त थे और केवल 10 कार्यरत खण्ड के आरम्भकाल से लेकर 1971 तक समाज कल्याण विभाग ने कुल मिलाकर 8.50 लाख रुपया दिया ...

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप किस रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं ?

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : 21वीं रिपोर्ट में से है। 8.50 लाख रुपया दिया जिसमें मार्च 1971 तक केवल 6.50 लाख रुपये खर्च किये गये। जब 14 गांवों का सर्वेक्षण किया गया तो केवल 5 गांवों में उन्नत बीज दिये गये। इससे आगे भी चलकर देखिये संचार साधनों का कोई प्रबन्ध नहीं। 1966 से लेकर 1970 तक केवल 251 पक्के कुए किये गये, 14 तालाब बनाये गये और एक नहर निकाली गई। इतना काम किया केवल। लेकिन 167 गांवों में से 127 गांवों के अन्दर बिल्कुल सड़कों से अलंग-थलग कोई संचार साधन नहीं। 28 सेवा सहकारी मंडलियां थीं जिनके 2,320 सदस्य थे। वन सहकारी समितियों के 539 सदस्य। इन सहकारियों की स्थिति यह है कि 14 गांवों में से केवल 4 गांवों में सहकारी समितियां हैं और बाकी 10 गांवों में सहकारी समितियां गायब। 18 परिवारों का निरीक्षण किया गया तो 7 परिवार केवल सहकारी समितियों के सदस्य हैं और खण्ड शुरू होने पर केवल 2 परसेन्ट साक्षरता थी और 21 प्राइमरी स्कूल थीं जो कि सन् 1966-67 से 1971-72 के अन्दर केवल 40 स्कूलें हुई और साक्षरता के लिए मान लेते हैं 4 परसेन्ट हो गई स्कूलों की संख्या के मुताबिक, फिर भी आज जहां 20 परसेन्ट साक्षरता के मामले में ऑल इण्डिया का आंकड़ा है वहां सारे राजस्थान में आदिम जातियों की यदि आप साक्षरता देखें तो आज 6 परसेन्ट से ज्यादा नहीं बढ़ी है आपके सरकारी आंकड़ों के अनुसार। इस सर्वेक्षण में तो और ही स्थिति है। केवल 13 महिलायें हैं आदिम जाति की जो कि मेट्रिक से ऊपर पढ़ी हुई हैं। आपका एचीवमेन्ट केवल यह है और फिर इसके अतिरिक्त 14 गांवों में से केवल 7 गांवों में पीने का

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

पानी है। यह स्थिति आज भी उदयपुर जिले की है जहां का रेनफाल इतना है और चूरू, बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जिले की क्या स्थिति होगी? बीकानेर जिले की तो दर्दनाक स्थिति है। अगर आप जानना चाहें तो मैं आज भी माननीय गृह मंत्री जी से कहूंगा कि वह जांच कर लें और खास करके मैं मेलूसर गांव की जांच करवाना चाहूंगा। राम्रसर, नयासर, जोरावरपुरा आदि करीब 20-25 गांवों के लोग आकर पानी भरते हैं। 300 गांवों के घरों के अन्दर 40 हरिजन परिवार आबाद हैं और जब हरिजन वहां पानी भरने के लिए जाते हैं तो थानेदार गया और उनको पीटा और उनके हाथ पैर तोड़ दिये गये। वहां के ब्लैक मार्केटियर रेडियोजी जिनके कारनामे सब को मालूम हैं और आज भी मैं गृह मंत्री जी को चेलेन्ज के रूप में कहता हूं कि आज भी गांव के अन्दर हरिजनों को कुए पर नहीं चढ़ने दिया जाता। कोई हरिजन कुए पर चढ़कर तो देखें। तो, सभापति महोदय, यह तो पानी की स्थिति है।

फिर बिजली की स्थिति देखिये। सारे राजस्थान के अन्दर आपने कितना इलैक्ट्रिफिकेशन किया। 33 हजार गांव हैं और उनमें कम से कम पांच, दस लाख बस्तियां होंगी और सारे गांवों के अन्दर हरिजनों की बस्तियों के इलैक्ट्रिफिकेशन के बारे में आपको बता रहा हूं कि 30-6-75 तक 1173 हरिजन बस्तियों का इलैक्ट्रिफिकेशन हुआ। यह सारे राजस्थान की बता रहा हूं। यह आंकड़े मेरे प्रश्न के उत्तर में इस सदन के अन्दर दिये गये और फिर 1-7-75 से लेकर फरवरी, 1976 तक केवल 141 बस्तियां इलैक्ट्रिफाई की गयीं। यह एचीवमेन्ट है इमरजेन्सी पीरियड का और हरिजनों की बस्तियों के इलैक्ट्रिफिकेशन का। और आज अप टू डेट 143 मिलाकर हम यह दावा कर सकते हैं कि 1314 बस्तियां हैं सारे राजस्थान में जो इलैक्ट्रिफाई हुई।

सभापति महोदय, धरती के अलॉटमेन्ट के सम्बन्ध में मैं विशेष रूप से कहना चाहूंगा। माईनर इर्रीगेशन या मेजर इर्रीगेशन की बात तो और है लेकिन अनकमाण्ड क्षेत्र के अन्दर और बारानी क्षेत्र के अन्दर खुद आपके तथ्यों के मुताबिक जो धरती अनुसूचित जन जातियों को दी गई है उसका क्षेत्रफल 1,87,059 एकड़ है और 43,314 हरिजनों को दी गई है जिसका औसत 2.8 एकड़ आता है और अनुसूचित जन जातियों की स्थिति भी इस सम्बन्ध में कोई बहुत अच्छी नहीं है। अनुसूचित जातियों की स्थिति भी 64,355 लोगों को 1,86,813 एकड़ धरती अनकमाण्ड एरिया में आवंटित की गई जिसका औसत भी 2.8 एकड़ आता है। हालांकि लघु सिंचाई योजनाओं से, दीर्घ सिंचाई योजनाओं से सिंचित होने वाली धरती के अन्दर कोई इकॉनामिक जनरेशन हो सकता है, कोई आर्थिक स्थिति अच्छा हो सकती है लेकिन इन 80 हजार लोगों को आपने अनकमाण्ड 2.8 पहाड़ी, रेगिस्तानी, चाही, अकाल से ग्रसित होने वाली और अगर मैं सारे राजस्थान की टोपोग्राफी देखूं तो जहां 59 पर्सेन्ट डेजर्ट है तो यह मानकर चलें कि 60 पर्सेन्ट यह धरती रेगिस्तानी, पहाड़ी धरती है, तो

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

2.8 एकड़ धरती देकर आपने उनको क्या निहाल कर दिया? कौनसा आप इतना बड़ा दावा कर सकते हैं जहां आपकी इनडेटेडनैस की हालत यह है? कोई रिपोर्ट नहीं है कि कितने लोगों की इनडेटेडनैस रिमूव की है और सेक्शन 42 और 43 के तहत जो आपके एचिवमेन्ट्स हैं वह भी रिमार्केबल नहीं हैं।

आवासीय भू-खण्डों के बारे में बहुत बड़ा आपका दावा है, सीलिंग के अन्दर धरती आवंटित करने के आपके बहुत बड़े दावे हैं लेकिन धारा 42/43 के तहत जो मामले आपने लिये हैं केवल इसमें 14,938 मामले आपने तय किये हैं जिसमें से कार्यवाही आरम्भ हुई है 4,474 मामलों में। यह फरवरी की रिपोर्ट है। और कई लीगल कॉम्प्लीकेशन्स हैं। 182 धारा के तहत, 212 धारा के तहत। 1959 में आप मूव नहीं हो सकते। जगह 2 कॉम्प्लीकेशीज और आज भी आपके अधिकारियों का यह एटीट्यूड है। धारा 212 के तहत रिज्यूम नहीं करना चाहते। 78 बी. बी. का मामला गंगानगर की कमेटी के सामने आया। हंसराज कमरगार ने सरकारी अधिकारियों से मिल कर हरिजनों को भूमि पर कब्जा नहीं दिया। कब्जा हंसराज कमरगार का चला आ रहा है। दस साल से कब्जा चला आ रहा है। इसी सदन में यहां पर कहा गया था कि चार मुरब्बे का ही नहीं, चालीस मुरब्बे और 60 मुरब्बे के अन्दर हरिजनों को कब्जा दे दिया गया और उस कब्जे को देने के बाद भी आज स्थिति यह है, सभापति महोदय, पानी वह हंसराज कमरगार देता है। तहसीलदार जाकर पानी लगावे। फसल व हंसराज कमरगार बोवे (समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी) बीजाई वह हंसराज कमरगार कर रहा है। और मैं जब पुलिस की डिमाण्ड पर बहस चल रही थी बोल रहा था तो मैंने वहां के थानेदार का विशेष रूप से वर्णन किया था। संतो हरिजन महिला, उसकी हत्या कर दी गई। 12-12-74 को मैडिकल रिपोर्ट आई कि मर्डर केस है। तीन महीने तक एस.एच.ओ. ने एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की उस हरिजन महिला की। इस मर्डर केस के अन्दर उस हरिजन महिला के पति प्रताप मजरी से पैसा मांगा गया। उस गरीब हरिजन ने अपनी थोड़ी सी जमीन रहन रख कर थानेदार साहब को पैसा दिया। एस. पी. ने रिपोर्ट भेजी, डी. आई. जी. बजरंगलाल ने केस की इन्क्वायरी की और उसके तीन महीने के बाद एफ. आई. आर. चॉक आउट की। सी. आई. डी. ने कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट पकड़े। कूट-कूट कर जिसकी घरवाली मार दी गई उससे थानेदार साहब ने लिखवाया कि मिर्गी की बीमारी से कांप 2 कर मर गई। इस तरह का भी स्टेटमेंट उसका है, स्टेटमेंट मौजूद था कि भूपतियों ने मार दी। सरदार ने मार दी, मोहनसिंह ने मार दी, फलाने ने मार दी। अर्जन ने मौके की गवाही दी जिसको बारह दिन तक जेल में रखा। सी. आई. डी. के पजेशन में है दोनों स्टेटमेंट। कूट 2 कर लिए गए हैं स्टेटमेंट। पहले दिया हुआ स्टेटमेंट लॉकर के अन्दर है लेकिन वह थानेदार जो हरिजन महिला पर अत्याचार करे, आपका बहुत चहेता है। आज भी गंगानगर के हैड ऑफिस में बैठा है, तीन-तीन डी. आई. जी. मदद पर हैं। आप उसका सस्पेन्शन नहीं कर सकते।

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

गंगा नाम की महिला की छाती पर आठ-आठ लोगों ने चढ़ कर 72 एम. पी. में पीटा। डी. आई. जी. ने रिपोर्ट दी लेकिन रोजनामचे में दर्ज है। 5-9-74 में। इस सदन में मैं पहले भी कह चुका हूं कि इस गंगा का रेप केस दर्ज हुआ, तुलाराम थानेदार ने उसके खिलाफ कार्यवाही की और उस पर आज तक कोई एक्शन नहीं। 342 का केस बनाकर कार्यवाही हो लेकिन कोई रोजनामचे में दर्ज नहीं है। उस हरिजन महिला के बयान हुए लेकिन क्या एक्शन हुआ आपकी तरफ से? वह थानेदार वैसे ही बरकरार मौजूद है। 73 आर. पी. मे अकाल से ग्रस्त महिला के साथ राजेन्द्रसिंह नाम के करोड़पति, भूपति ने दिन दहाड़े रेप कर दिया, आपका एस. पी. खुद इन्वेस्टीगेशन करने गया भूरामल जैन और पच्चीस हजार रुपये खा गया। बच्चा 2 जानता है। (समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी) स्वयं आपके डी. आई. जी. को मालूम है, वे आई. जी. बन कर चले गए, कोई एक्शन नहीं लिया गया। मैंने इस सदन में अनेकों केस रखे हैं चाहे तो वह खरनियां का केस हो, जहां कि दिन दहाड़े हरिजन महिला को नंगा करके जुलूस निकाला गया, चाहे वह बंतावाली का केस हो और चाहे वह भांसावाली का केस हो जहां विद्या से दिन दहाड़े भरी दोपहरी में वहां की झोंपड़ी के बाहर बन्दूक का पहरा बिठा कर उसके साथ अत्याचार किया गया लेकिन आपकी पुलिस के अधिकारियों पर जूं तक नहीं रेंगी। और आज बंतावली में सड़क निकल रही है वह किसी भूपति के खेत में से होकर निकालने की जरूरत नहीं, दो सौ हरिजनों के मकानों को चीरती हुई वह सड़क बंतावली गांव के अन्दर से निकाली जा रही है। क्योंकि भागीरथ वहां पर बन्दूक लेकर खड़ा रहता है। उसके अन्दर ताकत है, उसका बाजू है, पॉलिटिकल सपोर्ट है उसके पीछे इसलिए वह सड़क निकलेगी हरिजनों की छाती के ऊपर होकर निकलेगी वह खेत में से होकर नहीं निकलेगी इसलिए, सभापति महोदय, यह अत्याचार के मामले और सौ मुरब्बे के केस मंत्री महोदय को दिये थे जिसमें हरिजनों को कब्जा नहीं मिल रहा है। और मैं तो यह कहता हूं कि वह सरदारपुरा बीकावाला का केस जो कि पच्चीस दफा मैंने दोहराया है आज भी उनको कब्जा नहीं मिला। सन् 72 में टेम्प्रेरी अलॉटमेंट हुआ, सन् 74 के अन्दर परमानेन्ट अलॉटमेंट हो गया, पजेशन नहीं दिया गया। यह एप्लीकेशन मौजूद है उनकी। और 3-3-75 को इसी चहेते थानेदार ने बेगराम बावरी, चूनीराम नायक और अन्य हरिजनों को औंधा टांक कर पीटा। हम अपने कब्जे कायम रखेंगे। बड़े 2 करोड़पति सरदारों ने, स्वरूपसिंह, दुरवचनसिंह, संतसिंह मोहनसिंह, मूलासिंह, जिनकी पांच-पांच सौ एकड़ जमीन और आपके डी. सी. ने फिरोजपुर में फाइण्ड आउट की और उन सरदारों ने केस बनाया हरिजनों के ऊपर कि हमारी झोंपड़ी में आग लगा दी। पांच-पांच सौ एकड़ जमीन के भूपति और उनकी झोंपड़ी में इन गरीब हरीजनों ने आग लगा दी? अरेस्ट रहे, सात-सात दिन तक जेल में रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होगी। उन गरीब हरिजनों के खिलाफ केसेज इन्स्टीट्यूट हुए। 54 लोगों के दरवाजे पर बी. एस. एफ. बैठी रही

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

आज उन पर केसेज चल रहे हैं और सरदारों से कह दिया कि बाकी हरिजनों को कब्जा दिलाने की जरूरत नहीं है। और लूणीवाला के लिए कम से कम सौ मुरब्बे की लिस्ट डी. सी. को दे चुका हूं लेकिन उनको कब्जा दिलाने की जरूरत नहीं है। आपको आवश्यकता नहीं है उनको मदद करने की। और टांटावाली में से सड़क निकलेगी और ऐसे ही सांवरसिंह वाले का जिक्र किया। भूपतियों ने सारे गांव की गलियों को बन्द कर रखा है। हरिजनों की बस्ती के अन्दर दिन दहाड़े पशु डाल देते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्ट।)

इनके पशुओं के लिए खाने के लिए नहीं है।

इसलिए अन्त में मैं यही कहूंगा कि अगर आप वास्तव में, चाहे वह धरती का मामला हो, चाहे वह कर्जों का मामला हो, एक तो हरिजन और आदिवासियों की रिपोर्ट आपको सेपरेट प्रस्तुत करनी चाहिए। आपका सैल अगर चीफ मिनिस्टर के चेम्बर तक ही समिति रहे तो वह इफेक्टिव सैल होने वाला नहीं है। हर डिस्ट्रिक्ट लेविल पर और स्पेशली वह डिस्ट्रिक्ट्स जिनमें कि मेजोरिटी ऑफ हरिजन पोपुलेशन है, उन डिस्ट्रिक्टों के अन्दर आपको सैल कायम करने चाहिए। जैसे गंगानगर डिस्ट्रिक्ट जो कि हिन्दुस्तान के अन्दर सन् 52 से रिजर्व्ड कांस्टीट्यूएंसी चला आता है, 33 पर्सेंट पोपुलेशन हरिजनों की जिसमें है और जो आदिवासियों की डिस्ट्रिक्ट्स हैं, चाहे डुंगरपुर हो, बांसवाड़ा हो, उदयपुर हो, पाली का बहुत सा हिस्सा हो, सिरोही हो, इन डिस्ट्रिक्टों के अन्दर जो आदिवासियों का या सहरियों का इलाका है वहां पर फंक्शनिंग पॉवर सैल कायम करने चाहिए। और कलेक्टर साहब हैं, ए. डी. एम. साहब हैं, एस.पी. साहब हैं। ये सैल कोई इफेक्टिव फंक्शन नहीं कर पायेंगे जब तक जनता का सहयोग इनके साथ नहीं होगा। चाहे छूआछूत में राहत देना हो, चाहे जमीनों के कब्जे दिलाने का मामला हो, चाहे सोसायटीज के लोन पहुंचाने हों या चाहे सोशल ऑपरेशन्स से हरिजनों को बचाना हो। यह सैल काफी इफेक्टिव हो सकते हैं जब जनता का सहयोग उनके साथ होगा। जनता के प्रतिनिधि इन सैलों के अन्दर हों। अव्वल तो सारे राजस्थान के 26 जिलों के अन्दर ही इन सैलों को कायम करना चाहिए और अन्त में मैं यही कहूंगा कि आज भी हजारों लोग इस राजस्थान के अन्दर सिर पर मैला ढोते हैं। इतनी पतित स्थिति आज इस राजस्थान के अन्दर है और इससे बड़ी लज्जाजनक बात कोई और नहीं हो सकती। आज इस वर्ग का सबसे बड़ा विक्टेमाईजेशन हो रहा है। आप नगरपालिकाओं के, नगरपरिषदों के रजिस्टर, चैक कर लीजिए। जो बालिमकी कर्मचारी हरिजन आते हैं काम करने को उनकी गैर हाजरियां हैं। कम से कम मैं अपनी नगरपालिका के बारे में निवेदन करना चाहता हूं वहां पर बालिमकियों से, रायसिंहनगर नगरपालिका के जो बालमीकी हैं, उनसे उनका सेनेटरी इन्स्पेक्टर और नगरपालिका का अध्यक्ष एक एक से 15/-, 15/- रुपया मासिक लेते हैं। यह उनका बन्धा हुआ है। नहीं देते हैं उनको निकाल देते हैं। उनसे अपॉइन्टमेन्ट में 500/- रुपया लेते हैं। जमादार के अपाइन्टमेन्ट में 500/- रुपया लेते हैं। अगर इसके खिलाफ

Page No.76

76

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
आवाज उठायी तो वाल्मीकी संघ का जो जनरल सेक्रेटरी था उसको घर बैठा दिया। आज वह भी मैला ढो रहे हैं। इससे अधिक दुःख की बात हमारे लिए और क्या हो सकती है ? सबसे पहले आज कोई हरिजनों के उद्धार की बात करता है तो इस वर्ग के सिर पर से मैला ढोने की प्रथा उतारिये। इससे ज्यादा काला मुंह हमारा नहीं हो सकता है। इससे गहरा कलंक हमारे ऊपर नहीं हो सकता। इससे गहरी व्यथा और नहीं हो सकती है। इन सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री ओंकारलाल !

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) : माननीय सभापति जी, आज हम इस सदन के अन्दर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की 19, 20 और 21वीं रिपोर्ट पर जो वर्ष 1971, 1972 और 1973 से सम्बन्धित है, उन पर विचार कर रहे हैं, उन पर बहस करने जा रहे हैं।

माननीय सभापति जी, अच्छा तो यह होता कि वास्तव में एक कम्प्रीहेन्सिव रिपोर्ट डिपार्टमेंट को आती और उस पर आज यहां पर बहस की जाती। ये सब रिपोर्टस् पुरानी हैं और इन पर बहस करना, मैं यह मानकर चलता हूं कि उचित नहीं होगा। इसमें जो कुछ भी आंकड़े दिये गये हैं वे वर्ष 71, 72, 73 के हैं और आज वर्ष 1976 चल रहा है। मैं समझता हूं कि हर क्षेत्र में कुछ न कुछ तब्दीली आई है और उसके आधार पर राजस्थान में भी तब्दीलियां आई हैं। फिर भी चूंकि यह रिपोर्ट हमारे सामने है, इस सम्बन्ध में मैं, सभापति जी, अपने विचार सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा।

सभापति जी, यह खुशी की बात है कि यह जो 71, 72 और 73 की रिपोर्ट बनायी गई है, उस रिपोर्ट के अन्दर, सिंहावलोकन के अन्दर, उसमें एक उद्धरण प्रस्तुत किया गया है। मुझे इस बात की खुशी है और भारत सरकार को मैं धन्यवाद देता हूं। डॉ. अम्बेडकर जो हमारे संविधान के रचियता हैं, जो बीसवीं शताब्दी के मनु माने जाते हैं, उनके उदाहरण, उनके उद्धरण से इसको शुरू किया है। सभापति जी, मैं इसको पढ़ना चाहता हूं। ये शब्द 25 नवम्बर, 1949 संविधान सभा में कहे गये थे:—

"हम 26 जनवरी, 1950 को एक ऐसे जीवन में पदार्पण करने जा रहे हैं जो अन्तर्विरोधों से भरा हुआ है। राजनीति की वृद्धि से हम में समानता होगी किन्तु सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम असमानता के शिकार होंगे। राजनीति में हम एक आदमी के लिए एक वोट और एक वोट का एक मूल्य का सिद्धान्त अपनायेंगे। किन्तु हमारे सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे की वजह से हर आदमी का एक ही मूल्य, सिद्धान्त से वंचित रहेंगे। हमें इस अन्तर्विरोध को यथाशीघ्र दूर करना चाहिए अन्यथा असमानता के पंजे में जकड़े लोग इस राजनीतिक लोकतन्त्र के ढांचे को चकनाचूर कर देंगे जिसे इस विधान सभा ने बड़े प्रयत्न से खड़ा किया था।"

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति जी, कि उन्होंने यह एक चेतावनी

(श्री ओंकारलाल चौहान)

दी थी इस बात की कि आम अवाम का, जनता को अगर राजनैतिक आजादी के बाद, राजनैतिक उपलब्धियों के बाद सामाजिक चेतना और आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं होती है, समता, समानता, और भ्रातृत्व का जो हमारे संविधान में उल्लेख है, इस ढांचे की बुनियाद में इस तरफ नहीं जाते हैं तो हमारा लोकतन्त्र खतरे में पड़ जायेगा और इससे लोकतन्त्र टूट सकता है। ऐसी उन्होंने सम्भावना व्यक्त की थी। उसी के आधार पर मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि 27-28 साल के अर्से के अन्दर राजस्थान में काफी प्रगति हुई है, मैं यह मानता हूं। चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र में हुई हो, वह चाहे कृषि के क्षेत्र में हुई हो, चाहे और किसीक्षेत्र में हो राजस्थान में चहुंमुखी विकास हुआ है। मान्यवर, यह देखना पड़ेगा कि क्या वास्तव में हमने समानता और सामाजिक पिछड़ेपन को दूर कर दिया है और समता को हासिल कर लिया है। मैं यहां पर दो-एक चीजें उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा। वह चीज हमारे रास्ते में बाधक है, रोड़ा है। मैं उसकी ओर सबसे प्रथम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा आपके माध्यम से मंत्री महोदय का और, सभापति जी, वह है छुआछूत अनटचेबिलिटी जिसको हम आज भी गांवों में विद्यमान पाते हैं। एक बात सामने आती है, हमने एक कानून बनाया है, राज्य सरकार ने बनाया है, तो क्या राजस्थान में इस ओर प्रयास किये गये हैं और आंकड़े प्राप्त करने की कोशिश की है ? मैं एक उदाहरण पेश करूंगा कोटा जिले के मांगरोल गांव का। इस गांव के अन्दर इस प्रकार का एक केस हुआ है और वह 27 फरवरी, 75 को मांगरोल के अन्दर छूआछूत का केस है। थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। केस रजिस्टर्ड भी हुआ परन्तु मुझे यह जानकारी मिली है कि आज तक इसमें कुछ नहीं हुआ है। आप स्वयं समझते हैं, सभापति जी, हमें आजादी मिली, देश में परिवर्तन आया लेकिन समाज के मूल्य बदले नहीं हैं। क्या हमने और राज्य सरकार ने इस ओर चिन्तन किया है, इस ओर प्रयास किया है कि इन मूल्यों को बदला जाये ? क्या राज्य सरकार ने कोई सहयोग दिया है-इस दिशा में ? समानता, समता और भ्रातृत्व के लिए राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? मन्त्री महोदय जिस समय उत्तर दें, मैं इस विषय में जानना चाहूंगा। अक्सर यह होता है और यह देखने में आया है कि जितने भी छूआछूत के केसेज होते हैं उनमें शहादत नहीं आती है। और कोई भी व्यक्ति क्योंकि छुआछूत का केस होता है, कोई भी व्यक्ति सामान्य तौर पर आगे नहीं आता है और विटनेस के अभाव में यह केस गिर जाता है और वह केस समाप्त हो जाता है। मेरा निवेदन यह है कि हमें इस ओर सजग रहना चाहिये, एक ऐसा प्रयास करना चाहिये जिससे इस प्रकार के केसेज न आवें। पुलिस के बारे में कहना चाहता हूं। बारां के पास भैंरोंगढ़ में झगड़ा हुआ। पांच, छः महीने पहले कत्ल हो गया। दिन दहाड़े यह कांड हुआ और जिन लोगों ने कत्ल किया वे सरमायेदार, असरदार, पूंजीपति लोग थे। बारां के पास यह केस हुआ और वह आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ? इसकी एक वजह था—वह ऐसे व्यक्ति का लड़का है जो कि असरदार है, वह कई

(श्री ओंकारलाल चौहान)

संस्थाओं और समितियों से सम्बन्ध रखता है, वह असरदार व्यक्ति है इसलिए वह गिरफ्तार नहीं हो सकता है। इसलिए 26 जिलों के अन्दर हमें इस प्रकार की विजिलेन्स कमेटियां बनानी पड़ेंगी जिसमें जनता का इन्वाल्वमेंट हो। एक निगरानी कमेटी रखना पड़ेगी जिनके माध्यम से इस कार्यक्रम को पूरा कर सकें। एक प्रश्न और आता है। यह समाज कल्याण डिपार्टमेन्ट के अन्तर्गत आता है। परन्तु यह जो ज्यादतियां गांव में होती हैं, जो जुल्म गांव में होते हैं या शहरों में होते हैं समाज कल्याण विभाग के कर्मचारी इस पर कार्यवाही नहीं कर पाते। यह कार्य पुलिस विभाग का है। इसका सब से ज्यादा सीधा सम्बन्ध पुलिस विभाग से है या फिर राजस्व विभाग से है लेकिन राजस्व विभाग में यह दिक्कत है, जमीनें एलॉट होती हैं, काफी जमीनें एलॉट हुई हैं लेकिन उसमें यह देखने में आता है जब राजस्व की मांग चल रही थी, उस समय भी मैंने यहां पर निवेदन किया था और राजस्व मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित किया था, एक गांव का नाम भी बताया था ढाबला तहसील गंगधार, उस गांव में जहां जमीन का ऐलॉटमेंट हुआ था, उन हरिजनों को बेदखल कर दिया गया। वहां राजपूत लोगों ने, अन्य सरमायेदार लोगों ने, उनको बेदखल कर दिया और आज वहां पर उन्हीं लोगों का कब्जा है और शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग काबिज नहीं हैं। जब सारे राजस्थान के अन्दर, सारे हिन्दुस्तान के अन्दर इस प्रकार के केसेज आते हैं ता नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि कोई मालिक नहीं होता है, कोई जिम्मेदार नहीं होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि पुलिस विभाग या कोई भी एक ऐसी ऐजेन्सी इवॉल्व करना चाहिए, और वह ऐजेन्सी सिर्फ यही काम राजस्थान के अन्दर देखे और टटोले कि कहां ज्यादती हो रही है, चाहे वह राजस्व विभाग में हो, चाहे वह पुलिस विभाग में हो, चाहे हाउस एलॉटमेंट विभाग में हो, चाहे कृषि भूमि की बात में हो। अगर इस प्रकार के आंकड़े प्राप्त कर और उस आधार पर एक्शन लिया जाय और एक अलग प्रकार की जिले के अन्दर एक मशीनरी इवॉल्व हो और वह इफक्टिवली काम करे तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की एट्रासिटीज, इस प्रकार के कार्य हैं जो कि नहीं होने चाहिए वह दूर हो सकते हैं।

इस सम्बन्ध में जो मैं सुझाव दे रहा था वह यह है कि विजिलेन्स कमेटियां होना चाहिए और विजिलेन्स कमेटियां एक वॉच डॉग के आधार पर काम करें। हमें यह बतलाया गया है कि एम. एल. एज. के अन्दर रिजर्वेशन हो गया है, एम. पी. के अन्दर रिजर्वेशन हो गया है, सर्विसेज के अन्दर रिजर्वेशन हुआ है, यह मैं मानता हूं, लेकिन क्या इस रिजर्वेशन से जो चीज हम चाहते थे, जिस चीज को हम प्राप्त करना चाहते थे, वह प्राप्त हुई है? अगर आप अपना हृदय टटोलें तो मैं समझता हूं कि उत्तर यही आयेगा कि आज भी कमी है। कौन सी चीज इसमें बाधा और रोड़े अटकाती है? वह है हिन्दुस्तान का कास्ट सिस्टम। हमको वालन्टरी एजेन्सी और इस प्रकार की एजेन्सी इवाल्व करनी पड़ेगी जिसका काम इस बात का प्रचार करना हो गांव गांव जाकर राज्य सरकार के माध्यम से जिसमें हृदय परिवर्तन की बात आती हो। हमारे यहां कास्ट सिस्टम

(श्री ओंकारलाल चौहान)

बड़ा रिजिड है। कोई व्यक्ति इस बात को बरदाश्त नहीं करना चाहता है। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगा कि डॉ. अम्बेडकर ने एक दफा कहा था इस बात को कि वर्तमान में समता, समानता और भ्रातृत्व को बढ़ावा कान्स्टीट्यूशन का आधार हो, लेकिन दूसरी ओर हम देखते हैं कि चाहे कास्ट सिस्टम हमारे आड़ में आता है परन्तु भारत में प्रथम व्यक्ति डॉक्टर राजेन्द्रप्रसाद थे जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे उन्होंने कास्ट सिस्टम के खिलाफ केस लड़ा था और उसको निषिद्ध बताया था। इस कास्ट सिस्टम पर रूलिंग है पटना हाईकोर्ट की उसमें जाति प्रथा की खराबियां बताई थीं। आज भी हमारी प्रधान मन्त्री इन्दिरा गांधी महिला है जब कि गीता में इस बात को कहा है कि महिला का कोई स्थान नहीं है हमारे समाज के अन्दर। गीता में इस बात को कहा है। जब इस प्रकार की धारणाएं, इस प्रकार की आस्थाएं इन वेदों, पुराणों और ग्रन्थों के अन्दर रहती हैं और हम सोच रहे हैं हृदय परिवर्तन की, हम सोचते हैं समाज में समता, समानता और भ्रातृत्व का स्थापना की बात, तो, सभापतिजी, यह किसी भी प्रकार से न्यायसंगत नहीं हो सकेगा।

अन्तर्जातीय विवाह पर यहां पर कहा गया है कि वह इसीलिए कामयाब नहीं होते हैं। यही एक ऐसी चीज है अन्तर्जातीय-विवाह कि जिसके माध्यम से जातीयता को कास्ट सिस्टम को, खत्म कर सकते हैं, और उसके आधार पर प्रगति कर सकते हैं। मैं यह मानकर चलता हूं और निश्चित तौर से कह सकता हूं कि राजस्थान में हर दिशा में प्रगति की गई है। मेरा उससे कोई कहीं विरोध नहीं है। प्रगति कम और धीमी हो सकती है और कहीं तेज हो सकती है। मेरा इससे कोई विरोध नहीं है। लेकिन मैं सोचता हूं कि कास्ट सिस्टम जो बोन ऑफ कन्टेन्शन है उसकी ओर अधिक ध्यान दें। मैं चाहता हूं कि इसके लिए एक सेपरेट मिनिस्ट्री होनी चाहिये, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर और राज्य स्तर पर सैल होने चाहिए। होता क्या है कि मन्त्री महोदय ओवरबर्डन्ड हैं। उनके पास समाज कल्याण, ट्रान्सपोर्ट और चिकित्सा आदि विभाग हैं इसलिए उनको फुरसत नहीं है। कोई भी सामान्य आदमी इतने सारे काम न कर सकता है। माननीय मन्त्री महोदय में यद्यपि बहुत क्षमता है, वे मेहनती भी हैं, लेकिन चाहे व्यक्ति मेहनती हो, कितना ही सक्षम हो, He cannot do justification in these circumstances. इस लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं...

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

मैं जल्दी ही समाप्त करूंगा। मैं मोटे मोटे तौर पर ही कहना चाहता हूं और पॉलिसीज पर जाना चाहता हूं।

मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि यह आवश्यक है अगर हमको सही दिशा के अन्दर वास्तव में शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के साथ न्याय करना है तो हृदय-परिवर्तन की बात को लेना पड़ेगा। और हृदय परिवर्तन एम. एल. एज. का रिजर्वेशन करने से या एम. पीज. का रिजर्वेशन करने से या किसी तरीके से सर्विसेज से कराने से हम वह गोल एचीव नहीं कर सकेंगे जब तक कि हम इस

(श्री ओंकारलाल चौहान)
दिशा को नहीं बदलेंगे। यह आवश्यक है उसके लिए कि कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग सक्षम बनें तो उनको आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाना होगा और आर्थिक दृष्टिकोण जब तक हम एचीव नहीं करेंगे वह नहीं हो सकेगा।

माननीय सभापतिजी, यहां पर मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रिविलेज का प्रश्न उठा है। इसके अन्दर प्रिविलेजेज लेते हैं बराय नाम। इस सिस्टम को सरल करने की बात आती है। आपके माध्यम से मैं मन्त्री महोदय से कहूंगा कि इस सिस्टम को बहुत सरल करें और कागजी कार्यवाही न करें। कागजी कार्यवाही से हम इधर-उधर हो जाते हैं और हमारा लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। इसलिए इसके नियमों में परिवर्तन करना चाहिए।

इसी प्रकार से आपकी आज एक क्रियेशन इस प्रकार की होनी चाहिए कि जिससे ऐसा लगे कि हम उनके बारे में न्याय कर रहे हैं।

इस रिपोर्ट के अन्दर मैं पेश कर रहा था महिला शिक्षा के बारे में जिसकी राजस्थान में 6 पर्सेन्ट है और संख्या 1150 है। इस रिपोर्ट से यह ज्ञात होता है कि महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तामिलनाडू और मध्य प्रदेश जैसे राज्यमें शिक्षण संस्थाएं बहुत कम हैं। यह राजस्थान की प्रगति है जहां पर ज्यादे से ज्यादा जोर देना चाहिए शिक्षा की ओर। हमारे आंकड़े भी बताते हैं कि शिक्षा में प्रगति हुई है। स्टाइपेण्ड भी हम देते हैं और स्कॉलरशिप भी हम देते हैं। 11-12 पर्सेन्ट फिमेल एज्यूकेशन है। सारे राजस्थान में कुल मिलाकर 10-20 पर्सेन्ट तक शिक्षा के आंकड़े हैं और फिमेल एज्यूकेशन के आंकड़े तो 9 पर्सेन्ट ही आते हैं। उसके अन्दर भी स्थिति क्या है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों की तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। इसके अन्दर अधिक कोशिश करना चाहिए, फिमेल एज्यूकेशन की ओर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए।

छात्रावासों का जहां तक सवाल आता है तो इस सम्बन्ध में जो आंकड़े दिये हैं उनको पढ़ेंगे तो राजस्थान में छात्रावासों की संख्या, मैं यह कहना चाहता हूं, कम है। ज्यादा हो या कम हो तो क्या हो, लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि वास्तव में जो चीजें हमारे रेकार्ड में आ रही हैं उनके लिये ध्यान नहीं दिया गया तो, माननीय सभापति जी, उन चीजों को हम प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

इसी के साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि एक समस्या हमारे सामने आती है कि गांधी शताब्दी के अन्दर जो कि 4, 5 या 6 साल पहले गांधी शताब्दी का पर्व मनाया गया था, वह बहुत महत्वपूर्ण पर्व था सारे राजस्थान के अन्दर, कोटा के अन्दर 100 मकान बनाने थे हरिजनों के लिए, मेहतरों के लिए। क्या बने ? 29 क्वार्टर्स अभी तक बने हैं। बाकी सारे अधूरे पड़े हैं। कोटा नगर परिषद् के पास एक लाख रुपया फिक्स्ड डिपोजिट में पड़ा है। क्या आपने पैसा उनको ब्याज खाने को दिया है ? 100 मकान के बजाय 75 तय किये कि 75 क्वार्टर्स बनायेंगे। अगर किसी योजना को समय पर आप लागू नहीं करेंगे तो वह

(श्री ओंकारलाल चौहान)
समय निकल गया और 75-76 में उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो 80 के अन्दर खर्च बढ़ जायगा और 100 की जगह 50 क्वार्टर्स ही मिलेंगे। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति जी, कि यह जो मेहतरों के लिए भारत सरकार से रुपया आया और उस रुपये का इस प्रकार से सदुपयोग किया गया। माननीय सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि इसकी जांच की जानी चाहिए कि यह काम क्यों पड़ा रहा ? अगर एडमिनिस्ट्रेटर की गलती है, किसी अधिकारी की गलती है तो उसको दण्डित किया जाना चाहिए। इस प्रकार की चीजों को वर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार मैं, माननीय सभापति जी, इस बात को कहना चाहता हूं कि रिजर्वेशन की बात है, रिजर्वेशन हुए हैं, इसके लिए मैं राजस्थान सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने टेम्परेरी, एडहॉक बेसिस पर और अर्जेन्ट अपॉइन्टमेन्ट भी किये हैं उनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों को प्राथमिकता भी दी गई है और रोस्टर प्रणाली को भी अपनाया गया है। लेकिन लोकल बॉडीज के अन्दर, और सेमी-गवर्नमेन्ट इन्स्टीट्यूशन्स के अन्दर अभी तक यह नहीं हो पाया है, वहां पर आज भी उनकी बहुत कमी है। इसकी वजह से शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को अनएम्प्लायमेन्ट का सामना करना पड़ता है। आज भी कई बातें ऐसी देखने में आती हैं कि जो बहुत निन्दनीय हैं और घृणा के योग्य हैं। यह हिन्दुस्तान के लिये एक कलंक की बात है कि आज भी कई जगहों पर मेहतर लोग सिर पर मैला ढोते हैं, कुछ स्थानों पर जैसे ब्यावर में, आबू में बन्द भी हुआ है, लेकिन वह नगण्य है। जब हम हरिजनों में उनके लिए उत्थान की बात करते हैं तो इसके अन्दर सबसे निम्न श्रेणी में मेहतर आते हैं जिनकी दशा बहुत ही दयनीय है। जहां पर जाति का सवाल आता है, हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, लेकिन जिन कास्ट्स को आपने रिजर्वेशन के लिये रखा है उनको आपको रिऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। जो जातियां आर्थिक दृष्टि से, जो वर्ग पिछड़े हुए हैं, जो उसमें नहीं आते हैं, उनके लिये आपको क्राइटेरिया बदलना पड़ेगा। सिर्फ जाति के आधार पर ही आप लेंगे तो यह मेरे खयाल से सही नहीं होगा। हमको यह भी देखना होगा इकॉनामिक दृष्टि से कौनसा वर्ग अधिक पिछड़ा हुआ है उसको भी हमको उसमें शामिल करना पड़ेगा। इसके अलावा जो सम्पन्न हो गये हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति कुछ सुधर गई है उनको उसमें से कम भी करना पड़ेगा। इसलिए, सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस बात की व्यवस्था करें, इसको कोई पॉलिटिकल इश्यू बनाने की बात नहीं है, वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए हमको देखना पड़ेगा कि जो लोग ऊपर आ गये हैं उस दायरे से, उनको अब इस श्रेणी में नहीं रखना चाहिए और जो वास्तव में आने चाहिए उनको इसमें शामिल किया जाना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह

(श्री ओंकारलाल चौहान)
दुबारा कहना चाहूंगा कि जो रिपोर्ट हमारे सामने है—

श्री सभापति : आप तो दुबारा कहने लग गये।

श्री ओंकारलाल चौहान : एक मिनिट में समाप्त कर रहा हूं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पास एक काम्प्रीहेन्सिव स्कीम होनी चाहिए शिड्यूल्ड कास्ट, ट्राइब और आदिवासियों के उत्थान के लिये, बहुत से पोकेट्स ऐसे हैं उनके लिये जैसे जोधपुर में सिरोही का इलाका है, कोटा में है, यह पिछड़े हुए वर्गों के लोगों से भरा हुआ है, इनका एक सर्वे होना चाहिए। जिस प्रकार से, मैं यह नहीं कहता कि कुछ हुआ नहीं है, आई. ए. एस., आर. ए. एस., आई. पी. एस. में भी लोगों को लिया गया है लेकिन दूसरी तरफ भी जहां अभी काम करने की बहुत जरूरत है, वहां पर भी हमको ध्यान देना चाहिए ताकि हम उन क्षेत्रों की भी सेवा कर सकें। राजस्थान सरकार ने जो प्रगति की है उसके लिये मैं बधाई देता हूं, और अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : श्री वृद्धिचन्द्र जैन !

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त की रिपोर्ट 1969-70, 1970-71, 1971-72 और 1972-73 की ये चार रिपोर्ट्स जो हमको प्राप्त हुई है, उन सम्बन्ध में राजस्थान से सम्बन्धित मैं अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। पहले मैं, उस रिपोर्ट में ही जो सिंहावलोकन का चेप्टर है जिसमें श्रीमती इन्दिरा गांधी का जो कोटेशन है वह प्रस्तुत करता हूं:—

"यह खयाल रखना हमारा कर्त्तव्य है कि पिछड़े वर्गों की अब उपेक्षा न हो। प्रगति के पथ पर चलते हुए हमें उन्हें भी अपना हमसफर बनाना है। अपने देश को मजबूत बनाने के लिए उनका उद्धार अनिवार्य है, क्योंकि असमानता ही सारी परेशानियों की जड़ है।"

इसको लेकर श्रीमती इन्दिरा गांधी ने पहली जुलाई सन्, 1975 को हमारे देश के सामने बीस सूत्री कार्यक्रम को रखा। बीस-सूत्री कार्यक्रम में सबसे अधिक जोर कमजोर वर्गों के लोगों को ऊंचा उठाने के लिए दिया गया है और कमजोर वर्गों में अधिकांश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जातियों के लोग आते हैं। हमें तो यह देखना है कि पहली जुलाई, 1975 से लेकर के पहली जुलाई, 1976 तक एक साल के अन्दर में हमने क्या प्रगति इस सम्बन्ध में की, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लोगों के उत्थान के लिए उनकी आर्थिक स्थिति में हमने क्या प्रगति की, यह लेखा-जोखा फर्स्ट जुलाई, 1976 को मन्त्री महोदय को करना है और हमें भी करना है। अगर एक साल के अन्दर उनकी आर्थिक स्थिति के अन्दर कोई सुधार आता है उनकी आय प्रति व्यक्ति बढ़ती है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों की, तब हम यह समझ पाते हैं कि वास्तव में उनकी कुछ प्रगति हो रही है। उनकी बहुत सी समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए उनको दूर करने के लिए कितना कार्य है, क्योंकि हजारों वर्षों से ये

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

दबे हुए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के लोग और उनकी उन्नति का यह कार्य भी कोई आसान कार्य नहीं है, बड़ा कठिन कार्य है, इस सम्बन्ध में हमारी राज्य सरकार भी कोशिश कर रही है और उस कोशिश में कुछ सफलता भी प्राप्त हुई है। सबसे पहले मैं शिक्षा के विषय पर आता हूं।

शिक्षा के विषय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के लोगों ने, विद्यार्थियों ने जो प्रगति की है उसके बारे में जो रिपोर्ट में राजस्थान के बारे में विवरण दिया है वह अपने विरुद्ध जाता है, पेज 78 पर लिखा है कि "राजस्थान में भी शिक्षा के कार्यक्रम में सबसे कमजोर कड़ी प्राथमिक स्तर है। अनुसूचित जातियों के मिडिल कक्षाओं में दाखिले के आंकड़े प्राथमिक कक्षाओं में 35 प्रतिशत से घटकर 12.88 प्रतिशत रह गये। अनुसूचित आदिम जातियों में दाखिले की प्रतिशतता प्राथमिक स्तर में 32 से बहुत अधिक घटकर मिडिल कक्षाओं में 7.8 प्रतिशत रह गयी। इस भारी कमी और उसके परिणामस्वरूप शिक्षा के बेकार जाने का कारण मिडिल स्कूल स्तर पर पर्याप्ति सहायता का प्राप्त न होना है। सहायता की क्षेत्र व्याप्ति बहुत ही कम है जिसका परिणाम यह है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के छात्रों को किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल पाती।"

यह जो इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को जवाब देना है। मैं तो मेरे जिले के लिये यह निवेदन करना चाहता हूं, कि 6 मार्च को अनुसूचित जाति और जन जाति की सलाहकार समिति जो जिला स्तर पर है, उसकी बैठक मेरे जिले में हुई थी उसमें जब यह प्रश्न सामने आया कि महिलाओं को भी, लड़कियों को भी छात्रवृत्ति दी जाय तो लड़कियों को छात्रवृत्ति देने के बारे में प्रश्न पूछा गया तब यह पाया गया कि छठी कक्षा से ऊपर के विद्यार्थी जो लड़कियां हैं वह कोई भी शिक्षा प्राप्त नहीं कर रही हैं, इसलिए उनको छात्रवृत्ति देने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब इस प्रकार की शिक्षा हमारे यहां जिसमें छठी कक्षा से आगे एक भी लड़की विद्यार्थी नहीं है तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आगे तो उनको पहले भी अधिकार था और अब भी अधिकार है लेकिन ऐसे क्षेत्रों में कक्षा एक से लेकर 5 तक के जो विद्यार्थी हैं उनका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये यह आवश्यक है कि उन्हें भी छात्रवृत्ति दी जाय। अगर उन्हें छात्रवृत्ति नहीं दे सकते तो आश्रम स्कूल हैं, इस प्रकार के आश्रम स्कूल खोलें। पहली से पांचवीं तक आश्रम स्कूल खोलें और लड़कियों की शिक्षा के लिए प्रयास किये जायें। आश्रम स्कूल के बारे में मुझे जो रिपोर्ट में जानकारी प्राप्त हुई है उससे यह पता पड़ता है कि इसमें भी हम बहुत पीछे हैं। आन्ध्रप्रदेश में आश्रम स्कूलों की संख्या 187 है, गुजरात में 135 है, कर्नाटक में 135 है, केरल में 85 है, मध्यप्रदेश में 135 है, महाराष्ट्र में 89 है, उड़ीसा में 110 है और राजस्थान में 6 है। आश्रम स्कूल हमारे राजस्थान प्रान्त में बहुत कम हैं और वह भी आश्रम स्कूल डूंगरपुर, बांसवाड़ा में हैं, और दूसरे किसी क्षेत्र में नहीं हैं। मेरा निवेदन है कि रेगिस्तानी क्षेत्र में कन्याएं पढ़ती नहीं हैं, पहली से

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

पांचवीं कक्षा के लिए मैंने जिक्र किया, एक भी जिले में कन्यायें अध्ययन नहीं कर रही हैं। ऐसे स्थान पर आश्रम स्कूल खोलना आवश्यक है। आश्रम स्कूल खोलने से वहां शिक्षा की प्रगति हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है. कन्यायें किसी सूरत में पढ़ नहीं सकती हैं। अब प्रश्न उठता है, जो छात्रवृत्ति दी जाती है छठी से आठवीं तक, वह सिर्फ पांच रुपये है। आज के समय में सिर्फ पांच रुपये का क्या कीमत है? पांच रुपये की कीमत सवा रुपया है, सवा रुपये से भी कम, पहले के सवा रुपये से भी कम उस पांच रुपये से उनको क्या सहारा मिल सकता है? इसलिए छठी से लेकर आठवीं तक कक्षा के लिए मैं सुझाव देता हूं कि 5 रुपये से बढ़ा कर 20 रुपये करें। अगर आप मदद देना चाहते हैं और बीस सूत्री कार्यक्रम में मदद देना आवश्यक है क्योंकि आप अचीवमेन्ट बतायेंगे कि आपने क्या अचीवमेन्ट किये हैं तो अचीवमेंट बताने के लिए यह आवश्यक है कि पांच रुपये से बढ़ा कर बीस रुपये कर दें। इसके अलावा नवीं से ग्यारवीं तक बीस रुपये छात्रवृत्ति दी जाती है, यह बीस रुपये कम हैं। वह कम से कम पचास रुपये होने चाहिए क्योंकि किताबें खरीदते हैं वह मंहगी और हर तरीके से उनको एजूकेशन प्राप्त करना बहुत महंगा है। इसलिए फिफ्टी रुपीज, फोर्टी रुपीज कर सकते हैं। यह कन्सीडर करना आवश्यक है। छात्रवृत्तियों में भी मैंने यह देखा है कि कि आप छात्रों की उपस्थिति देखें, राजस्थान के छात्रों की उपस्थिति देखें तो सत्तर प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलता है। यह तो अवश्य है,' जिन छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है वह मेरिट के आधार पर मिलती है और उसका पालन किया जाता है। परन्तु छात्रों की संख्या जो है, मैं उसे देखता हूं तो मैं मेरे जिले की कहता हूं, मैं समझता हूं सारे राजस्थान में यह स्थिति होगी कि 70 प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती है। छात्रवृत्ति हालांकि बहुत कम है लेकिन वह भी नहीं मिलती है। छात्रवृत्ति की यह स्थिति है। इसके अलावा नास्ते का क्या पैसा देते हैं? अभी तक नाश्ते का दस नया पैसा देते हैं। दस नया पैसा दे रहे हैं नाश्ते के लिए, उसके अन्दर क्या नाश्ता आता है—यह समझ में नहीं आता है। खाने के लिए, डाइट वगैरहा क्या देते हैं, उसका मैंने निरीक्षण किया है, बहुत से जिलों में निरीक्षण किया है, यह पाया है कि बिल्कुल रूखी रोटी देते हैं। घी का प्रश्न पैदा नहीं होता है। कभी दाल देते हैं, सुबह के टाइम खाने के वक्त में दाल और शाम को कोई साग— इस प्रकार का खाना वहां मिलता है जो संतुलित भोजन नहीं है। उनका स्वास्थ्य उससे कभी किसी सूरत में ठीक नहीं बन सकता है। इस प्रकार का खाना खाकर वह स्वास्थ्य ठीक नहीं रख सकते हैं। स्वास्थ्य ठीक नहीं रख सकते तो दिमाग भी ठीक नहीं रह सकता। दिमाग ठीक नहीं रह सकता तो प्रगति कैसे कर सकते हैं। इस प्रकार की स्थिति है।

अब मैं रिजर्वेशन के बार में कहना चाहता हूं। हमारे कॉन्स्टीट्यूशन फ्रेमर ने जब कॉन्स्टीट्यूशन बनाया था तब टेन ईअर का रिजर्वेशन का प्रॉविजन किया था, दस साल का प्रोविजन करके फिर टेन ईअर और बढ़ाये और फिर टेन ईअर और बढ़ाये। दस साल में कॉन्स्टीट्यूशन

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

फ्रेमर को आशा थी कि इनकी स्थिति दस साल में ठीक कर देंगे, आर्थिक स्थिति ठीक कर देंगे, शैक्षणिक दृष्टि से इतना उन्नति कर देंगे कि फिर रिजर्वेशन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन आज भी यह स्थिति है कि रिजर्वेशन एम. एल. ए. और एम. पी. का हटा दिया जाय तो राजस्थान में, मैं कहता हूं, दस से ज्यादा नहीं जीत सकते....

श्री मूलचन्द सामरिया : कहां से जीतेंगे ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : डूंगरपुर....

श्री मूलचन्द सामरिया : एक भी नहीं जीतेगा। जोशी जी कहें तो भी वह नहीं जीतेंगे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : एक भी नहीं जीतेगा यह मैं नहीं मानता। इस प्रकार की स्थिति मैं नहीं मानता। डूंगरपुर जिला इस प्रकार का जिला है....

श्री चेतराम : खड़ा ही नहीं होने देंगे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : खड़ा नहीं होने देंगे। आपमें इस प्रकार की कमजोरी है तो हमारे लिए और दुःख की बात है। कुछ भी हो, यह मानना पड़ेगा, जो कुछ भी सदस्यों के विचार मेरे समक्ष आ रहे हैं कि अब और रिजर्वेशन करने की आवश्यकता होगी, टेन ईअर और रिजर्वेशन बढ़ाने की आवश्यकता होगी और इस प्रकार हम इनकी जो प्रगति करना चाहते हैं, वह कर नहीं सकेंगे। जो योजनाएं बनीं, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना और इसके बाद सालाना योजनायें बनीं और चौथी पंचवर्षीय योजना—इतनी सब योजना बनने के बाद भी पैसे वाले और पैसे वाले हो गए और गरीब की स्थिति इतनी नहीं सुधरी। इसीलिए 20 सूत्री कार्यक्रम की आवश्यकता हुई। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हमने इनकी स्थिति को सुधारने का प्रयास नहीं किया, ज्यादा शक्ति नहीं लगाई तो यह प्रगति नहीं कर सकेंगे।

मैं आपका ध्यान इस ओर भी ले जाना चाहता हूं कि सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण के लिए 1975-76 में 11.86 करोड़ का प्रावधान रखा, 1976-77 में 5.24 करोड़ का प्रोविजन रखा है। यह पेज 19, जो वित्त मन्त्री का बजट भाषण है, पर दिया है। तो अब जैसा मैं पहले प्रश्न कर रहा था कि 1975-76 में प्रोग्रेस आप किस प्रकार बतलायेंगे, किस प्रकार यह आगे बढ़ेंगे ? यह आप हमारे समक्ष रखेंगे। लेकिन जो बजट प्रस्तुत कर रहे हैं 1976-77 का, वह 1975-76 से भी कम है, तो आप क्या अपेक्षा करते हैं इसके बारे में आपको सोचना चाहिये और आपको मन्त्रिमण्डल में जोर देना चाहिये। आपकी विशेष जिम्मेदारी है।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि रिजर्वेशन के अन्दर सर्विसेज में रोस्टर सिस्टम रखा गया है। मैं विभिन्न जिलों में गया था, मैंने देखा, रोस्टर सिस्टम का पालन कलेक्टर नहीं कर रहे हैं। जो अपॉइंटिंग ऑथोरिटी है

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)
वह नहीं कर रही है। इसलिए इसके परिपालन के लिए सोशल वैलफेयर डिपार्टमेन्ट के अन्दर एक सैल कायम किया जाय....

श्री मोहनलाल छंगाणी : होम डिपार्टमेंट में है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अब होम डिपार्टमेंट के पास आ गया। मैं यह चाहता हूं कि यह चीज चीफ सेक्रेट्री के अण्डर में रहे। चीफ सेक्रेट्री के अण्डर में रह कर भी अगर परिपालन अच्छी तरह से नहीं हो रहा है तो इसके इम्प्लीमेन्टेशन के लिए समाज कल्याण मन्त्री महोदय को जोर देना चाहिये (समय-समाप्ति-सूचक-घन्टा) पांच मिनिट में समाप्त करने जा रहा हूं। इसका परिपालन करना बहुत जरूरी है।

अब मैं सहकारिता के बारे में कहना चाहता हूं....

कई माननीय सदस्य : अधिक समय देना चाहिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अधिक समय देना पड़ेगा साहब!

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सहकारिता के आधार पर इन जातियों की आर्थिक स्थिति मजबूत की जा सकती है। सहकारिता के बारे में आपने उनको विशेष कन्सेशन्स दिये हैं जैसे कि सदस्य होने में सुविधा, मैनेजिंग कमेटी में 1/3, ऋण देने में 1/3 इत्यादि। परन्तु सहकारी ऋण की ब्याज की दर 18 प्रतिशत है, जो ये लोग देने की स्थिति में नहीं हैं, जब पेनल इन्ट्रेस्ट लिया जाता है तो वह डबल हो जाता है यानि 18 से 36 प्रतिशत। समय पर अधिकांश लोग नहीं दे पाते विशेषकर रेगिस्तानी क्षेत्र में तो और भी मुश्किल है। पेनल इन्ट्रेस्ट तो लगाया ही जाता है। ऐसी हालत में जो महाजनों से ऋण लेनेपर जो ब्याज चार्ज किया जाता है, उतना ही सहकारिता में ब्याज लग जाता है। साथ में इल्लीगल ग्रेटीफिकेशन सहकारी विभाग के निरीक्षकों द्वारा लिया जाता है। सब मिलाकर परिणाम इस प्रकार के निकलते हैं। अगर उनकी उन्नति करना चाहें, ऋण देना चाहें तो कुछ विशेष कन्सीडरेशन करना पड़ेगा इन जातियों के लिए। उनके लिए ब्याज दर कम करनी पड़ेगी और पेनल इन्ट्रेस्ट के लिए भी सोचना पड़ेगा। सिंचाई के कुंए के लिए 5 हजार का ऋण दिया जाता है। हमारे जैसे जिलों में जैसे सिवाना है, बालोतरा क्षेत्र है, यह राशि बहुत कम है, वहां कुआ 10 हजार रुपए से कम किसी हालत में खोदा नहीं जा सकता। तो ऐसे क्षेत्रों के लिए 10 हजार का प्रावधान होना चाहिए और 10 एकड़ का भी प्रावधान किया गया। उससे ज्यादा जमीन हो तो लोन नहीं ले सकते। इसलिए इसको 15 एकड़ करना चाहिए।

मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। हरीराम पहले इस सदन के सदस्य थे। उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि लोन वापस कर सकें। उनका कुआ, उनके पम्पिंग सेट्स सारी मशीन सब नीलाम हो गए और पेनल इन्ट्रेस्ट लगाया और उनको कोई सुविधा नहीं दी गई। जमीन भी ली गई। सब कुछ नीलाम होकर वापस

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

दूसरे लोगों के पास चली गई। इसलिए इस संबंध में भी राज्य सरकार को सोचने की आवश्यकता है।

इसके अलावा ग्रामीण स्तर पर छोटे उद्योगों की जब तक स्थापना नहीं करेंगे तब तक इन जातियों का सही रूप से विकास नहीं होगा। हमारे यहां खादी ग्रामोद्योग कताई बुनाई का कार्य ले रहा है, उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग लग रहे हैं, परन्तु वह सीमित दायरे में है। इन उद्योगों को फैलाना होगा। जापान ने इतनी तरक्की की है वह ग्रामीण स्तर पर उद्योगों को फैलाकर की है। जो पुराने ग्रामीण उद्योग हैं उनको पुनर्जीवित करना होगा और नई रोशनी लानी होगी। इस बारे में भी प्रयास करने होंगे।

जिला स्तर पर निगरानी समितियों के बारे में मेरे मित्र कह रहे थे उनकी आवश्यकता है। जिला निगरानी समितियां बनी हुई हैं उनमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स का सदस्य के रूप में ले रहे हैं, यह आपका प्रगतिशील कदम है। परन्तु इन सबके बावजूद भी जब तक शराबबंदी नहीं करेंगे तब तक अनुसूचित जाति व जन जाति के लोगों की उन्नति नहीं कर सकते। इनकी आदत शराब पीने की है, इनको चाहे उद्योग के लिए कर्जा दिया जाए, परन्तु वे शराब पीने में वह रकम लगायेंगे। इसलिए जब तक शराबबंदी नहीं की जाती है तब तक इन लोगों का कल्याण व तरक्की नहीं हो सकती, इनकी आर्थिक स्थिति सुधर नहीं सकती। आप खुश हो रहे हैं कि आपको 20 करोड़ रुपए की आय हुई, उससे कितने लोगों का चरित्र हनन किया, कितने लोगों की आर्थिक स्थिति बिगड़ा ? तो आप कितने ही प्रयास करें परन्तु जब तक शराबबंदी नहीं करेंगे तब तक इनका आर्थिक स्थिति नहीं सुधर सकेगी।

श्री सभापति : श्री चेतराम !

श्री चेतराम (टोडाभीम) : सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आभारी हूं। आज सदन में अनुसूचित जाति व आदिम जाति के आयुक्त की रिपोर्ट पर बहस हो रही है। 21 वीं रिपोर्ट आज से दो साल पहले 27 अप्रेल 1974 को राष्ट्रपति को भेंट की थी। इससे पहले जो रिपोर्ट है उस पर विचार हो चुका है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार ने इन रिपोर्टस् में, जो सिफारिशें की गई हैं, उन पर अमल किया, विचार किया ? उनको माना है या रिजेक्ट किया है ? मुझे विश्वास है कि मंत्रीजी बहुत बिजी हैं उनकी बात छोड़ दें, लेकिन किसी भी अधिकारी ने पढ़ने का कष्ट किया ? यदि किया है तो मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसी कितनी सिफारिशें हैं जिन पर आयुक्त की इस रिपोर्ट में खेद प्रकट किया है और ऐसी कितनी सिफारिशें हैं जिन पर राज्य सरकार को ताड़ना दी है ? सरकार ने भी कोई विचार नहीं किया। यदि सरकार जागरूक होती तो निश्चित रूप से रिपोर्ट आज नहीं आती, 6 साल बाद नहीं आती। खैर। अब आई है तो इस पर विचार कर रहे हैं। समाज कल्याण मंत्री कितने

(श्री चेतराम)

जागरुक है, मैं इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि उनके पास बहुत भारी विभाग हैं और उनमें यह काम नहीं होता लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन कार्यों के साथ में जो प्रावधान दिया हुआ है उनको तो पढ़ें। उसमें प्रावधान है कि आदिवासियों के लिए हर राज्य में मंत्रणा परिषद् का गठन होगा। पिछले बजट सैशन में मंत्रीजी ने उस परिषद की बैठक न बुलाने के लिए खेद प्रकट किया और आश्वासन दिया था कि निश्चित रूप से बहुत जल्दी बुलायेंगे लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उसकी बैठक आज दो साल के बाद भी नहीं बुलाई गई। मुझे विश्वास है कि आज भी वह शायद खेद व्यक्त करके ही रहेंगे। तभी तो मैं यह सोचता हूं कि हमारे समाज कल्याण मन्त्रीजी और हमारी राजस्थान सरकार की मशीनरी इस ओर जागरुक नहीं है। जब मन्त्री महोदय जागरुक नहीं हैं तो सरकारी मशीनरी कैसे जागरुक हो सकती है। मेरा समाज कल्याण मन्त्री जी से यह निवेदन है कि वह इस ओर अधिक ध्यान दें। अगर आप इस ओर ध्यान देंगे और इन लोगों का विकास करेंगे तो आप हमारे देश की 28 प्रतिशत जनता का उत्थान करेंगे। और इसमें राजस्थान का भी उत्थान होगा।

अब थोड़ा मैं, सभापति महोदय, कुछ मुद्दे आपके सामने रखना चाहूंगा। एक तो यह है कि आपने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों के लिये सहकारी समितियों में सहकारी बैंकों में, ग्राम पंचायतों में और दूसरी सहकारी संस्थाओं में आपने एक्ट में संशोधन करके उनमें इन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिये विशेष रिजर्वेशन किये हैं उन्हें कुछ सुविधायें दी हैं। सभापति महोदय, जब से हमारे देश की प्रधान मन्त्री ने 20 सूत्री कार्यक्रम हमारे सामने रखा है तब से राज्य सरकार ने इस 20 सूत्री कार्यक्रम को अमली जामा पहनाने के लिये आर्डिनेन्स इश्यू किया और बाद में आपने इस प्रकार उस एक्ट में किया जो कि बहुत ही अच्छा कदम है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस एक्ट में संशोधन होने के बाद भी आज दिन तक कोई ग्राम सहकारी समिति में, कोई को-ऑपरेटिव बैंक में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को उनमें लिया गया है और उसके अनुसार अभी तक कोई फायदा नहीं हुआ है उन्हें। इसलिये मैं राज्य सरकार को, सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को इन सहकारी बैंकों और सोसाइटीज में जगह दें। इसके अलावा आज जो आपने इन सहकारी बैंकों के माध्यम से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को पांच हजार रुपये तक कर्ज देने का प्रावधान है लेकिन आज तक इन सहकारी समितियों के सदस्यों को और जन जाति के लोगों को कोई ऋण नहीं दिया गया है आपने जो ब्याज नहीं लेकर लोन देने की बात की है वह आप जल्दी से जल्दी दें। और इसके लिये मैं मन्त्री महोदय से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आप आज ही सेक्रेटेरियेट से स्पेशल आदेश इस आशय के इश्यू करें ताकि उन लोगों को राहत मिले।

(श्री चेतराम)

इसके अलावा मैं एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि आज आपने बन्धक कानून बनाया जिससे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों का शोषण नहीं हो लेकिन आपको मालूम होना चाहिये कि आज भी लोगों से बॉन्डेड लेबर ली जा रही है। वैसे आपने कानून बनाया है कुछ रिजल्ट्स इसके सामने आये हैं। वैसे यह एक अच्छा कदम है। लेकिन मैं राज्य सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि जब बॉन्डेड लेबर का मतलब है जबरदस्ती किसी से श्रम लेना। किसी आदमी की बिना मर्जी से उससे काम लेना। जितनी मजदूरी आप उससे लेते हैं उसके मुताबिक उसको पैसा नहीं देते तो एक व्यक्ति मजबूरी की हालत में जब काम करता है तो वह अपने आप बोन्डेड लेबर की डेफीनेशन में आ गया। आज आपने ग्रेजुएट्स को और पोस्ट ग्रेजुएट्स को क्रमशः 150 और 250 रुपये का स्टाईपेन्ड देने की योजना बना रखी है और आप कुछ लोगों को देते भी हैं। सभापति महोदय, एक बी.ए. पास व्यक्ति को आप सिर्फ 150) रु. देते हैं और वहीं पर अगर दूसरी जाति का लड़का काम करता है बी. ए. पास तो आपको उसे 300-325 रुपये देने पड़ते हैं। और एम. ए. पास अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति का कोई लड़का काम करता है वहां उसे जो कि गजेटेड पोस्ट होती है आप उसको 250 रुपये ही देकर रवाना कर देते हैं जबकि उसी पोस्ट पर दूसरी जाति के लोगों को आप उसी पोस्ट पर काम करने के लिये 700 रुपये देते हैं और अगर वह व्यक्ति ज्यादा पैसे की मांग करता है तो आप उसको जबरदस्ती बाध्य करते हैं 150 और 250 रुपये में काम करने के लिये। तो क्या यह आप उससे बॉन्डेड लेबर नहीं ले रहे हैं ? आप उस व्यक्ति से जबरदस्ती कम पैसे में काम ले रहे हैं। तो बॉन्डेड लेबर की परिभाषा के अनुसार अगर हम देखते हैं तो उसके अनुसार यह बॉन्डेड लेबर में आता है इसलिये मेरा राज्य-सरकार से यह निवेदन है कि आपको उन्हें पूरी तनख्वाह देनी चाहिये और सिर्फ स्टाईपेन्ड देकर ही बात खत्म नहीं करा देनी चाहिये।

इसके अलावा, सभापति महोदय, मैं थोड़ा हमारे जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के विद्यार्थियों के छात्रावासों के बारे में भी निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, इन छात्रावासों की हालत बहुत खराब है। मैंने उनकी दुर्दशा के बारे में जिला स्तर पर कई बार लिखा-पढ़ी की लेकिन किसी ऑफिसर ने मेरी लिखा-पढ़ी को एकनॉलिज तक नहीं किया। कोई सुनने वाला ही नहीं। सभापति महोदय, मैं आपको एक-दो उदाहरण इस बात के दूंगा कि किस तरह राज्य सरकार के अधिकारी जो पैसा इन छात्रावासों के लिये आता है, उन्हें अपने निजी काम में ले लेते हैं। जिससे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को उनका लाभ नहीं मिलता। सभापति महोदय, हमारे सवाई माधोपुर में एक कॉलेज है वहां पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के विद्यार्थियों के लिये बुक्स के लिये और दूसरे सामान के लिये पैसा दिया गया था। यह 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के अन्तर्गत 1,700

(श्री चेतराम)

रुपये दिये गये थे लेकिन वह रुपया उसके काम में न लेकर उसको वहां के कॉलेज के प्रिन्सिपल ने अपने निजी काम के लिये दो आरामकुर्सियां बना ली और वह सारा का सारा पैसा अपने काम में ले लिया। मैं समाज कल्याण मन्त्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिये उनके खिलाफ जांच करके दोषी व्यक्ति के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये। इसी प्रकार गवर्नमेंट कॉलेज करौली के अन्दर वहां के प्रिन्सिपल ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के छात्रों के स्कॉलरशिप के फार्म वहां से समय पर फॉरवर्ड नहीं किये जिसका नतीजा यह हुआ कि उन लोगों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। अब उन बेचारे छात्रों के पास कोई चारा नहीं है कि उन विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप मिल जाये। इसलिये मेरा समाज कल्याण मन्त्रीजी से और शिक्षा मन्त्री जी से यह निवेदन है कि वह इसके लिये कार्यवाही करें और उन गरीब बच्चों को छात्रवृत्ति दिलाने की कृपा करें। मुझे आशा है कि मन्त्री महोदय इस ओर जरूर ध्यान देंगे।

इसके अलावा एक बात और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने कुछ समय पहले एक घोषणा की थी कि गरीब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को मुफ्त लीगल एडवाइज दी जायेगी राज्य सरकार द्वारा। सभापति महोदय, इसके लिये जो कमेटी एपॉइन्ट की थी उसने जो सिफारिश की थी उसकी सिफारिशों को देख कर हंसी आती है एक तरफ राज्य सरकार लीगल एड देने की बात करती है दूसरी तरफ वह लीगल एड कुछ भी नहीं है। आपने हाईकोर्ट में केस लड़े जाने के लिये सिर्फ 25 हजार रुपये रखे हैं। अब जिला स्तर के केसेज जो हाईकोर्ट में इन गरीबों के जावें उसके लिये आपने 25 हजार रुपये रखे हैं। 25 हजार में आप हाईकोर्ट में कितने केस लड़ सकते हैं? वहां कितनी फीस वकील लोग लेते हैं, कितनी स्टाम्प फी और दूसरा खर्चा लगता है उससे आप कितने गरीबों का भला कर सकेंगे? इसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट एण्ड सेशन जज के कोर्ट के केसेज के लिये आपने लीगल एड जो रखी है वह है पांच हजार रुपये। अब, सभापति महोदय, एक डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे दो-दो डिस्ट्रिक्ट्स आ जाती हैं – जैसे भरतपुर डिस्ट्रिक्ट जज के नीचे भरतपुर और सवाई माधोपुर। अब आप पांच हजार रुपये में कितने लोगों का भला कर सकेंगे? तो मेरा निवेदन है कि अगर आप सही मायने में लीगल एड देना चाहते हैं तो आपको चाहिये कि आप लीगल एड की राशि को पर्याप्त कीजिये ताकि गरीबों का भला हो। और इसके लिये मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि गरीब लोग जो केस लड़ते हैं उन्हें आप जिस तरह आज सरकारी कर्मचारियों को मैडिकल रिएम्बर्समेन्ट करते हैं उसी तरह इन लोगों को भी रिएम्बर्समेन्ट करना चाहिये ताकि जो खर्चा वह लोग करें वह उन्हें मिल जाय। इसी तरह जिस प्रकार आप मैडिकल रिएम्बर्समेन्ट सरकारी कर्मचारियों को करते हैं उसी तरह गरीब लोगों को भी मैडिकल एड मिलनी चाहिये।

अब, सभापति महोदय, सवाई माधोपुर जिले में अभी 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के तहत जो भूमि का आवंटन गरीब लोगों को किया गया है उसमें करीब 16 हजार लोगों को

(श्री चेतराम)

एग्रीकल्चर लैण्ड भूमिहीनों को दी गई है। इसमें, सभापति महोदय, 85 प्रतिशत व्यक्ति तो ऐसे होंगे जिनको जमीन अलॉट की हुई है वह उन्हें जमीन सिर्फ कागजों में तो मिल गई है लेकिन उसका कब्जा नहीं मिला है। सिर्फ 15 प्रतिशत ऐसे अनुसूचित जाति के लोग हैं जिन्हें कब्जा मिला होगा या कि इनमें भी प्रभावशाली हैं या जिन लोगों ने पटवारियों को या रेवेन्यू ऑथोरिटी को पैसा दिया है। आप चाहें तो रिकार्ड मंगा कर देख लें। इसलिए हुआ यह है कि लोगों ने कब्जा कर रखा है एक पटवारी ने दो-दो व्यक्तियों के नाम जमीन अलॉट कर दी है वहां पर सिर फूट रहे हैं इसलिए मेरा राज्य सरकार से यह निवेदन है कि मौके पर जाकर भूमिहीनों को दुबारा जाकर भूमि के पट्टे दिए जाएं। नहीं तो पटवारी और दूसरे रेवेन्यू अधिकारी हैं, उनका शोषण करेंगे। इसलिए, माननीय मन्त्री जी, इस वर्ग में से आने वाले व्यक्तियों को, जिला प्रशासन को कहिए कि उनको कब्जा दे और उनका शोषण न करें

इन आदिवासियों के एम्प्लोयमेन्ट के बारे में थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा। राज्य सरकार का मैं आभारी हूं कि उन्होंने रिजर्वेशन का फार्मूला अपनाया। राजस्थान कई स्टेट्स से आगे है। उस आदेश में एडहॉक आदेश इस प्रकार के हो गए हैं कि जिससे बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इन कम्युनिटीज को एडहॉक अपाइन्टमेन्टस देकर उनकी प्रोग्रेस को रोका गया है इसलिए इन कम्युनिटीज के साथ भी वह ही फार्मूला अपनाया जाय जो कि दूसरी कम्युनिटीज के बारे में अपनाया गया है, यदि आप प्रॉयोरिटी नहीं देना चाहते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

एक निवेदन यह करना चाहूंगा कि इन कम्युनिटीज को छात्रवृत्ति बहुत देर से मिलती है। इसलिए इन विद्यार्थियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। सब ही कॉलेज, स्कूलों को आदेश दीजियेगा कि शिड्यूल्ड कॉस्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रों से फीस न ली जाय और उनकी छात्रवृत्ति में से एडजस्ट किया जाय और छात्रावास में जो लड़के हैं, दो महीने के अन्दर जो भी आप उनको हैल्प करना चाहते हैं वह उनको मिल जाय। दो-तीन महीने के बाद ही उनको वह मिलना प्रारम्भ हो जाना चाहिये। यही निवेदन करना चाहता था।

श्री सभापति. श्री मूलचन्द सामरिया।

एक माननीय सदस्य : मुझे समय दिया जाय।

श्री सभापति : आपको बाद में।

श्री मूलचन्द सामरिया (दासा) : सभापति महोदय, 70-71, 71-72, 72-73 की रिपोर्ट्स के बारे में विचार पेश करना चाहूंगा। सरकार की ओर से बहुत देर से सदन के अन्दर पेश की गई

(श्री मूलचन्द सामरिया)

हैं। माननीय सदस्यगण ने भी निवेदन किया और, मैं समझता हूं, इस उपेक्षित वर्ग की उपेक्षित रिपोर्ट सरकार की ओर से रही है।

माननीय सभापतिजी, जब इस रिपोर्ट को हम पढ़ते हैं और वस्तु स्थिति को देखते है तो ऐसा लगता है कि प्रदेश के उन नंगे-भूखे लोगों के बारे में जो व्याख्या की गई है जिसकी सिफारिशों पर काई गौर न करके यह सरकार उन किताबों को पढ़ने तक का कष्ट नहीं करती है।

माननीय सभापति जी, समाज के समृद्ध लोग इस सड़े-गले मुर्दे का पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं जिसका इलाज कम से कम इस सरकार के द्वारा होने की आशा नहीं की जा सकती है। मैं इस बाबत, अगर राजनैतिक स्थिति के बारे में चर्चा करूं क्योंकि मेरे से पूर्व वक्ताओं ने राजनैतिक समानता की बात जोरदार शब्दों में कही है तो अनुपयुक्त नहीं होगा। प्रथम राष्ट्रपति शिड्यूल्ड कास्ट में से आ सकते थे, एक बार अवसर था शिड्यूल्ड कास्ट में से आने का। शिड्यूल्ड कास्ट के नंगे लोगों को कपड़ा, भूखे लोगों को रोटी और रहने के लिए मकान नहीं मिल जाता है तब तक राजनैतिक समानता नहीं आ सकती। एक व्यक्ति बीमारी का इलाज नहीं करवा सकता। निवेदन और दलीलों से वास्तविकता ही बताने की कोशिश करेंगे।

चुनाव की जो पद्धति है वह काफी महंगी है। और रिजर्वेशन की इसमें व्यवस्था न हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिस्थितियां हैं, एक भी कास्ट और ट्राइब का व्यक्ति जीत नहीं सकता है और कोई मिसाल हो तो मन्त्री जी अपने उत्तर में बताने की कोशिश करेंगे।

इस व्यवस्था के मुताबिक कुछ लोग कास्ट और ट्राइब के जरूर विधान सभाओं और पार्लियामेन्ट में पहुंचते हैं किन्तु वस्तु:स्थिति यह है कि वे ही विधान सभाओं और पार्लियामेन्ट में पहुंचते हैं जो कि किसी पार्टी से सम्बद्ध होकर उन पार्टीज के नेताओं की चमचागिरी करते हैं, अथवा उनको खुश करते हैं। चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे स्वतन्त्र पार्टी हो, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो। कास्ट एण्ड ट्राइब के भी वे ही लोग आ सकते हैं जो नेताओं के प्रति वफादार हों न कि जनता के प्रति उत्तरदायित्व की भावना रखते हों। ऐसे स्वतन्त्र लोगों को किसी पार्टी से टिकिट नहीं मिलता। डॉ. अम्बेडकर का ही उदाहरण ले लीजिए। उनका कहना था कि सीटों का नम्बर कम हो। शिड्यूल्ड-कास्ट के लिये सीट हैं तो शिड्यूल्ड कास्ट की ही हो और ट्राइब के लिए है तो ट्राइब की ही हो जिससे कास्ट वाला कास्ट के प्रति अधिक जिम्मेदार रहेगा और ट्राइब वाला ट्राइब के प्रति अधिक जिम्मेदार रहेगा। इससे उनमें चेतना आ सकती है, जागृति आ सकती है। उनकी बात वजनदार थी। उनकी बात को नहीं माना गया।

राजनैतिक क्षेत्र में यह ही नहीं, बहुत समय वेस्ट न करते हुये, यह निवेदन करूं कि जहां तक कार्पोरेशन के चेयरमेन और बड़े बड़े पदों का सवाल

(श्री मूलचन्द सांमरिया)
है राजस्थान सरकार ने कभी भी कास्ट के लोगों को ऊंचे पदों पर आसीन नहीं किया। हो सकता है भीखाभाई को बना दिया हो। लेकिन वह भी कोई विशेष महत्व का पद नहीं। जैसे रोडवेज कार्पोरेशन के चेयरमेन का पद हो, समाज कल्याण विभाग के आप मन्त्री हैं, कास्ट का व्यक्ति उनकी पार्टी का भी नहीं होगा। कभी बना नहीं सकते। क्योंकि वे समझते हैं कि ये हमारे पिछलग्गू हैं। ओरिजिनलिटी नहीं है। इसलिए वे रखना भी उचित नहीं समझते हैं और न ही उनका विकास होने देते हैं जिससे कि उनका स्वतन्त्र अस्तित्व न हो जाय। मैं राजनैतिक आधार पर यह भी निवेदन करूं कि कितने सरपंच, प्रधान कास्ट में से लिए हैं इस बात को गिना देंगे तो मेरी समझ में आवेगा कि कुछ हद तक राजनैतिक चेतना आई है। इन सब के लिए जिम्मेवार मैं सामाजिक परिस्थितियों को ही मानता हूं।

सभापति महोदय, इस वातावरण में हिन्दुस्तान में राजनैतिक आजादी मिली वह लिमिटेड स्पीयर में कायम रही। Democracy far haves or for have nots, 'हेव नोट्स' में कास्ट और ट्राइब्स आता हैं। उनके लिए जनतन्त्र का मूल्य नहीं, वे भी नहीं समझते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इतने कीमती चुनावों की ओर साहस कर सकें। सबसे बड़ी कमजोरी की बात यह है कि कास्ट और ट्राइब में आत्मविश्वास की कमी है और उनमें हीन पने की भावना है। क्योंकि इस राजनैतिक तन्त्र में बड़े बड़े नेताओं ने इस ओर वह भावना पैदा नहीं होने दी जो कि होनी चाहिये थी। राजस्थान का कोई भी कास्ट और ट्राइब का आदमी मंत्री पद के योग्य नहीं है और इनमें कोई राज्य मंत्री है भी तो वह हमेशा इस बात के लिए सतर्क रहता है कि यदि मुख्य मंत्री के क्रोध का भाजन हो गया तो उसका क्या होगा। इस तरह से लोगों में आत्मविश्वास की कमी और नैतिक मूल्यों का जो पतन किया गया है यह आज की चुनाव व्यवस्था की वजह से है और यही सामाजिक बुराइयों की जड़ है।

माननीय सभापति जी, मुझसे पूर्व वक्ता ने इन्टरकास्ट मैरिज की वकालत की थी। यह भी हमारी हीनता की भावना को ही प्रतिबिम्बित करता है। अगर मैं यह मानूं कि किसी पंडित की लड़की सुपीरियर होती है और खटीक की लड़की गिरी हुई होती है और पंडित के यहां शादी होने से मेरा मोक्ष हो जायेगा या मैं भगवान हो जाऊंगा या ऊंचा हो जाऊंगा यह भावनायें बुराइयों की जड़ में जाने वाली है। यह हमारे अन्तर को प्रतिबिम्बित करता है क्योंकि हम इतने गिर चुके हैं कि हम अपने को इन्सान मानने के लिए तैयार नहीं हैं। इस सामाजिक व्यवस्था ने हरिजन को नीचा कहने के लिए मजबूर किया है और जब कभी वार्तालाप कहीं पर होती है तो हरिजन अपने को नीचा कह कर ही संबोधित करता है। यह सब सामाजिक मजबूरी है। हम इस तरह की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इन्टरकास्ट मैरिज के लिए मैं आपको कई मिसालें दे सकता हूं। इस मिनिस्ट्री के केडर के लोगों ने अपनी लड़कियों की शादी अदर दैन दी कास्ट की

(श्री मूलचन्द सामरिया)
वे असफल रही हैं। उसका कारण यह है कि शादी करने मात्र से सामाजिक परिवर्तन नहीं हो सकते बल्कि पूरे समाज का स्टेण्डर्ड ऑफ लिविंग, खानपीन, रहन-सहन जब तक नहीं बदलेगा तब तक सौ, दो सौ शादियां करने से समाज में रद्दोबदल आने की बात नहीं है। बल्कि यह सही रास्ते पर बढ़ने को, रोकने के लिए जब तक जागृत और समृद्ध लागों के दिमागों में नफरत की भावना है तब तक उस परिस्थिति में एक हरिजन परिवार का व्यक्ति इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। इसलिए इस तरह की व्यवस्थाओं से हमारे समाज का, कास्ट का या ट्राइब्स का कोई भला होने वाला नहीं है। हमें हमारी कास्ट में ही ऐसी लड़कियों को काबिल करना है जिनकी तुलना सवर्ण जाति की लड़कियों से कर सकते हैं। जब तक इस स्टेट्स तक कास्ट की लड़कियां नहीं पहुंचती हैं तो आप गौरव के साथ कैसे कह देते हैं कि राजस्थान तरक्की कर रहा है, राजस्थान का स्टेण्डर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है? उस समय आप शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लोगों को छोड़कर बातें करते हैं।

माननीय सभापति जी, आज सामाजिक दृष्टि से छुआछूत की भावना आज भी मौजूद है। आज भी इस छुआछूत की भावना के साथ उनके रहन-सहन, गन्दी बस्तियां, फटे कपड़े, मैले कपड़े, आधे भूखे, आधे नंगे रहना जुड़ा हुआ है। कोई भी व्यक्ति, मैं समझता हूं, अगर देखा जाये तो सभापति जी, अप्रत्यक्ष रूप से सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आज सरकार हरिजनों से मैला सिर पर ढुलाती है। वह हरिजन सिर पर मैला लेकर बाजार से निकले तो मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं उस व्यक्ति के बारे में जो कि सिर पर मैला ढोकर चलता है। कभी कभी राजनैतिक फायदा उठाने के लिए मैंने देखा है कि बहुत से मिनिस्टर हरिजन मोहल्लों में पधारते हैं तो झाड़ू हाथ में लेकर अपना फोटो खिचवाते हैं और ज्योंही फोटो खिची कि झाड़ू स्वतः ही छूट जाती है। मिनिस्टर साहब को झाड़ू नयी लाकर दे देंगे लेकिन मैला ढोने वाली प्रथा को कोई मैले की परात सिर पर रखकर मिनिस्टर फोटो खिचवाये और फिर कम से कम यह एहसास करे कि मैला सिर पर रखना कितना अच्छा होता है। अगर यह अच्छी बात है तो फिर मिनिस्टर को हफ्ते में एक बार मैला ढोना चाहिए और समाज कल्याण मंत्री को मैला नहीं तो सुन्दर से सुन्दर मार्केट जौहरी बाजार में एक घंटे रोज झाड़ू लगानी चाहिए और उन गलियों को वे साफ करें और अपने सिर पर मैला ढोकर बतायें तो मैं कह सकता हूं और वह भी बता सकते हैं कि सिर पर मैला ढोना कितना अच्छा काम है। अगर आप ऐसा करेंगे फिर भी आपकी प्रतिष्ठा में फर्क नहीं आयेगा बल्कि हम लोग इतनी परवाह करते हैं कि हम आपको सिर पर उठा लेंगे। आप कभी कभी एक कप चाय पी लेते हैं उसी में हम समझते हैं कि उद्धार हो गया और उस नाम पर वोट देते हैं और आपको आगे बढ़ा देते हैं। कम से कम आप हरिजन बस्ती में पधारें और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब आप रैगर मोहल्ले में, खटीकान मण्डी में पधारें तो, सभापति जी, मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि

(श्री मूलचन्द सामरिया)

आप उल्टियां कर देंगे। इन गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए जब जयपुर के सौन्दर्यकरण की आपको बहुत अधिक परवाह होती है, वह बड़े बड़े लोगों के लिए और धनीमानी लोगों के लिए सब कुछ होता है। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि आप अगर हरिजनों के रहन-सहन का दर्जा बढ़ा सकें, उनके खान-पीन का दर्जा बढ़ा सकें, उनकी वेशभूषा में परिवर्तन ला सकें और उनकी आवश्यक चीजों की आप पूर्ति कर सकें तो उन नंगे-भूखों के साथ आपका बहुत बड़ा उपकार होगा।

सभापति महोदय, मुझसे पूर्व वक्ता ने कत्ल और बलात्कार की बातें कीं। मैं इसको साधारण बात मानता हूं। जिस समय बैलेन्स ऑफ पॉवर बिगड़ती है तो जो लोग पॉवर में होते हैं वह हमेशा कमजोर लोगों पर हावी होते हैं। कोई बलात्कार भी कर सकते हैं क्योंकि इसके लिए वह सक्षम हो सकते हैं। वह लोग कत्ल भी कर सकते हैं, जबरदस्ती जमीन भी हड़प कर सकते हैं क्योंकि वह सक्षम हैं। सक्षम ही नहीं उनमें राजनैतिक जागृति होती है। वह आपकी सरकारों को बदल सकते हैं, बना सकते हैं और किसी को मिनिस्ट्री में रख सकते हैं और हटा सकते हैं। उनके द्वारा बलात्कार किया जाये तो कौन इस दुनिया में माई का लाल, गरीब, असहाय, नंगा-भूखा, अंधकार में गन्दी बस्तियों में रहने वाला होगा और कौन उनकी हिमायत लेगा? यह सिर्फ नारा हो सकता है हरिजन कल्याण का, समाज सेवा का और समाजवाद का और वह नारा उस समय तक लगता है जब कि वोट की आवश्यकता होती है। पेटी में वोट और नारा खत्म और फिर मिनिस्टर बनने के षड़यंत्र चलते हैं। कई बार वित्त मंत्री जी ने प्रश्न के जवाब में बताया, कई बार विद्युत मंत्री जी ने बताया कि जहां भी नल योजना लगेगी, बिजली लगेगी तो पहले हरिजनों के मुहल्ले में हम देंगे। मैंने कहा कि गजब कर रहे हैं कि हरिजन मोहल्लों को पहले बिजली और पानी देंगे, अन्त में देने की बात भी कह देंगे तो समझ में आयेगी। आप विधान सभा में घोषणा करने से आप सूर्य तो नहीं जो प्रकाश कर देंगे, कोई इन्द्र तो नहीं जो पानी दे देंगे। कब आप व्यवहारिक दृष्टि से जिन जगहों में बिजली पहुंचती है उससे हरिजन मोहल्ले को रोशन कर देंगे? जिन कुओं से पानी नहीं लेने देते हैं उनके लिए तो असमर्थ हैं, चाहे हांडा साहब कहें या मैं कहूं क्योंकि वह आपके लिए खतरनाक होगा लेकिन वहां पर दूसरे पानी की व्यवस्था कर सकते हैं क्योंकि मैं आपका इसके अन्दर सक्षम नहीं समझता हूं कि आप ताकतवर लोगों को पकड़ेंगे। हरिजन जैसे गरीब व्यक्ति को जिसको आप लिस्ट में मानते हैं और कहते हैं कि इतने हरिजन यह हमारे हैं और जिनको आप गुलाम मानते हैं उनके बारे में क्यों सोचेंगे? क्योंकि वह तो आपके गिरवी हैं, बंधक हैं। इसलिए अलग से पानी का व्यवस्था कर देंगे तो भी मैं यह समझूंगा कि आपने बहुत अच्छा काम किया है।

आज आर्थिक स्थिति के बारे में या तो सरकारी नौकरी या खेत मजदूरी और दस-दस मन्जिल के मकान बना-बनाकर हरिजन देते हैं और इसी तरह से जो आर्थिक साधन जिन्दा रहने के लिए हैं इस बारे में निवेदन करूंगा कि जब भी आप 28 प्रतिशत की बात करते हैं तो शायद आपके दिमाग में

(श्री मूलचन्द सामरिया)

बड़ी बड़ी नगर परिषदें हैं और इनमें हरिजन झाड़ू लगाते हैं, जो गटर्स साफ करते हैं, जिनको सफाई करते समय आप यदि दो मिनट खड़े हों तो आप भी उल्टी कर दें। ऐसी गन्दी जगहों पर मैला ढोते हैं, न केवल इंसानों का बल्कि सूअर और कुत्तों का भी। मरे हुए जानवरों को उठाते हैं, मुर्दा मवेशियों को उठाते हैं, इन लोगों को इस काम के बदले कुछ पैसे देते हैं जिससे वह बामुश्किल अपना पेट भर सकें। वहां भी आप 28 पर्सेन्ट रिजर्वेशन मानते हैं। सभापति महोदय, अगर सरकार में दम है तो मैं चुनौती देता हूं आप इन लोगों का डी-रिजर्वेशन कीजिए, सफाई कर्मचारियों में कम से कम नोन-शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को कम से कम नॉन भंगी को लेने के लिए दस पर्सेन्ट भी सवर्णों का रिजर्वेशन करिये तो मैं राज्य सरकार का और आपका बड़ा आभारी होऊंगा क्योंकि वे लोग वहां जाने के बाद आपको मजबूर करेंगे कि सफाई के कैसे इक्विपमेंट होने चाहिएं, किस तरह से समाज में इज्जत के साथ रह सकते हैं। अगर उसमें दस पर्सेन्ट ही दूसरे लोग आ जायेंगे तो मैं समझता हूं ......

श्री दीपंकर : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि चार बजे तक डिबेट का समय निश्चित है और उसके बाद उत्तर होगा तो उसके अनुपात में जो भी हमारी पार्टी का समय बनता है उसके अनुसार टाइम देने की कृपा करें। यह क्या कि एक-एक व्यक्ति को आधा-आधा घण्टा बोलने दिया जावे और किसी को बिल्कुल नहीं।

श्री मूलचन्द सामरिया : मैंने कितना टाइम ले लिया ?

श्री दीपंकर : मैं यह नहीं कहता कि आप नहीं बोलें।

श्री मूलचन्द सामरिया : जब कभी एक बात को दुबारा रखूं तो आप रोक दें। मैं सक्षेप में ही निवेदन कर रहा हूं और अपने दुख दर्द निवेदन कर रहा हूं। दो तीन साल के बाद तो आज मौका मिला है तो सुन लीजिए।

आर्थिक स्थिति के संबंध में मैं यह निवेदन करूं कि आप इसमें डी-रिजर्वेशन लगा कर देखिए। अब जिन्दा रहने के लिए आप क्या देते हैं ? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज आप मेहतर को समाज सेवक कहते हैं, वह पागलपन का मरीज, टी. बी. का मरीज, मोतीझरे का मरीज, हैजे का मरीज आदि लोगों के द्वारा जो झूठी चीजें छोड़ी हुई हैं, उनका झूठा भोजन, इन मरीजों का झूठा भोजन, पागलों का भोजन, झूठा भोजन जिसमें लार गिर जाय उसको खाने को मजबूर होता है। आपको कितना गौरव है, कितनी प्रगतिशील सरकार है, कितनी समानता की दुहाई देने वाली सरकार, उसको खाने को मजबूर करती है। उसको कोई इन्सान नहीं खा सकता जब तक कि उसकी मरने की स्थिति नहीं आए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि इस तरह की व्यवस्था में आप कम से कम कटौती करें। चाहे कानून बनायें। (समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी) मैं संक्षेप में ही अर्ज कर रहा हूं। दूसरे जो सोर्स हैं इन्कम के वे नौकरी से हो सकते हैं।

(श्री मूलचन्द सामरिया)

जब आप अपना जवाब दें तो सभापति महोदय, मैं मन्त्री महोदय को आपके मार्फत निवेदन करना चाहता हूं कि आप फरमाना कि राजस्थान में हायर ज्युडिशियल सर्विसेज में कितने लोग हैं, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में कितने लोग हैं और कितने लोग राजस्थान इण्डियन फोरेन सर्विसेज में हैं और कितने लोग इण्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और इण्डियन पुलिस सर्विस में हैं, कितने लोग राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और राजस्थान पुलिस सर्विस में हैं, कितने सैल्स टैक्स अफसर हैं एण्ड अबाव हैं, कितने इन्कम टैक्स अफसर एण्ड अबाव रैंक में हैं जो शिड्यूल्ड कास्ट एण्ड ट्राइब्स के हैं। अलग अलग श्रेणीवार आप बताने की कृपा करें। चूंकि आपको मिसाल के तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि गत दो साल से राजस्थान ज्युडिशियल सर्विस में एक भी व्यक्ति इनमें से कास्ट और ट्राइब्स का व्यक्ति नहीं आया है। विश्वविद्यालयों के लेक्चरार और प्रोफेसरों के लिए भी शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स का कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। ऐसी जगहों पर जहां पर "की" पोस्टें हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की 'की" पोस्टें हैं वहां पर इनको फटकने नहीं देते। सरकार की जो नीति बना कर लागू कर सकें वहां पर काबिल लोगों को आने नहीं दें, न मरने दें और न जिन्दा रहने दें, अधर हालत में रख कर इन गरीबों को रहने की स्थिति में रखना चाहते है. यह शोभनीय बात नहीं है।

दूसरा साधन खेती है। खेती के मामले मे मैं निवेदन करूं कि सरकार यह भी बताने की कृपा करे कि आपने कितनी जमीन शिड्यूल्ड कास्ट को दी और कितनी कब्जे में है। अभी बीस सूत्री प्रोग्राम से पूर्व कितनी-कितनी भूमि दी और बाद में कितनी अलॉट हुई और कितनी पर एक्चुअल कब्जा है। मैं यह भी निवेदन करूं कि एक कानून के मुताबिक हरिजनों की और कास्ट और ट्राइब्स की जमीन कोई सवर्ण नहीं ले सकता है। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, लालसोट तहसील के अन्दर ऐसे बहुत से मामले हैं जिनके बारे में राजस्व मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाया और उन्होंने एश्योरेंस दिलाया था कि वापिस कैंसिल करके खातेदारी लोगों को दिलायेंगे लेकिन वहां शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स की इन चीजों पर सरकार कभी भी एश्योरेंस दे सकती है लेकिन इस बात की परवाह नहीं है कि वे एश्योरेंस कभी इम्प्लीमेंट भी होते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मजदूरी ही मुख्य धन्धा है। मजदूरी के अन्दर भी खानों की बात करूं, माननीय सभापतिजी, उस समय खान विभाग के मन्त्रीजी ने यह फरमाया था ...

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

मैं बहुत संक्षेप में अर्ज कर रहा हूं कि चूंकि मकराने का पत्थर कीमती है और कीमती पत्थर में रिजर्वेशन नहीं रखेंगे, इससे साफ जाहिर होता है सरकार की मंशा का। वह छोटे-छोटे काम, रोड़ी है, बजरी है, डबोले हैं इनका रिजर्वेशन करेंगे लेकिन कीमती पत्थर के अन्दर कास्ट के लोगों को या ट्राइब्स के लोगों को रिजर्वेशन मिले इसकी कोई आशा नहीं। कहीं वे अपने पैरों पर खड़े होकर बराबर चलने

(श्री मूलचन्द सामरिया)

की स्थिति में नहीं आ जायं, इस तरह की सरकार की नीति है सभापति जी। आज व्यापार के क्षेत्र में

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

मैं बहुत सूक्ष्म में निवेदन कर रहा हूं, मुझे थोड़ा समय चाहिए। खाद्य पदार्थों का व्यापार तो ये लोग इसलिए नहीं करते कि इस प्रगतिशील सरकार ने इस समाज के लोगों के दिमाग में यह बात बैठा रखी है कि किसी भी हरिजन के हाथ का छूआ हुआ पदार्थ या पेयजल कोई नहीं खा सकता है इससे वे अपने आप ही महरूम हो जाते हैं। लेकिन ऐसी चीजें जो कि खाई तो जा सकती हैं लेकिन जिनके द्वारा, उनके छूने से छूत की बीमारी आगे नहीं बढ़ती है ऐसी दुकानें भी करें तो सरकार ने कितने लोगों को कर्ज देकर दुकानें खुलवाने के लिए और बिजनेस करने के लिए व्यवस्था की है।

इसके साथ-साथ अन्त में मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर हमें इनकी स्थिति को सुधारना है तो आप सारे छात्रावासों को बन्द कर दीजिए, नौकरियों में रिजर्वेशन खत्म कर दें, राजनैतिक संरक्षण और रिजर्वेशन खत्म कर दें लेकिन आप ईमानदारी से शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोगों को स्वावलम्बी बनाना चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि आप इसमें 28 पर्सेन्ट रिजर्वेशन की बात जो है वह उद्योगों में करिये सरकारी उद्योग जितने भी बड़े उद्योग, लघु उद्योग या मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं इसमें आप 28 पर्सेन्ट रिजर्वेशन शिड्यूल कास्ट के लोगों का करें और जो बड़े उद्योग हैं, जो नेशनलाईज्ड उद्योग हैं, उनमें 28 पर्सेन्ट जगहों पर शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोगों को सभी पदों पर, हायेस्ट पोस्ट और चपरासी तक सभी पर रिजर्वेशन करें तो मैं दावे के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि विदिन फाईव ईयर्स आप इस समाज को स्वावलम्बी बना सकते हैं और आज देश के कलंक और सांप बने हुए हैं यही देश के प्रगतिशील लोगों में गिने जा सकते हैं।

माननीय सभापति जी, जहां तक शिक्षा का प्रश्न है, मुझ से पूर्व वक्ताओं ने इस पर प्रकाश डाला है। (समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी) महिला शिक्षा के शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के आंकड़े देखें तो महिलाओं की पढ़ाई तो क्या आज बच्चे भी अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते धनाभाव के कारण। आज जो उनके लिए अलग छात्रावास बना रखे हैं उनमें कैदियों की सी उनकी स्थिति होती है और उनको बहुत हल्का भोजन खाने को मिलता है और जो बच्चे वहां पर रहते हैं, उनको होस्टल सुपरिन्टेन्डेंट उनका घरेलू नौकरों की तरह से रखता है। उनको पाष्टिक आहार नहीं मिलता है। आज पढ़ाई के लिए कितने ही बच्चे वंचित हैं। आप कभी इन बातों की तरफ तवज्जोह क्यों नहीं देते कि जो जनरल होस्टल्स हैं उनमें एड देकर, स्पेशली इनकी तरफ से खर्चा देकर लोगों को कॉमन होस्टल में रखें, जनरल लोगों में मिक्सड होकर रहने दें तो ज्यादा तरक्की कर सकेंगे। क्या इस तरह से तरक्की कर सकेंगे कि जो आप हरिजनों को पहाड़ों के नीचे, श्मशान के नीचे नदी, नालियों के गड्डों में और

(श्री मूलचन्द सामरिया)
तलाइयों में, गैर मुमकिन तालावों में, इनमें आप इनके मोहल्ले बसा कर रखते हैं तो क्या इससे शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोग ज्यादा जल्दी तरक्की कर सकेंगे? आप कितने दिनों तक लोगों को अंधेरे में रखना चाहते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

बस फिनिशिंग टच देता हूं। यदि आप जनरल होस्टल्स में एडमीशन दें तो शायद आप ज्यादा जल्दी उनको एट्रेक्ट कर सकेंगे इसी तरह से छात्रवृत्तियों में कमी की है। पहले ही जो मिलती थी वह बहुत कम थी। जितनी भारत सरकार से मिलती थी उतनी ही राजस्थान सरकार से भी मिलती थी लेकिन बाद में उस सिस्टम को आपने समाप्त कर दिया है और अन्त में मैं यही निवेदन करूंगा कि इस तरह से आप सभी कामों को करते रहे, रिजर्वेशन करते रहे लेकिन, माननीय सभापतिजी, जिस तरह से एक ट्यूब में हवा भरते जायं और दूसरी को ब्रस्ट कर दें तो वह ट्यूब काम में नहीं आ सकती है ठीक उसी प्रकार कास्ट और ट्राइब्स के लोगों को एक तरफ तो सौ रुपया, दो सौ रुपया छात्रवृत्ति देते हैं और उनके लिए पढ़ाई का इन्तजाम करें लेकिन आप उनके लिए शराब, उनके मोहल्लों में, उनके घरों में मुहैय्या करते हैं तो फिर यह कैसे सम्भव हो सकता है कि जो व्यक्ति कितनी ही कमाई करता हो मगर शराब पीकर पैसा खर्च कर दे तो आप उम्मीद करते हैं कि उन्नति कर पाएगा? माननीय सभापति महोदय, शराब ही एक इतनी भयंकर चीज है जिससे राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक पतन का कारण होता है। इसलिए अगर आप कास्ट और ट्राइब को ही नहीं बल्कि प्रदेश की तरक्की करना जरुरी समझते हैं तो इस शराब को आपको पूर्णरूप से बंद करना होगा और खासतौर से आप मेहरबानी कीजिये हरिजन मोहल्लों से इसको दूर लेजाइये। चाहे आप इसको बापू नगर और सिविल लाइन्स लेजाइये लेकिन हरिजन मोहल्लों से इन शराब की दुकानों को दूर रखिये (समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी) हरिजन अपनी आदत के अनुसार इसको नहीं छोड़ सकते हैं। सभापति महोदय जो मैंने यहां पर सत्य बातें कही है उन पर मन्त्री महोदय गौर करेंगे और कार्यवाही करेंगे वरना यह नाम-मात्र की घोषणा होगी। इनकी आर्थिक स्थिति को उन्नत करना है 28 परसेंट स्थान उनको उद्योगों में देने की घोषणा कीजिये। अगर आप यह घोषणा करते हैं तो यह आपका इनको आगे बढ़ाने का कदम होगा वरना यहां पर जो भाषण और सिद्धान्त कहे गये हैं उनको मैं केवल दिमागी कसरत के अलावा कुछ नहीं मानता।

श्री सभापति : श्रीमती निर्मलाकुमारी।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़): माननीय सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जन जाति के आयुक्त की रिपोर्ट, 1971-72 और 1972-73 पर हम आज 76 में विचार करने जारहे हैं। यह दुःख का विषय है। जिस प्रकार वर्ण व्यवस्था में चतुर्थ वर्ण की स्थिति है, वही हम यहां पर अनुसूचित जाति और आदिम जाति के आयुक्त की रिपोर्ट को देख रहे हैं। आज विधान सभा का सूना-सूना प्रांगण, यह सुनने वालों का उपेक्षा, यह बात

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)

दिख रही है कि अनुसूचित जाति और जन जाति के कल्याण की बात जो हम करते रहते हैं, वर्ग रहित समाज की बात केवल हमारे सिद्धांतों में है व्यवहार में नहीं।

मान्यवर, यद्यपि हमारे जो संविधान निर्माता थे, प्रखर बुद्धि संविधान निर्माता उन्होंने बड़े ही सोच समझ कर के 338 का जो अनुच्छेद हमारे संविधान में जोड़ा है, उसका यह अभिप्राय था कि समय पर सारे देश में अनुसूचित जाति और जन जाति के विकास कार्य किस प्रकार, क्रमिक गति से हो रहे हैं, उसको देखकर रिपोर्ट प्रस्तुत करें परन्तु इस प्रकार देरी से यह रिपोर्ट आती है उससे वास्तविक स्थिति का चित्रण नहीं मिल पाता है। वास्तविक स्थिति क्या है, उसके बारे में सही जानकारी नहीं मिल पाती है। आज 28 वर्ष के बाद भी इस प्रान्त की 28 प्रतिशत जनता, 28 प्रतिशत जनसंख्या अनुसूचित जाति और जन जाति के वर्ग में आती है जिनके विकास के लिए यद्यपि जो कुछ कार्य हुआ है, उनको पूर्ण नहीं कहा जा सका है। ऐसा नहीं है कि इन 28 वर्षों में इनके विकास के लिए कुछ नहीं हुआ है। बहुत कुछ हुआ है। मान्यवर मैं यह कहना चाहती हूं कि यदि आप राजस्थान के मानचित्र पर दृष्टि डालें तो बहुत से व्यक्ति आपको पिछड़े हुए दिखाई देंगे परन्तु अनुसूची में आपने केवल थोड़े से व्यक्तियों को एक संकुचित रूप में बांध दिया है। आपकी जो अनुसूची है उसको रिवीजन होना, उसका पुनः विवेचन होना आज आवश्यक है। इस अनुसूची में आपने कुछ ऐसे व्यक्तियों को रख दिया है जो बहुत ही समृद्ध हैं जो बड़े जमींदार हैं परन्तु उस वर्ग की उपेक्षा कर दी जो आज भी पिछड़ा हुआ है जैसे उदाहरण के तौर पर ढोली, नगारची, गायरी ये अन्य कई प्रकार की जातियां हैं जिनको अनुसूची में रख करके विशेष प्रकार की सुविधा और व्यवस्था आपको करनी चाहिये थी। इसी प्रकार से मुस्लिम सम्प्रदाय में जो पिछड़े हुए वर्ग हैं, उस वर्ग तो आपने स्पर्श ही नहीं किया है? क्या यह वर्ग पिछड़ा हुआ नहीं है, आर्थिक दृष्टि से कमजोर नहीं है। वह आज भी सामाजिक रूढ़ियों से लदा हुआ है क्योंकि हमारे समाज में मुस्लिम और हिन्दू संस्कृति का बहुत अधिक संस्कृतिकरण हुआ है और उसी प्रकार की जातीय व्यवस्था आज भी मुस्लिम समाज में विद्यमान है। वहां पर भी उसी प्रकार की स्थिति है फिर भी हम लोगों ने उनको अनुसूची में नहीं रखा है जैसे उदाहरण के लिए नीलगर, जुलाहे पिंजारे, गोलगर आदि कई ऐसे लोग हैं जिनका हमें अनुसूची में सम्मिलित करना चाहिये। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि अनुसूचित जाति और जन जाति की यह जो संकुचित अनुसूची है, उस सूची में आज आवश्यक रूप से परिवर्तन होना चाहिये।

मान्यवर, यद्यपि यह बात सत्य है कि पिछले वर्षों में राजस्थान में इनके लिए बहुत कुछ काम हुआ है, और काफी अधिक गरीब लोगों को फायदा हुआ है। परन्तु मैं यह कहना चाहती हूं कि जो कुछ फायदा हुआ है वह कुछ वर्गों के विकास का ही हुआ है। आज भी राजस्थान में बहुत से ऐसे पिछड़ी अवस्था में ऐसी जन जातियों के लोग हैं

(श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत)
जैसे भील, सहरिया, गिरासिया, गाडोलिया लुहार, बन्जारा, सांसी, कंजर ये ऐसे लोग हैं जिनको विकास के कार्यों से, जो कुछ खर्च का प्रावधान इनके कल्याण के लिए हमने रखा है, वह इन तक नहीं पहुंच पाया है। ये व्यक्ति आज भी सामान्य जनसंख्या से कई शताब्दी पीछे हैं। ऐसी स्थिति में आदिवासियों को बहुत अधिक नजदीक से देखने और संवारने की आवश्यकता है। परन्तु आपका यह जो समाज कल्याण विभाग है, जिसके ऊपर इस सारे कार्य की जिम्मेदारी है, मैं यह देखती हूं कि उसका कार्य वह केवल ऑफिस की चहारदीवारी तक ही है। इन लोगों के बीच में जाकर के, वास्तविक तौर से उन लोगों की परेशानियों को समझ कर के, उनकी संस्कृति को समझ कर, जो कुछ प्रयत्न होने चाहिये थे, वे नहीं हुए हैं।

साथ ही मैं यह भी कहना नहीं भूलूंगी कि केवल मात्र सरकार के प्रयत्न से ही सब कुछ नहीं हो सकता है जैसा कि अभी माननीय सदस्य, मेरे पूर्व वक्ता ने यह फर्माया कि सरकार ढिलमिल रही है। सरकार ने प्रयत्न नहीं किये हैं। और आज भी हरिजन सिर पर मैला ढो रहे हैं। यह बड़े आश्चर्य की बात है—सरकार ने प्रयत्न किये हैं इस प्रथा को सुधारने के लिए, इस प्रथा को समाप्त करने के लिये किये हैं। परन्तु यह सारा का सारा कार्य है वह तो उस समाज की देन है, जैसा कि उन्होंने फर्माया था, एक कलंक है और इस कलंक के भूत को हम नहीं भगा सकते हैं। यह भूत पीढियों तक, शताब्दियां तक हमारे समाज के बीच में रहा है और इसको किसी जादू से नहीं भगा सकते हैं। इसको भगाने के लिये हमें समाज के दृष्टिकोण को परिवर्तित करना होगा। समाज की मान्यताओं को बदलना होगा। यह कार्य तब होगा जब कि हम सामाजिक और राजनैतिक कार्यकर्त्ता मिल कर काम करें हम लोगों को यह नहीं सोचना है कि यह मात्र जिम्मेदारी सरकार की है। हम जो सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं इस परिवर्तन को लाने की चेष्टा करेंगे तभी जाकर के समाज का यह जो भूत है उसको दूर भगाया जा सकेगा।

मान्यवर, मैं एक सुझाव यह भी देना चाहती हूं कि इन यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों को जिन्होंने समाज के विकास के लिए बहुत से कार्यक्रमों की सूची बनायी है और बहुत सारे सूत्र बनाये हैं जैसे दहेज न लेना। क्या वे अपने सूत्र में एक सूत्र यह नहीं जोड़ सकते कि हम वर्ग रहित और जाति रहित समाज के लिये कार्य करेंगे, उसको बढ़ाने के लिये, उसको प्रोत्साहन देने के लिये कार्य करेंगे। मैं यह सुझाव देना चाहती हूं इन युवकों को जो अन्तर्जातीय विवाह करते हैं, उनको बुलाकर अपने समारोह में सम्मानित करना चाहिये। साथ ही राज्य सरकार को इस प्रकार के अन्तर्जातीय जो विवाह होते हैं उनमें आर्थिक सहायता देनी चाहिये और साथ ही उन्हें जो कुछ भी आप विशेष प्रकार की सुविधाएं दें, भूमि आवंटन की, मकान बनाने का या छात्रवृत्ति देते हैं, उनमें भी इस प्रकार के जो विवाह होते हैं, उन्हें देना चाहिये और उनको

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)

प्रोत्साहित किया जाना चाहिये तब जाकर के गांधीजी का स्वप्न जाति रहित और वर्ग रहित समाज का रचना का, वह हम पूरा कर सकेंगे।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहती थी कि अज्ञान ही वह सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जन जाति के लोग पिछड़े हुए हैं। यद्यपि पिछले 28 वर्षों में उनके विकास के लिए काफी अधिक प्रयत्न हुए हैं फिर भी आज कुछ आवश्यक शिक्षा के संबंध में प्रयत्न होने आवश्यक है तभी जाकर हम यह कह सकेंगे कि अनुसूचित जाति और जन जाति का विकास जो एक अच्छी गति से चल रहा है।

(3.30 म. प.)

(श्री रघुनाथ विश्नोई, सभापति पीठासीन)

तो इस सम्बन्ध में इस व्यवस्था को, इस शैक्षणिक व्यवस्था को सुसंगठित करने के लिए मैं कुछ सुझाव पेश करना चाहती हूं। पहला सुझाव मेरा यह है कि इस सम्बन्ध में छात्रों को छात्रवृत्तियां देते हैं मैट्रिक के बाद वह छात्रवृति जो आप देते हैं उसमें बहुत अधिक विलम्ब होता है। यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने भी कुछ ही दिन पहले राज्य सरकार को आदेश दिये हैं कि यह त्रैमासिक और छ: मासिक जो छात्रवृत्तियां देते हैं उनको प्रतिमाह कर दिया जाय। तो आप प्रतिमाह छात्रवृत्ति देने लग जायेंगे तो इससे कई छात्रों की जो आर्थिक समस्याएं हैं उनको दूर किया जा सकता है।

इस संबंध में आश्रम स्कूल और छात्रावासों की बात चलाते हैं तो आश्रम स्कूल जो हैं उनकी संख्या बहुत अधिक सीमित है।

जैसा कि माननीय सदस्य ने थोड़ी देर पहले फर्माया था कि राजस्थान में छात्रावासों विशेषरूप से आश्रम स्कूलों की संख्या सीमित है। आश्रम स्कूलों की व्यवस्था सारे प्रान्त भर में करना चाहिए। छात्रावास यद्यपि आपने कायम किये हैं लेकिन उन छात्रावासों की स्थिति बड़ी ही दयनीय है, और खासतौर से वह छात्रावास जो निजी संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे हैं 90 पर्सेंट आप जिनको एड देते हैं, परन्तु 90 पर्सेंट एड देने के बाद भी उन छात्रावासों में बच्चों का अच्छे तरीके से देख-रेख नहीं का जा रही है। मेरे से पूर्व वक्ता जो बोले थे, उन माननीय सदस्यों ने इस बारे में दु:ख प्रकट किया है। मैं भी कई बार उसके बारे में दु:ख प्रकट कर चुकी हूं। मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि जो निजी संस्थाओं की ओर से छात्रावास चलाये जा रहे हैं उन छात्रावासों को भी सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए, और उनके हाथ में लेने के बाद ही हम यह जो युवाओं या बच्चों का शोषण होता है, उनके साथ जो अन्यायपूर्ण व्यवहार होता है उससे हम उन्हें बचा सकेंगे।

मान्यवर, अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष यद्यपि समाप्त हो गया है, परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय महिला दशक चल रहा है। इस दशक में कम से कम यह जरूरी है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति की जो महिलाएं हैं उनकी शिक्षा के लि

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)

विशेषतौर से गौर करना चाहिए, उसके बारे में विचार रखना होगा, क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि यदि आप केवल पुरुषों को ही शिक्षित करेंगे और महिलाएं अशिक्षित रहेंगी तो ऐसी स्थिति में परिवार का सन्तुलन ठीक प्रकार से नहीं रहेगा। परिवार उसमें एक प्रकार का तनाव या एक अजीब सी स्थिति पैदा हो जायगी जिसकी कि आप कल्पना कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में पुरुष और महिलाओं का दोनों का शारीरिक और मानसिक मापदण्ड एक सा हो। इसलिए महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करना ही होगा। कम से कम एक वर्ष में नहीं तो इस महिला दशक में तो हर जिले में छात्राओं के लिए एक-एक छात्रावास की व्यवस्था करेंगे तभी जाकर यह कार्य पूरा हो सकेगा।

मान्यवर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के जो बच्चे कॉलेजेज और स्कूलों में प्रवेश लेते हैं तो उस समय उनको प्रवेश लेने के लिए फीस देनी पड़ती है। इसी प्रकार से जब वह बोर्ड या विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठते हैं तब भी उन्हें फीस देनी पड़ती है। यद्यपि आप छात्रवृत्ति देते हैं लेकिन वह बाद में और कम मिलती है। इससे पहले कई ऐसे मेधावी छात्र भी होते हैं जिनके पास प्रवेश शुल्क नहीं होने की वजह से, जिनके पास परीक्षा शुल्क नहीं होने की वजह से वह प्रवेश नहीं ले पाते हैं या परीक्षा में नहीं बैठ पाते हैं। इसमें मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि उनको आइडेन्टिटी कार्ड आप इश्यू कीजिये तो ऐसी स्थिति में पता लगा सकें कि यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के बच्चे हैं और उनसे इस प्रकार की फीस नहीं ली जाय, तो ऐसी स्थिति में बहुत से बच्चे जो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं वह नहीं रहेंगे।

इसके अतिरिक्त तकनीकी शिक्षा के लिए और विदेशों में जाकर उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां देने की भी व्यवस्था है, किन्तु मान्यवर, वे ऐसे परिवारों से आते हैं जहां शैक्षणिक परम्परा पहले से नहीं रही है। ऐसी स्थिति में यद्यपि आप रिजर्वेशन रखते हैं लेकिन वह जा ही नहीं पाते हैं और मुल्क की सेवा के योग्य नहीं बन पाते हैं और तकनीकी शिक्षा में प्रवेश नहीं ले पाते हैं और विदेशों में जाना चाहते हैं वह नहीं जा पाते हैं। तो मैं यह सुझाव देती हूं कि उनके लिए आप कोचिंग शिक्षा चालू कीजिये ऐसी कोचिंग शिक्षा के लिए राजस्थान विश्वविद्यालय में और दूसरी जगह पूर्व परीक्षा केन्द्र चलाये गये थे वैसे आई. ए. एस. और आर. ए. एस. की परीक्षा के लिए उसी प्रकार से तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश के लिए छात्रों को तैयार किया जाय। इसके लिए भी दो तीन कक्षाएं चलानी होंगी तभी जाकर सदियों से पिछड़ा हुआ यह वर्ग है उसका शैक्षणिक स्तर पर हम समान रूप से बराबरी पर लाकर खड़ा कर सकेंगे, और शैक्षणिक विकास भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के विकास की एक सीढ़ी होगी यद्यपि उस सीढ़ी पर हमने पदार्पण किया है नीचे के स्तर पर उसको ऊपर करना होगा तभी जाकर यह विकास की बात हम कर सकेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मान्यवर, शिक्षा के बाद दूसरी चीज जो आती है वह सामाजिक निर्योग्यताएं जो

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)
कि हमने बहुत लम्बे समय से इन लोगों पर लाद रखी हैं, और वह जो सामाजिक निर्योग्यताएं हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात अस्पृश्यता का कलंक है। यद्यपि मैं यह नहीं कहती कि यह अभी तक बना हुआ है। यद्यपि यह धुंधला हो गया है, यह हमें बहुत अधिक दिखाई नहीं देता है लेकिन फिर भी यह थोड़ा-बहुत समाज में विद्यमान है चाहे वह किसी भी रूप में हमें दिखाई दे तो इस कलंक को दूर करना होगा। इसका मुख्य कारण कुप्रथाएं हैं तो मैला उठाने की प्रथा जहां कहीं भी विद्यमान है गांवों में उसको खासतौर से समाप्त करना होगा।

मान्यवर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों पर आये दिन अत्याचार होते हैं उन अत्याचारों को यदि आप शृंखलाबद्ध रूप में लिखना शुरू करें तो कई अंक प्रकाशित करना पड़ेंगे, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं रात-दिन। मैं भी अपने निर्वाचन क्षेत्र की एक घटना जो है वह आप के माध्यम से सदन के सामने रखना चाहती हूं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भदेसर पंचायत समिति है। तो उस पंचायत समिति में एक एल. डी. सी. जो है मांगीलाल भाम्भी कार्य करता था। वहां के प्रधानजी जो हैं उनका हमेशा यह उद्देश्य रहता आया है और आज भी रहता है कि टी. ए., डी. ए. के झूठे बिल पेश करें। ऐसी स्थिति में मांगीलाल भाम्भी जोकि एकाउन्टेन्ट का भी काम करता था वह इस प्रकार के बिल पेश करने के लिए मजबूर किया गया फिर भी उसने मना किया वह नहीं चाहता था कि गलत काम करे, तो ऐसी स्थिति में उस बेचारे को बहुत अधिक ताड़ना दी गई और उसको निर्ममता से पीटा गया। उसने एफ. आई. आर. दर्ज करानी चाही तो उसकी एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की गई क्योंकि पुलिस से भी किसी प्रकार की सांठ-गांठ प्रधानजी की थी। उस मांगीलाल भाम्भी ने जन-प्रतिनिधियों के भी दरवाजे खटखटाये और मेरे पास भी वह 100 दफा आया है। मैंने विधान सभा में भी प्रश्न उठाये लेकिन मांगीलाल भाम्भी का दुर्भाग्य समझिये या मेरा दुर्भाग्य समझिये कि प्रश्न अभी तक नहीं आया। अब केवल 3 दिन और शेष रहे हैं इस प्रकार मेरा तात्पर्य यह है कि ऐसे हजारों मांगीलाल भाम्भी इस राजस्थान में हैं, उनकी करुण कहानियों को यदि आप कहने लगें तो कई वर्ष लग जायेंगे। कहने का मतलब यह है कि (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) जो घटनाएं होती हैं उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।

मान्यवर, मैं दो मिनिट लेना चाहूंगी यदि आप कह दें तो।

श्री सभापति : बोलने वालों की सूची लम्बी है।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : Within two minutes.

आवास सम्बन्धी जो समस्याएं हैं इसको समाप्त करने के लिए यद्यपि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्दर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को भू-खण्ड दिये हैं, परन्तु गांवों में जो दुर्घटनाएं होती हैं वह मैं अपने अवलोकन के आधार पर बता सकती हूं कि वह अधिकतर बस्तियों

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)

से अलग-थलग दिये गये हैं। वह वही अलगाव का सिद्धान्त जो शताब्दियों से चल रहा था आज भी विद्यमान है। उनको बस्तियों में नहीं रख सकते हैं। इसके साथ-साथ गृह निर्माण समितियां बनीं उनमें वे बिचारे बड़ी मुश्किल से 100 रुपये जुटाकर समितियों के मेम्बर बने परन्तु वह सोसाइटीज उन्हीं लागों की बनी हैं जहां पर कि मन्त्री महोदय की कॉन्स्टीट्यूएन्सी आती है या जो विभाग के अध्यक्ष हैं उनकी कॉन्स्टाट्यूएन्सी आती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि राजस्थान में जो भी गांवों के अन्दर गृह निर्माण सहकारी समितियां बनी हैं वह केवल कल्पना ही में बनाई गई हैं, व्यवहार में नहीं बन पायी हैं और कहीं पर बन भी पायी हैं अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों की तो उन लोगों को कोई ऋण वगैरह नहीं मिलने से उसको भंग कर दिया है और यदि भंग नहीं किया है तो वे प्रतीक्षा करते-करते थक गये हैं कि वे अब भंग होने की स्थिति में आ चुकी हैं।

एक माननीय सदस्य : पैसा मिलना नहीं है।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : इसके साथ ही मान्यवर, नगरों के अन्दर इससे भी विकट स्थिति देखने को मिलती है। यदि किसी अनुसूचित जाति का व्यक्ति या अनुसूचित जन जाति का व्यक्ति किसी शहर में मकान लेना चाहता है तो कोई भी भी सवर्ण व्यक्ति उसको रखना नहीं चाहता इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि जो सरकारी क्वार्टर्स हैं उनके अन्दर भी आप उनका आरक्षण रखिये कि इतने आदमियों को जो कि इस वर्ग के हैं उनको मकान मिलने ही चाहियें।

मान्यवर, इसके साथ ही इन वर्गों के लोगों की सामाजिक स्थिति के बारे में मैंने बताया, अब मैं इनकी जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में, कुछ संक्षेप में निवेदन करना चाहती हूं और वह यह है कि इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये राज्य सरकार ने भी बहुत प्रयत्न किये हैं, इस दिशा में कई कानून भी बनाये गये, सागड़ी उन्मूलन कानून बना न्यूनतम मजदूरी का कानून बना, परन्तु फिर भी इन कानूनों की जो है, सही मायनों में इनको लागू करना है, इनका पालन सही मायने में, वास्तव में नहीं हो रहा है जो कि होना चाहिए, यह भी हमको देखना है। सागड़ी उन्मूलन के जरिये आपने कई लोगों को इससे मुक्त कराया है लेकिन इनकी पुनर्वास की समस्या अभा भी हमारे सामने उसी प्रकार से है। भू-खण्ड आवंटन के बारे में भी उनको प्राथमिकता दी गई, हर स्थान में और हर जिले में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को भू-खण्डों का आवंटन किया गया है, परन्तु यदि इस सिद्धान्त को व्यवहार में लिया जाय, वास्तविकता में लिया जाय तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि आवंटन यद्यपि अनुसूचित जाति के नाम से हुआ है लेकिन खेती उन पर सवर्ण लोग कर रहे हैं, इस प्रकार के उदाहरण एक नहीं हजारों देखने को मिलेंगे। इसका कारण यह है कि वह व्यक्ति जिसको भूमि आवंटित की जाती है, इतना निर्धन होता है कि उसके पास खेती करने के लिये पैसा नहीं होता। ऐसी स्थिति में मैं यह कहना

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)
चाहती हूं कि उनको आर्थिक सहायता भी दी जानी चाहिए। आपने उनकी सहकारी समितियां भी बनायीं, और इस खयाल से कि उनका लाभ मिल जायगा और बहुत कुछ हो जायेगा। परन्तु सहकारी समितियों ने इनकी स्थिति को और भी ज्यादा बिगाड़ा है और उनके कन्धों पर पहले से ही कर्जे का भार लदा हुआ है, कई जगह तो ऐसा देखने में आया है कि अगर उन्होंने कर्जा नहीं भी लिया है तो भी उनको जबरदस्ती ही कर्जदार बना। दिया गया है। आपने यद्यपि सहकारी कानून में यह संशोधन कर दिया है कि एक तिहाई उनके सदस्य बनायें जायं परन्तु आपकी सहकारी समितियों की चुनाव की प्रक्रिया इस प्रकार की है कि एक बार जिसने उसमें प्रवेश पर लिया, दुनिया का कोई भी ताकत उसका हिला नहीं सकती और फिर गरीब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों की तो बिसात ही क्या है कि वह वहां पहुंच सकें। मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के नाम पर दूसरे लोग तिजारियां भर रहे हैं और व्यवहारिक दृष्टि से उनको जितना लाभ मिलना चाहिए वह इनको नहीं मिल रहा है।

मान्यवर, मैं एक निवेदन और करना चाहती हूं, यद्यपि और भी कई माननीय सदस्यों ने कहा कि आज बहुत से निजी-उद्योग चल रहे हैं उनके भी उनके लिये संरक्षण की नीति लागू की जानी चाहिए। उद्योगों के अन्दर, बड़े-बड़े जो उद्योग चल रहे हैं उनके अन्दर आपने इनके लिये क्या व्यवस्था की है? आपके प्राईवेट स्कूल हैं, दूसरा संस्थाए हैं उनके अन्दर आपने क्या व्यवस्था कर रखी है? इसी प्रकार से तीनों यूनिवर्सिटीज के अन्दर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों की आरक्षण की क्या व्यवस्था है, इस बारे में सरकार का उत्तर नकारात्मक होगा। इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहती हूं कि सरकारी विभागों में तो आपने कर दिया सो ठीक है लेकिन इसके अलावा इन सभी संस्थाओं में भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को आरक्षण अवश्य मिलना चाहिए। यदि वह आपके नियमों को नहीं मानते है तो आप उनको एड देना बन्द कर सकते हो, जब आपके नियम नहीं मानें तो क्यों उनको एड देते हो? क्यों आप उद्योगों को सस्ती बिजली देते हो? क्यों आप कच्चा माल उनको मुहैय्या करवाते हो। उनको आपके नियमों का पालन करना चाहिए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों को आरक्षण देना चाहिए। मान्यवर, मैं बहुत अधिक नहीं कहकर थाड़ी सी बात यह कहना चाहती हूं कि आज इनकी क्या स्थिति है, उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होना चाहिए, इस बारे में एक वैज्ञानिक अध्ययन की आवश्यकता है। एक सही दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। आपने राजस्थान में ट्राइबल रिसर्च इन्स्टीट्यूट उदयपुर में कायम किया, परन्तु उसने क्या काम किया, क्या इन्स्टीट्यूट ने कभी समाज कल्याण विभाग को कोई विशेष प्रकार की सूचना दी कि किस प्रकार से अधिक विकास होना चाहिए? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमको उनकी आर्थिक अवस्था सुधारनी है और किस क्रमिक रूप से उनका विकास

(श्रीमती निर्मलाकुमारी शक्तावत)

करना है, उनमें सामाजिक परिवर्तन लाने है, आर्थिक परिवर्तन लाने हैं, इसकी एक रूपरेखा बनायी जानी चाहिए, तभी हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जो स्वप्न था जातिविहीन और वर्ग विहीन समाज की रचना का, उसको हम पूरा कर सकेंगे।

श्री सभापति : श्री दिनेशराय डांगी।

श्री दिनेशराय डांगी (देसूरी): माननीय सभापति जी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति की रिपोर्ट्स समाज कल्याण मन्त्री जी ने सदन के सामने विचारार्थ प्रस्तुत की है, मैं भी अपने विचार, 19वीं, 20, वीं, 21वीं, और 22 वीं रिपोर्ट जो चार वर्षों की है उनके बारे में माननीय सदस्यों के सामने रखने के लिये खड़ा हुआ हूं। वैसे मुझसे पूर्व कई माननीय सदस्यों ने इस रिपोर्ट के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं। वैसे जहां तक रिपोर्ट का प्रश्न है राजस्थान सरकार के बारे में इसमें दो-तीन जगहों पर विशेष विवरण दिया है और सराहना भी की गई है। खासकर के जो खेतीहर मजदूर लोग हैं उनको कुए बनाने के लिये, कुओं से सम्बन्धित विकास के लिये ऋण समाज कल्याण विभाग दे रहा है, इसी प्रकार से हाउसिंग बोर्ड के बारे में कहा गया है, यह अभियान चलाया गया है कि तीन सौ रुपये हिस्सा पूंजी देकर हाउसिंग सोसायटी के मार्फत चार हजार रुपये का लोन बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। उसके बारे में भी राजस्थान सरकार की सराहना की गई है। वैसे इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजस्थान सरकार ने पिछले 27 वर्षों में हिन्दुस्तान को आजादी मिलने के बाद, इस दिशा में काफी सुधार किये हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के लोगों का जो पहले दशा थी उसको देखते हुए आज हम देखते हैं तो उसमें काफी परिवर्तन आया है।

सरकार ने एग्रीकल्चरल लैण्ड के बारे में जो आंकड़े दिये हैं, उसके अनुसार एग्रीकल्चर की जमीन इस वर्ग के लोगों को काफी अच्छी संख्या में वितरित की गई है, साथ ही हाउसिंग की जमीन भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अभियान के तौर पिछले वर्ष हा वितरित की गई है, जिसके अनुसार, जो आंकड़े दिये गये हैं, उनके अनुसार जनवरी, 76 तक 8 लाख 16 हजार लोग लाभान्वित हुए हैं। इसी प्रकार से लोन के बारे में को-ऑपरेटिव के मार्फत 25 प्रतिशत दीर्घ और 33 प्रतिशत लघु, इस प्रकार से 75-76 में करीब को-ऑपरेटिव के मार्फत लोन दिलाया, यह भी एक सराहनीय कदम है। वैसे राजस्थान सरकार ने अपनी ओर से शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये एक सब-प्लान भी सब्मिट किया है, यह भी राजस्थान सरकार की विशेषता है और एक उपलब्धि है, इसको भारत सरकार से मन्जूर भी करवाया है। इसके अलावा राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जिसने सर्वप्रथम 28 पर्सेन्ट का रोस्टर सिस्टम लागू किया, इसके अन्तर्गत भी कई लोगों को लाभ हुआ है। साथ साथ इनीशियल अपॉइन्टमेंट, सीधी भर्ती में 28 पर्सेंट स्थान हमने जनसंख्या के आधार पर दिये हैं। मैं यह कहना चाहूंगा, राजस्थान ऐसा प्रान्त है, जहां इस विधान सभा के सदस्यों में से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कल्याण

(श्री दिनेश राय डांगी)

के लिए दो समितियां नियुक्त की गई हैं। पहले यह दोनों समितियां शामिल थीं, इन वर्गों का, विभिन्न जातियों का और कमजोर तबकों का राज्य सरकार के द्वारा क्या कल्याण हो सकता है, इन समितियों में उस पर विचार विमर्श होता है। इस सदन के कई माननीय सदस्य समितियों के सदस्य हैं। यह सब उपलब्धि है। कहने का अर्थ यह है कि राजस्थान सरकार कभी इस मामले में पीछे नहीं रही है, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के भले के लिए काम करती रहा है।

साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हिन्दुस्तान की आजादी से पहले 25 नवम्बर, 1949 को संविधान सभा के डॉक्टर अम्बेडकर ने यह कहा, यह पॉलिटिकल आजादी मिली है, राजनैतिक आजादी मिली है लेकिन आर्थिक और सामाजिक आजादी के लिए बहुत संघर्ष करना है। इस काम के लिए राज्य सरकार को भी काफी काम करना है। जैसा आयोग का रिपार्ट में जगह जगह कहा गया है, समाज कल्याण विभाग, और पुलिस विभाग - वैसे तो सभी विभाग, में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के भले के लिए काम करना चाहिए, लेकिन रेवेन्यू विभाग, सोशल वेलफेअर विभाग और पुलिस—इन तीनों का ज्यादा काम पड़ता है, इनके सम्बन्ध में आयोग की रिपोर्ट पर जगह जगह विचार व्यक्त किये गये हैं और सिफारिश की गई है। उसके आधार पर मैं कुछ सुझाव, सभापति महोदय, आपकी मार्फत सदन में रखने की कोशिश करूंगा।

शिक्षा के बारे में मेरे से पूर्व कई माननीय सदस्यों ने विचार रख दिये हैं। मैं राज्य सरकार से चाहूंगा, इस रिपोर्ट में यह सिफारिश की गई है कि कुछ प्रदेशों में भारत सरकार की छात्रवृत्ति के अलावा राज्य सरकार अपनी ओर से अनुदान के रूप में या और किसी रूप में छात्रवृत्ति देती है। हमारे यहां भी एक साल पूर्व इस प्रकार की छात्रवृत्ति चालीस रुपये प्रति माह पोस्ट मैट्रिक वालों को दी जाती थी। यह छात्रवृत्ति इस वर्ष बन्द कर दी है। मुझे अफसोस है, वित्त मंत्री ने और सभी विभागों में ज्यादा प्रावधान किया है, लेकिन समाज कल्याण विभाग ऐसा विभाग है जिसके प्रावधान को नहीं बढ़ाया है। आप अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के कमजोर तबकों और वर्गों को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सभापति महोदय, 20 सूत्री कार्यक्रम में भी आठ सूत्र ऐसे रखे हैं जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के भले के लिए हैं। इसके बावजूद इस बजट के मार्फत समाज कल्याण विभाग के लिए बहुत कम राशि रखी गई है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, खासतौर से छात्रवृत्ति के बारे में, शिक्षा के बारे में, छात्रावासों के बारे में, इन चीजों का ऐसा मानते हैं कि यह शिक्षा की बुनियाद है। आर्थिक स्थिति की बुनियाद भी इससे पड़ती है, इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में ज्यादा धनराशि मिलनी चाहिये। लेकिन उसकी जगह आपने कटौती कर दी है। इसके आगे जा छात्रवृत्ति का तरीका है, इसमें भी हम सुधार चाहते हैं। अगर समाज कल्याण विभाग के जिला अधिकारियों द्वारा छात्रवृत्ति वितरित की जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मेरे से पूर्व

(श्री दिनेशराय डांगी)

बोलने वाली चित्तौड़ से आने वाली सदस्या ने ओवरसीज स्कॉलरशिप की बात कही, विदेशों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति की बात कही। मैं यह नहीं कहूंगा कि राजस्थान सरकार इस ओर बिल्कुल उदासीन रही है। मैं यह कहूंगा, आजादी के बाद आज तक इस बात का ध्यान नहीं रहा है। ओवरसीज स्कॉलरशिप पहले बारह थीं, वह और बढ़ी हैं, लेकिन राजस्थान से एक भी लड़का, चाहे वह मेडिकल का हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे साइन्स का हो, एम. एस. सी. या एम. बी. बी. एस. करने के बाद स्कॉलरशिप प्राप्त करके बाहर नहीं जा सका है और न इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ने कोशिश की। मैं नाम नहीं बताना चाहूंगा कि कौन विदेशों में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार का सहयोग न होने के कारण अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन-जाति के किसी व्यक्ति का नाम केन्द्रीय मंत्रालय में नहीं जा सका। मेरा निवेदन है इस ओर ध्यान दिया जाय। मेडिकल कॉलिज का रेफरेन्स भी इस रिपोर्ट में आया है। उसमें यह कहा कि दस से बीस पर्सेन्ट सीट एडमिशन के लिए बढ़ाने के लिए कहा लेकिन उसको टर्न आउट कर दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पर्सन्टेज बढ़े उसके पश्चात् कास्ट का लड़का नहीं मिलता है तो ट्राइब का लें, ट्राइब का नहीं मिलता है तो कास्ट का लें। उनको छोड़ कर सवर्ण कास्ट का लड़का नहीं लिया जाय।

शिक्षा के लिए मैं यह भी कहूंगा कि राज्य सरकार कई कॉलेज और संस्थाओं को अनुदान देती है। वैसे समाज कल्याण मंत्री के ध्यान में होगा, जोधपुर और फालना में कॉलेज हैं जहां राज्य सरकार अनुदान देती है लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट्स के बच्चे हैं उनसे ट्यूशन फीस ली जाती है दो-तीन वर्ष से कॉलेज का लिखा गया और आदेश भी दे दिया लेकिन उनसे ट्यूशन फीस ली जाती है। इससे छात्रों का खर्चा डबल हो जाता है। मेरा निवेदन है कि जो एड लेती हैं संस्थायें वहां ट्यूशन फीस दूसरी संस्थाओं की तरह नहीं ली जानी चाहिये।

अब सर्विस के बारे में थोड़ा निवेदन करूंगा। मैंने निवेदन किया, 28 पर्सेन्ट रिजर्वेशन शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का अपॉइन्टमेंट और पदोन्नति में दिया है। उसमें एक कमी रह गई है। उसमें 28 पर्सेन्ट रख दिया, रोस्टर सिस्टम भी रखा है पहला शिड्यूल्ड कास्ट्स का, दूसरा, तीसरा जनरल, चौथा शिड्यूल्ड ट्राइब्स का होगा। यह बिन्दु बनाये हैं। क्राइटेरिया यह बना रखा है कि पांच पूरी जब तक वेकेन्सी रहेंगी, यह रेंज बना रखी है, तो शिड्यूल्ड ट्राइब्स का आता है। 50 लड़के लेने हैं और ढाई सौ की लिस्ट बनाई है तो उसमें नहीं आता है शिड्यूल्ड ट्राइब्स का। उदाहरण के तौर पर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हैं, वहां पर एक जे. ई. एन. सात-आठ साल से नौकरी में हैं, लेकिन और जे. ई. एन. बीच में बैठे हुए हैं। ढाई सौ के बजाय तीन सौ की लिस्ट हो तो उसको प्रमोशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। उड़ीसा में रोस्टर सिस्टम को लागू किया है, उसके अनुसार रेंज को पांच से दस कर दिया जाय। यह रोस्टर के पाइन्ट्स हैं इनमें समन्वय लाया जाय नहीं तो रिजर्वेशन की पोस्ट हैं, जो

(श्री दिनेशराय डांगी)

रिजर्वेशन दिया है उसमें वह लोग आ जायेंगे जो पांच में आ जाय और इस प्रकार राज्य सरकार ने जो रिजर्वेशन दिया है, उससे लाभ नहीं होगा।

जो चयन होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा या पंचायत एवं जिला परिषद् चयन कमीशन द्वारा उसमें शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का मेम्बर होना आवश्यक है।

इसके साथ साथ मैं निवेदन करूंगा सचिवालय में एक उच्च अधिकारी आई. ए. एस. स्तर का नियुक्त किया जाय, एक सेल बनाया जाय, आज अलग अलग जगह जो अलॉटमेंट होते हैं, या अपाइन्टमेन्ट होते हैं।

(3.59 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उनमें कमी होती है तो आर. ए. एस. अधिकारी होता है वह आई ए. एस. को लिखता है तो आई. ए. एस. जिलाधीश उसकी परवाह नहीं करते हैं। मेरा निवेदन है कि इसके लिए अलग सेल कायम हो जो यह काम कर सके। जो अपॉइन्टमेन्ट हों आदिवासियों का उनमें ध्यान रखें और कृषि भूमि व आवासीय भूमि के काम हैं, उसमें भी सहयोग दे सकें। इस प्रकार का मेरा सुझाव राज्य सरकार को है।

सीधी भर्ती के बारे में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विज्ञापन निकलते हैं, उसमें रिजर्वेशन पॉइन्ट शो नहीं किया जाता है। जो विज्ञापन निकले उसमें रिजर्वेशन का पॉइन्ट साफ साफ हो तो रोस्टर भरने में सुविधा रहेगी और हमें भी मालूम हो सकता है कि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कितने हैं और जनरल कितने हैं।

पोस्टिंग के बारे में मैं चाहूंगा कि कोई आई. ए. एस. या आर. ए. एस. या दूसरे ऑफिसर हैं उनको दूसरी जगह पर पोस्ट कर दिया जाता है। उनका पोस्टिंग उसी एरिया में हो, जहां उसने शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्स के घर में जन्म लिया है। उनका पोस्टिंग उस जिले में किया जाय तो डिस्ट्रिक्ट में अच्छी तरह फंक्शन कर सकते हैं और अपने समाज के काम की ओर बीस सूत्री कार्य की ओर ज्यादा तवज्जह दे सकते हैं। उनका पोस्टिंग वहां कर दिया है जहां पोस्टिंग यूजलेस तो नहीं, लेकिन इस लिहाज से पोस्टिंग सही जगह नहीं किया गया है। मेरा मतलब है कि जहां समाज में निहित स्वार्थ हैं और काम को अच्छी तरह करके इन जातियों का ऊंचा उठा सकते हैं वहां उनका पोस्टिंग किया जाय। मैं चाहूंगा कि सरकार इस ओर ध्यान देगी।

आई. ए. एस. परीक्षा के लिए प्रशिक्षण संस्थान के लिए मेरा निवेदन है कि इस तरह का संस्थान चालू है। माननीय सदस्या को शायद पता नहीं है। यह यहां पर चल रहा है लेकिन विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम है। पूरे स्टूडेंट्स उसमें जा नहीं सकते। इसमें जो आई. ए. एस. और आर. ए. एस. की परीक्षा की तैयारी कराते हैं, मैं चाहता हूं कि इसमें नम्बर बढ़ाया जाय।

विश्वविद्यालय के बारे में कहा है, यह बहुत बड़ी बात है। तीन विश्वविद्यालय

(श्री दिनेशराय डांगी)

राजस्थान में है। ऐसा मालूम हुआ है कि उदयपुर यूनिवर्सिटी ही ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां इनीशियल अपॉइन्टमेंट, प्रमोशन में रोस्टर लागू कर दिया है, रिजर्वेशन 28 पर्सेन्ट का वहां लागू कर दिया है। उसके अलावा राजस्थान यूनिवर्सिटी और जोधपुर यूनिवर्सिटी में इस प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है। राजस्थान यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है लेकिन इस प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है। प्राईवेट संस्थान, जितने भी कोर्पोरेशन, बोर्ड हैं, उनमें भी रिजर्वेशन लागू होना चाहिए। इस प्रकार के आदेश राज्य सरकार को करने चाहिएं।

मैं यह भी चाहूंगा कि रोजगार कार्यालयों में विधानसभा का एक शिड्यूल्ड कास्ट या शिड्यूल्ड ट्राइब्स का सदस्य वहां हो ताकि विधान सभा सदस्यों का चैक एण्ड बेलेंस रहे और जिस समय सूची उम्मीदवारों को दी जाए उस समय वह देखे कि इन जातियों के नाम पीछे तो नहीं रहे।

छूआछूत को मिटाने लिए चलते फिरते पुलिस दस्ते गश्त करें ताकि अपराधियों को मौके पर पकड़ें और वहीं सुनवाई हो जाए। इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए। पहले जो हाई पावर कमेटी थी जिसके अध्यक्ष मुख्य मंत्री हैं और गृह मंत्री उपाध्यक्ष हैं, वहां मैंने सुझाव दिया था कि पुलिस अधिकारियों को पावन्द किया जाए, जिला स्तर पर सेल कायम किए जायं जिसमें इन जातियों के विधायक भी सदस्य हों। मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण मंत्री से कहा था और उन्होंने जवाब दिया था कि मैं करूंगा, लेकिन अभी तक उस सेल की स्थापना नहीं हो पाई है और पुलिस अधिकारियों को मौके पर पावन्द किया जाए, उनका गल्ती पर उनकी वेतन वृद्धि रोकी जाए और अच्छे काम करने वालों को अग्रिम वेतन वृद्धि दी जाए।

सरकारी कार्यालयों में ऐसे कई केसेज मिलेंगे जिनमें इन जातियों के प्रति भेदभाव किया जाता है, यह अफसोस का बात है। ऐसा वातावरण बनाया जाए कि सरकारी कार्यालयों में ऐसी बात न हो। इसमें बड़े-बड़े अधिकारी भी हैं, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी उनके पास एक प्रतिशत भी नहीं होंगे।

कभी कभी छुआछूत के केसेज में पार्टियों को मिलाकर राजीनामा कराया जाता है, 182 में केस लगाया जाता है, यह उचित नहीं। पुलिस अगर वास्तव में विशेष ध्यान देकर काम करे तो ऐसा न हो।

जिस प्रकार से शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बोर्ड बनाया है उसी तरह से शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए बनाया जाए ताकि जिस प्रकार का अनुसंधान ट्राइब्स के लिए चल रहा है, ऐसा शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिए भी हो।

आंध्र प्रदेश की तरह राजस्थान में भी अलग से एक वित्त निगम हो ताकि वह छोटे छोटे उद्योग खोलने में इन जातियों की मदद करे।

औद्योगिक क्षेत्रों व बाजारों में जो सरकारी दुकानें बनती हैं उनके एलॉटमेंट की भी चर्चा हुई है। यह वाजिब मांग है, समय को देखते हुए, क्योंकि राजस्थान की 2.72 करोड़ आबादी है, इनके पर्सेंटेज के हिसाब से अगर उनको राजस्थान के बजट में हिस्सा नहीं मिले तो दुःख का बात है।

(श्री दिनेशराय डांगी)

हाउसिंग सोसाइटीज के मार्फत जो लोन दिए जाते हैं उनके लिए एक तरफ वित्त मंत्रा ने कहा कि हमें योजना आयोग ने मना कर दिया है। मैं चाहूंगा कि ऐसी योजना बनाते समय क्यों नहीं सोचा कि ऊपर से लोन बंद हो जाए तो कैसे सुचारु रूप से उस काम को जारी रखें। उन लोगों ने सोसाइटी रजिस्टर कराई, मार्गेज डीड्स लिखकर दिए, काफी खर्चा उनका हो गया। जिनको एक किश्त भी मिल गई है उनको भी दूसरी नहीं मिली। उनके लिए तो सरकार का आश्वासन है। तो जितनी पंजीकृत सोसाइटीज है उनको लोन या सबसिडी मुहैया करने की सरकार कोशिश करे।

नगरपालिकाओं और विकास न्यासों द्वारा जो कार्यवाही चल रही है उसमें इन जातियों को ऐसी जगह बसाया जाता है कि ये एक तरफा हो जाते हैं या ऐसे भू-खंड दिए जाते हैं कि वे रिक्लेम नहीं कर सकें, जहां खड्ड हैं। यदि इनको बसाना है तो ठीक ढंग से बसाया जाए। इन जातियों की बस्तियों के लिए हर साल विद्युत् मंडल में पैसा रहता है और नलों के लिए वाटर वर्क्स के पास रहता है लेकिन मेरे जैसे समृद्ध आदमी के लिए तो घर के सामने खंभा लग जाएगा और नल भी लग जाएगा लेकिन गरीब लोगों के लिए विभाग की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं होती। विभाग को चाहिए कि अधिकारियों को पाबंद करे कि जो पैसा एलॉट हुआ है वास्तव में बस्तियों में खर्च हुआ या नहीं।

स्वयं सेवी संस्थाओं को बिल्कुल निष्क्रिय बनाया गया है जो सूचना देने के स्रोत हैं। अगर सबसिडी देकर प्रचार कार्य में इनका लगायें तो छुआछूत के कार्यों की सूचना मिलती रहे और राज्य सरकार को फायदा होगा।

जैसे रिपोर्ट में कहा गया है, अब 27-28 साल हो गए, इन जातियों के अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए हालांकि 1980 तक आरक्षण है। ऐसा लगता है, 1990 तक शायद चले और 2000 तक भी चले यदि इसी रफ्तार से चले तो फिर क्यों नहीं अनारक्षित स्थानों पर भी इन जातियों के उम्मीदवारों को पार्टीज के मार्फत जनरल सीट का टिकिट दिया जाए ताकि अपने पैरों पर खड़े हो सकें और रिजर्वेशन खतम हो जाए? लेकिन प्रयास नहीं होता है। इसलिए सारी चीजों को देखते हुए राजस्थान में सरकार ने कोई कसर नहीं रखी। इम्प्लीमेंटेशन चल रही है, उसको तेज गति दें।

मैंने सुझाव रखे हैं जैसे आई. ए. एस. व आई. पी. एस. अधिकारियों को जिला स्तर पर लगाना, इससे काफी फर्क पड़ेगा। राज्य सरकार काफी कुछ कर रही है, उसके लिए तो धन्यवाद की पात्र हैं। मुझे आशा है, मैंने जो सुझाव दिए हैं उन पर जरूर विचार करेगी।

श्री उपाध्यक्ष : समाज कल्याण मंत्री !

(कई माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

सबके लिए समय देना संभव नहीं है। ऑर्डर प्लीज, बिराजिए। गवर्नमेंट रिप्लाई है, सुन लीजिए। 4 बजे का समय था, 4 बजने वाले हैं।

श्री नाथूराम (बागीदोरा): 8 भी बज जायं तो क्या ? 4-4 रिपोर्ट्स हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अगर 8 बजे तक बैठने की तैयारी है तो मुझे आपत्ति नहीं।

कई माननीय सदस्य : तैयारी है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथू भाई !

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, जन जाति कमीशन की 19वीं, 20वीं व 21वीं रिपोर्ट सदन में विचाराधीन है। वैसे ता इन जातियों के लिए भारत सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए और इस कमीशन के द्वारा इन पिछड़ी हुई जातियों के उत्थान के लिए, कमीशन ने काफी सुझाव दिए, लेकिन हमारी सरकार की तरफ से यह लापरवाही रही कि पिछले सालों की तीन रिपोर्टों पर आज चर्चा हो रही है और समय कम दिया गया है। आज सभी माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं और यदि सभी अपने सुझाव दें तो कम से कम एक सप्ताह लगता। इतने कम समय में कोई सुझाव देना चाहे तो नहीं दे सकता। कमीशन ने अच्छे अच्छे सुझाव दिए, लेकिन कई सुझावों पर रुपया भी खर्च हो गया, लेकिन सरकार की तरफ से पालन भी नहीं हो रहा है, उन पर पालन करना चाहिए और पिछड़े वर्ग पर जो रुपया खर्च हो रहा है. उस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। मैं नहीं कहता कि राजस्थान में इन जातियों की तरक्की नहीं हुई, लेकिन कई खामियां रही हैं। आज 28 सालों में करोड़ों रुपए खर्च हुए, शिक्षा की तरक्की के लिए रुपया खर्च हो रहा है और जो पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी जो शिक्षा में आगे आ रहे हैं उनका समाज कल्याण विभाग द्वारा सर्वे कराया जाना चाहिए। आज, उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने 28 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिये सर्विसेज में रिजर्वेशन्स कर रखें हैं, लेकिन उनका पालन नहीं हो रहा है। उनका पालन सिर्फ एक जगह होता है वह है चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की पोस्ट्स पर बाकी ऊंची पोस्ट्स के ऊपर दूसरे लोगों को एपॉइन्ट किया जाता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को एपॉइन्ट नहीं किया जाता है। इसके लिए सदन में आज भी कई माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी राज्य सरकार को आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्य सरकार को ऊंची पोस्ट्स पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को रिजर्वेशन के अनुसार तो लेना ही चाहिये। और उसकी सही रूप से पालना हो रही है या नहीं इसके लिये समाज कल्याण विभाग के द्वारा सर्वे कराया जाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ साथ मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार को यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी भारत सरकार के कमीशन ने अपने सुझाव रिपार्ट में दिये हैं उसके अनुसार पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे लाने के लिये कार्यवाही की जानी चाहिये ताकि वह लोग जब पढ़-लिख कर आवें तो उनको ऊंचे ओहदे मिलें। इसके अलावा मैं यह भी निवेदन समाज कल्याण मंत्रीजी से करना चाहूंगा कि पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए ऊंची शिक्षा का प्रबन्ध भी होना चाहिये। तथा जो भी ऊंचे पद हैं उन्हें मिलने चाहिये। इसकी जांच करानी चाहिये कि उनको ऊंचे पद मिल

(श्री नाथूराम)

रहे हैं या नहीं समाज कल्याण मंत्री जी को इस ओर ध्यान विशेषतौर से देने की जरूरत है। लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे समाज कल्याण विभाग के मंत्री जी को इस ओर ध्यान देने की फुरसत ही नहीं है। इसका कारण यह है कि उनके पास और दूसरे विभाग हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन मंत्री महोदय से करना चाहूंगा कि वह समाज कल्याण विभाग के मन्त्री हैं उन्हें आदिवासी लोगों की, हरिजनों की जो कि समाज के अंग हैं उनकी ओर विशेष ध्यान देना चाहिये। इसके अलावा हमारे देश में राष्ट्रपतिजी ने अभी डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ को आदिवासी एरिया घोषित किया है वहां ज्यादा से ज्यादा इन पिछड़े वर्गों के लोगों के उत्थान के लिये आपको काम करना चाहिये। लेकिन मैं समझता हूं कि हमारे समाज कल्याण विभाग के मन्त्रीजी ने शायद उस एरिया को पूरा देखा भी नहीं होगा। और न ही इनके समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों ने ही इन इलाकों को देखा होगा। उन्हें क्या पता कि वहां स्थिति क्या है। आज जब हमारे देश की प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा है कि आदिवासी क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों का उत्थान होना चाहिये। हर क्षेत्र में उनको आगे लाया जाना चाहिये। चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में इन लोगों को आगे लाना चाहिये। आपने इसके लिए कानून बनाया वह ठीक है, अच्छा है, लेकिन उस कानून का हमारी सरकार द्वारा किसी भी तरह से ठीक से पालन नहीं हो पा रहा है इसलिये आज इतना रुपया खर्च करने के बाद भी वे लोग पिछड़े के पिछड़े ही हैं। इसलिये मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है कि कानून की पालना की जानी चाहिये। जैसा कि मैंने पिछले वक्त हाउस में कहा था कि आपने कानून बनाया, अच्छा किया, लेकिन आज भी कानून की पालना नहीं होने के कारण उनका शोषण हो रहा है इसलिये मेरा समाज कल्याण पर मन्त्री जी से आपके माध्यम से यह निवेदन है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को शिक्षा में और दूसरे क्षेत्रों में उनका सही ढंग से विकास करें। लेकिन समाज कल्याण विभाग का निर्माण चाहे समाज के कल्याण के लिये हुआ हो लेकिन वह विभाग इन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के कल्याण के लिये कुछ नहीं करता है। आज उपाध्यक्ष महोदय, हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बहुत सी पहाड़ियां हैं और पहाड़ी इलाका होने की वजह से वहां पर वर्षा अधिक होती है जिससे वहां पर जंगल बहुत थे, लेकिन अब जंगल समाप्त हो गये हैं, क्योंकि इन जंगलों को ठेकेदारों को ठेके पर देकर कटवा लिये थे। खैर, अब तो ठेकेदारी प्रथा समाप्त हो गयी है लेकिन पहले यह बेचारे आदिवासी लोग जंगलों में रहते थे और वहां पर लकड़ी वगैरह काटकर अपनी उदरपूर्ति करते थे, लेकिन अब वह भी जंगलों के कटने से सहारा नहीं रहा। उपाध्यक्ष महोदय, हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा में वर्षा अधिक होने की वजह से छोटे मोटे तालाब अभी बने हैं। पिछले सालों में दुष्काल पड़ने की वजह से तालाब वगैरहा भी पूरे नहीं

(श्री नाथूराम)

भरते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जंगलों के कट जाने के कारण अब उनके पास कोई रोजी का सहारा नहीं है। पहले तो इतने घने जंगल थे कि इन जंगलों में सूरज की किरण भी नहीं जा पाती थी। पर अब वह भी नहीं रहे। बेचारे आदिवासी जो गरीब उन जंगलों में रहते थे जंगलों की रक्षा भी करते थे वे ठेकेदारों द्वारा जंगल कट जाने से बहुत ही खराब हालत की स्थिति में आ गये हैं। आपने जंगलों की रक्षा नहीं की। मेरा आपके माध्यम से यह राज्य सरकार से निवेदन है कि इन जंगलों की रक्षा होनी चाहिये। इसके अलावा हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा के लोग जो कि ज्यादातर आदिवासी लोग हैं जंगलों में रहते थे और रहने के आदी भी थे आपको चाहिये कि आप इन इलाके के आदिवासी लोगों को रेन्जर, डी. एफ. ओ., और फॉरेस्टर वगैरह की ट्रेनिंग दें। नहीं तो आज जो बी.ए., एम.ए. पास आदिवासी क्षेत्र के युवक हैं उन्हें आप इन महकमों में नौकरी देते नहीं हैं सिर्फ चतुर्थ श्रेणी की नौकरी ही देते हैं, और दूसरे लोगों को बी.ए., एम.ए. पास लोगों को रेन्जर वगैरह की ट्रेनिंग देते हैं वे लोग इस क्षेत्र में जाना पसन्द भी नहीं करते। इसलिये मेरा आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि आदिवासी क्षेत्र के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के बच्चों को शिक्षा पाने के बाद रेन्जर और डी. एफ. ओ. वगैरह की ट्रेनिंग में भेजना चाहिये ताकि एक तो उन लोगों को नौकरी मिलेगी दूसरे वे लोग डूंगरपुर, बांसवाड़ा के जो जंगल बरबाद हो गये हैं उन्हें वापिस ठीक कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मन्त्री महोदय से एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि वैसे तो आपने रिज-र्वेशन्स कानून के तहत बना दिया है, लेकिन इन आर. ए. एस. और आई. ए. एस. सर्विसेज में हमारे आदिवासी लोग इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हो सकने का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों को पूरी तरह से शिक्षा नहीं दी जाती है इसलिये वह लोग शहरी लोगों के कॉम्पीटीशन नहीं पाते हैं। आज जब हमारे देश का प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी इन लोगों को आगे लाना चाहती हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम भी इन्हीं लोगों के लिये बनाया गया है लेकिन इसकी भी, उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ पब्लिसिटी ज्यादा है। हमें पब्लिसिटी के बराबर ही काम करना चाहिये। आज हमारे देश की प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने 20 सूत्री कार्यक्रम हमें दिया है और हमारा विश्वास है उसमें हम उसको पूरा करने में लगे हुए है, लेकिन इसमें सिर्फ कानून बनाने से ही काम नहीं चलेगा। आज आपने जमीनें अलॉट की हैं लेकिन उन जमीनों में काफी झगड़े हैं मुकद्मे चल रहे हैं चूंकि आदिवासी लोगों को उन जमीनों के लिये मुकद्मे लड़ने के लिये आपको उन्हें विशेष आर्थिक सहायता देना चाहिये। उसमें पैसा खर्च होता है लेकिन उन्हें समय पर आर्थिक सहायता नहीं मिलने के कारण वे लोग केस हार जाते हैं इसलिये मेरा निवेदन है कि आपको उन्हें समय पर आर्थिक सहायता देनी चाहिये। आज हमारी देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने 20 सूत्री कार्यक्रम दिया है

Page No.116

116

(श्री नाथूराम)

उसमें जब हमारे यहां पर मीटिंग चल रही थी तो मैंने कहा था कि कानून तो आपने अच्छा बनाया है, लेकिन उसकी पालना नहीं हो रही है इसलिये मेरा समाज कल्याण मन्त्री जी से, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुझे यही निवेदन करना है कि आज जितने भी हमने भू-आवन्टन के और दूसरे काम किये हैं उसके मुताबिक कार्यवाही हो रही है या नहीं इसका पता लगावें और जहां क्रियान्विति 20 सूत्री कार्यक्रम की नहीं हो रही है उसको करावें तभी तो हमारे यहां पर गरीबी मिटेगी अन्यथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों की गरीबी नहीं मिटेगी। इसके लिये आपको क्या करना है आपको शिक्षा में पिछड़ापन मिटाना है जो लोग जंगलों में रहते हैं उन्हें अधिक से अधिक शिक्षा देनी है स्कूलें खोलनी हैं ताकि वह लोग पढ़ सकें। इसके अलावा आपने जो ट्राइबल बोर्ड बनाया है उसका सब-प्लान अभी बनाया है उसका बजट बनाया है लेकिन उस सब-प्लान का पैसा सारा का सारा ट्राइबल बोर्ड के कमिश्नर और अध्यक्ष और उस दफ्तर के अधिकारियों के टी. ए., डी. ए. पर ही खर्च हो रहा है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि ट्राइबल सब-प्लान में कितने रुपये खर्च हुए, कहां कहां खर्च हुए और उसमें कितने रुपये आपने आदिवासी क्षेत्र के अनुसूचित जन जाति के लोगों पर खर्च किये। और उसमें कितने रुपये आपने ट्राइबल बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के टी.ए., डी. ए. में खर्च किये। आदिवासी क्षेत्र के लोगों के पल्ले तो कुछ नहीं पड़ा जबकि हमारी देश की नेता श्रीमती इन्दिरा गान्धी ने कहा है कि आदिवासी क्षेत्र के लोगों का ज्यादा से ज्यादा विकास होना चाहिये। आदिवासी क्षेत्र के लोग क्या चाहते हैं सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं आपको इस ओर विशेषतौर से ध्यान देना चाहिये। आदिवासी क्षेत्र के लोग मेहनत मजदूरी करके खाते हैं। अपने खून पसीने की कमाई से अनाज पैदा करना चाहते हैं। आप उन इलाकों में सड़कों का विकास करिये वैसे सड़कें आपने बनायी हैं पर बाहर, शहरों में आप इन आदिवासी क्षेत्र जो पिछड़े हैं उनमें अन्दर इन्टीरियर में सड़कें बनाइये, स्कूलें खोलिये, अस्पताल खोलिये। उन्हें सिंचाई के साधन मुहैया करिये। आज वहां पर ट्राइबल एरिया में बरसात होता है लेकिन पानी रुकता नहीं है पानी बह कर चला जाता है इसलिये मेरा निवेदन है कि आप वहां पर तालाब, बान्ध वगैरह बनाइये ताकि खेती हो। आप वहां पर लिफ्ट सिंचाई योजनायें बनाइये जिससे कि खेती हो सके और हमारे यहां उत्पादन बढ़े। इसके अलावा मैं यह भी, उपाध्यक्ष महोदय, सुझाव देना चाहूंगा कि आपके ट्राइबल सब-प्लान में जो रुपया है वह आप आदिवासी क्षेत्र के लोग जो अपने पशु वगैरह पालते हैं। उन्हें इसमें से पैसा ट्रान्सफर करके उन्हें देना चाहिये ताकि बेकारी में वे बेचारे गरीब अपने पशुओं की पालना कर सकें। और अपना गुजर कर सकें। इसके अलावा वहां पहाड़ी क्षेत्र में आप हमारे यहां पर छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे भी खोल सकते हैं। मेरा

(श्री नाथूराम)
निवेदन है कि राज्य सरकार को चाहिये कि ट्राइबल बोर्ड के सब-प्लान में से रुपया निकाल कर यहां पर उद्योगों को चालू करने के लिये वहां पर आदिवासी क्षेत्र के गरीब लोगों को दिये जायं ताकि वे लोग अपने उद्योग-धन्धों को पनपा कर अपनी उदरपूर्ति कर सकें। नहीं तो आपका यह सारे का सारा ट्राइबल बोर्ड का पैसा आप अपने प्रशासन में और उनके अधिकारियों पर खर्च कर रहे हैं। जिससे उन गरीबों के पल्ले कुछ पड़ता नहीं है। दूसरा मेरा, उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से राज्य सरकार से यह भी निवेदन है कि जो स्कीम्स बनायी जायं उनमें आदिवासी क्षेत्र के लोगों के लिये उसमें जनप्रतिनिधि की राय ली जानी आवश्यक होनी चाहिये क्योंकि वे लोग वहां के बारे में ज्यादा जानते हैं, लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जो भी योजनायें बनाया गयीं हैं आदिवासी क्षेत्रों की जनता के लिये जिसमें आपने अनाप-शनाप रुपया तो खर्च कर दिया लेकिन योजनायें जन प्रतिनिधियों से पूछ कर नहीं बनायीं जिससे उनके परिणाम अच्छे नहीं निकल रहे हैं। ट्राइबल सब-प्लान का अभी तक तो बजट भी पास नहीं हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष : समाप्त करिये ।

श्री नाथूराम : भारत सरकार की कोई योजना हो, प्रान्तीय सरकार की कोई योजना हो, उसका सही ढंग से पालन करके आर्थिक स्तर को सुधारना चाहिये।

इसी तरह से सर्विसेज के बारे में कई माननीय सदस्यों ने राय दी । मेरा निवेदन है कि आदिवासी हरिजनों की सर्विसेज के लिये सेक्रेटेरियेट लेवल पर प्रकोष्ठ बनाना चाहिये । उसमें जनप्रतिनिधि रहेंगे तो सही राय देंगे । नहीं होंगे तो उनके लिए भलाई के लिए काम होंगे नहीं । सागड़ी प्रथा का कानून बना दिया । पब्लिसिटी हो गई । हजारों आज भी सागड़ी हैं, जगह जगह सागड़ी हैं। बन्धकों को छुड़ाया । लेकिन उन को ऋण देने की कोई व्यवस्था नहीं हुई । उनकी हालत सुधारने के लिए ग्रामीण बैंकों की कायम करना चाहिये ताकि बन्धकों को बन्धन से छूटने के बाद आगे का काम चल सके।

छुआछूत का कानून बन गया। इस कलंक को मिटाने के लिए तो यह कानून बन गया । समाज कल्याण मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पिछले समय सदन में समाज कल्याण मंत्रीजी को राय दी थी एक जिलाधिकारी द्वारा L. D C. के साथ में ठीक व्यवहार नहीं किया गया । सुझाव भी दिया लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया । जिस अधिकारी ने छुआ-छूत का भेद किया उसको तो सजा नहीं दी और जिसके साथ छुआछूत की गयी उसको सजा दी गयी ।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करिये ।

श्री नाथूराम : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव और है । 26 जिलों में अधिकारी रखे गये हैं । कोई मैट्रिक है, कोई इन्टर है । बी. ए. हैं। ऐसे अधिकारी रखे गये । आर. ए. एस. ऑफिसर को

(श्री नाथूराम)

कायम नहीं किये तो ठीक से ये अधिकारी समझ नहीं पायेंगे । मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि जिला अधिकारी इन्स्पेक्टर वगैरह जो भी रखें हैं, आदिवासी हरिजनों की समस्या को समझ सकें, अनुभव हो जिन-को एसे अधिकारियों को रखा जाना चाहिये । तो वे समस्या का हल समझ सकें । आदिवासियों के लिए जो रुपया रखा गया है उसका सही उपयोग हो, सही पालन हो यही मैं निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विट्ठलभाई ।

श्री विट्ठलभाई (पीपलखूंट) : उपाध्यक्ष महोदय, 73, 74 की रिपोर्ट यदि हमको मिलती तो पता लगता । लेकिन उसको नहीं रखा गया जो कि रखनी चाहिये थी । यह पता चलता कि क्या प्रोग्रेस हुई है वैसे तो सरकार को भी मालूम है और हमको भी मालूम है कि क्या प्रोग्रेस हुई है । 28 साल में कितने आदिवा-सियों के मकान बने, कितनों के पानी की व्यवस्था हुई, कितनों को बिजली मिली, उनके स्वास्थ्य के लिये कितना काम किया ? यह सब हमको मालूम है । आदिवासी क्षेत्र हैं वहां पर ऐसी स्थिति हो रही है कि न तो उस इलाके में बिजली है, न पीने के पानी की सुविधा की गयी है । कुछ समाज कल्याण से पैसा मिला कुओं के लिये वे कुएं आज भी अधूरे पड़े हुए हैं । हैंड पंप भी एसे लगाये कि पानी भी पूरा नहीं आता है उनसे । कहने को तो हैंड पंप लगा दिये । पानी आता नहीं है । वे पड़े हुए हैं । लगाये जरूर हैं हैंड पंप । लगाने वालों ने गलत लगाये या तो । जिस किसी कम्पनी से किसी ढंग से ले लिये हों, क्या कमीशन लिया यह तो मैं नहीं कह सकता हूं कि कितना कमीशन खा गये लेकिन हालत उनकी यही है । गावों में जो खर्चा किया गया, कम से कम एक कुएं में एक लाख से कम नहीं होगा, कम भी हो सकता है, लेकिन इतना खर्चा करने के बावजूद भी उन लोगों को पीने के लिये नहीं मिले और जो सुविधा आप देना चाहते थे वह नहीं मिल पायी । यह किसकी गलती है ? यह गवर्नमेंट की गलती है । आलोचना करते हैं यह कहेंगे आलाचना इसलिये करता हूं कि काम गलत होते हैं । आपका पैसा गलत खर्च होता है । कुओं पर खर्चा हुआ । जांच नहीं की । समाज कल्याण से पैसा मिला है वह खर्च हुआ । 28 साल तो बीत गये। मंत्री महोदय आप कुछ कर नहीं पाये। 20 सूत्री कार्यक्रम । आपकी आंखें खुली इससे । किस कारण से, वह मैं नहीं कहना चाहूंगा । इसलिए इतना ही कहूंगा कि पीने के पानी की सुविधा कराई जाय। समिति बना ली मकानों के लिये । अभि-यान चलाया गावों में प्लॉट दिये । प्लॉट देने से कुछ होता जाता नहीं । आदि-वासियों की इतनी आमदनी नहीं है कि वे मकान बना सकें । वे झोंपड़ों में ही रहते हैं । भारत सरकार कुछ देना चाहती थी, वह भी नहीं मिला । इधर से उधर से कर्जा लाकर उन्होंने समिति में सौ-सौ रुपया जमा कराया न तो उनको समिति से कर्जा मिला और न कुछ । झूठे आश्वासन नहीं देने चाहिये उनको । इससे धोखे में पड़ते हैं । समिति में कर्जा लाकर जमा करा दिया और उनको पैसा मिलता है समिति से तो उनमें अविश्वास पैदा होता है । सरकार में भी अविश्वास

[redacted]

(श्री विट्ठलभाई)

पैदा होता है कि यह सरकार झूठ बोलती है । देती तो है नहीं । इससे जनता नाराज होती है । या तो समितियों को पैसा दो और उनके लिए मकान की व्यवस्था करो । कब तो आप व्यवस्था करेंगे और कब मकान बनेंगे ? इस तरह से मकानों का काम भी नहीं हुआ ।

शिक्षा भी क्या है ? स्कूल तो खोल दिये । जिलों के बाद शहरों में सेकेण्डरी वगैरह है । सेकेण्डरी गांवों में कुछ में होंगी । हमारा तो पिछड़ा हुआ इलाका है । ज्यादा से ज्यादा मिडिल स्कूल खोल रखे हैं । मेरे क्षेत्र में एक पंचायत समिति में सेकेण्डरी खोल रखा है । खैर, एक भी खोल तो रखी है । कुछ गरीबी के कारण पांचवीं पास करके मिडिल स्कूल में जाना ही उनके लिये मुश्किल हो जाता है । मिडिल में चले भी गये । सेकेण्डरी में उनके लिये जाना तो और भी मुश्किल हो जाता है । शहर में जाकर तो वे मकान किराये पर नहीं ले सकते हैं न पढ़ सकते हैं । आठवीं तक पढ़ कर घर का भा काम बिगाड़ा । न मैट्रिक कर सके, बी. ए., एम. ए. तो बहुत दूर की बात है । मेट्रिक भी नहीं कर सकते हैं । क्योंकि उनके पास इतना खर्चा नहीं है कि आगे कहीं जाकर पढ़ सकें । तो मैं समाज कल्याण मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे क्षेत्र में कम से कम जहां होस्टल हैं वहां लड़कों की संख्या में बढ़ोत्तरी की जाये । नये होस्टल खोलना तो अलग बात है, लेकिन जहां होस्टल हैं वहां लड़कों की बढ़ोत्तरी नहीं करेंगे तो फिर खाली बातें करेंगे कि हम शिक्षा में आदिवासियों को और हरिजनों को आगे लायेंगे यह गलत बात है, क्योंकि आगे जाकर पढ़ना मुश्किल है इसलिए शिक्षा अगर बढ़ानी है तो आदिवासी लड़कों की होस्टल में संख्या बढ़ाई जाये और इसी साल इसके लिए प्रावधान रखा जाये । नहीं तो उनका आगे बढ़ना मुश्किल है और उनके लिए कोई आशा नहीं है । और अगर आप ऐसा ही चाहते हैं और हम कहना चाहते हैं कि हरिजन और आदिवासी आगे आयें और दूसरी तरफ गवर्नमेंट की नीति खराब है और यह लोग आगे नहीं आ सकें और पढ़ नहीं सकें तो यह आपकी नीति सही नहीं है । इसलिए अगर आपको बीस सूत्री कार्यक्रम में इनको आगे लाने का कोई प्रावधान है तो इनको आगे लाने के लिए होस्टल में लड़कों की संख्या बढ़ाई जाये और लड़के आप पढ़ाना चाहते हैं तो उनको छात्रवृत्ति भी पूरी दी जानी चाहिए । आप तीन-तीन और छः-छः महीने तक लड़कों को छात्रवृत्तियां नहीं देते हैं । कोई कॉलेज में जाता है तो उसको तीन-तीन और चार-चार महीने हो जाते हैं । वह समाज कल्याण विभाग से मांगने जाता है तो वह कहते हैं कि अभी भारत सरकार ने नहीं भेजी और आपने पैसा देना बन्द कर दिया है तो कम से कम माहवारी उनको छात्रवृत्ति देनी चाहिए तब तो गरीबों के लड़के आगे पढ़ सकते हैं और थोड़ा घर का भी खर्चा कर सकते हैं । आप छात्रवृत्ति नहीं देते हैं तो वह लड़का भी पढ़ाई छोड़ कर चला जाता है इसलिए मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वह कोशिश करें कि माहवारी छात्रवृत्ति लड़कों को मिलनी चाहिए ।

दूसरे हमारे यहां पर जो कुए पीने के पानी के हैं तो हमारे यहां पहाड़ी और पथरीली जमीन है । इसके लिए सरकार

(श्री विट्ठलभाई)
को या तो नये पम्पों के लिए सुविधा देनी चाहिए और यह काम पूरी निगरानी के साथ होना चाहिए ताकि मालूम हो कि पैसा खर्च हो रहा है वह सही हो रहा है या गलत हो रहा है इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहरसिंह।

श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस रिपोर्ट के ऊपर आज सदन में विचार हो रहा है, वह देश के बहुत बड़े तबके से, समुदाय से ताल्लुक रखती है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शताब्दियों से एक बहुत बड़े समुदाय ने इस हिस्से के साथ बड़ी भारी ज्यादतियां की हैं। आर्थिक तौर से, राजनैतिक तौर से, सामाजिक तौर से इनका पशमिन्दा बनाया, आर्थिक तार से दबाया, सामाजिक तौर से गिराया, इनको बहुत पिछड़ा हुआ बनाया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कालान्तर में विभिन्न मत-मतान्तरों की तरफ से भी इस हिस्से को गिराने की कोशिश की गयी। विभिन्न नाम दिये गये इनके धार्मिक तौर पर और मज़हबी तौर पर। नये-नये छन्द इनके लिए बनाये गए। "ढोर गंवार पशु और नारि, ये सब ताड़न के अधिकारी"। जो परिश्रम करता है उससे घृणा की गयी। उसे गिराने का कोशिश की गयी

श्री मनोहर कोठारी : छन्द आपने गलत बोल दिया। यह इस तरह है "ढोर गंवार और व्यभिचारी, ये सब ताड़न के अधिकारी"।

श्री मोहरसिंह : यह तो बाद में जोड़ा है। सही तो यह है। इस प्रकार से इस बड़े हिस्से को हमने नीचे की तरफ गिराया उपाध्यक्ष महोदय, कोई भी समुदाय, कोई भी वर्ग, कोई भी कौम, कोई भी देश आर्थिक तौर से गिरता है तो फिर वह गिरता ही चला जाता है। प्रारम्भ में राजनैतिक तौर से इनको गिराया गया। इनकी जो जिन्दगी का सहारा था, इनका जो काम करने का तरीका था, कमाई का जो साधन था उससे वंचित करते करते एक ऐसी लाइन में इनको खड़ा कर दिया, ऐसे ऐसे धन्धे इनको दिए गये जिनको कालांतर में समाज ने घृणित दृष्टि से देखना शुरू कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हम आर्थिक परिवर्तन के युग में हैं। सारी दुनिया के अन्दर नयी रोशनी जिसको समाजवाद की लाइन कहते हैं, गरीबों को उत्थान की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा यह तबका जिसको हमने वर्षों तक गिराया इस बात के लिए हमें समझना चाहिए कि हमने उनके प्रति अन्याय किया, इनके साथ बड़ा भारी जुर्म किया और इतने बड़े समुदाय के साथ आर्थिक तौर से अब हमारी उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि हम इनके उत्थान के लिए लग जायें। जितना इनको दबाया गया उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी से इनको उत्थान की तरफ हम ले जायें। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो 28 वर्ष की आजादी में जो रास्ता सही तौर से आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए अख्तियार कर लेना था उसमें अधरझूल में रहे। सही रास्ता नहीं अख्तियार कर पाये और अब कुछ इस प्रकार का नारा लगाया जा रहा है कि हम देश के हालात तब्दील करना चाहते

(श्री मोहरसिंह)
हैं, जो पतित हैं उनको उत्थान की तरफ ले जाना चाहते हैं। बड़ी खुशी की बात है। सब का ज्यादा से ज्यादा फर्ज है और जिन्होंने उनको गिराया उनका तो बहुत ज्यादा फर्ज है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आर्थिक तौर से हमारा जो ढांचा है, नीति है अभी सही लाइन पर नहीं है। मुझे आज नहीं कहना चाहिए क्योंकि विषय दूसरा है। कल बीस सूत्री प्रोग्राम के दौरान में आपने समय दिया तो मैं आंकड़ों से साबित करूंगा कि आप कहां हैं। दुनिया में हम कहां खड़े हैं। आज हम अपने पैरों पर हैं या दूसरों पर मुनस्सर हैं। यह दूसरी बात है लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना साफ तौर से कह देता हूं कि आज हमने गरीब और अमीर की खाई को पाटा नहीं है। अभी भी नीचे के लोगों की गिनती बढ़ रही है और बढ़ती रही है और उधर अमीरों की, मोनोपॉलिस्ट्स की जिन्होंने देश के प्रोडक्शन को और कन्जम्प्शन की सारी चीजों को अपने कब्जे में लिया उनकी भी गिनती बढ़ी है। कुल मिला कर हम जिस ढांचे में परिवर्तन करना चाहते हैं, लोगों के जिस तबके को आर्थिक उत्थान की तरफ ले जाना चाहते हैं—सही लाइन हम नहीं पकड़ पाये हैं और खासकर उपाध्यक्ष महोदय, इन लोगों के मुतल्लिक जो कि वास्तव में बहुत बैकवर्ड रहे हैं। इन लोगों को उठाने के लिए तो हमें और भी ज्यादा शीघ्रता करनी चाहिए, इनको और भी ज्यादा सहूलियतों की आवश्यता है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज हमने इनके लिए कुछ प्रोग्राम शुरू किये हैं। आवासीय भू-खण्डों का प्रोग्राम शुरू किया, इनको बसाने के लिए जमीन देनी चाहिए। यह आर्थिक प्रोग्रामों का एक हिस्सा है आवासीय भू-खण्ड दिए जावें हमने तय किया कि डेढ़ सौ गज के प्लॉट दिए जावें। आप सोचिए, विचारिए, आखिर यह कमजोर हैं तो क्या हुआ, उनको ऊंचा बनाने जा रहे हैं, हम उनको समकक्ष लाना चाहते हैं, हम उनको आगे लाना चाहते हैं और प्लॉट कितना 15 बाई 10 गज, जिसमें एक तो वह खुद रह ले और एक बकरी बांध ले। इससे ज्यादा नहीं। नम्बर दो, इसके ऊपर मकान बनाने के लिए फण्ड दिया हमने? आप सर्वे कराइये और सारी तहसीलों का सर्वे नहीं कराते तो पंचायतों के जिम्मे डालिए, पंचायत समितियों के जिम्मे डालिए कि पता लगायें कि कितने तो प्लॉट आबाद हुए और कितनों ने मकान बनाने की कोशिश की। कितनों के मकान बन चुके हैं और कितनों को कर्जा मिल चुका है, कितने पर्सेन्ट को मिला है और कितने पर्सेन्ट आबाद हुए हैं, तो मालूम होगा कि सौ में से 70 तो जहां बस रहे थे वहीं के वहीं हैं और आपने कागज़ों में लीपापोती कर दी, अखबारों में निकाल दिया कि इतने लाख लोगों को भू-खण्ड दे दिए। और जो 30 पर्सेंट बाकी बचेंगे वे भी बता देंगे कि उनको जमीनें कहीं दी गई हैं। जो आवासीय भू-खण्ड दिए गए वे उनको ऊबड़-खाबड़ जमीनों पर दिए गए, जहां अच्छी जमीनें थीं वहां पर नहीं दिए गए। वे बेचारे कमजोर थे, बोल नहीं सकते थे। कह नहीं सकते थे। उन पर धनवानों का वर्चस्व आज तक रहा है लेकिन जगह 2 के उदाहरण मैं बताऊं तो हाउस का समय जाएगा क्योंकि समय की आज कीमत है।

(श्री मोहरसिंह)

ग्राम इन्द्रापुर, तहसील राजगढ़, जिला चूरू के बारे में मैंने कई दफा प्रश्न भी यहां पर उठाया था कि आवासीय भू-खण्ड आज किस स्थिति में हैं, लेकिन आज तक उसका उत्तर नहीं आया। आज मैं क्वेश्चन ब्रांच में भी पूछने को गया कि राजस्व मंत्री महोदय के सामने मैंने यह प्रश्न रखा था क्या उसका जवाब आया, तो उत्तर मिला कि जवाब नहीं आया। बार बार प्रश्न रखा लेकिन आज तक जवाब नहीं आया। आज भी पता नहीं है कि वस्तु स्थिति क्या है। जहां पड़े हुए हैं वहां पानी भरा हुआ है। 36 गरीबों को जमीनें दी बसने को आवासीय भू-खण्ड दिए और जिले के अन्दर रामगढ़ तहसील में जो गांव है उसके अन्दर भी यही हालत है। इसी तरह से जगह 2 पर आपके डूंगरपुर जिले में जिसके लिए बहुत ज्यादा आवाज आती है कि हमने हमारे जिले में यह कर दिया वह कर दिया। कितने आवासीय भू-खण्ड दे दिए उनको? वे लोग पहाड़ियों में रहते हैं, उन पहाड़ियों में क्या तो भू-खण्ड हैं और क्या उनको आवश्यकता रहती है लेकिन जो डूंगरपुर कस्बा है और उस कस्बे के आस पास रहने वालों को करीब हजार या आठ सौ भू-खण्डों की आवश्यकता है शहर में, पर कितने दिए आपने वहां शहर के अन्दर उनको भू-खण्ड। तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहं देना चाहता हूं कि एक अलवर, चूरू या डूंगरपुर की ही बात नहीं है, राजस्थान के 26 जिलों में सर्वे करा कर देख लीजिए कि किस प्रकार से कितने भू-खण्ड दिए गए हैं, कितने आवासीय भू-खण्ड दिए गए हैं और दिए गए तो किस भूमि पर दिए गए और दिए भी गए तो डेढ़ सौ गज उन पर कितने आबाद हुए? कितनों को कर्जा दिया मकान बनाने के लिए? जो साधनों से हीन हैं, उपाध्यक्ष महोदय, क्या वे मकान बना कर तामीर करा कर रह सकते हैं? यह उनकी हालत है और यही कारण है कि वे जगह जगह पर आबाद नहीं हो पाए।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आवासीय भू-खण्ड का किस्सा हुआ। इसके बाद हम कहते है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी किस तरह से बढ़ रही है इसको श्रम मंत्री साहब खूब अच्छी तरह से जानते हैं। बेरोजगार चाहे शिक्षित हो और चाहे अशिक्षित हो या लैण्डलैस हो या खेतिहर मजदूर हो, बेरोजगारी के आंकड़े दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने कहा कि तुमको जमीन देंगे, राजस्थान में जमीन बहुत पड़ी है, करोड़ों एकड़ जमीन है, लाखों एकड़ जमीन है राजस्थान में, लेकिन देने का जो सिस्टम है वह ठीक नहीं है। मैंने राजस्व मंत्रीजी से कहा, सबसे कहा, एक प्रश्न भी रखा कि हमारे बहुत से हरिजनों ने राजस्थान कैनाल के जोधपुर, नागौर और चूरू जिले के हरिजनों ने फार्म भरे हैं। कुछ हरिजनों ने आपकी तहसील के भी फार्म भरे हैं और अब फार्म के साथ चाहिए फोटो अटेस्टेड कॉपी। अब यह फोटो अटेस्टेड कॉपी कहां से लायें? जो कुछ छः, आठ, दस मन पैदा हुआ था वह तो काट दिया, बेच दिया कर्जे के लिए, खाने के लिए। बड़ी मुश्किल से फार्म तो भर दिए लेकिन उसके बाद वंचित रह गए फोटो था नहीं। यह हालत है। उनको जमीन नहीं मिल पाई। दूर की बात नहीं करता, इन तीनों तहसीलों से जोधपुर,

(श्री मोहरसिंह)

नागौर और चूरू जिले से राजस्थान कैनाल की जमीन के लिए 27 हजार फार्म भरे लेकिन साढ़े तेरह हजार फार्म सैंक्शन हुए और साढ़े 13 हजार के भी पूरे आंकड़े मेरे पास कोलोनाईजेशन विभाग ने नहीं भेजे हैं। उन्होंने 27 तारीख को कहा कि मोहरसिंह जी आप जयपुर जायें, जयपुर में 28 तारीख को कॉपी पहुंचेगी उसमें से एक कॉपी आपको बाद में दे देंगे। कितनी जमीन हरिजनों को दी, कितनी सवर्णों को दी और कितनी दूसरे लोगों को दी। कितनी अनूपगढ़ तहसील में, छतरगढ़ के नम्बर 2 में, रामगढ़ में, बीकानेर में, पूगल तहसील में कितनी जमीन इन जिलों के लोगों को दी। अब यह साफ हो चुका है कि करीब सात हजार, पौने सात हजार फार्मों को ही जमीन अलॉट हुई है। मैं कहना चाहता हूं साफ तौर से आपको कि जमीन की कीमत कितनी थी? 17 हजार रुपये जमीन की कीमत थी लेकिन हमारे वित्त मंत्री महोदय जिनकी वाणी तो समाजवादी है लेकिन जिनका दिल पूंजीवाद से रंगा हुआ है, वह यह नहीं देखते कि गरीब कहां से इतना पैसा लाएगा और किस तरह से 36 हजार रुपया एक मुरब्बा का जमा कराकर कायम रह सकेगा? किस तरह से सिंचाई करेगा, कैसे सीमा लगाएगा, किस प्रकार से उस पर जाकर आबाद हो सकेगा, कैसे पिलाई करा सकेगा, किस तरह से पानी लगाएगा टाईम से और कैसे आबाद होगा, किस तरह से स्टेबल होगा, तारों के लिए कैसे खर्चा कर सकेगा? इसके बावजूद भी इतनी बड़ी भारी कीमत रखा है? लेकिन इतना होने के बावजूद भी सात हजार या पौने सात हजार आदमियों को जमीन आवंटित हुई है। और उपाध्यक्ष महोदय, आपके छत्तरगढ़ नम्बर 2 और अनूपगढ़ के पास के गांवों में, उस इलाकों में किस प्रकार आबाद होकर रह सकेगा, कितने साधन मिल सकेंगे, कैसे स्टेबल हो सकेगा, यह बात भी हमें देखनी है। पौने सात हजार फार्म स्वीकृत हो गए, जमीन मिल गई लेकिन स्टेबल कितने रहे। इधर पाकिस्तान का डर है, उधर उनके पास पैसा नहीं है। पीने के लिए दस-दस, पांच-पांच कोस से पानी आएगा। कई ऐसी जगह हैं जहां इस साल पानी लगे, अगले साल पानी लगे या तीसरे साल पानी लगे। दस कोस से पानी पीने के लिए लाना पड़ता है। कितना मुश्किल काम है लेकिन उस जगह पर भी, उपाध्यक्ष महोदय, इस काम को सही ठीक समझ लेते हैं कि इतने लोगों को जमीन तो दे दी। अब इससे आगे कदम रखिए, उनको स्टेबल करना है, बसाने के लिए सब तरह के साधन मुहैया किए जाने हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से राजस्थान के अन्दर और इलाकों में जहां जमीनें दी गई हैं, जो जमीनें आपने उनको बख्शीश की हैं हरिजनों को, उनको जाकर देखिए, आपके अलवर जिले को ले लें। अलवर जिले में हमने उसकी कॉस्ट लगाई 5 बीघा 1 बिस्वा का एक एकड़ और एक एकड़ का एक हजार रुपया 1 एक हजार रुपये में एक एकड़ देंगे और उसका दसवां हिस्सा उसी वक्त जमा करें, उसमें पहले से लोग काबिज हैं, कब्जा दिलाना आपके ऊपर, कैसे लोगों को इस पर बसायेंगे? और फिर जमीनें भी कैसी, ऊबड़-खाबड़,

(श्री मोहरसिंह)

नदी-नालों पर। अगर आप चाहेंगे तो गांवों की लिस्ट मैं मिनिस्टर महोदय के पास भेज दूंगा कि ये जमीनें अलॉट हुई हैं जगह 2 पर। इस प्रकार से बेगार सी टाल दी गई है। उपाध्यक्ष महोदय, किस प्रकार से इन ऊबड़-खाबड़ जमीनों को लोग दिन रात मेहनत करके उपजाऊ बनायें, किस प्रकार काम करें, अपना प्रोडक्शन निकालें और इस प्रकार की जो जमीनें हैं ....

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिए।

श्री मोहरसिंह : अभी तो मैं चौथाई भी नहीं बोला हूं। 1/4 भी नहीं कर पाया।

श्री उपाध्यक्ष : जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री मोहरसिंह : पन्द्रह मिनिट भी नहीं हुए हैं मुझे।

श्री उपाध्यक्ष : 15 मिनिट हो गए हैं आपको बोलते हुए।

श्री मोहरसिंह : 15 मिनिट मेरी पार्टी के और थोड़ा बहुत और....

तो मैं आपसे कह रहा था कि यह जमीनें कैसी हैं। स्टेबल होने के बाद में तीसरी चीज आती है को-ऑपरेटिव के कर्जे की। मैं आपको कहता हूं कि को-ऑपरेटिव के कर्ज हरिजनों के लिए वरदान सिद्ध नहीं हुए बल्कि अभिशॉप ही सिद्ध हुए हैं। जब वसूली का समय आता है तो वसूली करते वक्त मोटे लोगों को तो कह देंगे कि थोड़े दिनों में दे देना। इधर उधर आपस में मिले रहते हैं लेकिन हरिजनों के ऊपर ही फांसी का फन्दा गिरता है तेरी गाय ला, तेरी भैंस ला, तेरा ऊंट ला। यही कारण है उपाध्यक्ष महोदय, कि यह कर्जा हरिजनों के लिए अभिशॉप बन कर आया है और जो आदिवासी क्षेत्र हैं, हरिजन क्षेत्र है वहां पर जो मोटे 2 लोग रहते हैं, पंच, सरपंच के पास दौड़ते हैं, मोटे लोगों के पास दौड़ते हैं कि मेरा पीछा छुड़ाओ, इनसे मुझे बचाओ, मेरा पैसा इनको चुका दो मैं दस-पांच दिन में वापिस दे दूंगा, मेरी जमीन रख लो। तो इस तरह से उपाध्यक्ष महोदय, को-ऑपरेटिव का कर्जा है। इसी तरह से कुछ प्रचार के जरिए बताया है कि इतने सागड़ी इस जिले में छुड़ा दिये, लेकिन असल में स्थिति ऐसी नहीं है जैसी कि प्रचारित की जा रही है। मोटे-मोटे आदमियों ने जिनको आप सागड़ी कहते हैं, उन बंधनों से छोड़ कर दूसरे नाम से लगा रखा है। कुल मिला कर वहां पर इन लोगों का जमावड़ा है।

इसके साथ साथ एक बात और निवेदन कर देना चाहता हूं—नौकरी का जहां तक सवाल है, हरिजनों के लिए कुछ पर्सेन्टेज कायम कर रखा है इसके बावजूद कम्प्लायन्स नहीं होती है। थोड़े दिन पहले की बात है। डूंगरपुर में एल. डी. सी. की जरूरत पड़ी। डूंगरपुर के लिए आप लोग चिल्लाते हैं। वहां पर इन्टरव्यूज लिये गये और उसमें आदिम जाति और हरिजन जो कन्डीडेट थे उनको नहीं लिया गया। एक आदिवासी को नहीं लिया

(श्री मोहरसिंह)

गया। जिनकी सिफारिशें थीं उनको लिया गया। आपकी कथनी और करनी में अन्तर है। कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। असल में हम जो प्रचारित कर रहे हैं वह गरीबों के साथ नहीं हो रहा है।

एक बात और कह देना चाहता हूं। सामाजिक तौर से हरिजन समाज को गिराने के लिए उनके बीच में एक बहुत बड़ी बीमारी चली आ रही है। और उनकी वह बीमारी है—शराब। शराब ही वह बीमारी है जो उनको सामाजिक रूप से गिराये हुए है। इससे आपको बीस करोड़ की आमदनी हो रही है। आमदनी का यह एक सीगा है, लेकिन करोड़ों आदमियों को यह गरीब बना देता है। इसलिए इस भयंकर बीमारी को इन लोगों से छुड़ाने के लिये ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जानी चाहिये। इस शराबबंदी के लिये जो सही ढंग से प्रचार करने वाले हैं, जो इसके लिए संस्थाएं हैं शराब के विरोध में उनकी ओर आप ध्यान दें। तीन, चार संस्थाएं ऐसी हैं। एक तो जैनियों की है, एक संस्था और हैं जोधपुर में, एक शराब निवारण प्रचार करने वाली संस्था है। ये ऐसी संस्थाएं हैं जिनको प्रचार करने के लिये आपको ज्यादा से ज्यादा सहयोग देना चाहिये और इस बुरी चीज की जो इन लोगों को लत हो गयी है, उससे उनका पीछा छुड़वाया जाये तब जाकर इनका विकास होगा, सामाजिक दर्जा इनका ऊंचा हो सकेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

हमारे समाज कल्याण मंत्री जी यहां पर हैं, वित्त मंत्रीजी भी यहां पर हैं। 31 मार्च का दिन निकल गया है। इन दो-तीन दिन में बड़ी लूट करवायी है मैं उनके नाम तो यहां नहीं बताऊंगा, प्राईवेट में आपको कह दूंगा, परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो शराब को रोकने वाली संस्थाएं हैं उनके साथ आपको ताल्लुकात रखने चाहियें और इस बीमारी को दूर भगाना चाहिये हरिजनों से। (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) उपाध्यक्ष महोदय, यही एक बीमारी है पहले इसको मिटाया जाये। एक और सुझाव के तौर पर निवेदन (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) करना चाहूंगा कि एक कमेटी बनावें जो हरिजनों की हालत को देखे (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री मोहरसिंह: यह कमेटी यह देखें कि उनके जीवन स्तर को, उनके रहन-सहन को किस प्रकार आगे बढ़ावें। इन्हीं शब्दों के साथ यह निवेदन करता हुआ कि मंत्री महोदय मेरे सुझावों पर गौर करेंगे और इन लोगों की उन्नति के लिये सही कदम उठाने की कोशिश करेंगे यह शिकायत करता हुआ कि मुझे बहुत कम समय दिया गया है, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रावतराम !

श्री रावतराम (छापर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के आयुक्त की रिपोर्ट पर इस सदन के कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार प्रकट किये हैं और खास तौर से जो मुद्दे थे उन पर प्रायः सभी सदस्यों ने अपने विचार रखे हैं इसलिए मैं इस सम्बन्ध में कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं।

(श्री रावतराम)

मैं थोड़ा सा समय लेना चाहता हूं। खास तौर से मैं आज जो छुआछूत समाज में चलती है उसके बारे में जिक्र करना चाहता हूं। छुआछूत जो चलती है वह गांव, कस्बे में उन लोगों के बीच में चलती है जो अनपढ़ हैं, शिक्षित नहीं हैं। जो आज की हवा से दूर हैं, परन्तु, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि जो लोग जान बूझ कर ऐसा करते हैं जो पढ़े लिखे लोग है, जो एजूकेशन की समस्याएं हैं या जो दूसरी संस्थाएं हैं और जो राज्य से, सरकार से ऐड लेती हैं ऐसी संस्थाओं में जो शिड्यूल कास्ट्स और ट्राइब्स के लोग हैं

श्री जयनारायण : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 7 बजे तक के लिये बढ़ा दिया जाये—माननीय सदस्यों की सुविधा को देखते हुए समय 7 बजे तक के लिए बढ़ा दिया जाये ?

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय 7 बजे तक के लिये बढ़ा दिया जावे ?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया जाता है।

श्री रावतराम : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि ऐसी जो संस्थाएं हैं और खासतौर से मैं यह कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान में जगह जगह से यह शिकायत आती है, हमारे सेकेन्डरी, हायर सेकेन्डरी स्कूल्स और कॉलेजेज से कि उनमें जो आपके टीचर्स हैं, जो शिड्यूल कास्ट और ट्राइब्स के लोग बैठे हैं उनके साथ छुआछूत बरती जाती है। उनको मटकियों से पानी नहीं पीने दिया जाता है। उनके साथ टीचर, हैडमास्टर और उनके दूसरे साथी छुआछूत करते हैं और गवर्नमेन्ट के सामने यह बात आती है उसके बाद भी गवर्नमेन्ट की ओर से कोई एक्शन नहीं होता है तो उसका और बुरा असर होता है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहूंगा कि आप इस बात को छोड़िये कि गांवों में कुओं पर-सार्वजनिक कुओं पर, हरिजनों को पानी नहीं भरने दिया जाता है परन्तु शहरों में जो दूसरी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, उनमें भी क्या आप हरिजनों को बराबरी का दर्जा नहीं दिला सकते हैं। जो सार्वजनिक स्थान हैं, होटल हैं उनमें भी इन लोगों के साथ छुआछूत होती है। तो क्या आप उनके लाइसेन्स खारिज नहीं कर सकते हैं जो टीचर्स हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, जो बड़े बड़े दफ्तरों में काम करते हैं उनमें इस तरह की गड़बड़ियां होती हैं तो क्या आप उनको सजा नहीं दे सकते, उनको बरखास्त नहीं कर सकते हैं तो इस छुआछूत के रोग को किस तरह से मिटायेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि जब इस तरह के केसेज हमारे सामने आयें तो हमको इस पर ज्यादा से ज्यादा गौर करना चाहिये। इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में बहुत पहले इस सदन में यह घोषणा सरकार ने की थी आयन्दा के लिए कस्बों में, बड़े शहरों में यू. आई. टी., नगरपरिषद् में जो भी नयी बस्तियां बसाई जाएंगी, जो नया मास्टर प्लान तैयार होगा, जो प्लॉट उनमें रखे जायेंगे उनमें से 15 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट्स और ट्राइब्स के लिए

(श्री रावतराम)

रिजर्व रखे जायेंगे। इस पॉलिसी के पीछे यह एक बेस था और यह एक बहुत बड़ी शिकायत थी कि चूंकि राजस्थान में शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों के लिए अलग से बस्तियां पुराने जमाने से चली आ रही हैं, उन बस्तियों को धीरे-धीरे समाप्त करेंगे और जो बस्तियां बनेंगी उनमें हम प्लॉट्स देंगे ताकि वे अन्य लोगों के साथ में अपने मकान बना कर रह सकें और उनके बीच में बैठ सकें।

मैं राज्य सरकार से यह कहना चाहता हूं कि उस नीति का क्या हुआ ? आपकी उन घोषणाओं का क्या हुआ ? दूसरी जगहों पर प्लाट्स दिये गये हैं, दूसरी बस्तियां बनी हैं लेकिन उस घोषणा का असर हमारे सामने नहीं आया और उसी तरह से लोगों को दूर, जो कि माननीय सदस्यों ने इस हाउस में कहा है, प्लाट्स दिये गये हैं और उसी तरह से यह सारा काम चलता रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष, 20-सूत्री प्रोग्राम के अन्तर्गत एक बहुत बड़ा काम राज्य सरकार ने किया है कि जिन लोगों के पास जमीनें नहीं थीं उनको आवासीय भूखण्ड दिये। यद्यपि यह एक बहुत बड़ा काम हुआ है और इसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है, लेकिन हम लोग समय समय पर आपके सामने यह निवेदन करते आये हैं और गवर्नमेंट के सामने इस तरीके से रखते आये हैं कि इसमें एक प्रकार से बहुत बड़ी गलती हुई है उसको ठीक करना चाहिए। अभी मेरे से पूर्व बोलने वालों ने फरमाया कि खास तौर से डेजर्ट एरिया में 150 गज का पट्टा बहुत कम है, क्योंकि वहां के लोग मवेशी रखते हैं। वहां के लोग खेती करते हैं इसलिए 150 गज का प्लॉट बहुत कम है। जिन लोगों के पास में भूखण्ड नहीं थे या वे ऐसी जगहों पर रहते थे जहां कि जमान शुरू से ही कम थी, जैसे कि अलवर में, भरतपुर, बून्दी और कोटा में ऐसा जगहों पर लैण्ड सोर्सेज कम हैं वहां पर जिसके पास भू-खण्ड नहीं है उनको भी 150 गज के भू-खण्ड दिये हैं। इससे बड़ी और कोई उपलब्धि नहीं हो सकती है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है लेकिन जहां पर जमीन की कमी नहीं है और सैंकड़ों वर्षों से लोग वहां जमीनों पर बैठे थे उसी जमीन को नाप करके 150 गज का टुकड़ा और उसका पट्टा बनाकर आपसे दे दिया तो यह बहुत बड़ी गलती की है। हमने आपसे यह कहा है कि सारी जमीन का पट्टा बनाकर देना चाहिए। यदि आप पट्टा बनाकर नहीं देते हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं, पुराने कब्जों को मत उठाइये। 150 गज का टुकड़ा उनके लिए बहुत छोटा है क्योंकि वे मवेशी वाले हैं तो उसको आपको बढ़ाना चाहिए। उस पर गवर्नमेंट ने विचार नहीं किया।

इस सदन में यह भी बात आई है कि ऐसी जगहों पर पट्टे दिये गये हैं जहां आवागमन के साधन नहीं हैं, जहां समतल भूमि नहीं है, जो बस्ती से दूर हैं या दूसरे लोगों के कब्जे में है इससे गांवों में झगड़ा होता है और कइयों को कब्जे नहीं दिये हैं। इन सब की जानकारी आपको करना चाहिए।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष, एक बात और रखना चाहता हूं। 20-सूत्री

(श्री रावतराम)

कार्यक्रम के सूत्र 4 और 5 जो हैं इनमें यह व्यवस्था का है कि ऐसे लोग जिनका खातेदारी की जमीन है और दूसरे लोग उसको दबाये बैठे हैं, कोई अडाणे के तरीके से बैठे हैं, कोई नाजायज कब्जा करके बैठे हैं उन लोगों की जमीनों को रिलीज कराना चाहिए। इसके लिए जो गरीब लोग मांगते हैं तो कर्जों के एवज में उनको सम्भला रखी हैं। उनको उनसे मुक्त करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में राजस्थान में पट्टे हुए हैं और उसके जरिये लोगों को रिलीफ मिला है, इसमें दो राय नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई है कि लोग अपना कर्जा छुड़ाने के लिए कलेक्टर या तहसीलदार के पास दरख्वास्त लेकर जाते हैं, खेती की जमीन छुड़ाने के लिए कलेक्टर या तहसीलदार के पास जाते हैं तो आपके ध्यान में यह बात होगी कि राजस्थान में ऐसे सैकड़ों केसेज हुए हैं कि उन लोगों के साथ में दूसरे लोगों द्वारा मारपीट की गई है। चूरू जिले में एक मेघवाल जो सरदारपुरा बीका का है उसको बुरी तरह से पीटा गया है, और महज इसलिए पीटा गया है कि उसकी खेती की जमीन को दूसरी पार्टी 10 साल से दबाये हुए बैठी थी। उसका कसूर इतना सा था कि कलेक्टर को उसने दरख्वास्त दी है कि मुझे यह जानकारी मिली है कि जबरन नाजायज कब्जा कर रखा है उसको छुड़ाया जाय। वह इस प्रकार की दरख्वास्त देकर आता है गांव में तो उसको भयंकर रूप से पीटा गया और उसके हाथ-पैर तोड़ गये हैं। वह थाने पर गया तो उसकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इस प्रकार की सोशियल एट्रॉसिटीज राजस्थान में बढ़ती जा रही है। इस प्रोग्राम के कारण बढ़ती जा रही है जो कि आपने प्रगतिशील कदम उठाया है और दबे हुए लोगों को आप समान स्तर पर लाना चाहते हैं उसके कारण सरमायेदार लोग जगह जगह पीटा करते हैं। उससे उनको बचाने के लिए पुलिस प्रोटेक्शन उनको देना पड़ेगा आप पुलिस प्रोटेक्शन तभी दे सकते हैं जबकि हर जिले के एस. पी. और कलेक्टर को बाउण्ड करेंगे कि किसी हरिजन के साथ में या किसी गरीब के साथ में अत्याचार कोई होता है तो उसकी पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी एस. पी. और कलेक्टर की होगी न कि थानेदार या दूसरे आदमी की। अगर थानेदार के भरोसे मामले को छोड़ देंगे तो उन गरीबों को आप कोई न्याय नहीं दे सकते हैं। पिछली बार से हम रिक्वेस्ट करते चले आ रहे हैं कि हर जिले में एक सेल कायम किया जाय उसमें कलेक्टर और एस. पी. हो और शिड्यूल्ड कास्ट्स के एम. एल. एज. को ले सकते हैं उनको लिया जाय और सारे अत्याचार जो गांवों में होते जिनकी एफ. आई. आर. दर्ज नहीं की जाती है और छुआछूत केसेज होते हैं उल्टा उनके ऊपर 182 के मुकद्मे चलाये जाते हैं। कई माननीय सदस्यों ने ये बातें कही हैं इसलिए सारी बातों को देखने के लिए हर जिले में सेल कायम करने चाहियें, और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट सेन्ट पर्सेन्ट इस बात के लिए एग्री है और आपने हमें आश्वासन दिया है। यह एक नीति का प्रश्न है। सेल के जरिये उन जिलों में क्या होता है, क्या नहीं होता है उन सारी चीजों को देखना चाहिए।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष, एक बात मैं और यह निवेदन करना चाहता हूं,

(श्री रावतराम)

क्योंकि यह बात बहुत कही जा चुकी है और स्वयं मैं भी निवेदन कर चुका हूं कि जो रोस्टर सिस्टम के लिए अपने ऑर्डर किये हैं लेकिन उसका इम्प्लीमेंट ठीक तरह से होता है कि नहीं, कम्प्लायेन्स उसकी होती है कि नहीं इस बात को देखना है। रोस्टर मेन्टेन करने के लिऐ आपने डिसीजन दिया है, लेकिन कितने ही डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें रोस्टर मेन्टेन होता है या नहीं होता है इसको देखने वाली कौनसी एजेन्सी है, हम यह सिर्फ पूछना चाहते हैं। मैं नहीं कहता कि रोस्टर मेन्टेन नहीं होता है। बहुत सारे डिपार्टमेंट ईमानदारी से मेन्टेन करते हैं, ऐसे भी उदाहरण हैं, और ऐसे भी बहुत से उदाहरण हैं जिनमें रोस्टर मेन्टेन नहीं किया जा रहा है जिससे हमारे लोगों को सर्विस से वंचित रहना पड़ता है।

इसके अलावा प्रमोशन के रिजर्वेशन का कोटा रखा है। यह क्रान्तिकारी कदम है। राजस्थान इसमें आगे है। इसके लिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। परन्तु इसमें एक गड़बड़ है उसको आप दूर कर दें तो इन लोगों को ज्यादे से ज्यादा उसमें लाभ मिले। आपके जो ऑफिसर हैं उनको सिर्फ यह कहना है कि सीनियोरिटी के आधार पर ही इनको प्रोमोशन दे सकते हैं, और हम कभी नहीं चाहते कि जिसकी एज्यूकेशन और क्वालीफिकेशन कम है या जो ऐलिजिबल नहीं हैं या योग्यता कम रखता है उसको प्रोमोशन देकर ऊंचे पद पर बैठा दें, लेकिन हमारा यह कहना है कि जिस डिपार्टमेंट में जो आदमी 5-7 साल सर्विस कर लेता है और जब बेसिक क्वालिफिकेशन पूरी कर लेता है उसके बाद में उसकी रिजर्वेशन के लिए जो लिस्ट आप बनाते हैं, जो कमेटी बैठाते हैं तो उसके सामने उसका नाम क्यों नहीं जाता है। सीनियोरिटी लिस्ट में उसका नाम आये या न आये लेकिन बेसिक क्वालिफिकेशन उसकी बन जाती है और कई साल तक एक डिपार्टमेंट में सर्विस कर लेता है उसके बाद में वह योग्य हो जाता है। इसके अलावा और कोई बात न हो इसलिए इसको मान लेना चाहिए। इस क्लॉज को लेना जरूरी है ताकि उनको प्रोमोशन मिलता रहे और यह प्रोमोशन वाली शिकायत खत्म हो जाय।

इसके अलावा, माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपसे समितियों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। भवन-निर्माण समितियों के बारे में बहुत से माननीय सदस्य कह चुके हैं। मैं इसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं इसके अलावा यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह गलती हुई है और गलती यह हो रही है कि आपने इस तरह की समितियों के लिए रजिस्ट्रेशन के दरवाजे खोल दिये हैं कि जितनी सोसाइटीज रजिस्टर्ड हो जायेंगी उन सबको लोन मिलेगा। 5-6 या 8 लाख रुपये दिये हैं उसके लिए बहुत बड़ी पब्लिसिटी की है। साथ ही साथ यह भी किया कि इसकी पब्लिसिटी की गई है कि सब को मकान बनाकर दिये जायेंगे। जहां भी हो सकता है लोगों में मिलजुल कर 100), 150) रुपये के शेयर के जमा करायें अपने जेवर को बेचा है या मवेशियों को बेचा है और वे समिति के मेम्बर बन गए। फण्ड्स की कमी होने की वजह से सोसाइटी

(श्री रावतराम)

को कर्जा नहीं मिलता है, तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। हम उनके सामने नहीं जा सकते हैं। गलती यह हुई है। जितने फण्ड्स एवेलेबल थे उसी हिसाब से एक साल का टार्गेट बनाकर चलना चाहिये था कि इस साल में 100 सोसाइटीज को ले सकते हैं और इस साल में इतनी सोसाइटीज को दे सकते है तो उतनी ही सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन होता है और हर जिले में कलेक्टर के जिम्मे करते कि इतनी सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन कराना है। एक जिले में उस हिसाब से 5 सोसाइटीज आती है तो 5 का ही रजिस्ट्रेशन होता। तो इसमें कई तरह की गड़बड़ी नहीं होती। इतना इम्बेलेन्स हो गया कि किसी जिले में 50 सोसाइटीज को कर्जा मिल गया और कई ऐसे जिले हैं राजस्थान के कि जहां पर एक भी सोसाइटी को कर्जा नहीं मिला और हजारों की तादाद में सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन हो गया। अब हम क्या कहें, अब उनको भंग करने के लिए कहते हैं तो पोजीशन खराब होती है और यदि रखना चाहते हैं तो उनको कर्जा नहीं दे सकते, ऐसी स्थिति में राजस्थान सरकार को कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिये।

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सोशियल वैलफेयर डिपार्टमेन्ट एक बहुत ही महत्व पूर्ण डिपार्टमेन्ट है, परन्तु बहुत ही उपेक्षित है, उसको उपेक्षित इसलिए समझा जाता है कि वह समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को ऊंचा उठाने के लिए काम करता है, समाज की जो तिरस्कृत और अपमानित, समाज के द्वारा बहिष्कृत जो लड़कियां और स्त्रियां हैं जिनको समाज ने छोड़ दिया है जिनके लिए समाज में कोई स्थान नहीं हैं उनको समाज कल्याण विभाग प्रोटेक्शन देता है, यह वह डिपार्टमेन्ट है जिसके जरिये से बूढ़ों और असहाय लोगों को साहस मिलता है, लाखों शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को प्रोटेक्शन देता है और इतने महत्वपूर्ण डिपार्टमेन्ट को भी उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है जिसकी कोई हद नहीं। इसलिए मेरा समाज कल्याण मन्त्री जी से, उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत यह निवेदन है कि इस दृष्टिकोण में परिवर्तन की जरूरत है। राजस्थान की गवर्नमेन्ट को विकास करना पड़ेगा तभी यह डिपार्टमेन्ट जितना आपने इसको महत्व पूर्ण बनाया है, वह अपनी सेवाएं आसानी से समाज को दे सकता है, प्रसन्नता की बात है कि आपके योग्य हाथों में यह डिपार्टमेन्ट है, आप बहुत ही प्रगतिशील मिनिस्टर हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं आपके पास और भी बहुत से डिपार्टमेन्ट्स हैं, इसलिए आपको पूरी फुर्सत नहीं मिल सकती है, इसलिए आप कृपा करके इसको अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए काम करें। आपके होस्टल्स चलते हैं, और भी कई एक्टिविटीज इस डिपार्टमेन्ट में चलती हैं उन होस्टल्स में क्या हो रहा है, उसको देखने के लिए।

श्री उपाध्यक्ष : कृपया समाप्त कीजिये

श्री रावतराम : क्या व्यवस्था हैं, उनमें जो छात्र हैं, उनको क्या खाने को मिलता है, क्या उनको कपड़े मिलते हैं, इसकी निगरानी के लिए, इसके

(श्री रावतराम)

सुपरवीजन के लिए आप सभी जगह नहीं जा सकते हैं, इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि, इस डिपार्टमेन्ट को आप और अधिक प्रभावशाली बनायें ताकि राजस्थान के अन्दर पिछड़े वर्ग के लोगों की, यह डिपार्टमेन्ट और अधिक सेवा कर सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने दो चार बातें कही हैं उन पर मन्त्री जी विचार करेंगे और इनका हल निकालेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामचन्द्र रोत।

श्री रामचन्द्र रोत (चौरासी) : मानतीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जातियों की कमिश्नर की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, हालांकि यह रिपोर्ट हमको बहुत देरी से प्राप्त हुई है लेकिन इस पर आज सदन में विचार विमर्श हो रहा है। रिपोर्ट के अन्दर कई ऐसी बातें कहा गई हैं जो कि राज्य सरकार ने बड़े सराहनीय काम किए हैं। वैसे हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के जो जिले हैं, उनमें अधिकांश आदिवासी लोग रहते हैं और उनके विकास के लिए राजस्थान सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता भी कह चुके हैं कि डूंगरपुर, बांसवाडा और उदयपुर के जिलों के अन्दर, राजस्थान सरकार ने जबसे हिन्दुस्तान को आजादी मिली है उसके बाद से वहां पर कई प्रकार के विकास के काम किये गये हैं। पहले वह इलाका एकतन्त्रीय हुकूमत के अन्दर शासित था, अधिकतर वहां पर आदिवासी लोग रहते हैं, वे पढ़ाई लिखाई में कुछ समझते नहीं है, लेकिन आजादी मिलने के बाद राजस्थान सरकार ने कई प्रकार के ऐसे काम किए हैं, वहां पर समाज कल्याण विभाग जो प्रजातन्त्रीय सरकार ने कायम किया, और उत्थान के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं लागू की गई हैं। उनके माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और आर्थिक क्षेत्र में काफा प्रगति हुई है और इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह सारा समाज आगे बढ़ रहा है फिर भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनकी माली हालत, आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है। राजस्थान सरकार ने समय समय पर पंचवर्षीय योजनाएं बनाईं, पहली योजना बनाई, दूसरी बनाई, उनके माध्यम से कई प्रकार की योजनाएं वहां पर लागू की गई और कई विकास के काम खोले गये। उनके द्वारा आदिवासियों के अन्दर जागृति की एक लहर आई और उनकी रुचि पढ़ाई करने में कुछ बढ़ने लगी। फिर भी आदिवासियों के अन्दर जो उनकी आर्थिक हालत है, वह बहुत खराब है और अब भी इसके अन्दर राजस्थान सरकार के माध्यम से कई प्रकार के प्लान लागू किये जा रहे हैं, फिर भी इसमें कई कमियां हैं, इसके लिये मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करूंगा कि इनकी आर्थिक दशा में जो कमियां हैं उनके ऊपर हमको ध्यान देना पड़ेगा। मैं सबसे पहले शिक्षा के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। वैसे इस समय डूंगरपुर जिले के अन्दर आदिवासियों के अन्दर शिक्षा की

(श्री रामचन्द्र रोत)

मात्रा अधिक है और कई ग्रेजुएट भी हैं, एम. ए. भी हैं, डॉक्टर भी हैं, लेकिन फिर भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो ग्रेजुएट हैं उनमें काफी बेरोजगार हैं, उसके लिए अब तक राज्य सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाये हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप शिक्षा की सुविधा देते हो, और उनको रिजर्वेशन की दृष्टि से ऊपर उठाना चाहते हो तो उनको नौकरी दिलाने की ओर भी मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। वैसे डूंगरपुर में प्राइमरी स्कूल भी हैं, कॉलेज भी हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्कूल हैं वहां पर भवन नहीं हैं जिससे कि आदिवासियों के छात्र उनमें अपनी पढ़ाई कर सकें। जहां आदिवासियों के लिये उन क्षेत्रों के अन्दर सेकेन्डरी स्कूल हैं, मिडिल स्कूल हैं, प्राईमरी स्कूल भी हैं, समाज कल्याण विभाग ने भी वहां पर स्कूल खोले हैं, लेकिन वहां पर उन स्कूलों के लिए भवन नहीं है, इसलिए मैं समाज कल्याण मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वहां पर भवन बनाने के लिये अनुदान या कोई विशेष राहत दी जानी चाहिए ताकि स्कूल सुव्यवस्थित बन सकें और वहां पर पढ़ाई सुव्यवस्थित रूप से चल सके। साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि डूंगरपुर जिले के अन्दर आदिवासियों के उत्थान के लिये छात्रावास भी चलाये जा रहे हैं, वहां पर जनजातियों की एक कमेटी भी आई थी, उसने उनका निरीक्षण भी किया था और मैंने उनको यह सुझाव दिया था कि यह समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानी छात्रावास हैं, ये संस्थाओं के द्वारा चलाये जाते हैं, इनका व्यवस्था ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए मैं समाज कल्याण मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि छात्रावासों के अन्दर पढ़ने की दृष्टि से अच्छी निगरानी बरती जानी चाहिए, वहां पर खाने-पीने की क्या व्यवस्था है, ओढ़ने-बिछाने का क्या प्रबन्ध है, इसकी व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए और उनको पर्याप्त मात्रा में सहायता दी जानी चाहिए। आज आप देखेंगे कि जो आपने छात्रावास खोले हैं उनके अन्दर पूरे बिस्तर नहीं है, कपड़े नहीं हैं, उनको आप सहायता देते हैं लेकिन उनकी निगरानी की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है।

(5-17 म. प.)

(श्री रघुनाथ विश्नोई, सभापति, पीठासीन)

इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि निगरानी की कोई उचित व्यवस्था की जानी चाहिए, इसके लिये कोई निगरानी कमेटी बनायी जानी चाहिए। पिछले समय भी मैंने डाइरेक्टर साहब को निवेदन किया था, इनका जांच कराने के लिये, क्योंकि वहां पर कोई दूसरी व्यवस्था नहीं है।

साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो स्कूल चलाये जा रहे हैं उनको पूरा पैसा दिया जाना चाहिए, वैसे हमारी दृष्टि से डूंगरपुर जिले के अन्दर, आदिवासियों के उत्थान के लिये और उनको आगे बढ़ाने की दृष्टि से कई योजनाएं लागू की जा रही हैं, सिंचाई की दृष्टि से बांध भी बनाये जा रहे हैं, जो बांध अधूरे पड़े हैं, जहां पर ज्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं, उनको वहां प

(श्री रामचन्द्र रौत)

जमीनें हैं, उन बांधों को पैसा दिया जाकर पूरा कराना चाहिए ताकि वह अपना पैदावार को बढ़ा सकें और आर्थिक दृष्टि से सुधार कर सकें। इसके साथ ही मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आदिवासियों के अन्दर पुराने टाइप के लोग बहुत हैं, जो कि पहाड़ों में रहते हैं, बहुत इन्टीरियर में रहते हैं, उनके विकास के लिये, जैसा कि मेरे से पिछले माननीय सदस्यों ने भी कहा, उनकी बात को मैं रिपीट नहीं करना चाहता, फिर भी यह माननीय समाज कल्याण मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि जो आश्रम स्कूल्स हैं, आज उनके लिए कोई मकान नहीं हैं और जिसके लिये कई बार निवेदन भी किया जा चुका है, बजट पर जब बहस हुई थी, उस समय भी निवेदन किया था, लेकिन अभी तक वहां पर कोई काम नहीं किया गया है, उन स्कूलों के लिये मकान नहीं बने हैं, इसलिए मैं मन्त्री जी से, सभापति महोदय, आपके मार्फत निवेदन करूंगा कि डूंगरपुर जिला एक पिछड़ा हुआ जिला है, वहां पर एक ही आश्रम स्कूल है, आश्रम स्कूल बावड़ी, आस पास में कोई भी व्यवस्था नहीं है। यह स्कूल धनगांव में है।

इसी प्रकार से वहां जो प्राइमरी स्कूल है उसके सम्बन्ध में यह निवेदन करना है कि जो पहले समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाया जाता था और शिक्षा विभाग ने उसको ले लिया है। जब वह विभाग द्वारा चलाया जा रहा था उस समय का बजट अब तक बकाया है, इसके लिये हमेशा लिखकर देते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यह स्कूल जब समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलाया जा रहा था, उसके शिक्षकों का वेतन अभी तक बकाया चल रहा है, अभी तक उसका स्पष्टीकरण नहीं किया गया है, इसलिए मैं मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए।

दूसरी बात जो है वह यह है कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर के उन लोगों की ओर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं जहां पर प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी के मार्ग दर्शन के अनुसार बीस सूत्री कार्यक्रम लागू किया गया और डूंगरपुर में उसके अन्तर्गत कुछ काम भी किये गये, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, वहां के उत्थान के विषय में है, वहां पर कुछ काम अभी ऐसे बाकी रह गये हैं, आपने सागड़ी प्रथा का कानून तो बनाया यह निश्चित बात है कि वह अखबारों में भी आ गया है कि सागड़ी प्रथा समाप्त कर दी। लेकिन अगर गहराई से देखा जाय, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कमेटी वाच करने के लिए बनाई गई, उस पर निगाह की जाय तो उसमें मोस्टली ऐसे लोग मिलेंगे जो कलाल, महाजन, ब्राह्मण या पटेल हैं। उनके यहां आज भी ऐसे लोग हैं, लेकिन उनकी जांच नहीं की और पुलिस को ऐसे मुकदमें बनाने के लिए कहा गया, लेकिन उसने मुकदमे नहीं बनाये। मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि विकासनगर के अन्दर एक आदमी के यहां थानेदार गया और उसने उससे इधर-उधर की बात और मामला यथावत रह गया। ऐसी स्थिति है, इसकी जांच होनी चाहिए। जिला लेवल पर कमेटी बननी चाहिए और इस प्रकार के केसेज जिलाधीश को सुपुर्द करने चाहिए।

(श्री रामचन्द्र रोत)

पुलिस इन चीजों को सामने आने नहीं देगी।

मैं इस ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आदिवासियों ने खेत नॉन-आदिवासियों के यहां रखे थे। इस प्रकार का अभियान चला तो आदिवासी फसल काटने गये लेकिन नॉन-आदिवासी का सहयोग देकर थानेदार ने आदिवासी के हथकड़ियां लगवा दी। इस प्रकार की बात है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवाद के युग के अन्दर आप और हम सब समानता की बात करते हैं, पिछड़े हुओं को ऊंचा उठाना चाहते हैं। वहां आदिवासी थोड़ी गलती कर देता है या मारपीट की बात करता है तो उसको हथकड़ी लगा कर ले जाते हैं थाने और थाने से हथकड़ी लगाकर अदालत ले जाते हैं। लेकिन यदि नॉन-आदिवासी उनके साथ इस प्रकार करता है तो उसके साथ सहानुभूति बरती जाती है, न उसके हथकड़ी लगाते हैं और न कोर्ट में हथकड़ी लगाकर खड़ा करते हैं। उसको कोर्ट में यों ही ले जाकर खड़ा कर देते हैं और जमानत दिला देते हैं। इस प्रकार की स्थिति है।

डूंगरपुर में कड़ाणा बांध बन रहा है। वहां पुनर्वास का रुपया आदिवासियों को दिया गया। लेकिन इस प्रकार के केसेज़ हुए हैं कि आदिवासी क्योंकि अनपढ़ थे इसलिए जो हजारों रुपया दिया गया, पचास हज़ार, एक लाख रुपया तक दिया गया, उसमें गड़बड़ी हुई। इसके लिए कमीशन बनाकर स्टेट लेवल पर सही जांच कराई जाय। आदिवासियों का मुआवजे का रुपया बहुत ही दुःख से मिला। आज भी प्लान और मकान का मुआवजा दिया जा रहा है, राज्य सरकार इसकी जांच कराये, टेक्निकल सलाहकार आज भी रुपया कमा रहे हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मन्त्री महोदय और राजस्थान सरकार रियली में आदिवासियों के उत्थान की बात करती है और अपने दिल में भी चिन्तित है। समाज कल्याण मन्त्री और मुख्य मन्त्री ने आदिवासियों के उत्थान के अन्दर पूरा जीवन लगाया है, भोगीलाल पांड्या, गौरीशंकर उपाध्याय राजाओं के टाइम में जेल गये, सब कुछ किया, उनके उत्थान के लिए काम किया और मुख्य मन्त्री जी आज भी काम कर रहे हैं लेकिन मशीनरी सही ढंग से काम नहीं कर रही है। मैं निवेदन करूंगा कि आदिवासियों के उत्थान की बात करते हैं, तो जो योजना लागू करते हैं, उसको आप वाच करेंगे तो सही काम हो सकेगा।

साथ ही एक बात निवेदन करना चाहूंगा, आदिवासियों के अन्दर आपने आवासीय भूखण्ड अलॉट किये हैं। प्रचार भी बहुत हुआ, लेकिन वास्तव में दिये भी हैं गावों में। मैं निवेदन करूंगा, आवासीय भूखण्ड गांवों में देने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अभियान शुरू कर दिया गया, हाउसिंग सोसाइटी बनाई गई और ऋण के लिए भी लोगों ने फार्म भरे लेकिन आपने नक्शा इस प्रकार का दिया कि जो पन्द्रह हजार रुपये में बन सकता है। आज राज्य सरकार चार हजार रुपया देती है तो वह क्या करें। आपने दिये हैं चार हजार और कहते हैं कि इस नक्शे के अनुसार काम करना पड़ेगा। मेरा निवेदन है कि आप

(श्री रामचन्द्र रोत)

इस नक्शे को बदलें क्योंकि किसान खेती करने वाला है, वह अपने पशु बांध सके, एग्रीकल्चर की दृष्टि से कैसा मकान हो वह बना सके, बनाकर उसको देने की व्यवस्था आपको करनी चाहिए।

इसके साथ ही मैं (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) छात्रावास के बारे में कहना चाहता हूं। डूंगरपुर और बांसवाड़ा में छात्रावास चल रहे हैं, उदयपुर में भी चल रहे हैं। उनके अन्दर छात्रों की संख्या बहुत कम है। पच्चीस तास है, इनके अन्दर छात्रों की संख्या बढ़ानी चाहिए। जो पैसा दे रहे हैं वह भी पर्याप्त मात्रा में नहीं दे रहे हैं। जो छात्रावास गवर्नमेंट के चलते हैं उनको सा रुपये देते हैं और जो संस्थाओं द्वारा चलाये जा रहे हैं उनको पचपन रुपया देते हैं। उससे पार नहीं पड़ती है, इसलिए और देना चाहिए।

मैं अधिक समय न लेते हुए डूंगरपुर, जो पिछड़ा हुआ इलाका है, के लिए निवेदन करूंगा। डूंगरपुर की घनी आबादी है, वहां जमीन कम है। डूंगरपुर जिला आज भी 28 साल के बाद पिछड़ा हुआ है, इसलिए इसको इंडस्ट्रियली बैकवर्ड एरिया घोषित किया जाय और छोटे-छोटे उद्योग धन्धे और खादी बोर्ड के द्वारा धन्धे चलाये जायं ताकि वहां के लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें; वरना आप और हम सब योजनायें लागू करेंगे वह सफल नहीं हो सकेंगी।

दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहता हूं, राजस्थान सरकार ने उन्नति के लिए और विकास के लिए भी बहुत सारी योजनायें बनाई हैं। अभी-अभी ट्राइबल सब प्लान की घोषणा की है। इसके लिए मेरे पूर्व वक्ता नाथू भाई जी ने बतलाया था, मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं एक बात निवेदन करूंगा, ट्राइबल सब-प्लान लागू हुए दो वर्ष हो गये, लेकिन न मालूम कहां चलता है। हमें मालूम नहीं, कहां काम किया गया है। कहीं किया होगा। कभी हम कहते हैं, भीखा भाई से पूछते हैं तो वह कहते हैं हमें मालूम नहीं। हमें मालूम नहीं, आदिवासियों के लिए समिति बनाई है उसके वह चेयरमैन हैं, वह कहते हैं, हमको मालूम नहीं है। यह खेद का विषय है। इतनी योजनाएं बनती हैं, उनका प्रचार करना पड़ता है। पहले पंचायत समिति में ट्राइबल प्लान चालू किया गया था। आपको यह अन्वेषण करना पड़ेगा, यह जो ट्राइबल सब-प्लान कायम कर रहे हैं तो पहले ट्राइबल प्लान में क्या कमियां रह गई थीं, जिसके कारण यह कर रहे हैं। मैं राज्य सरकार से और मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि सब-प्लान लागू करने के पहले यह देखें कि जो ट्राइबल प्लान लागू किया गया, जो योजना लागू की गई उसमें क्या कमी रही ताकि इसे लागू कर रहे हैं ताकि सब-प्लान योजना से हम सही रूप में मदद कर सकें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ट्राइबल सब-प्लान कमेटी बनाई गई, उसमें डूंगरपुर के दो तीन एम. एल. ए. हैं उनको नहीं रखा गया। वह रहेंगे नहीं तो कौन सही स्थिति को बता सकेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ट्राइबल एरिया में रहने वाले आदमी हैं वह उसमें नहीं जाते हैं तो वहां कोई स्थिति स्पष्ट नहीं बता सकेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की मैं भूरी-भूरी सराहना

(श्री रामचन्द्र रोत)
करता हूं लेकिन इम्प्लीमेन्ट करने वाले जो अधिकारी हैं वह ठीक ढंग से काम नहीं करते हैं इसलिए पैसे का उपयोग सही नहीं होता है। मैं निवेदन करूंगा कि आप शोध करें और शोध करके स्थिति को समझें तो फायदा हो सकता है।

मैं, सभापति महोदय, जल्दी कर रहा हूं। मैं कुछ पॉइन्ट बताना चाहता हूं, उनको बताकर मैं खत्म करना चाहता हूं।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं, छुआछूत की बात रावतराम जी ने कह दी है। यह निश्चित बात है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर जिलों की मैं बता दूं कि छुआछूत लोगों के दिल से दूर नहीं हुई है। आज भी कहीं भी जायं, गांवों के अन्दर किसी जागीरदार के यहां आदिवासी जाय तो उसको खाट नहीं देगा, उसको हीन दृष्टि से देखेगा और वही स्थान बतायेगा जो आजादी के पहले उसका स्थान था। इस प्रकार की चीज है। इसकी राजस्थान सरकार को जांच करवानी पड़ेगी, कमेटी बनानी पड़ेगी, जिसमें ऑफिशियल और नॉन-ऑफिशियल लोगों को रखना पड़ेगा तब आदिवासियों का सही विकास हो सकेगा।

इन शब्दों के साथ मैं राजस्थान सरकार और समाज कल्याण मंत्री को धन्यवाद देते हुए निवेदन करूंगा कि पिछड़े हुए इलाके का ज्यादे ध्यान रखा जाय।

श्री भीखाभाई (सागवाड़ा) : सभापति महोदय, माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने मेरा नाम रेफर किया है। उनको भ्रांति हो गई है, उसका स्पष्टीकरण करना आवश्यक हो गया है। अभी जो आयोग बना हुआ है और उसके कमिश्नर साहब बने हुए हैं। पहले डाईरेक्टोरेट था, डाइरेक्टोरेट अबॉलिश हो गया है और कमिश्नर का दफ्तर बना दिया है। सब-योजना का सवाल है, आदिवासियों के विकास के लिए बनाई है भारत सरकार ने, उसमें इरिगेशन के लिए 118 लाख रखा है। 150 लाख दूसरे को दिया है। इसकी जानकारी इतनी है, डाइरेक्टोरेट में काम नहीं हुआ। अभी कमीशन का सरकार ने 118 लाख दिये हैं। इसलिए भ्रांति नहीं होनी चाहिए जहां तक बार्ड का सवाल है, सदस्यता का सवाल है, ट्राइबल एरिया के सब विधायकों व पार्लियामेन्ट मेम्बर को सम्मिलित किया गया है। केवल कमीशन के अन्दर एक एक जिले के एक एक आदमी को लिया गया है। कमीशन में माननीय सदस्य का समावेश नहीं किया गया है।

श्री सभापति : समझ गये।

श्री बिरदाराम !

श्री उम्मेदीलाल : मैं पांच मिनिट में समाप्त करूंगा।

श्री नत्थीसिंह : अपन भी बैठे हुए हैं।

श्री उम्मेदीलाल : पांच मिनिट से ज्यादा नहीं लूंगा, जल्दी समाप्त करूंगा।

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : सबको मौका मिलेगा।

श्री बिरदाराम फुलवारिया (जालौर): सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि सरकार ने हमको भूमि एलॉट की जो सीलिंग

(श्री बिरदाराम फुलवारिया)

में जमीन दी है, वह कौनसी है ? ऊबड़ खाबड़ है वही एलॉट की। अगर एलॉट की है तो कब्जा नहीं मिला। जिनको कब्जा नहीं मिला है, उनको कब्जा मिलना चाहिए। उसके बाद वह जमीन जोत में लेनी है, उसके लिए उसको पैसा नहीं मिला, बैल नहीं हैं तो जोत नहीं सकता। जोत में लेता है तो खाने के लिए साधन नहीं हैं, मजदूरी के लिए जाता है। उसकी स्थिति सुधरती नहीं। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जमीन के साथ में पैसा भी मिलना चाहिए बैल लेने के लिए, ओपन कुआ खोदने के लिए पैसा चाहिए, और यह भी स्कीम है कि जिसके पास 12 बीघा जमीन है, उसको बिजली नहीं मिलती। 12 बीघे पर भी बिजली मिलनी चाहिए। हमारे जिले में तो 15 बीघा जमीन मिलती है, बाड़मेर में 25-35 बीघा जमीन एलॉट होती है। तो फिर 12 बीघा वाले को पैसा कैसे मिलेगा, शिड्यूल्ड कास्ट्स व ट्राइब्स को बिजली नहीं मिल सकेगी। 12 बीघा या 15 बीघा जमीन है तो कुए का खर्चा भी नहीं निकलेगा कई जगह। खारे पानी में एक फसल होती है, मीठे पानी में दो तान फसलें होती हैं। सरकार नहीं सोचती है कि अगर इन जाति के लोगों के पास कुआ है, तो उनको बिजली देनी चाहिए। ऐसे 12 बीघा में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर आ सकते हैं, हमारा जिला तो नहीं आएगा।

रहने के लिए जमीन दी है 150 गज, ठीक है, उबड़ खावड़ है। सरकार ने हाउस कमेटी बनाई, उसको कर्जा नहीं मिला या जितना मांगा उतना नहीं मिला। तो दूसरा कैसे मांगे ? सरकार द्वारा जमीन देने से कुछ नहीं हो सकता, मकान बनाने के लिए पैसा देना चाहिए। जमीन को वह क्या करेगा ? हमारे क्षेत्र में तो 200 गज जमीन कम पड़ती है क्योंकि जानवर बकरी वगैराह बांधने के लिए जमीन चाहिए। शहरों की दूसरी बात है, हमको थोड़ी ज्यादा दे दो। कर्जा भी मिलना चाहिए। उद्योगों में 28 प्रतिशत कर्जा हमारी जातियों को मिलना चाहिए। राजस्थान में एक दो जगह रहते होंगे बाकी जगह नहीं। सरकार को सोचना चाहिए हमारा जालोर जिला पिछड़ा जिला है, वहां के व्यापारी या सेठ धंधा लगाते हैं उद्योग लगाते हैं तो उससे गरीब काश्तकार मजदूर को मजदूरी मिलेगी। उद्योग के बाहर जाने पर वह बंद हो जाएगी। बाहर भाषाई झगड़ा भी है। आज की स्थिति में व्यापारी बाहर नहीं रहना चाहता। मजदूर को आसानी से काम मिल जाता है तो वह करता है। हमने कई बार कहा, उद्योग क्यों नहीं यहां लगाते हो तो वे कहते हैं कि लगाने से क्या फायदा ? एक टेबुल से दूसरे टेबुल पर जायं, कागजों को पटका जाता है, यहां पैसा लाओ, वहां लाओ। दूसरे राज्यों में एक जगह बात कर लेते हैं, कोटा मंजूर हो जाता है, माल मिल जाता है, राजस्थान में तकलीफ रहती है। सरकार की तरफ से कोई नहीं पूछता, तो सरकार को इसकी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे व्यापारी उद्योग आसानी से खोल सकें, गरीब को मजदूरी मिलेगी। हमारे जिले में बुनकर हैं जो बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर डिवीजन में बुनकर का काम करते हैं, उसमें हैंडलूम का कपड़ा बनता है, ऊन का कपड़ा बनता है। हैंडलूम का काम हो सकता है।

(श्री बिरदाराम फुलवारिया)

जहां तक शिक्षा का सवाल है, यदि सरकार 3-4 साल के बच्चों के लिए बाल मंदिर खोले तो बच्चों की भाषा भी सुधरेगी और सरकार की नीति है कि 20 सूत्री कार्यक्रम लागू होने से हमारा कुछ परिवर्तन होगा। नौकरियों में भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, 28 पर्सेन्ट कोटा पूरा होना चाहिए, आप कहते हैं कि मिला है, 28 पर्सेन्ट प्रमोशन भी पूरा नहीं करते।

श्री गुमानसिंह शक्तावत (राज्य मंत्री गृह) : किस विभाग में नहीं हुआ ?

एक माननीय सदस्य : आपके विभाग में नहीं हुआ।

श्री गुमानसिंह शक्तावत : राम नारायण, एस. पी. उदयपुर में है, जयपुर में रामचन्द्र हैं, शिड्यूल्ड ट्राइब्स का है।

श्री बिरदाराम फुलवारिया : मैं 28 पर्सेन्ट का कहता हूं। बिजली बोर्ड ने 109 को प्रमोशन दिया, एक भी हमारी जाति का ए ई. एन या एक्स. ई. एन. नहीं लिया। तो, सभापति महोदय, मैं एक दो बात और केणो चाहूं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : कोई जरूरी बात हो तो बता दें।

श्री बिरदाराम फुलवारिया : सभापति महोदय, आज सरकार ने गरीबी मेटणी है और हमारी सरकार गरीबी मेटण री बातों इज करे है। मैं खुद लोग गरीबी मेटणी चीवें हों पर कोरी बातों सूं गराबी नहीं मिटणे वाली है। कोरी घोषणा से गरीबी नहीं मिटने वाली है। उणरे वास्ते आपको करोड़ों रुपये खर्च करना पड़ेला। करोड़ों रुपया इसमें चाहीजे है जद जावेती गरीबी मिटे। इन वास्ते हमको उद्योग वैसा खोलनो चाहिजे कि जैसे पहाड़ी क्षेत्र है तो उठे पहाड़ी क्षेत्र जैसा उद्योग खोलों और रेगिस्तान क्षेत्र रे वास्ते आपने चाहिजे कि आप ट्यूबवैल वगैरहा खोदो ताकि उठे पानी आ सके और खेती वगैरहा हो सके। बाकी आप जो आज 500 या हजार रुपया देदो तो भी पांचसौ और हजार देवण सूं गरीबी मिटणे वाली नहीं है। इसके लिए सरकार को चाहिये कि सरकार खुद ट्यूब वैल खोदे, खुद ही जोताई करे, खुद ही बीज रा पाईसा दें और बीज वगैरहा भी दें। खावण रे वास्ते भी गरीब लोगों ने दें तो पैदा हो सकता है और जद काश्त पैदा हो जावे जद भलेई आप वापस उणारे पास सूं पैसा लेलो। सरकार पैदा करे सरकार पैसा दे और सरकार ही पैसा ले। करोड़ों रुपया दे लोगो ने ट्रेक्टर व ट्यूब वेल रे वास्ते पैसा देवणा चाहिजे। करोड़ों रुपया चाहिजे जद आपको 20 सूत्री प्रोग्राम पूरो होगा। 20 सूत्री प्रोग्राम में पूरा विश्वास म्हारो है वह जरूर पूरा होवेला पर उन वास्ते आपने काम करणो पड़ेला आपने गरीबां री गरीबी मिटावण रे वास्ते ध्यान राखणों पड़ेलो और ध्यान देकर गरीबों को आगे बढ़ाणा है हमें। बस इतना ही मुझे कहणा है।

श्री सभापति : श्री जेठमल बरवड़।

श्री भूराराम : सभापति महोदय मुझे बोलना है।

श्री सभापति : ठीक है आप बोल लें।

श्री भूराराम (शाहपुरा) : सभापति महोदय, आज सरकार से मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आज से 24 साल पहले

(श्री भूराराम)

लोगों को जमीन भू-आवन्टन में गरीब वर्ग के लोगों को मिली थी वह जमीन अच्छी जमीन नहीं है और उस वकत वह जमीन बहुत ही ऊबड़ खाबड़ जमीन थी उसको प्लेन करने के लिए उन गरीब लोगों को सेठ लोगों से पैसा उधार लेना पड़ा, जमीन गिरवी रखा और फिर बाद में जब सेठ लोगों ने पैसा दिया तो वह जमीन उन लोगों के ठिकाने लग गयी। गरीबों के पास कुछ नहीं रहा। आज 20 सूत्री कार्यक्रम की बात करते हैं तो 20 सूत्री कार्यक्रम तो आपका है, 21 सूत्री कार्यक्रम हमारा है। आपने तो जमीन अलॉट करदी अनुसूचित जाति के और अनुसूचित जन जाति के लोगों को पर जब हम तहसील में जाते हैं तो तहसीलदार कहता है कि पांच साल की जमाबन्दी लाओ। और उसके लिए हलफनामा लाओ और नहीं दोगे तो हम तुम को पट्टा नहीं देगें। तो वह पट्टा हम कहां से लावें। मैं अजमेर के केकड़ी तहसील के एक गांव की जमीन के बारे में गया पर वहां भी हालत खराब है। आज हम विधान सभा में बैठकर गरीबों की हालत सुधारने के लिए प्रोग्राम बनाते है पर लोगों को फायदा नहीं मिल रहा है। आज हमारे गन्गोज और शादी विवाह होते हैं तब खाना पीना होता है तो आपके पुलिस के थानेदार तहसीलदार और एस. पी., डी. एस. पी. साहब आकर चालान कर देते हैं लेकिन जब बड़े बड़े सेठों के यहां खाना होता है, पांच पांच हजार आदमियों का भोजन होता है, तब वहां पर उन्हें कोई नहीं पकड़ता है और उसमें जाकर कलेक्टर, तहसीलदार, थानेदार, एस. पी. वगैरह जाकर लोटा लेकर बीच में बैठते हैं खाने को। हमारे वहां पर शाहपुरा में खाना हुआ था, पांच हजार आदमियों का खाना था। एस. डी. ओ. थानेदार वगैरह वहां पर लोटा लेकर बीच में खाने को बैठ गये। पर हमारे वहां पर अनुसूचित जाति के लोगों की ढाई मन आटे का हलवा बनाया था उसमें पुलिस ने पैसा ले लिया। आज हमारी देश की नेता प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी हैं और हमारे यहां पर समाजवाद लाना चाहती हैं वह आयेगा और इन्दिराजी का दिया हुआ 20 सूत्री कार्यक्रम भी पूरा होगा पर वातें करने से नहीं होगा। आज रात को लोग 11 बजे तक 20 सूत्री कार्यक्रम की बातें करते हैं पर मैं इतना कहता हूं कि गरीबी तो मिटती नहीं लेकिन गरीबों के साथ ज्यादती होती है। मैं आखों देखी बात कह रहा हूं वह कभी झूठी नहीं हो सकती। बाकी अब मैं ज्यादा नहीं केणों चाहूं क्योंकि ज्यादा केवण सूं सारी पोल खुल जायली कोई फायदा नहीं है। बस मुझे यही कहना है।

श्री सभापति : श्री जेठमल बरवड़ !

श्री जेठमल बरवड़ : सभापति महोदय,

श्री ओंकारलाल चौहान : सभापति महोदय, यहां पर कोई दूसरा सदस्य नहीं है सिवाय मन्त्री महोदय के जो कि शिड्यूल्ड कास्ट् का हो।

एक माननीय सदस्य : श्री मोहरसिंह बैठे हैं।

श्री ओंकारलाल चौहान : मोहरसिंह जी तो शिडयूल्ड कास्ट के ही हैं।

श्री सभापति : श्री जेठमल बरवड़ !

श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर): सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के आयुक्त की रिपोर्ट पर हम आज सदन में विचार विमर्श कर रहे हैं। यहां पर सदन में माननीय सदस्यों ने इस रिपोर्ट पर विचार व्यक्त किये, यह रिपोर्ट बहुत समय के बाद सदन में प्रस्तुत हुई है। इसलिए इस रिपोर्ट पर माननीय सदस्यों को इस समय इस रिपोर्ट पर विचार करने का मौका मिला है।

सभापति महोदय, आज शिड्यूल्ड कास्ट के लिये जो योजनायें बनायी गई हैं, उनके उत्थान के जितने भी काम हुए हैं वह सब लोगों के सामने हैं। लेकिन जैसा कि हमारे भूराभाई ने कहा कि छुआछूत अभी भी गावों में व्याप्त है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि छुआछूत की बीमारी ऐसी भयानक बीमारी है कि यह बीमारी हम लोगों को आगे बढ़ने में, प्रगति करने में रुकावट डाल रही है। चाहे कितनी ही योजनायें बनायें, छुआछूत देश में से नहीं मिटती है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। आप जानते हैं कि गांव के अन्दर यदि हरिजनों के पास थोड़ा बहुत पैसा भी हो तो होटल खोमचा आदि नहीं लगा सकते हैं। सौ, पचास रुपया तो मिल ही सकता है। ऐसी बात नहीं कि नहीं मिल सके। वे कोई धन्धा नहीं कर सकते। ऐसे होटलों पर किसी को नौकर नहीं रख सकते। यह बड़ी बुरी समस्या है। इस कलंक को सरकार को धोना चाहिए। यह कलंक है और यह हमारी प्रगति में बाधा उत्पन्न कर रहा है।

रिजर्वेशन का सवाल आया। सरकार भी हमारा उत्थान करना चाहती है इसमें कोई दो राय नहीं है। इसके बावजूद भी शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब का जो कोटा है वह पूरा नहीं होता है। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि नगरपालिका में तो पूरा होता है क्योंकि वहां तो स्वीपर की ज्यादा जरूरत पड़ती है, अन्य जाति के लोग उस काम को करते नहीं हैं। दूसरी जगह नियुक्तियां होती हैं वहां पर हमारा कोटा पूरा नहीं होता है।

तीसरी बात यह है कि एडेड संस्थायें हैं। शिक्षण संस्थायें हैं। उनमें नियुक्तियां होती हैं वहां भी शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों को नहीं लगाया जाता है। अन्य लोगों को लगाया जाता है और हमारे लोगों को नहीं लिया जाता है। इसलिए सरकार को चाहिये कि जितनी भी एडेड संस्थायें हैं, जो सरकार की ओर से चलायी जाती हैं उनमें हमारे लोगों की नियुक्तियां होनी चाहिये।

चौथी बात यह है कि उद्योग मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी आर्थिक हालत ठीक नहीं की गयी तो हम आगे नहीं बढ़ पायेंगे। गरीबों को उठाने का हमारा मकसद है, हमारी पार्टी का मकसद है, गरीबी को मिटाने का हमारा मकसद है, हमारी पार्टी का मकसद है। गरीब की गरीबी मिट जावेगी तो उसका उद्धार हो जावेगा। उद्योग धन्धों के लिये आज लोगों को ऋण दिये जाते हैं लेकिन हमारे लोगों को यह ऋण नहीं दिये जाते हैं। उदाहरण के लिये मैं बताना चाहता हूं कि राजस्थान में आर. एफ. सी. है। इसके द्वारा राजस्थान में बहुत लोगों को और उद्योग धन्धे वालों को ऋण दिया गया है। आर. एफ. सी. ने, हमारे नागौर जिले में मकराना के मार्बल का बहुत बड़ा

(श्री जेठमल बरवड़)

उद्योग हैं, हमारे लोगों ने कई प्रार्थना-पत्र दिये, लेकिन उनको लोन नहीं दिया। एक को भी ऋण नहीं दिया गया इसके द्वारा। एक इन्डस्ट्रियल प्रोजेक्ट है उसने जरूर शिड्यूल्ड कास्ट को ऋण दिया है। आर. एफ. सी. ने एक को भी नहीं दिया। इसने बीस बीस लाख के लोगों को लोन दिये हैं लेकिन शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों ने प्रार्थना-पत्र दिये तो उनमें कई खामियां निकाल कर उनको रद्द कर दिया लेकिन उनको लोन नहीं दिया। इसलिये इस तरह की जो ऋण देने वाली संस्थायें हैं उनको आदेश दें कि शिड्यूल्ड कास्ट की एप्लीकेशन्स पर ध्यान दें और उनको ऋण दिया जाना चाहिये।

एक बात यह निवेदन करना चाहूंगा कि जैसा कि जालोर से आने वाले माननीय सदस्य, बिरदाराम जी ने कहा कि जोधपुर डिवीजन में बहुत से लोग बुनाई का काम करते हैं। अच्छी कम्बलें बनाते हैं। हर प्रकार का कपड़ा बनाते हैं, गांवों में किसानों के काम में आने वाला कपड़ा बनाते हैं लेकिन जो खादी संस्थायें बनी हुई हैं राजस्थान में उनमें कुछ आदमियों ने प्रभुत्व जमा रखा है जिन्होंने संस्थायें बना कर, पांच दस आदमियों ने संस्थायें बना कर सदियों से जो बुनकर काम करते आये हैं उनको थोड़ा पैसा देकर उसी हालत में आज उनको रख रखा है जैसी हालत में वे पहले थे। उनसे कपड़ा बना कर ले लेते हैं और उनको मामूली पैसा दे देते हैं। ये लोग इन संस्थाओं के मठाधीश बने बैठे हैं। एक व्यक्ति एक ही संस्था में काम नहीं करता है दो-दो तीन-तीन संस्थाओं में काम करते हैं और उन संस्थाओं में प्रभुत्व जमा रखा है। चौमूं आदि में यह ज्यादा है। जो लोग सदियों से बुनाई का काम करते आये हैं उन लोगों का उन संस्थाओं में प्रतिनिधित्व होना चाहिये या उन्हीं लोगों को उन संस्थाओं को सम्हला देना चाहिये। न तो उनका चुनाव होता है और न ही किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है। आज चन्द आदमियों ने ट्रस्ट बना रखे हैं। एक आदमी तीन तीन जगहों से तनख्वाह उठाता है। जांच करवाना चाहें तो जांच करवाने के लिये तैयार हूं।

हाउसिंग सोसाइटीज बनीं राजस्थान में। जिस तरह राज्यपाल महोदय के भाषण में बताया कि हाउसिंग सोसाइटीज के द्वारा अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों को मकानों के लिये ऋण दिया जावेगा। प्रार्थना-पत्र दिये, नक्शे भी दिये। जितने भी कागजात पूरे होकर राजस्थान हाउसिंग सोसाइटी के पास आये। बहुत से लोगों को पैसा मिला लेकिन बहुत से आदमी ऐसे हैं जिनका एक किश्त मिली, किसी को दो किश्तें मिल गयीं। नागौर जिले की बात बताना चाहता हूं। परबतसर क्षेत्र में एक सोसाइटी को ऋण दिया गया। दो किश्तें दी गयीं। पुराने मकानों में गरीब रहते थे उनको पटक दिया। नयी योजना बनायी, बरसात में बाहर पड़े रहे और आज हालत यह है कि न घर के न घाट के। और जो सोसाइटीज बनी हुई हैं उनको ऋण नहीं देना चाहते हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

जरूरी मसला है इस लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सौ सौ रुपये जमा हो गये हैं और सौ सौ रुपये खर्च हो गये।

(श्री जेठमल बरथड़)

रुपया पड़ा हुआ है। उनका भविष्य अंधकार में है यदि उनको ऋण नहीं मिलेगा ऐसी संभावना हो गयी है। हमारी पार्टी के साथ में शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब के लोग हैं, आज उनके मकान गिरा दिये, सोसाइटीज बनायीं, उनको ऋण नहीं मिला। इसलिये सरकार से निवेदन करूंगा कि माननीय समाज कल्याण मन्त्री जी, आप बहुत ही समाजवादी और काबिल हैं, मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि उन सोसाइटीज को, आगे आप सोसाइटी मत बनाइये एक भी लेकिन जो रजिस्टर्ड हो गयी हैं उन रजिस्टर्ड सोसाइटीज को ऋण मिलना चाहिये। आगे बन्द कर दीजियेगा। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं।

एक दो बातें और कहना चाहूंगा। शिड्यूल्ड कास्ट का या तो कोटा पूरा नहीं होता है और यदि कोटा पूरा हो जाता है तो उनकी सी. आर. खराब करदी जाती है। वे ही लोग करते हैं जो कि ऊंचे पदों पर हैं। मन्त्री जी ने बताया कि कलेक्टर हैं एस. पी. हैं आपके लोग। हर एक जगह शिड्यूल्ड कास्ट्स के लोग थोड़े ही हैं। न होंगे भी। बेचारों को प्रमोशन नहीं मिलता है। समाज कल्याण विभाग में ही कोटा पूरा नहीं होता है। उसमें तो कोटा पूरा होना चाहिये। समाज कल्याण विभाग में जो अधिकारी हैं उनका प्रमोशन होना चाहिये, रोस्टर प्रणाली के हिसाब से। व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता।

मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आयुक्त की रिपोर्ट रखी। और उस पर सब को विचार करने का मौका मिला। मैं उसके लिये बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया, सभापति महोदय।

श्री हरिकिशन (राजगढ़) : माननीय सभापति महोदय, पहली बात तो मैं यह कहूंगा कि माननीय मन्त्रीजी ने जो तीन, चार साल पीछे रिपोर्ट पेश की है इसका यह मतलब है कि वह कास्ट और ट्राइब्स के विकास की तरफ ध्यान नहीं देते क्योंकि रिपोर्ट हर साल ही पेश होनी चाहिए और जहां राजस्थान में 21 लाख की पॉपुलेशन तो आदिवासियों की है और 41 लाख की पॉपुलेशन शिड्यूल्ड कास्ट्स की है और बैक वर्ड क्लासेज की ओर है तो इस तरह से सब को मिलाकर करीब 1 करोड़ की पॉपुलेशन हो जाती है तो उसका ध्यान रखने के लिए जरूरी है कि हर साल रिपोर्ट पेश हो।

दूसरी बात जो आपका समाज कल्याण डिपार्टमेन्ट है उसका री-ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए क्योंकि यह एक प्रशासनिक ऑफिस हो गया है। इसमें स्कॉलरशिप देने, छात्रावास चलाने और रेस्क्यू होम चलाने और दूसरी एक्टीविटीज भी हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 28 साल गुजरने पर कितनी कास्ट और ट्राइब्स की विकास पर्सेन्टेज बढ़ी है? कितने लड़के और लड़कियों को शिक्षा मिली है और उनकी आर्थिक स्थिति में कितना पर्सेन्टेज सुधार हुआ है उनके ऊपर कितना ऋण है यह सब जानकारी आपके डिपार्टमेंन्ट के पास होनी चाहिए। इस तरह का सर्वे करके यहां सरकार के सामने कास्ट और ट्राइब्स की रिपार्ट पर बहस हो तो ज्यादा उपयोगी यह बहस हो सकती है। तो इसको पेश करना चाहिए। मैं आशा

(श्री जेठमल बरवड़)

करता हूं कि आप इसकी तरफ ध्यान देंगे। जब तक हमारे पास में स्टेटिस्टिकल फिगर्स नहीं होंगे तब तक अन्दाजा नहीं लगेगा कि कितनी तरक्की हुई है और कितनी तरक्की करना अभी बाकी है। कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए। आपकी कॉन्स्टीट्यूशनल गारन्टी है, भारत सरकार की भी गारन्टी है वह सरकार को निभानी चाहिए। मैं तो यह कहूंगा कि जैसे पहले के जमाने में हरिजन और आदिवासियों के साथ में राजनैतिक शोषण होता था, आर्थिक शोषण होता था वैसा ही अब भी हो रहा है। इनको आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है और इनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है और सारा यह मामला चल रहा है। इसलिए मैं मन्त्री जी से आशा करूंगा कि वह इसके ऊपर ध्यान दें। मैं जानता हूं कि अभी आपके पास बहुत महकमे हैं तो मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह केवल समाज कल्याण विभाग अपने पास रख लें और दूसरे विभागों को वह छोड़ दें। उनका विकास करने के लिए बहुत ही रात दिन काम करने की आवश्यकता है और उतना ही आपको टाइम नहीं मिलता है इसलिए अन्धेरगर्दी में सारा मामला चल रहा है।

दूसरे जो आपने ट्राइबल सब-प्लान बनाया है उसका मैं स्वागत् करता हूं। उदयपुर में आदिवासी लोग बहुत हैं इसलिए उनका विकास होना चाहिए और ट्राइबल सब-प्लान बना है वह बहुत अच्छा है और मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन वहां भी हमने देखा है कि जो विकास खण्ड खुले थे उनमें पैसा खर्च हो रहा है लेकिन उसका रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है। आज आदिवासियों को पता नहीं है कि उनके विकास के लिए कितना प्लान में पैसा मिला है और कितना खर्च हो रहा है। मेरे कहने का मतलब यह है कि आप इतना डवलपमेंट प्लान चला रहे हैं उसका इवेलुएशन होना चाहिए और यह होना चाहिए कि इतना पैसा लगाया तो उसका क्या रिजल्ट आया। यह बहुत जरूरी है। उनको दो टाइम खाना भी नहीं मिलता है।

सभापति महोदय, मैंने देखा है कि उदयपुर के पास जयसमन्द झील का एक ही आदमी कपूर को दस साल से मछली का ठेका दिया जा रहा है और मैंने सुना है कि उसका लीज इस साल खतम हो रही है। तो जयसमन्द के अन्दर आदिवासी लोग रहते हैं और वह वहीं रहते हैं तो सरकार उनको मछली का ठेका क्यों नहीं देती? उनकी को-ऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर जयसन्द झील का ठेका उनको क्यों नहीं देते। वहां पर कलकत्ता का आदमी कपूर इतने लम्बे समय से काम कर रहा है। यह काम वहीं के ही आदिवासियों को देना चाहिए। सभापति महोदय, हम शोषण की वृत्ति को नहीं रोकेंगे और आदिवासी हरिजनों को सेवा नहीं करेंगे और योजना बनाकर उनके कार्यक्रम को नहीं चलायेंगे तो उनका विकास होना असम्भव है। यह यों ही चलता जायेगा और हम आश्वासन देते रहेंगे और पब्लिसिटी देते रहेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा। मंत्री जी को योजनाबद्ध कार्यक्रम बनाकर अवधि निश्चित करनी चाहिए कि इतने समय में यह काम करना चाहिए, उस में स्टेटिस्टिक्स पूरे होने चाहिये सर्वे होना चाहिए और योजना के आधार

(श्री जेठमल बरवड़)
पर ही सारा विकास होना चाहिए। आप मुझे बतायें उनका कितना विकास हुआ है?

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

हमारे राजस्थान के अन्दर आदिवासियों की 31 लाख पॉपुलेशन है उसमें 13 लाख की पॉपुलेशन को ट्राइबल डवलपमेंट सब-प्लान से कवर कर लिया है तो उस 8 लाख के लिए क्या सोचते हैं ? हरिजनों की आबादी और बढ़ी है। मैं तो कहता हूं कि पूर्वी राजस्थान के जिले हैं उसमें ट्राइब्स के लोग और हरिजन दोनों ही रहते हैं और उनकी करीब 50 से 70 पर्सेन्ट की पॉपुलेशन हो जाती है उनके विकास के लिए आप क्या प्रोग्राम बना रहे हैं ? आप यह भी कहेंगे कि हमारा जो नॉर्मल प्लान का बजट है उससे डवलपमेंट हो जायेगा तो वह भी जीरो है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

जो पूर्वी राजस्थान के 6 जिले हैं उनका विकास करने जा रहे हैं और आपने कहा कि उनको इर्रीगेशन की फैसेलिटी देंगे वह नहीं मिली है। तो पूर्वी राजस्थान की 18 लाख की पॉपुलेशन आदिवासियों की है और 20 लाख की पॉपुलेशन कास्ट की होगी। इस तरह से करीब 40 लाख के लिए प्लान के नाम से कुछ योजना बनायें। भारत सरकार मना थोड़े ही कर रही है कि उनका विकास मत कीजिए। हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी जी चाहती हैं कि इनका विकास होना चाहिए और आपको सेन्टर से भी यही कहा जा रहा है। आपको ऐसी योजना के लिए स्टेट का कन्ट्रीब्यूशन शेयर करना चाहिए। यह कहने से काम चलने वाला नहीं है कि पैसा नहीं है।

(समय-समाप्त-सूचक-घण्टी)

लड़के और लड़कियों की शिक्षा की बात आती है। मैं कह सकता हूं कि 28 साल से पूरे राजस्थान में लड़कियों का छात्रावास ही नहीं है। जहां 35 लाख की फीमेल पॉपुलेशन है उसमें जीरो पर्सेन्ट लड़कियों के अन्दर शिक्षा है। जब आप क्या करना चाहते हैं। हम बड़ी-बड़ी योजनायें बना रहे हैं लेकिन जब तक समाज में लड़के और लड़कियां दोनों समान तरीके से शिक्षा नहीं पायेंगे तब तक समाज का उद्धार नहीं हो सकता। मेरे कहने का अर्थ यह है कि आप छात्रावास की व्यवस्था कीजिए। पंचायत समिति लेवल पर कीजिए। आपके पास इतना धन नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कीजिए। तो जहां इतनी पॉपुलेशन है और लड़कियों को हम आगे नहीं बढ़ायेंगे तो कैसे परिवार उनका आगे बढ़ेगा। मन्त्री महोदय को इसके लिए ज्यादा विचार करना चाहिए। आपको इस तरह निराश होकर नहीं रहना चाहिये। आपको इस पर जोर देना चाहिये।

दूसरा पॉइन्ट यह है कि राष्ट्रीय परमिट योजना है और आप छोटे बड़े उद्योगों को लाइसेन्स भी देते हैं। और इकनॉमिक फील्ड में हरिजन आदिवासी पीछे रह गए तो फिर वह कैसे आगे बढ़ेंगे। गरीबी इसलिए है कि हमारे पास साधन नहीं हैं और आगे भी साधन नहीं हैं। इसलिये आपकी राष्ट्रीय परमिट

(श्री जेठमल बरवड़)

योजना है और लाइसेन्स देते हैं उसमें हरिजन और आदिवासियों के लिए भी कोटा रखिए। इसी तरह से आप हरिजनों को प्लॉट्स शहरों में दे रहे हैं तो 25 परसेन्ट हर कॉलोनी में प्लॉट देंगे लेकिन आज कुछ है ही नहीं। आज जब तक उनको हम सवर्ण जातियों के साथ नहीं बैठायेंगे तो कैसे वह आगे बढ़ेंगे। उनको आइसोलेटेड कन्डीशन में रखेंगे तो वह आगे नहीं बढ़ सकेंगे। पहले छात्रावास चलाये जाते थे तो कम्बल मिलता था, स्टेशनरी मिलती थी, पूरा खाना भी मिलता था और आज 750 ग्राम के स्थान पर उनको 500 ग्राम आटा दिया जाता है। अब देहात से आने वालों को 500 ग्राम आटा दिया जाये तो कैसे उनका पेट भर सकता है। आपने छात्रावास इसलिए खोले हैं कि इनका मानसिक विकास होना चाहिये लेकिन आपने तो कटौती कर दी। मेरी समझ में नहीं आया कि इसका क्या आधार है। ऐसे ही आपने स्टेट से मैरिट-कम-नीड स्कॉलरशिप में कटौती कर दी। स्टेट की जो स्कॉलरशिप मिलती थी आज एक बच्चा भी पढ़ता है और कॉलेज एजूकेशन लेता है तो उसका खर्चा पूरा नहीं होता। यह क्या आधार है समझ में नहीं आता।

(समय-समाप्ति-सूचक-घन्टी)

हम मदद करना चाहते हैं लेकिन दुबारा उनको दबोचना चाहते हैं। तो मन्त्री जी यह करेंगे कि जो स्कॉलरशिप स्टेट दे रही थी उसको वापिस देना चाहिए। जो मेडिकल में पढ़ रहे हैं या टेक्निकल एजूकेशन में पढ़ रहे हैं या इन्जीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहे हैं वह लड़के बीच में ही पढ़ना छोड़कर जा रहे हैं ऐसा भारत सरकार को, माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार के द्वारा यह सुझाव देना चाहिये भारत सरकार को कि पहले तो जितने परिवार में बच्चे पढ़ते थे उनको पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति मिलती थी लेकिन अब भारत सरकार ने यह कर दिया कि दो बच्चों को ही स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर घर में चार बच्चे हैं और कॉलेज में ऊंच पढ़ाई पढ़ते हैं तो कहां से पैसा लायेंगे? चार में से दो तो आगे बढ़ जायेंगे और दो बच्चे वापस बैठे जायेंगे। यह किस तरह का प्रोसीजर है? हम आगे उठाना चाहते हैं और क्या कर रहे हैं इस तरह से? सरकार आगे ले जाना चाहती है और इस तरह से रेस्ट्रिक्शन डाल रही है। फाइनेंसेज की वजह से जो हम पढ़ाई चला रहे हैं वह छूट जायेगी, आगे चलने वाली नहीं है। इस सम्बन्ध में आपका दिल साफ होना चाहिये। आपको पढ़ाना है तो उसके लिए फाइनेंसेज की आवश्यकता होगी, फाइनेंसेज की आपको व्यवस्था करनी चाहिये, फाइनेंसेज जुटाने चाहिये और असली मायने में शिक्षा ही तो मुख्य है। जब तक शिक्षा देंगे नहीं तो ट्रेंड नहीं होंगे, साइंस वगैरहा में पढ़ेंगे नहीं तो आगे कम्पीट कैसे कर सकेंगे।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

दो एक पॉइन्ट मुझे और निवेदन करना है। रोस्टर प्रणाली आपने लागू की है। आपका इरादा अच्छा है, राजस्थान सरकार के इरादा के लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं लेकिन आपके अफसर जो बैठे हुये हैं वे आपकी बात नहीं मानते। अगर

(१४४)

(श्री जेठमल बरवड़)
अफसर आपकी बात नहीं मानते हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिये। जैसे और लोगों को सजा मिलती है इनको भी सजा मिलनी चाहिये। डिसिप्लीनरी एक्शन होना चाहिये उनके खिलाफ। सर्विसेज में ढिलाई किस काम की है। अभी कुछ दिनों पहले माननीय मन्त्री जी गुलाबसिंह जी ने भी यहां पर एडमिट किया था कि कुछेक डिपार्टमेंटों ने रिटर्न नहीं भेजे हैं, बहुत से अफसर नहीं भेज रहे हैं तो आप उनके खिलाफ उचित कार्यवाही करिए, हटाएं उनको नौकरी से। जो अफसर आपका हुक्म नहीं मानते उनको हटा दीजिए नौकरी से। उनको रखते रहे तो हरिजनों और आदिवासियों को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। जो राज्य सरकार ने उनके लिए प्रबन्ध किया है, जो रोस्टर प्रणाली लागू की है उसको मेंटेन करना चाहिये। आपको हुक्म निकालना चाहिये कि जो इसको मेंटेन नहीं करेगा उसको नौकरी से हटा दिया जावेगा।

(समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी)

इसी तरह से जो बोर्ड्स हैं कोर्पोरेशन्स हैं, स्वायत्त संस्थाएं हैं, उनमें क्या होता है। जो आपका जो राजस्थान रोडवेज कोर्पोरेशन है उसमें रोस्टर प्रणाली लागू नहीं है। आप कहते हैं कि वहां पर रूल्स नहीं बने हैं। इस तरह से बैकलॉग से हजारों आदमियों के प्रमोशन हो रहे हैं लेकिन हमारे आदमी को एक को भी नहीं लिया जा रहा है, इसलिए कि रूल्स नहीं बने हैं। रूल्स नहीं बनने का तो एक बहाना है। जब आपकी अण्डरटेकिंग है, सरकारी अण्डरटेकिंग है, आपका खुद का डिपार्टमेन्ट है, आपके अण्डर में है वही अगर आपका डायरेक्टिव नहीं माने, आपके इन्स्ट्रक्शन्स को नहीं मानें तो आप इस तरह से ढिलाई देते जायें तो इससे तो हमारे आदिवासियों का ही नुकसान होता रहेगा। बस मैं इतना ही अर्ज कर देना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय मन्त्री जी!

श्री मोहनलाल छंगाणी : सभापति महोदय....

श्री रामलाल (बाड़ी) : सभापति महोदय, हम तो रह गए।

(व्यवधान-अश्रव्य)

श्री नत्थासिंह : सिर्फ पांच मिनिट का समय दे दें।

श्री सभापति : समय काफी हो गया है।

श्री नत्थासिंह : सिर्फ पांच मिनिट का समय दे दें। हम तो तीनों ही रह गए हैं।

श्री सभापति : तीनों में से एक बोल ले।

श्री रामलाल (बाड़ी) : मैं बोल लेता हूं।

श्री नत्थासिंह : मैं बोलूंगा।

श्री सभापति : तीनों आपस में डिसाइड कर लें कि कौन बोलेगा। एक बोल ले।

श्री नत्थासिंह : सभापति जी, आज कमीशन की 21वीं रिपोर्ट पर सदन में चर्चा कर रहे हैं। मैं तो ज्यादा बात नहीं कहूंगा केवल इतनी सी बात कहूंगा और एक सुझाव दूंगा सदन के अन्दर माननीय मन्त्रीजी को। माननीय मन्त्री जी समाज कल्याण विभाग का पुनर्गठन किया जावे, यानि शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए अलग अलग मंत्रालय खोले जावें। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा उदाहरण के तौर पर कि जैसे हिन्दुस्तान में हरियाणा के अन्दर इस तरह के मंत्रालय शिड्यूल्ड ट्राइब्स के अलग हैं और शिड्यूल्ड कॉस्ट के अलग हैं, इसी तरीके का एक पहला सुझाव तो मेरा इस तरह से है कि अलग अलग मंत्रालय खोले जावें।

दूसरा मैं यह निवेदन करूंगा कि यह पिछड़े हुए लोगों के लिए,

(6. 15 सायं)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सोशियल वेलफेयर डिपार्टमेंट को ही सर्वेसर्वा मानते हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ही मालिक है और सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर पर और सोशल वेलफेयर के अधिकारियों पर ही इसकी जिम्मेदारी है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि हमने 28 परसेंट रिजर्वेशन अपनी शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सरकारी सेवाओं में और हमारी तरक्की के लिए जो हमें प्रमोशन मिलता है, इन सब में दे रखा है लेकिन माननीय मंत्रीजी की तरफ से कभी चीफ मिनिस्टर को ऐसी चिट्ठी नहीं गई, यह नहीं कहा गया कि आप 28 परसेंट के हिसाब से आपकी केबिनेट में हरिजन मिनिस्टर क्यों नहीं हैं। जब तक केबिनेट में हरिजनों को, शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होगा तब तक हम अपनी बात नहीं रख सकेंगे और जब तक उसमें, यानि केबिनेट में जो डिस्कशन होता है, हम बहस मुबाहिसा नहीं करेंगे तो हमारा क्या फायदा है। इसलिए माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि सोशल वेलफेयर की तरफ से राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को आप एक चिट्ठी लिखें और उसमें यह लिखें कि 28 परसेंट के हिसाब से जो केबिनेट में मिनिस्टर हैं उनको कायदे से विभाग दिए जावें, और मैं तो यह कहूंगा कि यदि आप हमें केवल तीन विभाग दे दें, यानि एक पुलिस का विभाग यानि गृह मंत्री शिड्यूल्ड कास्ट्स का होना चाहिए। दूसरा विभाग, रेवेन्यू विभाग हैं रेवेन्यू विभाग का भी शिड्यूल्ड कास्ट का मंत्री हो और जो नियुक्तियां मंत्री हैं यानि जो सरकारी सेवाओं का नियुक्तियां करते हैं उसका मंत्री भी शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्स का बना दें। तो माननीय मंत्राजी आर राज्य सरकार से मैं यह निवेदन करूंगा कि अगर आपका शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों को कुछ स्थान देना है, उनका भरण पोषण करना है, उनका भला करना है तो सबसे पहले आप तीन विभागों के लिए शिड्यूल्ड कास्ट्स या शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मंत्री होने चाहिए। पुलिस, रेवेन्यू और नियुक्तियों

(श्री नत्थासिंह)

के जो डिपार्टमेंट हैं यानि जो ये तीन विभाग हैं शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के मंत्री होने चाहिए।

अब बड़े अफसोस की बात है कि राजस्थान में हर जगह पर जुल्म होता है और कोई हमारी सुनवाई नहीं करता। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कोई सुनवाई नहीं होती। मैंने इस सदन में एक बात बताई थी कुछ दिनों पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में कि पटवारी, गिरदावर मौके पर टीप करवा लेते हैं काश्तकारों से। काश्त किसी ने कोई लेकिन पैसे वाले हजार पांच सौ रुपये देकर जिन काश्तकारों ने तीस चालीस सालों पर जिन कुओं पर, जिन अच्छे खेतों पर अच्छी पट्टियों पर काश्त करते थे उनको सिकमी तो छोड़ दिया, बड़े 2 जमींदारों को फसल का सिकम कर दिया। मैं ऐसे उदाहरण दे सकता हूं, जिनको को-ऑपरेटिव से, उन्हें बैंकों से, भूमि विकास बैंकों से ऋण लिया, पैसा लिया, तीन तीन कोठी बनाई काश्तकार ने और कोठियां बना कर खेती की। लेकिन जब फसल पक गई तो लट्ठ लगा कर फसल काट ली। ऐसी हालत है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। इसलिए जब तक माननीय मंत्रीजी आप सोशल वेलफेयर की तरफ से राज्य सरकार को, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर को आप ऐसा सुझाव नहीं देंगे तब तक गरीबों का भला नहीं हो सकेगा।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि जिलों में जो विजिलेंस कमेटी बनाई जावे और विजिलेंस कमेटी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की या पुलिस डिपार्टमेंट की या कोई भी विभाग हो उसमें विजिलेंस कमेटी जरूर बनाई जावे। लेकिन अफसोस की बात है कि विजिलेंस कमेटी का चेयरमैन कौन होता है, कलेक्टर। कलेक्टर इतनी मीटिंगें करता है, इतना ज्यादा व्यस्त रहता है कि छः महीने में मीटिंग नहीं बुलाता। इसलिए माननीय सभापति महोदय जिले में जो विजिलेंस कमेटी बनाई जाये उसमें बहुमत शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब का होना चाहिए। और चेयरमैन शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स का होना चाहिए और उसका सेक्रेट्री जो है, सेक्रेट्री कौन हो, कलेक्टर हो या नीचे का कोई अधिकारी हो। आई. ए. एस. का कोई भेद नहीं होता है। कोई भी अधिकारी, ए. डी. एम. हो सकता है, एस. डी. एम. हो सकता है, कोई भी सेक्रेट्री हो। कलेक्टर पर तमाम काम थोप दिए जांय तो सोशल वेलफेयर का अफसर एक तहसीलदार के बराबर का पोस्ट का होता है और कलेक्टर चेयरमैन होता है। तीन तीन साल में उसकी मीटिंग को नहीं बुलाते हैं। मैं तो भरतपुर की विजिलेंस कमेटी में सदस्य हूं लेकिन आज तक कमेटी की कोई मीटिंग नहीं बुलाई। तो माननीय मंत्रीजी को यह निवेदन करूंगा कि राजस्थान में हर जिले में आप विजिलेंस कमेटी बनावें, उसमें बहुमत शिड्यूल्ड कास्ट्स का होना चाहिए और चेयरमैन उसका शिड्यूल्ड कास्ट्स का या शिड्यूल्ड ट्राइब्स का होना चाहिए। यह मैं दूसरा सुझाव दे रहा हूं इस सदन के अन्दर मैंने एक प्रश्न पूछा था। को-ऑपरेटिव मिनिस्टर ने उसका जवाब दिया या मैंने यह पूछा था

(श्री नत्था सिंह)

कि राजस्थान में कितनी सहकारी समितियां हैं और कितने उसके सदस्य हैं? यह बताया कि 115 सोसाइटियां हैं और तकरीबन 8 हजार उसके सदस्य हैं। जंगलों का राष्ट्रीयकरण आपने कर दिया लेकिन ये जो आदिवासी और हरिजन जंगलों में रहते थे जो केवल इससे गुजारा करते थे.... (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)...... जो जंगलों में छोटा छोटा काम करते थे और अपना गुजारा करते थे, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मंत्री महोदय ने इस प्रकार का जवाब दिया है, जो वास्तव में बेरोजगार हैं, हमारे लिये यह लज्जा की बात हैं कि आज ये 8 हजार आदिवासी हरिजन अपने अपने घरों में बैठे हुए है और वे अपने पेट में, अपनी छाती में घूंसा मार कर बैठे हैं, उनकी तरफ हमारे सहकारी मंत्रीजी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और दूसरी तरफ हम यह कहते हैं कि हम सहकारिता के जरिए देश का निर्माण करने जा रहे हैं और स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू यह कहा करते थे कि सहकारिता छोटे छोटे लोगों को रोजगार देने के लिये है, उनको प्रोत्साहन देने के लिये है। तो क्या यही सहकारिता को बढ़ावा दिया जा रहा है। राजस्थान में जो वन श्रमिक सहकारी समितियां हैं उन सोसायटी की तरफ मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार ध्यान दें। मैं सोशल वेलफेयर मिनिस्टर से भी निवेदन करूंगा कि वे इन 8 हजार लोगों को रोजगार देने के लिये जो घर पर बैठे हुए हैं जिनके पास रोजगार का कोई जरिया नहीं है, उनके लिये वे चीफ मिनिस्टर को कहें और कम से कम उनको काम दिलाया जाये (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) अगर उनको काम नहीं दिया जा सकता है तो बेकारी भत्ता दिया जाये ताकि वे घर पर रह कर उनके बच्चों का पालन पोषण कर सकें। इतना ही कह कर मैं आपसे क्षमा चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मंत्री महोदय।

श्री मोहन छंगाणी : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : हमने जो रिक्वेस्ट की थी....

श्री उपाध्यक्ष : समय नहीं है। माननीय सदस्य ......

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : ऐसा क्या है, अलाऊ क्यों नहीं कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : There is limit.

श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय : एक मिनिट, रिक्वेस्ट सुन लीजिये। एलोब्रेट सब्जेक्ट है....

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow.

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : राइटिंग में मेरी रिक्वेस्ट थी....

श्री उपाध्यक्ष : जो रिक्वेस्ट मानने लायक था....

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : हमने ऐसा कौन सा कसूर किया है कि हमारी रिक्वेस्ट मानने लायक नहीं थी... व्हेयर आई लेक सर....

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। माननीय मन्त्री जी बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय : मेरी आपसे रिक्वेस्ट थी आप फर्मा दीजिये किन कारणों से नहीं मान रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : Reasons are not given by the Chair. I am not expected, to give reasons for my 'no', आप बिराजिये। मैंने ना कह दिया है। नो, नो है। मन्त्री महोदय।

श्री मोहन छंगाणी (समाज कल्याण मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उसमें बुनियादी बात यह आई है कि आज ज्यादा मिडिल स्कूल खुलें, रिजर्वेशन बढाया जावे, नल योजना लगे, बिजली की लाइन और लगे, ज्यादा व्यवस्था हो, शिक्षा के अन्दर सुधार हो, इन सबके लिए ज्यादा योगदान दिया जाये, यह सब बातें न की जाकर के आज की लड़ाई, संघर्ष किया गया, वह बराबर के लिए, समानता के लिए हो रहा है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद देता हूं कि इस बराबर के लिए संघर्ष को माननीय सदस्य अगुवाई करेंगे और समानता के स्तर पर धीरे धीरे आकर के रहेंगे। कई माननीय सदस्यों ने शिक्षा के बारे में भी सवाल उठाये, माननीय सदस्य श्री हरिकिशन जी ने कहा कि हमें मालूम नहीं है कि शिक्षा के क्षेत्र में कितना परसेन्ट जन जाति और अनुसूचित जाति का है। उसके हिसाब से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि कुल राज्य का औसत एजूकेशन है साक्षरता का 19.07 परसेन्ट। इसमें शिड्यूल्ड कास्ट का पर्सेन्ट 9.14 है और ट्राइब्स का 6.47 पर्सेन्ट है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसकी थोड़ी सी तफसील में जाऊंगा। यह जो प्रॉब्लम है, शिक्षा के अन्दर है, शुरुआत में, इनीशियली ज्यादा भर्ती होते हैं। प्राईमरी लेविल तक अच्छी तादाद में भरती होते हैं परन्तु उसके बाद ड्रॉप आउट हो जाते हैं। चौथी, पांचवी तक इनकी संख्या इतनी तेजी से घटना शुरू हो जाती है कि कहीं कहीं तो यह समस्या होती है कि जो मिडिल स्कूल हैं, उनको कई बार चलाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति का निर्माण हो जाता है। इस चीज को हमें मिटाना है तो यह समझना होगा कि इस ड्रॉप आउट को कम करें। यह सब से बड़ी प्रॉब्लम है। आदिवासी और अनुसूचित जाति के लड़के दाखिला लेते हैं। दाखिले की रेट ठीक है। परन्तु जा कन्टीन्यूटी आगे बनी रहनी चाहिये, उसकी इतनी रेट कम है और यह ड्रॉप आउट के कारण जो गति रहनी चाहिये वह नहीं रख पाते हैं। यह सही बात है। इसको रोकने के लिए मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस अभियान को चलावें कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ें, बच्चियां पढ़ें, बच्चियों की शिक्षा का औसत तो बिल्कुल कम है। इस स्थिति में स्त्रियों की शिक्षा अनुसूचित जाति और जन जाति में तो बहुत ही कम है। इसके लिए तो हमें एक बहुत बडा प्रोग्राम चलाना होगा। इस प्रोग्राम के अन्दर देश के सारे राजनैतिक दलों को हिस्सा लेना होगा। बहुत बड़े राजनैतिक और सामाजिक अभियान के रूप में इसको चलायेंगे और कहीं यह न समझ लें कि

(श्री मोहन छंगाणी)

इसके लिए समाज कल्याण विभाग बना दिया, और यह उसका ही कार्य है। समाज कल्याण विभाग तो उनके केटेरिस्ट की तरह काम करने के लिये है। उनमें यह भावना जागृत करें, जो यह कर रहा है। वालिन्टियरी एजेन्सी और अन्य एजेन्सीज को मुकर्रर करें। आप आवें और काम करें तब जाकर सोशल वेलफेयर का काम सफल होगा अन्यथा यह समझें कि सारा का सारा कार्य केवल सोशल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट करे, यह नहीं होगा। बिना आन्दोलनों के, जलूसों के अच्छे परिणाम नहीं निकलेंगे। बुनियादी प्रश्न यह है कि हमारे लिए समानता हो, गैर बराबरी को मिटाना है। यह सब करना है यह परिवर्तन लाना है तो हम ऐसे इनपुट दें जिससे ट्रान्सफॉर्मर को गति आवे। नल बिजली लगाना, ज्यादा स्कूल खोलना, यह एक अलग बात है और ये चीजें बजट प्रावधान से हो सकती हैं किन्तु आज यह मांग नहीं है। मांग यह की गई कि समानता हो। तो सबको बराबर लाने के लिए हमें एक प्रोग्राम बनाना होगा ताकि परिवर्तन की यह गति तेज हो सके। इसके लिए मैं निश्चित तौर से यह निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक आपका, माननीय सदस्यों का सम्पूर्ण सहयोग नहीं होगा, जब तक वालिन्टियरी सहयोग नहीं आयेगा, सभी राजनैतिक दल, जनता जनार्दन इस आन्दोलन में भागीदार नहीं बनेंगे, समानता की लड़ाई की तेज गति नहीं चल पायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को मानता हूं कि कोई रिजर्वेशन के अन्दर दुरुपयोग हो सकता है। हमारी जो प्रमोशन की स्कीम है, उसमें कोई खामी हो सकती है। कई खामियां हैं परन्तु प्रगति भी बहुत की है, इसमें कोई शंका नहीं है। अट्ठाईस पर्सेन्ट का रिजर्वेशन है। इसमें कोई रुकावट हो सकती है कहीं पर यह पूरा न हो पाया हो। जो 28 पर्सेन्ट प्रमोशन है, उसमें अवसर उनको चान्स नहीं मिले हैं। अब इनके प्रमोशन की एक चेनल रखी है, उसके लिए हमारे जो भी प्रोग्राम थे, उनको निश्चत रूप से हर डिपार्टमेन्ट में लागू करेंगे। आज मुख्य मन्त्रीजी स्वयं इस प्रोग्राम को देखते हैं। चीफ सेक्रेटरी के आधीन एक सैल बना हुआ है। वे यह देखते हैं कि बराबर जो है प्रमोशन का कोटा मेन्टेन किया जाता है या नहीं किया जाता है इस तरह की कार्यवाही में मैं समझता हूं राजस्थान ने अगुवाई की है और राजस्थान सभी स्टेट्स से इसमें आगे है। प्रोग्राम है उसमें भी राजस्थान आगे है। दूसरी स्टेट अभी इसमें पीछे हैं। यह जो रिपोर्ट है उसमें भी राजस्थान की प्रशंसा की गई है और यह कहा गया है कि इस तरह का प्रोग्राम दूसरी स्टेट को अपनाना चाहिये। जैसे कुओं के लिए लोन है। हम जो लोन देते हैं तो उसके साथ उसका ब्याज भी देते हैं। दूसरे हमारे यहां पर एक स्पेशल स्कीम है छात्रवृत्ति की। हमारे यहां यह लागू होती है, यह सही बात है कि एडीशनल स्कॉलरशिप हमारे यहां होती थी। इसका कारण था कई माननीय सदस्यों ने कहा कि यह नहीं उठाना चाहिये परन्तु इसके लिए प्लॉनिंग कमीशन ने कहा कि जब यह स्कॉलरशिप बढ़ा दी है तो एडीशनल स्कॉलरशिप गवर्नमेन्ट को देने की जरूरत नहीं है। वह ठीक नहीं हैं अब चूंकि मैं मानता हूं कि आज इमर्जेन्सी के बाद चीजों के भाव गिर

(श्री मोहन छंगाणी)
गये हैं, अब उसकी डिमांड करना भी ठीक नहीं है। जो स्कॉलरशिप है वह अच्छी तरह से मिले इसमें बुनियादी परिवर्तन ला रहे हैं। मैं आपके द्वारा, उपाध्यक्ष महोदय; निवेदन करना चाहूंगा कि आज हमारी स्टेट को होम मिनिस्ट्री सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से चिट्ठी आई है, उन्होंने सुझाव दिया है और राज्य सरकार ने उसको मान लिया है। पहला सुझाव यह था कि यह जो छात्रवत्ति देते है यह महिने के महिने मिलना शुरू हो। हम इसकी व्यवस्था करेंगे।

दूसरे जो भी छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति लेने वाले हैं उनको आइडेन्टिटी कार्ड इश्यू करेंगे ताकि वह आइडेन्टिटी कार्ड बता दें तो किसी को तकलाफ न हो। जो फीस जमा करानी पड़ती है उसमें तकलीफ न हो। हम शीघ्रता से इसको लागू करने की कोशिश करेंगे ताकि छात्रों की कठिनाई दूर हो जाय, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के छात्र अच्छी तरह से शिक्षा पा सकें और अच्छी तरह से छात्रवृत्ति ले सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो सारे क्षेत्रों में चहुमुंखी प्रगति राजस्थान ने की है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। जिस तरह से सामन्ती शोषण का दौर यहां पर रहा था, जिस तरह की यहां पर गड़बड़ियां थीं, उन गड़बड़ियों से हम गुजर चुके हैं, जिस तरह की छुआछूत थी, जिस तरह को सामन्ती युग के अन्दर खास तौर से मेघवालों और दूसरे आदमियों को बेगार देनी पड़ती थीं। किस किस तरह की प्रथाएं थीं और देशवासी किस किस तरह की प्रथाओं में दोहरी और तिहरी गुलामी के अन्दर राजस्थान में गुजरे हैं और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोग तो चार-चार पांच-पांच तरह की गुलामी के अन्दर से गुजरे हैं। उसके बाद में जो प्रगति हुई है, वह आशातीत हुई है। यह सही है कि अभी हमें बहुत सा मंजिलें तय करनी हैं, लेकिन एक शिक्षा की स्थापना हो चुकी है। आगे माननीय सदस्यों को तय करना पड़ेगा।

माननीय सदस्यों ने कइयों ने सवाल उठाया है कि सोशल वेलफेयर पर पैसा कम खर्च हो रहा है। यह सही बात है कि जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है, क्योंकि इसके लिए बेसिक पॉलिसी के अन्दर जाना चाहिए। प्लॉनिंग कमीशन यह तय करता है या सेन्ट्रल गवर्नमेंट यह तय करती है कि आज जो पैसा लगायेंगे इनकम डिस्ट्रिब्यूशन में तो इनकम का डिस्ट्रिब्यूशन इस आधार पर होगा कि या तो होस्टल खोलें या एलाकेशन प्रोजेक्ट एरिया में लगायें। बिरदारामजी ने पते की बात कही है अपनी भाषा में कि आज कुए खोदें या होस्टल खोलें या और जो हमारी प्रायोरिटीज फिक्सड होंगी उसमें लगायें। आज जो हमारे पास में पैसा है उसका एक तरीका हमने मुकर्रर किया है, उस तरीके में किस को प्राथमिकता दा जाय। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, ट्राइबल प्लान से जो इफेक्टेड एम. एल. एज. हैं उनसे निवेदन करूंगा कि उनका कन्सेप्शन ट्राइबल प्लान का एन्टायरली डिफरेन्ट है। उसमें माननीय हरिकिशनजी ने कहा कि शिड्यूल्ड कास्टस और दूसरे लोग जो हैं शिड्यूल्ड ट्राइब्स के वह काफी लोग वंचित होंगे। सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने जो क्राइटेरिया फिक्स किया था

(श्री मोहन छंगाणी)

उसका आधार यह था कि 50 परसेन्ट या उससे अधिक आदिवासी जहां रहते हैं वहां ट्राइबल प्लान बनना चाहिए। क्योंकि पैसा वहां से आता है इसलिए 50 परसेन्ट का जो क्राइटेरिया है उसको इम्पलीमेंट करते हैं। सेन्ट्रल गवर्नमेंट किसी तरह से सोच रही है दूसरे ट्राइबल लोगों को उठाने के लिए। बजाय इसके कि स्कूल खोलें, होस्टल खोलें, ट्राइबल प्लान का जो आउटले है वह इरिगेशन का है। इरिगेशन पोटेन्शल को ज्यादा डेवलप करें। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि सोशियो-इकॉनामिक ट्रान्सफार्मेशन के लिए हम जा रहे हैं तो क्रिटिकल इनपुट कैसे होने चाहिए। प्रॉयोरिटी इनपुट कैसे हो....

श्री बिरदाराम : आदिवासी बोर्ड के भीखाभाई ....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मोहन छंगाणी : आपके बारे में ही कह रहा हूं। क्रिटाकल इनपुट कौन से होने चाहिए? या तो इरिगेशन के इन्फ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करें या पॉवर का करें और उसको प्राथमिकता दें और जिस क्षेत्र में आदिवासी बसते हैं, रहते हैं उस क्षेत्र के चहुंमुखी विकास को देखें तो ग्रोथ रेट को पहले बढ़ायें और उसके बाद में इनको लें। अगर ज्यादा ग्रोथ रेट नहीं होगी, इकॉनामी को आगे नहीं बढ़ायेंगे, अगर इरिगेशन का पोटेन्शल डेवलप नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। मैं माननीय नाथूरामजी से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं बांसवाड़ा गया था सी. एम. के साथ, तो वहां पर काफी घूमा था। मैं यह नहीं कहता कि आपके क्षेत्र की मुझे पूरी जानकारी है। मैंने देखा है कि वहां पर छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स हैं। सिंचाई के साधन बन गए तो निश्चित तौर से उनकी दशा में सुधार हो रहा है। डूंगरपुर ज्यादा पिछड़ा हुआ है। बांसवाड़े में काफी काम हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमें यह तय करना है कि हम इरिगेशन और पॉवर को ज्यादा प्राथमिकता दें और इस ढंग का प्लॉन बनाना चाहिए ताकि चहुंमुखी विकास के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो जो काम करना चाहते हैं तो वह उपयोगी सिद्ध हो सकेगा। इन प्राथमिकताओं से हमें सबक लेना है, और इसका माना है तो निश्चित तौर से दूसरे प्रोग्राम पर इसका असर पड़ेगा। यही कारण है कि सोशियल वेलफेयर के लिए जितना एलोकेशन होना चाहिए उतना एलोकेशन नहीं हो पाता है, क्योंकि जितनी प्राथमिकता सोशियल वेलफेयर को मिलनी चाहिए वह इरिगेशन और पॉवर के मुकाबले में नहीं मिलती है। आर्थिक विकास की तरफ हमको बढ़ना है, और यदि आर्थिक विकास होगा तो होस्टल भी खुलेंगे, और राजस्थान में यदि ग्रोथ रेट बढ़ेगी, तो उसमें प्रगति होगी तो आपके दूसरे प्रोग्राम भी चलेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय कई माननीय सदस्यों ने ट्राइबल प्लॉन के बारे में कहा है कि ट्राइबल प्लॉन की दशा क्या है? जो ट्राइबल प्लॉन अभी बन चुका है और, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा माननीय सदस्यों से निवेदन कर दूं कि अभी जिस ढंग से ट्राइबल प्लान बना है वह

(श्री मोहन छंगाणी)

काफी अच्छे ढंग से ट्राइबल प्लान बना है। माननीय नाथूरामजी ने कहा कि हमारा सहयोग लेना चाहिए तो हमें आपका सहयोग लेना है। आप सहयोग दें। यह आप मानते हैं कि इरिगेशन की स्कीम बनानी है या पॉवर की स्कीम बनानी है तो जब तक स्पेशल स्कीम ऑर्गेनाइजर काम नहीं करेगा तो आप और हम बैठकर क्या करेंगे क्योंकि हमारे पास टेक्निकल नो हाऊ तो है नहीं। दूसरे समाज के कल्याण के काम होते तो निश्चित तौर से पूरा सहयोग आपका लिया जाता और सहयोग लेकर ही उस कार्य को करते, और उसको पूरा किया जाता। इरिगेशन का टेक्निकल मामला है और टेक्निकल स्कीम है और उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए स्कीम तैयार करनी पड़ती है, और उस स्कीम को तैयार करने के लिए जो स्पेशल स्कीम ऑर्गेनाइजेशन है उसके जरिये, उसकी मदद लेकर जो पूरा ट्राइबल प्लान तैयार किया है तो उस ट्राइबल प्लान का ऑउटले 118.50 लाख इरिगेशन वर्क्स पर, 21.76 लाख को-ऑपरेटिव, को-ऑपरेशन पर और 6 लाख रुपया सहरिया ट्राइब के लिए रखा है। वह इसलिए रखा है कि सहरिया ट्राइब 50 पर्सेन्ट के अन्दर नहीं आती है इसलिए उनके लिए कोई प्लान नहीं बन सकता था राज्य सरकार ने भारत सरकार से खास तौर पर लिखा पढ़ी की है कि एक प्रिमिटिव ट्राइब उनको मानकर एक स्पेशल केस बनाकर भेजा है। दूसरी ट्राइब के लिए 3.75 लाख का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेन्डीचर है। इस तरह से करीब करीब प्लान इसके लिए बन चुका है। वह इम्प्लीमेंट जल्दी होगा और इसके इम्प्लीमेंटेशन के बाद डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ के कुछ इलाके जहां 50 पर्सेन्ट से अधिक ट्राइब्स रहती हैं उस इलाके का विकास होगा, उस इलाके में समृद्धि होगी और उस समृद्धि के साथ-साथ वहां की अनुसूचित जनजातियों की समृद्धि होगी।

उदयपुर यूनिवर्सिटी वहां पर अपने डिमान्स्ट्रेशन फार्म एस्टेब्लिश कर रही है, डिमान्स्ट्रेशन सेन्टर्स बना रही है ताकि उनको बताया जा सके कि छोटे छोटे खेतों में और पहाड़ों पर जो नॉन कल्टीवेशन होती थी कि एक खेत को छोड़कर दूसरी जगह जाते थे, उनमें किस तरह से विकास किया जा सकता है, उनमें कौन सी फसल लगाई जा सकती है, किस समय लगाई जा सकती है, उसके लिए यह डिमान्स्ट्रेशन सेन्टर्स खोले गये हैं। यह इरिगेशन पोटेन्शल डेवलप होगा तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर ट्राइबल सब-प्लान के एरिया के लिए बहुत अच्छे भविष्य की हम कल्पना करते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरे क्षेत्रों के बारे में जो कि 50 पर्सेन्ट की केटेगरी में पूरे नहीं आते हैं तो भी पिछड़े हुए क्षेत्र हैं जैसे आबू के क्षेत्र में गरासिया वगैरह के क्षेत्र है उसके बारे में कार्पोरेशन बनाने का विचार हो रहा है। अगर उनको सब-प्लान में नहीं लिया हो तो या तो यह कुछ पैसा ट्रान्सफर कर सकेंगे तो आबू और सिरोही के क्षेत्र में जो आदिवासी रहते हैं वह बहुत ही गरीब और पिछड़े हुए आदिवासी हैं जिनकी कि हालत का वर्णन हम नहीं कर सकते हैं, वह भी इस स्थिति में आ सकें उस पर विचार चल रहा है।

(श्री मोहन छंगाणी)

होस्टल की दशा के बारे में व दूसरी चीजों के बारे में मैं काफी बोल चुका हूं डिमान्ड के ऊपर। मैं निश्चित तौर से कह सकता हूं कि सरकारी होस्टलों की स्थिति काफी सुधरी है। मैं माननीय सदस्यों से, सारों से, अर्ज करूंगा कि जब भी वे अपने क्षेत्र में जांय तो वहां के होस्टलों को देखें और जो बुराइयां मिलें उनको दूर करने की कोशिश करें। मेरे पास आयें, डाइरेक्टर ऑफ सोशियल वेलफेयर के पास आयें और सेक्रेटरी सोशियल वेलफेयर के पास आयें और जो परिवर्तन लाना चाहते हैं वह परिवर्तन के योग्य होगा तो निश्चित तौर से परिवर्तन करने की कोशिश करेंगे।

एडेड होस्टल्स के बारे में माननीय सदस्यों ने कहा है कि 55 और 60 रुपये कम हैं। यह बात सही है। इसलिए कहा था कि एडेड होस्टल्स का जो फारमूला था तो एडेड होस्टल के लिये चन्दा एकत्रित करना पड़ता था उस चन्दे को इकट्ठा करने में अब उनको तकलीफ होती है। चीफ मिनिस्टर साहब के वहां पर भी मीटिंग हुई थी उसमें एडेड होस्टल का 55 और 60 रुपया देना तय कर दिया था और उसको सारे के सारे होस्टल वालों ने मन्जूर किया। इसके बाद एडेड होस्टल चल रहे हैं आप उसमें माननीय सदस्यों का सहयोग करके चन्दा इकट्ठा करना चाहिए ताकि हमारे हास्टल्स सुचारु रूप से चल सकें और धनाभाव के कारण जो उनकी स्थिति हो रही है उसमें सुधार लाने की कोशिश करें।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर छुआछूत और जाति प्रथा के बारे में भी काफी बातें सामने आई। माननीय सदस्य ओंकारलालजी ने कुछ बुनियादी बातें भी उठाई, ऐसे प्रश्न भी उठाये जिनकी कन्ट्रोवर्सी में मैं नहीं जाना चाहूंगा कि गीता में क्या लिखा है, रामायण में क्या है। वैसे मैं एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी बुनियादी कमजोरी और खराबियों की जड़ जो है वह जाति प्रथा है। इसको किस प्रकार से खत्म किया जाय, इसके उपायों पर हमको विचार करना चाहिए। मैं यह भी नहीं मानता कि उनकी आर्थिक स्थिति सन्तोषजनक हो जायगी तो जाति और विवाह की बात भी खत्म हो जायगी। जर्मनी का उदाहरण हमारे सामने है, कितना विशाल देश है, वहां पर लाखों यहूदियों का सत्यानाश कर दिया गया। इसलिए हमको बुनियादी तरीके से सोचना पड़ेगा तभी हम इसका यह जो छुआछूत का भूत है, इसका हम कुछ निपटारा कर सकेंगे और इसको समूल नष्ट कर सकेंगे। इसके अलावा आज यह भी देखने में आता है कि शिडयूल्ड कास्ट का आदमी शिडयूल्ड कास्ट के आदमी के साथ ही छुआछूत करता है, इसको खेत नहीं जोतने देते, मेहतर को हाथ नहीं लगाने देते, चमार मेघवाल को मारता है और मेघवाल चमार को मारता है। अनुसूचित जाति और जन जातियों के अन्दर भी जाति प्रथा फैली हुई है, एक दूसरे को ऊंचा और नीचा समझते हैं, उसको किस प्रकार से नष्ट करें। छुआछूत की बात आज ब्राह्मण महाजन और जो लाग अपने को सवर्ण मानते है उनमें तो है ही लेकिन जो पिछड़ी जातियां हैं, उनमें भी इस प्रकार से घुसी हुई है कि एक दूसरे को पानी तक नहीं पिलाते हैं, इसको कैसे नष्ट किया जाय।

(श्री मोहन छंगाणी)

उनके रहन सहन में, सामाजिक प्रथाओं में, व्याह-शादियों में किस प्रकार से परिवर्तन लाया जाय, इसके बारे में भी साफ नहीं हूं। आप अगर इसमें किसी प्रकार से परिवर्तन ला सकें, मनन से, चिन्तन से या और किसी तरीके से तो यह राजस्थान के लोगों का बहुत बड़ा भला होगा। हमारे यहां पर दर्शन प्रथा भी रहा है जो अलग से है, पन्थ वाले भी रहे हैं, पूजा वाले भी हुए हैं, चार्वाक भी हुए हैं, भक्तिकार भी हुए हैं, सन्तों की परम्परा भी हमारे यहां रही है जिसमें से हमारे यहां पर महात्मा गांधी जैसे देव पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है। इन सारी परम्पराओं के बारे में हमको विचार करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ मानसिक वातावरण तैयार करना पड़ेगा, तब कहीं जाकर हम जाति प्रथा से लड़ाई कर पायेंगे। कोरा यही कह देना कि समाज कल्याण विभाग ही इस काम को कर सकता है, इस बात को मैं निरर्थक मानता हूं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियां भी जो जाति प्रथा की विरोधी हैं, उनको भी इस आन्दोलन में शरीक होना पड़ेगा और एक समाजिक वातावरण तैयार करना पड़ेगा। बुद्ध धर्म भी चला गया, महात्मा बुद्ध हमारे यहां हुए थे, उन्होंने बौद्ध धर्म चलाया था, कई हमारे यहां पर जैन तीर्थंकर भी हुए, उनकी भी परम्पराएं हैं, इन सबसे हमको सबक लेना पड़ेगा, यह सब कुछ करना पड़ेगा, इसके बिना हम कामयाबी हासिल नहीं कर पायेंगे। आज राजस्थान के अन्दर छुआछूत के कारण कई लोगों को अपमानित होना पड़ता है, कई जगहों पर उनका तिरस्कार किया जाता है, राजस्थान में इससे सम्बन्धित कई प्रकार की समस्याएं हैं, कुओं पर अलग-अलग ग्रुप बनते हैं, अलग अलग जातियों के अलग-अलग कुएं होते हैं, अनुसूचित जातियों में ही अलग-अलग कुओं से पानी लिया जाता है, मेघवालों के कुएं अलग होते हैं, चमारों के अलग होंगे, दोनों एक दूसरे को पानी नहीं भरने देते हैं। छू भी जाते हैं तो लड़ाई हो जाती है, इसलिए मेरा निवेदन है कि जाति प्रथा की जो लड़ाई है इसके लिए हमको एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, इस काम को केवल समाज कल्याण विभाग ही नहीं कर सकता। इस लिए खास तौर से मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस काम में आप लोग जुट जांय, यह बीस सूत्री कार्यक्रम का सबसे बड़ा सूत्र है, इस काम को अगर आप पूरा करेंगे तो राजस्थान जिस प्रकार से अन्य राज्यों को इतिहास में रास्ता बताता आया है उसी प्रकार से जाति प्रथा को दूर करने में भी उनको रास्ता बतायेगा, ऐसा मैं मानकर चलता हूं।

इसके अलावा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छोटे-मोटे कई सवाल उठाये गये, होस्टल्स ठीक तरह से नहीं चलते हैं पिछड़े वर्ग के लोगों को जमीनें नहीं मिल पायी है, मिली भी हैं तो उबड़-खाबड़ जमीन है, किसी काम की नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहता हूं कि भू-आवंटन के अभियान के अन्दर में भी शरीक था, इस अभियान के सिलसिले में हम कई जगह गये थे, अजमेर गये थे, जयपुर में भी कई जगह पर गये, जहां जहां भी मैं गया था, मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि जो भी जमीन अलॉट की गई है, वह अच्छी जमीन है, ऐसा हो सकता है कि कोई जमीन ऊबड़-खाबड़ हो,

(श्री मोहन छंगाणी)
खराब जमीन हो, आठ लाख से अधिक पट्टे बांटे गये है, इसमें हो सकता है निश्चित तौर पर कुछ जमीन ऐसी हो जो ऊबड़ खाबड़ हो, या खराब रही हो, इसकी माननीय सदस्य मुझको जानकारी देंगे कि किसी को ऊबड़-खाबड़ जमीन मिली हैं तो मैं इसकी व्यक्तिगत तौर पर जांच कराऊंगा और उसको अच्छी जमीन मिल सके इसके लिए प्रयास करूंगा। लेकिन यह मैं कहना चाहूंगा माननीय सदस्यों का जानकारी के लिए कि इसके लिए अभियान चलाया गया था और राजस्थान इसमें अग्रणी रहा है दूसरे राज्यों के मुकाबले।

उपाध्यक्ष महोदय, चित्तौड़गढ से आने वाली माननीय सदस्या ने हाउसिंग सोसायटीज का जिक्र किया, ये सोसायटीज मेरे यहां भी बनी हैं, दो, तीन फलौदी में भी, लेकिन ज्यादा नहीं हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि टोटल हाउसिंग सोसायटी 511 को हाउसिंग लोन दिया गया है। इनकी टोटल संख्या सात सौ और कुछ है। माननीय सदस्यों का मालूम है कि एल. आई. सी. की नई पॉलिसी के बाद नई जो सोसायटीज बनी उनको लोन मिलना मुश्किल हो गया। 511 सोसायटीज को तो लोन मिल गया, कुल 748 सोसायटाज रजिस्टर्ड हुई थी, कुछ हाउसेज जो बने, लोन सैन्क्शन हुआ 21,476 को और जो डिस्बर्स किया गया 14,735 हाउसेज बने, इस मामले में जल्दी हुई है, लेकिन फिर भी हमारी प्रगति आशातीत रही है। आगे किस प्रकार से करना चाहते हैं यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है, मुख्य मन्त्रीजी भी इस बारे में विचार कर रहे हैं कि जो सोसायटीज रजिस्टर हो गई हैं उनको किस प्रकार से लोन की व्यवस्था की जाय, यह विचार कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान किसी भी बात में किसी भी स्टेट से कम नहीं है, हमेशा प्रगति कर रहा है। आश्रम स्कूल की जो बात माननीय सदस्यों ने कही उनमें कमियां हैं, वित्तीय कारणों से कुछ दिक्कतें रही हैं। बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो सुझाव रखा कि लड़कियों को भी छात्रवृत्ति दी जानी चाहिए यह सही बात है, मैं भी मानता हूं और इसको मैं केबिनेट के सामने विचार करने के लिए रखूंगा, और मन्त्रिमण्डल से निवेदन करूंगा, इसके लिये क्योंकि राजस्थान वैसे ही कई मामलों में पिछड़ा हुआ है, और अनुसूचित जाति और अनजातियों की समस्याओं में बहुत ज्यादा है, इसलिए मैं चाहूंगा कि यह मामला केबिनेट में जाना चाहिए और कुछ नहीं हो सकेगा तो····

श्री नाथसिंह : माननाय मन्त्री जी, मैंने जो सुझाव दिया था उसको भी आप मंत्री मण्डल में ले जाने की कृपा करें।

श्री मोहनलाल छंगाणी : आपने इतना बड़ा सुझाव दिया है कि 28 परसेंन्ट का रिजर्वेशन केबिनेट में भी होना चाहिए, मैं इसके लिए भी निवेदन करूंगा, और मैं इसमें आड़े नहीं आऊंगा और मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसकी वकालात करूंगा। मुख्य मन्त्रीजी किस प्रकार से विभागों का निपटारा करते हैं, यह उन पर निर्भर है। लेकिन मैं आपकी बात को उन तक पहुंचा दूंगा।

(श्री मोहन छंगाणी)

इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आपका सहयोग हमेशा बना रहेगा।

श्री ओंकारलाल चौहान : माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करें कि जो समितियां बन रही हैं और आपने 511 समितियों को लोन दिया है, और आप कह रहे हैं कि वित्तीय स्थिति कमजोर है तो यह बताने का कष्ट करें कि आयन्दा समितियां बनाई जायं या नहीं बनाई जायं।

श्री मोहनलाल छंगाणी : जैसा कि मैंने माननीय सदस्यों को निवेदन किया था, यह विभाग मेरे पास नहीं है, फिर भी मैं आपकी बात मुख्य मन्त्री जी तक पहुंचा दूंगा कि आयन्दा सोसायटीज जब तक वित्तीय साधन उपलब्ध न हों तब तक के लिये रजिस्टर न की जायं और जो ऑलरेडी हैं उनके लिये कोई व्यवस्था की जाय।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही बृहस्पतिवार दिनांक 2 अप्रैल, 1976 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 6.49 बजे बृहस्पतिवार दिनांक 2 अप्रैल, 1976 के म. पू. 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई)

परिशिष्ट 1

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर।

अकाल-ग्रस्त क्षेत्र के परिवारों को राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि

573. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि रेगिस्तानी क्षेत्र के बड़े-बड़े किसान जो राजस्थान कैनाल से लगते हुए जिलों के हैं, अकाल आये।वर्ष पड़ते रहने से तथा अधिक भूमि होते हुए भी, अपने परिवारजनों व अपने पशुओं का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं अार आए वर्ष मालवा, पंजाब या हरियाणा का तरफ दूर-दूर की ठोकरें खाते फिरते हैं ?

(2) यदि हां, तो क्या उन्हें राजस्थान नहर क्षेत्र के एरिया में, जहां पर कि वे अपने यहां कि भूमि को राज्य सरकार का सरेन्डर कर उसके बदले में राजस्थान नहर क्षेत्र की भूमि दी जायेगा जिसे लेकर वे अपनी कृषि कुशलता के कारण जमीन को सुधार कर कृषि उपज लेकर अपना व अपने पशुओं का पेट पालना चाहते हैं ? यदि हां, तो सरकार उनकी इस प्रार्थना को कब तक स्वीकार करेगी और नहीं तो क्यों ?

(3) क्या इस संबंध में इसी आशय का प्रार्थना-पत्र गत बजट सत्र के दौरान विधान सभा के माननीय सदस्यों ने माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं राजस्व मंत्री महोदय को दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) रेगिस्तानी क्षेत्र के व्यक्ति अभाव के समय अपने परिवारजनों व अपने पशुओं का भरण पोषण जब नहीं कर पाते है तो वे मालवा, पंजाब या हरियाणा की तरफ निष्क्रमण कर जाते हैं।

(2) राज्य सरकार द्वारा ऐसे लोगों को राहत देने हेतु उचित प्रावधान राजस्थान उपनिवेशन (राजस्थान नहर परियोजना उपनिवेशन क्षेत्र में राजकीय भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम, 1975 विद्यमान है।

(3) जी हां। सम्बन्धित नियमों में पूर्व में दिनांक 24-7-74 को संशोधन कर प्रावधान किया जा चुका था।

जालोर क्षेत्र की सड़कें

574. श्री बिरदाराम फुलवारिया (जालोर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जालोर क्षेत्र में सन 1968-69 में जो कच्ची व पक्का सड़कें बनी उनकी आज दिन तक सरकार ने मरम्मत नहीं करवाई ? यदि हां, ता क्या सरकार अब इनका मरम्मत कराने की कृपा करेगी ?

(2) क्या यह सही है कि जालोर क्षेत्र में शाकोली नदी पर 1968-69 में

(श्री बिरदाराम फुलवारिया)
पुल बनाने की मंजूरी हुई थी और पूरा सामान इकट्ठा भी किया गया था ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सारा सामान बरसात में बह गया और पुल का कार्य शुरू नहीं हुआ ? यदि हां तो कितनी राशि का सामान बह गया है और अब इस पुल का निर्माण कार्य कब प्रारम्भ कर पूर्ण कराया जायेगा ?

(4) क्या यह सही है कि जालोर-बिसनगढ़ के बीच में जवाई नदी पर रपट बनाने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो यह कार्य अब तक पूरा क्यों नहीं हुआ और अब यह कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा ?

उत्तर

(1) 1968-69 में अकाल राहत कार्यों में बनी कच्ची सड़कें जो इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं हैं, उन्हें छोड़कर अन्य सभी सड़कें जो विभाग की मरम्मत सूची पर हैं, उनकी उपलब्ध धनराशि अनुसार मरम्मत की जाती है।

(2) वर्ष 1969-70 में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत अकोली नदी पर कॉजवे निर्माण की स्वीकृति दी गई थी तथा 30,000) रुपये का सामान एकत्रित किया गया था।

(3) जी नहीं। वर्ष 1969-70 के अकाल राहत कार्य बंद होने के कारण काजवे कार्य आरम्भ नहीं किया गया। वर्ष 1973-74 एवं वर्ष 1975 में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त अकोली नदी के रास्ते व जालोर रामसीन सड़क जिस पर उक्त नदी बहती है एकत्रित किये गये सामान को उनकी मरम्मत के काममें लिया गया है, तथा कुछ मैटीरियल अभी भी मौजूद है।

(4) जी नहीं। यह कार्य योजना में स्वीकृत नहीं है।

फतेहपुरा-रामपुरा नल योजना के लिये जमा कराई गई धनराशि

575. श्री बृजेन्द्रपालसिंह (करौली) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत फतेहपुर-रामपुरा ने नल योजना की उचित धनराशि जमा करा दी है ?

(2) यदि हां, तो यह धनराशि कितनी है और कब जमा कराई गई ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) मई, 1973 में ग्राम पंचायत फतेहपुर-रामपुरा ने 2,500/- जन सहयोग की राशि जमा कराई है।

भारत-पाक युद्ध में जोधपुर सेन्ट्रल जेल को क्षति

576. श्री केदारनाथ (श्री गंगानगर) : क्या कारागृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) भारत-पाक युद्ध सन् 1965 के दौरान जोधपुर सेन्ट्रल जेल पर पाकिस्तानी

(श्री केदारनाथ)
बम वर्षा से कुल कितनी राशि का नुकसान हुआ ?

(2) बम वर्षा से नष्ट जेल अस्पताल के पुर्ननिर्माण के लिये राज्य सरकार ने कितनी धनराशि स्वीकृत की ?

(3) जेल अस्पताल का निर्माण कार्य अभी किस स्थिति में है और निर्माण कार्य कब तक सम्पन्न होगा ?

(4) उक्त बम वर्षा में कुल कितने व्यक्ति मौत के शिकार हुये ? उनमें से बन्दियों की संख्या कितनी थी और उनके परिवार वालों को प्रति मृतक के अनुसार कितनी राशि मुआवजे के रूप में दी गई ?

उत्तर

(1) दिनांक 21 सितम्बर, 1965 को जोधपुर में पाकिस्तान द्वारा जो बम वर्षा की गई थी उसमें केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर का चार लाख व पचास हजार रुपयों का कुल नुकसान हुआ था।

(2) राज्य सरकार द्वारा संदर्भित क्षतिग्रस्त जोधपुर जेल के भवन का मरम्मत के सम्बन्ध में वर्ष 1974-75 में रु. 1,16,500.00 की राशि स्वीकृत की गई थी। अस्पताल के लिए कोई अलग से राशि आवंटित नहीं की गई।

(3) निर्माण का आधा कार्य ही पूरा हुआ है।

(4) इस बम वर्षा में केन्द्रीय कारागृह, जोधपुर में 34 व्यक्तियों की मृत्यु हुई जिनमें 32 बंदी और 2 कर्मचारी सम्मिलित हैं। प्रत्येक मृतक के परिवार वालों को पांच सौ रुपये आर्थिक सहयोग के रूप में राज्य सरकार द्वारा प्रदान किए गये हैं।

परबतसर एवं डेगाना क्षेत्र की ग्रामीण विद्युतिकरण योजना

577. श्री रामरघुनाथ चौधरी (डेगाना) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या परबतसर व डेगाना क्षेत्र जिला नागौर में ग्रामीण विद्युतिकरण की योजना स्वीकृत की गई थी ? अगर हां, तो यह योजना कब शुरू की जाकर कब तक समाप्त की जानी थी ?

(2) इस योजना के अन्तर्गत कुल कितने ग्रामों की स्वीकृति प्रदान की गई ? डेगाना क्षेत्र व परबतसर क्षेत्र के गांवों की सूची अलग-अलग से सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या स्वीकृतशुदा सभी ग्रामों में विद्युतिकरण कर दिया गया है ? अगर नहीं तो क्यों ? व कौन-कौन से गांवों में ?

(4) ऐसे कितने व कौन-कौन से गांव हैं जहां ट्रांसफॉर्मर भी नहीं लगे हैं या लगे तो थे पर साथ ही उन्हें हटा लिया गया ? अगर हटा लिये गये तो क्यों ?

(5) ऐसे कौन से व कितने गांव हैं जहां से विद्युत के तारों की चोरी हो गई और उनको विद्युत से महरूम रहना पड़ रहा है ?

Page No.162

(160)

(श्री रामरघुनाथ चौधरी)

(6) इन गांवों में (डेगाना क्षेत्र) कुल कितने कुओं पर बिजली लगाई जा चुकी है ? तथा कितने ऐसे कुए हैं जिनकी मांग पर भी अभी तक बिजली नहीं दी जा सकी है ? इसके क्या कारण हैं ?

(7) क्या इस ग्रामीण योजना को एक वर्ष और बढ़ाने की योजना है ताकि अधूरे कार्य व कनेक्शन पूरे किये जा सकें ?

उत्तर

( ) परबतसर डेगाना क्षेत्र जिला नागौर की ग्रामीण विद्युतिकरण की योजना वर्ष 71-72 में स्वीकृत हुई थी ? यह योजना 3 वर्षों की थी जो वर्ष 1974-75 में पूरी होनी थी।

(2) इस योजना में कुल 83 ग्राम विद्युतिकरण किये जाने थे ? क्षेत्रवार सूची संलग्न है।

(3) सभी स्वीकृत गांवों को विद्युतिकृत किया जा चुका है।

(4) विद्युतिकरण करते समय हो सभी गांवों में ट्रांसफॉर्मर लगा दिये गये थे परन्तु जिन गांवों में मांग नहीं थी उनके ट्रांसफॉर्मर अस्थाई रूप से हटाये गये थे, ऐसे ग्रामों की संख्या 13 है।

(5) सुदवाड़ा व बनग्राड़ा गांव से तारों की चोरी हुई थी जिनको फिर से लगाने का प्रयास किया जा रहा है। इन गांवों से कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ था।

(6) डेगाना क्षेत्र में अब तक कुल 252 कुओं को कनेक्शन दिये गये हैं। केवल 50 प्रार्थना-पत्र पेंडिंग हैं, जिनमें से 25 का डिमान्ड नोटिस दिये जा चुके हैं और 25 के एस्टीमेट बन रहे हैं।

(7) जी हां।

सूची

तहसील डेगाना		तहसील परबतसर	
1		2	
1.	भेरून्दा	1.	आंतरोली सांगा
2.	डोडियाना	2.	मेरासी
3.	सथाणा कलां	3.	बिन्टवालिया
4.	सथाणा खुर्द	4.	घोलिया
5.	ꙮ×सुदवाड़ा	5.	टापरवाड़ा
6.	ꙮशेखपुरा	6.	खिवसी खेड़ी
7.	टेहला	7.	जावला
8.	गुढ़ा	8.	भकरी मोलास
9.	बासनी नरसिंह	9.	बरेव
10.	देवगढ़	10.	नरमा
11.	लाखीणा	11.	ꙮकीटिया
12.	किला	12.	हथेली

1	2
	13. ❀ढाडी खेड़ा
13. बाड़ी घाटी	14. ❀मिमानी गांव
14. सायपुरा	15. ध्यान
15. निम्बोला बिसवा	16. बाजोली
16. कल्याणपुरा	17. कुराडा
17. ❀डाणीपुरा	18. गुलर
18. राता टूंडा	19. पीपलोद
19. घावला	20. मई गांव
20. ❀राकियासनी	21. रोहन्डी
21. गोल	22. भरट
22. लूणियावास	23. झालरा
23. निम्बड़ी कोठारियां	24. नखीवास
24. निम्बली कलां	25. खानपुर
25. राजलोता	26. मावसीया
26. मेहराना	27. नेपिया
27. लवाडर	28. कवलांद
28. ❀×बनवाड़ा	29. रावडियाद
29. थाटा	30. मुन्डोता
30. ❀मोडीकलां	31. ❀मालडो कडवा
31. मोरियाना	32. ❀निम्बोला
32. ×मोरियाना	33. बागोट
33. बोपली	34. बाजवास
34. हरसोर	35. भादवा
35. गोरेडी चांचा	36. बड़
36. कितलसर	37. हुरढाणी
37. किरड	38. जंजीला
38. डेगाना ग्राम	39. हरनावा
39. पुन्दलाता	40. ललाणा कलां
40. ❀गोनरडा	41. मालास गुसाईयां
41. ❀गोनेरडी	42. शील भाकरी

× तार चोरी हो गये। ❀ ट्रान्सफॉर्मर हटाये गये।

सहरिया आदिवासियों को भूमि

578. श्री किशन मोटवानी (अजमेर पश्चिम) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बारां, शाहबाद जिला कोटा के गरीब सहरिया आदिवासियों को जमीन पर बसाने हेतु 1960-61 में वन विभाग से जमीन रिलीज करवायी गयी थी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उस जमीन में से अच्छा सिचाई योग्य हिस्सा छिछरोनी ग्राम के पास श्री ब्रह्मदत्त शर्मा ने अपनी पत्नी व अन्य कुछ औरतों के नाम म्यूटेशन करवाकर कब्जे में दबा रखा है जब कि श्री ब्रह्मदत्त शर्मा व उनकी पत्नी जयपुर शहर में नौकरी करते हैं और जमीन जागीरदारों की तरह नौकरों व हालियों से करवाते हैं ?

(3) यदि हां, तो कुल कितनी जमीन श्री ब्रह्मदत्त शर्मा व उनकी पत्नी तथा अन्य औरतों के नाम करवायी गई है ? और कुल कितनी जमीन गैर आदिवासियों के कब्जे में हो गयी है तथा इस भूमि को उनके नाम से हटाने के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) ग्राम छिछरोनी में श्री ब्रह्मदत्त पुत्र श्री गोपीलाल, श्री गोपीलाल पुत्र बैज नाथ, श्रीधर पुत्र रामकिशन, जगदीश पुत्र रामकिशन ब्राह्मण जुगलकिशोर पुत्र हजारी लाल महाजन, बदनसिंह पुत्र बुच्छसिंह गंगादेवी पुत्री करणसिंह जाट, चन्दनलाल पुत्र रत्ना, रोशनीलाल पुत्र फूंदीलाल सहर (हिस्सा बराबर) के नाम शामलाती खाते में 136-7 भूमि दर्ज है उसमें से श्री ब्रह्मदत्त के हिस्से में 15 बीघा 3 बिस्वा आराजी आती है। उपरोक्त आराजी सेटलमैंट से ही इन सभी खातेदारान के गैरखातेदारी के रूप में दर्ज है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त आराजी इनको आवंटित हुई है। ब्रह्मदत्त की पत्नी के नाम कोई आराजी खाता दर्ज नहीं है। उपरोक्त आराजी में एक औरत खातेदार गंगादेवी पुत्री करणसिंह भी है। ब्रह्मदत्त व उनकी पत्नि ग्राम छिछरोनी में नहीं रहते हैं। ब्रह्मदत्त के हिस्से की आराजी 15 बीघा 3 बिस्वा की काश्त व्यवस्था अन्य गैर खातेदारान की शामलाती श्रीधर रेशमी लाल नियुक्त शुदा व्यवस्थापक कल्याणसिंह द्वारा की जाती है। वर्तमान में कोई हाली नहीं है।

(3) उक्त भूमि 136 बीघा 7 बिस्वा में से ब्रह्मदत्त शर्मा के हिस्से में 15 बीघा 3 बिस्वा भूमि आती है। चूंकि उक्त आराजी सेटलमेंट से है उपरोक्त व्यक्तियों के नाम खाते दर्ज हुई है इसलिए उनके नाम से हटाने बाबत कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

कृषि उपज मण्डी पाली

579. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पाली कृषि उपज मंडी द्वारा वसूल किये गये शुल्क से आज तक कोई विकास कार्य मण्डी विकास

(श्री शंकरलाल)
हेतु नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) पाली कृषि उपज मंडी द्वारा कितनी धनराशि वसूल की गई एकत्रित पड़ी है और उसका उपयोग किस प्रकार किया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां। विकास कार्य करने हेतु आवश्यक है कि मण्डी समिति के पास स्वयं की भूमि हो जिससे वहां पक्के निर्माण कार्य किये जा सकें। अभी तक मण्डी पुराने स्थान पर ही लग रही है और प्रथक से भूखण्ड प्राप्त करने का मामला तय नहीं हो सका है। जब मण्डी समिति के पास भूखण्ड उपलब्ध हो जायगा तो विकास कार्य हाथ में लिये जा सकेंगे।

(2) पाली मण्डी समिति की इस वर्ष माह फरवरी तक की आय 2.78 लाख रुपये थी और 1 मार्च को उसके पास एकत्रित कुल राशि 3.67 लाख रुपये थी। इस राशि से मण्डी समिति अपना भूखण्ड प्राप्त करने के बाद एक सुनियोजित प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर नई मण्डी का निर्माण कर सकेगी तथा मण्डी क्षेत्र में सम्पर्क सड़कें व पुलिया आदि बनवा सकेगी।

राज्य में पशु चिकित्सालय

580. श्री रामसिंह विश्नोई (लूनी) : क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में कितने पशु चिकित्सालय हैं ? किसी एक पशु चिकित्सालय को वर्ष भर में कितना रकम दवाइयों हेतु दी अथवा कितने रुपयों की दवाइयां अमुक चिकित्सालय को भेजा ? जोधपुर जिले में बिलाड़ा पशु चिकित्सालय का उदाहरण देते हुए बतावें कि क्या यह पर्याप्त है ?

(2) प्रत्येक पशु चिकित्सालय में सांड पाडा नहीं रखने का क्या कारण है ? क्या यह सही है कि न तो चिकित्सालयों में गाय सांड व भैंस पाडा ही है और न इनमें सीमन ही भेजा जाता है ? अगर नहीं तो क्यों व भविष्य में क्या कोई व्यवस्था करने का राज्य सरकार का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राजस्थान में 309 पशु चिकित्सालय, व 46 औषधालय हैं। दवाइयां आदि की राशि पशु चिकित्सालय। औषधालयों को नहीं दी जाता है। जिला पशुपालन अधिकारी को ही दी जाती है। जोधपुर जिला पशु पालन अधिकारी को वर्ष 75-76 में 42,500) रु. दवाइयां आदि खरीद हेतु आवंटन किया गया है। जिसमें से अनुमानत: 3,000 रु. की दवाइयां बिलाडा पशु चिकित्सालय को उपलब्ध कराई गई।

(2) प्रत्येक पशु चिकित्सालय में सांड पाडा रखा जाना बहुत खर्चीली व्यवस्था होने से नहीं रखे जाते हैं। इसके बजाय ग्राम आधार योजना खण्डों आदि पर सांड रख कर उनका सीमन विभिन्न पशु चिकित्सालयों में भेजा जाने की व्यवस्था है। बिलाड़ा पशु चिकित्सालय में उनकी आवश्यकतानुसार जोधपुर से पाडे का सीमन भेजे जाने की भी व्यवस्था है।

ग्राम इन्द्रपुरा में हरिजनों को रिहायशी प्लॉट

581. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले की रामगढ़ तहसील के इन्द्रपुरा ग्राम में 36 हरिजनों को रिहायशी प्लॉट पानी भरी हुई जमीन पर दिये गये हैं ? अगर हां, तो ऐसा क्यों किया गया है ?

(2) क्या यह सही है कि जिला अलवर का रामगढ़ तहसील के इन्द्रपुरा तिलवाड़ा और हुसनपुर ग्रामों के गरीब हरिजनों से काश्त हेतु एलॉटेड भूमि की कीमत पर पहला किश्त वसूल करने में खूब सख्ती बरती गई ? अगर हां, तो ऐसा क्यों किया गया ?

(3) क्या यह भी सही है कि उपरोक्त जमीन बिल्कुल कल्लर, बंजड़ या ऊबड़ खाबड़ है जिसमें घास तक पैदा नहीं होती ?

(4) क्या यह भी सही है कि इन्द्रपुरा व खानपुर में क्रमशः खसरा नं. 102, 103 व 270 तथा खसरा नं. 946 तथा 121 पर एलॉटी हरिजनों से पैसे लेकर कागजी कार्यवाही में तो अलॉटमेंट कर दिया पर मौजूदा काश्तकार उक्त खसरों में उनको नहीं घुसने देते ?

(5) क्या यह सही है कि इन खसरों के पुराने काबिज काश्तकार मेव हैं और उन्हें अदालत से स्थगन आदेश मिल गये हैं ? अगर हां, तो यह गलत अलॉटमेंट क्यों किये गये ?

उत्तर

(1) इन व्यक्तियों को रिहायशी प्लॉट्स दिये गये है। परन्तु यह सही नहीं है कि जहां यह प्लॉट्स स्थित हैं वहां पर पानी भरता है।

(2) यह सही नहीं है। आवंटित भूमि की कीमत वसूल करने के लिए किसी प्रकार की सख्ती नहीं बरती गई।

(3) यह सही नहीं है। जमीन काबिल काश्त है।

(4) यह सही नहीं है कि ग्राम इन्द्रपुरा व खानपुर में भूमि खसरा न. 102, 121 पर आवटी हरिजनों को कागजा कब्जा दिया गया। जहां तक शेष खसरा नम्बरान 130, 270 एवं 946 का सम्बन्ध है इनमें किसी व्यक्ति को आवंटन नहीं किया गया क्योंकि यह नम्बर अन्य व्यक्तियों की खातेदारी में दर्ज है।

(5) यह केवल आंशिक रूप से सत्य है। खसरा नम्बर 102 के अतिरिक्त किसी खसरा नम्बर के बारे में कोई स्थगन आदेश जारी नहीं हुए हैं। जहां तक खसरा नम्बर 102 का सम्बन्ध है इसके बारे में अतिरिक्त जिलाधीश, अलवर के द्वारा स्थगन आदेश जारी हुए हैं, परन्तु आवंटी को कब्जा इस स्थगन आदेश के जारी होने से पूर्व दे दिया गया था।

जन स्वास्थ्य विभाग के अन्तर्गत नई कार्यशालाएं खोलने का विचार

582. श्री रतीराम यादव (तिजारा): क्या जनस्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे:—

(1) क्या जन स्वास्थ्य विभाग में ए. सी. व पी. वी. सी. पाइपों की आगामी

(श्री रतीराम यादव)

वर्षों में अत्यधिक मांग को देखते हुये सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में इनके उत्पादन का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग में सालाना लाखों रुपये के मोटर, मोटर व पम्प ठीक कराने मे खर्च किये जाते हैं ? यदि हां, तो पिछले साल कितने रुपये इन मदों में खर्च हुये ?

(3) क्या सरकार उपरोक्त उपकरणों का ठीक करने के लिये राज्य में कुछ कार्य-शालायें खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों नहीं ?

उत्तर

(1) जी नहीं। इस समय आवश्यकतानुसार ए. सी. व पी. वी. सी. पाइप बाजार में उपलब्ध हैं।

(2) जी हां। इस मद में प्रत्येक योजना पर अलग अलग किये गये खर्चों का विवरण नहीं रखा जाता है। इनको एकत्रित करने में बहुत समय लगेगा।

(3) धन की उपलब्धि के अनुसार विभाग द्वारा कार्यशालायें खोली जाती हैं। इस समय जयपुर, जोधपुर, व अजमेर में केन्द्रीय कार्यशालायें कार्य कर रही हैं व इसके अतिरिक्त लगभग सभी जिलाखण्डों पर छोटी मोटी कार्यशालायें हैं जिनमें साधारण रिपेयर्स का कार्य किया जाता है।

बीरपुर एवं टोड़ी बांधों के कार्य

583. श्री लक्ष्मीनारायण (थानागाजी) एवं श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम बीगाटा, तहसील राजगढ़ में बन्ध बीरपुर व पंचायत मोतीवाड़ा में टोड़ी को क्रेश प्रोग्राम के अन्तर्गत निर्मित करवाया जाना था ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त दोनों बांध अधूरे पड़े हुये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इनको तुरन्त पूरा करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां,

(2) जी हां,

यह कार्य क्रेश योजना के अन्तर्गत जिला स्तर पर लिये गये थे।

यह सिंचाई विभाग के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

लाइम स्टोन एवं सेन्ड स्टोन की लीज

584. श्री राजेन्द्रकुमार भारतीय (बूंदी) : क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार ने बड़े बड़े लीज एरियाज

166.

(श्री राजेन्द्र कुमार भारतीय)
को सीमा 8-10 किलोमाटर निर्धारित करने का विचार किया है ?

(2) क्या इंदिराजी के 20 सूत्री कार्यक्रम के बावजूद राज्य सरकार अब भी एसोशियेटेड स्टोन इन्डस्ट्रीज, रामगज मन्डी, को लाइम स्टोन एवं मैसस कन्हैयालाल घाटीवाला को सेन्ड स्टोन को लीज में कई मील का क्षेत्र देने का विचार रखती है ?

(3) क्या सरकार की जानकारी में है कि श्रमिक वर्ग जिनमें शिड्यूल्ड कास्ट व ट्राइब्स के लोग हैं इन बड़ी कम्पनियों से बचने के लिए संगठित रूप में स्वयं छोटे छोटे टुकडे लीज में लेकर खान का धन्धा करना चाहते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनको लीज में देने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी ?

उत्तर

(1) अप्रधान खनिजों के खनन् पट्टों के अन्तर्गत स्वीकृत किए जाने वाले क्षेत्रों की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था और राज्य सरकार ने हाल ही में अप्रधान खनिज रियायती नियम, 1959 में संशोधन कर एक व्यक्ति को खनन् पट्टों के अन्तर्गत दिये जाने के लिए अधिकतम क्षेत्र की सीमा 25 किलोमीटर निर्धारित की है।

(2) सर्व श्री एसोशियेटेड इण्डस्ट्रीज (कोटा) लि. रामगंज मन्डी को लाइम स्टोन एवं श्री कन्हैयालाल घाटीवाला को सेन्ड स्टोन का खनन् पट्टा पूर्व से ही तत्कालीन नियमों के अनुसार स्वीकृत किये हुये है। अतः इन खनन् पट्टों की चालू अवधि की समाप्ति तक इन पार्टियों को उनके स्वीकृत खनन् पट्टों के क्षेत्रों की मात्रा में रद्दो-बदल करने का प्रश्न नहीं उठता है।

(3) उपलब्ध क्षेत्रों के लिए श्रमिक वर्ग शिड्यूल्ड कास्ट एवं शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोगों के द्वारा व्यक्तिगत अथवा संगठित रूप से खनन् पट्टे स्वीकृत करने के लिए प्रार्थना-पत्र देने पर नियमानुसार प्राथमिकता दी जायगी। नियमों में प्राथमिकता हेतु प्रावधान कर दिया गया है।

ठेकेदारों को इन्जिनियर्स नियुक्त करने के आदेश

585. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधी नगर जयपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या इन्जिनियरों की बेकारी की बढ़ोतरी को रोकने के लिए सरकार ने निर्माण कार्यों में ठेकेदारों को इंजीनियर नियुक्त करने के लिए कोई आज्ञा निकाली गई थी ? यदि हां, तो उक्त आज्ञा का पालन कितने ठेकेदारों ने किया तथा कितने इंजीनियरों को रोजगार मिला ?

(2) क्या यह सही है कि जो ठेके दिये जा चुके हैं या दिए जा रहे हैं उनमें किसी ठेकेदार ने इंजीनियर नही रखा ?

(3) इस आज्ञा के निकलने के बाद कितने ठेके दिए गए और इनमें इंजीनियरों को रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

(स्थगित किया गया)

अनकमाण्ड भूमि का अॅलटमेन्ट

586. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बीकानेर जिले की राजस्थान नहर का पूगल ब्रांच लूणखां डिस्ट्रीब्यूटरी व डंडी पुकारी डिस्ट्रीब्यूटरी चार पी. बी. आदि की अनकमाण्ड भूमि को गलत ढंग से कमाण्ड बताकर अलॉटमेंट किया गया ? यदि हां, तो क्यों और किस प्रकार ?

(2) क्या यह सही है कि सिचाई विभाग ने मौके पर जाकर जमीन का सर्वे नहीं किया है केवल चक प्लॉन कागजों में बताकर मौके पर ब्लेक पत्थर गाड़ दिए गए ना ही इस भूमि की मुरब्बे बन्दी की गई ना ही मुरब्बावार पत्थर लगाए गए ? जिससे उपनिवेशन विभाग के पटवारी मौके पर अलॉटियान को सही कब्जा नहीं दे सके ?

(3) क्या यह सही है कि सिचाई विभाग की गलती से हजारों काश्तकार कब्जे से महरूम रखे गए ? अगर हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं ।

(2) जी नहीं ।

(3) जी नहीं ।

ललतामूडिया नहर के हैड और तटबन्ध पर व्यय की गई राशि

887. श्रीमती कथा प्रकाश (वैर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाणगंगा नदी पर ललतामूडिया नहर का हैड और तटबन्ध किस तारीख को टूटा ?

(2) उक्त कार्य पर बाढ़ नियन्त्रण हेतु कितने श्रमिकों ने कितने दिन काम किया और इन श्रमिकों को कितने रुपये का भुगतान किया जा चुका है ? और कितना भुगतान होना शेष है ?

(3) क्या इस तटबन्ध की मरम्मत हेतु खड़ी फसल वालों से मिट्टी ली गई थी, जिससे कि फसल बरबाद हो गई ?

(4) यदि हां, तो क्या इन खेतों के मालिकों को मुआवजा देना तय किया गया है ?

(5) यदि हां, तो कितने काश्तकारों को कितना भुगतान किया गया और किन-किन काश्तारों को कितना कितना भुगतान किया जाना शेष है ?

उत्तर

(1) बाणगंगा नदी पर ललतामूडिया नहर का हैड दिनांक 4-8-1975 को व तटबन्ध दिनांक 21-7-1975 को टूटा ।

(2) उक्त बाढ़ नियंत्रण कार्य कुल 12 दिन चला । श्रमिकों की अधिकतम संख्या 923 थी व कुल 25,138 Non-

168

(सिंचाई मंत्री)

days कार्य किया गया। श्रमिकों को रु. 1,76,042.15 का भुगतान किया जा चुका है व रु. 1,785.50 का भुगतान शेष है।

(3) जी नहीं। तटबन्ध के क्षतिग्रस्त होने के कारण नीचे की तरफ फसलें खराब हो गई थी। 18-8-75 को नीचे का तटबन्ध भी टूटने के कारण कुछ और खेतों की फसलें भी खराब हो गई थीं। बाढ नियन्त्रण कार्य के लिये मिट्टी की आवश्यकता थी जो इन्हीं क्षतिग्रस्त फसलों के में खेतों से ली गई।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

(5) प्रश्न नहीं उठता।

नगरपालिका पिड़ावा

588. श्री हाजी जान मोहम्मद खां (पिड़ावा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे.—

(1) क्या यह सही है कि कस्बा पिड़ावा जिला झालावाड़ की नगरपालिका की माली हालत बहुत खराब है ?

(2) क्या राज्य सरकार का इस नगरपालिका को पैसा देकर इस कस्बे की हालत को जो बहुत ही खराब है, ठीक कराने का विचार है ? अगर हां, तो कितनी राशि राज्य सरकार इस नगरपालिका को देगी और कब तक ?

उत्तर

(1) जी नहीं। नगरपालिका पिड़ावा की आर्थिक हालत संतोषजनक है।

(2) राज्य सरकार नगरपालिकाओं को आर्थिक सहायता के रूप में प्रतिवर्ष एक रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से नगरपालिका को 1971 की जनसंख्या के आधार पर अनुदान स्वरूप राशि दी जाती है। जिसको नगरपालिका अपने विकास पर खर्च कर सकती है। इस वर्ष नगरपालिका पिड़ावा को 7,277/- रुपये स्वीकृत हुये हैं।

नगरपालिका के सड़कों व नालियों की मरम्मत व निर्माण हेतु राजस्थान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा नियमों के तहत अनुदान दिया जाता है।

सूखा उन्मूलन कार्यक्रम के लिये निर्धारित राशि

589. श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि बीकानेर जिले के निमित्त सूखा उन्मूलन कार्यक्रम के लिये निर्धारित राशि में से राजस्थान मुख्य नहर के बायें किनारे के समानान्तर चरागाह एवं वन विकास एवं जिले के विभिन्न स्थानों पर ऊनी गलीचे के प्रशिक्षण तथा बुनाई हेतु तथा ऊन पर आधारित अन्य उद्योगों की स्थापना हेतु व्यवस्था है ? अगर हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक कार्यवाही की जावेगी ?

उत्तर

सूखा उन्मूलन कार्यक्रम में राजस्थान नहर के बांये किनारे पर सेन्ड ड्यून्स स्टेबिलाइजेशन चारागाह विकास व वृक्षारोपण, द्वारा प्रस्ताव है। वर्ष 1976-77 की योजना जो भारत सरकार को अनुमोदनार्थ

(कृषि मंत्री)

भेजी है, में एक हजार हैक्टर पर यह काम लेने का प्रस्ताव है। भारत सरकार की अनुमति प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। सूखा उन्मूलन कार्यक्रम में केवल पशुपालन एवं कृषि कार्यक्रम ही लिये जाने है।

सूखा उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत ऊनी गलीचे के प्रशिक्षण तथा बुनाई हेतु तथा ऊन पर आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु व्यवस्था नहीं है।

कोटा एवं झालावाड़ जिलों की सड़कों की मरम्मत का कार्य

590. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) श्री शिवनारायण (बारां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला कोटा एवं झालावाड़ में कौन-कौन से रोड फ़ेयर वेदर रोड में बता रखे हैं?

(2) क्या इन पर स्टेट टाइम के ही मील-फर्लांग के पत्थर लगे हुये हैं और कुछ मीलों पर बोल्डर एवं मिट्टी बिछी हुई है?

(3) क्या यह भी सही है कि इन सड़कों पर जहां-जहां नाले व नदियां पड़ती हैं वहां पर पक्के कलवर्ट एवं पुलियायें बना हुई है?

(4) क्या इन सड़कों को विभाग से पंचायत एवं पचायत समितियों को सौंपा गया था? यदि हां, तो क्यों?

(5) क्या इन सड़कों की मरम्मत पंचायत एवं पंचायत समितियों द्वारा की जा रही है? यदि नहीं, तो राज्य सरकार एवं विभाग इन सड़कों की मरम्मत एवं बनवाने बाबत क्या विचार रखती है और विभाग जनता की सुविधा के लिये इन सड़कों को कब तक वापस लेने को तैयार हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) कोटा एवम् झालावाड़ जिलों की फेयरवेदर सड़कों की सूची संलग्न है।

(2) जी हां, बकानी, भालता एवं रिछवा रतलाई सड़क के कुछ मीलों में मिट्टी रोड बनी हुई तथा कुछ मात्रा में बोल्डर एवम् मिट्टी पड़ी हुई है।

(3) फेयरवेदर सड़कों के कुछ नालों पर कहीं-कहीं कलवर्ट एवं कॉजवे बने हुये है।

(4) जी हां।

(5) इन सड़कों की मरम्मत का उत्तरदायित्व पंचायत समितियों का है। यह सड़कें विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं हैं। इन सड़कों में से जो जो सड़कें योजना व अन्य किसी मद में से पक्की बनती जावेंगी, त्यों त्यों उन्हें विभाग की मरम्मत सूची पर ले लिया जावेगा।

170

जिला झालावाड़ एवम् कोटा की फेयर वेदर रोड्स की सूची

जिला झालावाड़

		मील	फलांग
1.	रायपुर सुनेल सड़क	14	—
2.	मनोहरथाना बागीपुरा सड़क	10	—
3.	डग पिड़ावा सड़क	19	5
4.	आमेठा बेरागढ़ देहुलनपुर माल्दा सड़क	12	—
5.	पिडावा आवर पगारिया सड़क	13	—
6.	झालावाड़ गागरोड़ सड़क	5	—
7.	झालावाड़ दुर्गपुरा खोखदा सड़क	11	4
8.	घाटोली चुरेलिया सड़क	10	—
9.	हरनावदा मनोहर थाना सड़क	14	—
10.	बकानी माल्ता आसलपुर सड़क	19	5
11.	तारज बरेडा सड़क	11	6

सड़कें जो विभाग की मरम्मत सूची पर हैं

12.	खानपुर दहीखेड़ा सड़क	22.4 कि. मे
13.	रीछवा माल्ता रटलाई सड़क	11.2 „
14.	एप्रोच सड़क काली तलाई तक	0.8 „

जिला कोटा

		लम्बाई किलो मीटर मी.
1.	बडोद मण्डावरा रोड	16
2.	मण्डावरा सुलतानपुर मीरां रोड	21
3.	बडोद सीसवाली मांगरोल रोड	34
4.	कोटस्वा निमोदा मण्डावरा रोड	18
5.	गोरा चौमावौली खजूरी रोड	18
6.	गणेशगंज मांगरोल रोड	22
7.	मांगरोल वरमाटी कलां पारवती नदी तक	13
8.	किशनगंज मांगरोल वाया रामगढ़	32
9.	रहलावन सीतावाड़ी रोड	5
10.	एप्रोच रोड लुहावद	11
11.	देवरी सांदरी रोड	11
12.	इन्दरगढ़ ढीपरी तलाब गांव रोड	22
13.	अन्ता सीसवाली रोड	15

		लम्बाई किलो मीटर में
14.	अन्ता बोरदा मांगरोल रोड	29
15.	बूबावर गउघाट रोड	38
16.	बुलेड अटरू रोड	16
17.	छीपा बड़ौद हरनावदा रोड	32
18.	छबड़ा से कुमराज राजस्थान बोर्डर तक	24
19.	छीपाबडोद से रतनपुरा	6
20.	छबड़ा गूगर रोड	8
21.	नहारगढ़ छत्रगंज जलवाड़ा बराना रोड	29
22.	अन्ता सांगोद से कोटा डिस्ट्रिक्ट बाउन्डरी तक	34
23.	कनवास चूलेट रोड	86
24.	कनवास मशालपुरा रोड	16
25.	दरा से गागरोन	24
26.	दरा से घाटोली गिरधरपुरा कोलीपुरा	35
27.	बौरांवास से गिरधरपुरा	10
28.	सुकेट से मशालपुरा वाया नारायनपुरा	10
29.	चेचट खेडा रूड़ा	6

जवाहर नगर में विद्यालय खोलने की योजना

591. श्री गौरीशंकर (खानपुर) : क्या राजस्थान आवासन मंडल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जवाहर नगर (हाउसिंग बोर्ड) कॉलोनी जयपुर में दो हायर सैकेण्डरी, दो माध्यमिक विद्यालय खोलने की योजना है? अगर हां, तो इनके भवन कब तक बन जायेंगे? अब तक भवन न बनवाने के क्या कारण हैं? मय विवरण के सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि नगर परिषद-जयपुर नगर में सफाई अभियान चल रहा है? लेकिन जवाहर नगर (हाउसिंग बोर्ड) कॉलोना में कचरा इकठ्ठा हो रहा है, उसे नहीं उठाया जा रहा है? अगर हां, तो अब सफाई की व्यवस्था कब तक की जायेगी और अब तक नहीं करने के क्या कारण हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि जवाहर नगर (हाउसिंग बोर्ड) कॉलोनी के मकानों में जो डिफक्ट हैं वे ठीक नहीं करवाये जा रहे हैं और वहां के लागों द्वारा बार-बार रेजीडेन्ट इंजीनियर व अध्यक्ष, आवासन मण्डल को निवेदन करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है? यदि हां, तो क्यों? क्या इन सभी डिफेक्टस को ठीक करवाने का सरकार विचार रखती है? अगर हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) हाउसिंग बोर्ड की जवाहर नगर कॉलोनी में दो हॉयर सैकेण्डरी स्कूल

(मंत्री, आवासन मंडल)

और तीन प्राइमरी स्कूलों के लिये भूमि आरक्षित की गई है। इन स्कूलों के लिये भवन बनाने व उन्हें चलाने का मामला विचाराधीन है। आवासन मण्डल ने कॉलोनी में मकानों के निर्माण को प्राथमिकता दी है।

(2) नगर परिषद के सफाई अभियान के दौरान जवाहर नगर में सफाई की है व इसके अलावा सफाई की नियमित व्यवस्था भी कर रखी है।

(3) जी नहीं। जो कमियां ज्ञात होती हैं उन्हें तत्परता से दूर किया जाता है।

चक 1 जेड की भूमि

592. श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा (सूरतगढ़) : क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंगानगर के सेठ श्री सुगन चन्द की चक 1 जेड में कितनी भूमि है और यह भूमि कब-कब किस-किस के नाम से विभाजित है ?

(2) क्या यह सही है कि इस भूमि पर अनेकों उप-काश्तकार बटाई पर पिछले 15 वर्षों से अधिक से काश्त कर रहे हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि पिछले 15 वर्षों से इन लोगों का हिसाब श्री भगतसिंह सब्जी के ठेकेदार के यहां दर्ज है ? जिसमें इनका तथा सेठ के हिस्से का हिसाब बाकायदा दर्ज है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि यह तथ्य एस.डी.एम., गंगानगर के समक्ष प्रस्तुत करने के बावजूद भी टिनेन्सी एक्ट की धारा 212 के तहत इनकी बेदखली रोकने तथा धारा 19 के तहत इन्हें खातेदारी अधिकार देने के आदेश जारी नहीं हुये ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त आदेश जारी न होने के कारण सेठ श्री सुगनचन्द अपने मुजारों पर भयंकर अत्याचार कर रहा है ? उन पर झूठे मुकदमे वगैरह तथा उन्हें बेदखल कर रहा है ? यदि हां, तो गंगानगर के सम्बन्धित अधिकारियों ने इसे रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

उत्तर

(1) गंगानगर के सेठ श्री सुगनचन्द के नाम मौजूदा समय में चक 1 जेड में 27।।) बीघा भूमि है जो किसी के नाम से विभाजित नहीं है ?

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं। श्री मानकलाल पुत्र श्री दलेल द्वारा उप-जिलाधीश कार्यालय में दिनांक 15-1-76 को राजस्थान टेनेन्सी अधिनियम की धारा 188 का दावा व धारा 212 की दरख्वास्त प्रस्तुत की गई जिस पर दिनांक 17-1-76 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। धारा 19 के तहत कोई दरख्वास्त पेश नहीं की गई है ?

(4) जी नहीं। उप-जिलाधीश कार्यालय में सेठ सुगनचन्द द्वारा चक 1 जेड के मुजारों को आतंकित करने का फौजदारी व राजस्व वाद विचाराधीन नहीं है।

पारवती बांध से सिंचाई

593. श्री गिर्राजप्रसाद तिवाड़ी (बयाना) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पारवती बांध से तहसील बसेड़ी का कितना रकबा सिंचित होता है ? इस बांध से इस तहसील का कितना और रकबा सिंचित हो सकता है ?

(2) इस बांध से निकली बसेड़ी ब्रांच की बागथर माइनर पर करील-पुरा नाला का पुल का काम कब से और क्योंकर अधूरा पड़ा है और यह कब तक तैयार होकर इस माइनर के लिए चालू हो जायेगा ?

(3) क्या यह सही है कि करील-पुरा नाला की पुलिया पूर्ण न होने से इस इलाके की करीब 10 हजार बीघा आराजी सिंचाई से वन्चित रह रही है ?

उत्तर

(1) पारवती बांध की नहरों से बसेड़ी तहसील में हर साल औसतन 13,000 एकड़ रकबा सिंचित होता है। चूंकि पारवती बांध का पूर्ण उपलब्ध पानी काम में लिया जाता है इसलिए और रकबा सिंचित नहीं हो सकता ।

(2) पारवती नहर की बसेड़ी ब्रांच पर करीलपुरा एक्वाडक्ट (Aquaduct) का काम सन् 1973 से अधूरा पड़ा हुआ है इसको इस वर्ष पूरा करने के लिए प्रावधान रखा गया है।

(3) जी नहीं। केवल 150 एकड़ भूमि ही सिंचित होना शेष रहा है।

रोल गांव की पानी की टंकी

594. श्री रामसिंह कुड़ी (जायल) : क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गांव रोल, जिला नागौर की जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत बनी टंकी गिर जाने से किस को कितना नुकसान हुआ है ? यदि इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गई हो, तो ऐसी जांच की जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

यदि जांच नहीं कराई है, तो कब तक किस किस के द्वारा करा ली जावेगी ?

(2) क्या इस टंकी के गिर जाने से इस योजना में कोई बाधा उपस्थित हुई है ? यदि नहीं, तो इस योजना की क्या प्रगति है ?

उत्तर

(1) टंकी गिरने के कारण 1.40 लाख रु. का नुकसान हुआ है व उससे सम्बन्धित पाइप इत्यादि टूटने के कारण 10504/- रु. का नुकसान हुआ है। टंकी टूटने के कारणों की जांच करने के लिए अधिकारी नियुक्त किया जा रहा है। प्राथमिक जांच के अनुसार उक्त सभी नुक-सान के लिए ठेकेदार मैसर्स यंग इण्डिया इन्जिनियर्स, नई दिल्ली जिम्मेदार हैं।

(2) जी नहीं। इस माह नलकूप पर जनरेटिंग सेट से पम्प चालू कर मुख्य पाइप लाइन की टैस्टिंग प्रारम्भ कर दी गई है व ग्राम रोल, खावर, व पिडियारा तक जल

(174)

(स्वास्थ्य मंत्री)

पहुंचाया गया है। अन्य ग्रामों के लिए पाइप लाइन बिछाने की कार्यवाही की जा रही है व आशा है कि बिजली का कनेक्शन मिल जाने पर जून, 76 तक उनमें भी जल वितरण किया जा सकेगा।

पलाड़ा बांध का कार्य

595. श्रीमती गौरी पूनिया (मकराणा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पलाड़ा बांध (जिला नागौर) का कार्य किस सन् में शुरू हुआ था तथा कब समाप्त हुआ? इस बांध पर कुल लागत कितनी आई?

(2) क्या यह बांध बनने के बाद हर वर्षा में टूटा है? अगर हां, तो क्या कारण थे?

(3) इस बांध के टूटने से कुल कितने किसानों को रबी की फसल का नुकसान हुआ है? इन किसानों को राज्य सरकार की ओर से क्या राहत दी गई?

(4) अब इस बांध का पुनः निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया जायगा?

उत्तर

(1) नागौर जिले में पलाड़ा बांध का कार्य 1972-73 में शुरू हुआ था एवं 1973-74 में पूर्ण हुआ था। इस बांध पर कुल 5,11,560 रुपये व्यय हुए।

(2) उक्त बांध सन् 1974 में 18 जुलाई को भीषण वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुआ था जिसे पुनः मरम्मत नहीं किया जा सका। हर वर्ष टूटने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(3) बांध के टूटने से आने वाली रबी की फसल का क्षेत्र सिंचित नहीं हो सका। राहत देने का प्रश्न नहीं उठता है।

(4) इस बांध के पुनः निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है।

कानूनगो प्रशिक्षण हेतु चयन

596. श्री सुन्दरलाल (सूरजगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्व मंडल, राजस्थान, अजमेर ने कानूनगो प्रशिक्षण हेतु 27वें एवं 28वें बैच के लिए प्रशिक्षणार्थियों का चयन किया है? यदि हां, तो किन नियमों के तहत एवं कितने प्रशिक्षणार्थियों का?

(2) क्या प्रशिक्षणार्थियों के चयन में अनुसूचित जाति/जन जाति हेतु कोटा निर्धारित है? यदि हां, तो कितना?

(3) क्या अनुसूचित जाति/जन जाति के उम्मीदवारों ने भी प्रशिक्षण हेतु आवेदन किया था? यदि हां, तो कितने उम्मीदवारों ने? प्रार्थना-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें?

(4) क्या अनुसूचित जाति/जन जाति के उम्मीदवारों में से चयन किया गया है? यदि हां, तो कितने उम्मीदवारों का? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) जी हां, राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियमावली, 1957 के नियम

(राजस्व मंत्री)
300 एवं 301 के अन्तर्गत 27वें बैच में 68 एवं 28वें बैच में 41 प्रशिक्षार्थियों का चयन किया गया ?

(2) जी नहीं।

(3) जी हां, 193 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था प्रार्थना-पत्र के प्रोफार्मा की प्रति संलग्न है।

(4) जी हां, 11 उम्मीदवारों का चयन किया गया था। सूची संलग्न है।

27वें कानूनगो प्रशिक्षण बैच में चयनित अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों की सूची

क्र. सं.	अनुसूचित जाति	क्र. सं.	अनुसूचित जन जाति
1.	श्री दलीपसिंह चमार	1.	श्री हीरालाल मीना
2.	,, भागचन्द मेघवाल	2.	,, घीसाराम मीना
3.	,, अर्जुनलाल बलाई	3.	,, भवानीसिंह मीना
4.	,, सुखदेव चमार	4.	,, कन्हैयालाल मीना
5.	,, जगदीश प्रसाद बलाई		
6.	,, रामजालाल चमार		
7.	,, हीरालाल रेगर		

प्रपत्र

27/28वें कानूनगो प्रशिक्षण सत्र के लिए आवेदन-पत्र

(1) प्रार्थी का नाम
(2) प्रार्थी के पिता का नाम
(3) वर्तमान पद जिस पर कार्य कर रहा है।
(4) वर्तमान विभाग जिसमें कार्य कर रहा है।
(5) वर्तमान कार्यालय/तहसील/जिला जहां कार्य कर रहा है।
(6) जन्म तिथि (जो सेवा पुस्तिका में अंकित है)
(7) जाति (यदि अनुसुचित जाति या जन जाति का है तो उसका स्पष्ट विवरण)
(8) योग्यता:—

(अ) शैक्षणिक

(ब) विभागीय (इस शीर्षक के अन्तर्गत यह स्पष्ट उल्लेख करें कि पटवार परीक्षा उत्तीर्ण है या नहीं अथवा उससे मुक्त है? यदि पटवार परीक्षा से मुक्त हो तो किस कारण?)

178

(9) प्रथम नियुक्ति कब और किस पद पर हुई (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद को छोड़ कर)

(10) वर्तमान पद पर कब से निरन्तर कार्य कर रहा है ?

(11) शरीर स्वस्थ्य, तथा स्वभाव सक्रिय प्रवृत्तियों वाला है या नहीं ?

(12) यदि सेवा काल में कोई दण्ड मिले हों तो उसके विवरण।

(13) आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की तिथि।

प्रार्थी के हस्ताक्षर

(14) प्रार्थना-पत्र अग्रेषित करने वाले अधिकारी की सम्मति एवं प्रमाण-पत्र:—

नोट :—1. यह सम्मति प्रतिकूल हो तो उसके आधार पर उल्लेख और गत 5 वर्षों के गोपनीय प्रतिवेदन भी इस प्रार्थना-पत्र के साथ संलग्न करें।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि कोष्ठक 12 तक (11 को छोड़ कर) दिया गया विवरण सेवा पुस्तिका के आधार पर सही है।

3. कोष्ठक 11 में दिया गया विवरण प्रार्थी का साक्षात्कार कर लेने पर सही प्रतीत होता है।

विभागाध्यक्ष/जिलाधीश के हस्ताक्षर।

मछली पालन योजना

597. श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़): क्या पशु-पालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार मछली पालन को पशु-पालन विभाग से अलग कर नया विभाग बनाने के बारे में विचार कर रही है ? यदि हां, तो नया विभाग कब तक बना दिया जायेगा ?

(2) क्या मछली पालन की कोई अन्य योजना भी राज्य सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उसका क्या प्रारूप होगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

प्रश्न पैदा नहीं होता।

(2) राज्य में मत्स्य पालन / विकास हेतु निम्न योजनायें राज्य सरकार के विचाराधीन हैं.—

(अ) मत्स्य विकास / पालन हेतु राज्य के उपयुक्त जिलों में मत्स्य विकास एजेन्सी। मत्स्य पालक सहकारी समितियों के गठन की योजना।

(ब) राज्य के आदिवासी क्षेत्र जैसे कि जिला बांसवाडा डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर आदि में आदिवासी मत्स्य पालकों को संगठित कर उन्हें मत्स्य पालन संबंधी कार्यक्रम में प्रशिक्षण देकर उनको सहकारी समितियों में गठित कर मत्स्य विकास हेतु उपयुक्त जलाशयों को दीर्घ अवधि के लिए आवंटित कर उनमें सघन मत्स्य विकास / पालन का कार्यक्रम क्रियान्वित करना ताकि

Page No.179

(177)

(पशुपालन मंत्री)
मत्स्य उत्पादन में वृद्धि हो और समिति के सदस्यों की वृद्धि हो, वित्तीय स्थिति भी सुदृढ़ हो।

(स) राज्य के बड़े श्रेणी के जलाशयों के विकास कार्यक्रम में राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम से अनुदान प्राप्त करने की योजना।

भूमि विकास बैंक सिरोही द्वारा दिया गया ऋण

598. श्री जेठमल आर्य (रेवदर)। क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सिरोही जिले की रेवदर तहसील में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत तीन वर्षों में भूमि विकास बैंक सिरोही से किस किस को कितना कितना कर्जा दिया गया तथा किस किस उपयोग हेतु? विस्तृत सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) भूमि विकास बैंक सिरोही का अपने सदस्यों में कितना कितना कर्जा अवधिपार है और कितना कितना ब्याज बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सिरोही भूमि विकास बैंक से जो कर्ज दिया जाता है उनमें अधिकतर कर्ज भूतपूर्व जागीरदारों को ही दिया जाता है? यदि हां, तो गत तीन वर्षों में किस किस को कितना कितना कर्ज दिया गया? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा कर।

उत्तर

(1) सिरोही जिले की रेवदर तहसील में लघु सिंचाई योजना के अन्तर्गत तीन वर्षों में भूमि विकास बैंक सिरोही द्वारा कुल 178 सदस्यों को 13,71,670 रुपये का कर्ज आयल इंजन, विद्युत् मोटर, कुओं को गहरा कराने आदि प्रयोजनों हेतु दिया गया है। इसकी विस्तृत सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) भूमि विकास बैंक सिरोही का अपने सदस्यों में 66,464.38 रुपये का कर्जा अवधिपार है। इसके अलावा 35214-80 ब्याज बकाया है जिसकी सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) यह सही नहीं है। सिरोही सहकारी भूमि विकास बैंक से गत तीन वर्षों में कुल 363 सदस्यों को ऋण दिया गया है जिसमें से केवल 18 व्यक्ति ऐसे हैं जो भूतपूर्व जागीरदार हैं। जिनको कुल 1,67,000) रुपये का कर्जा दिया गया है। इसकी सूची परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बाड़मेर को 132 के. वी. लाइन से जोड़ने की योजना

599. श्रीमती मदन कौर (पचपदरा): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि बाड़मेर जिले को 132 के. वी. लाइन से जोड़ने का

(श्रीमती मदन कौर)
राज्य सरकार का विचार है ? यदि हां, तो इस कार्य हेतु कितनी धनराशि की आवश्यकता होगी और वर्ष 1975-76 और 1976-77 में इसके लिए क्या बजट प्रावधान है ?

(2) क्या यह सही है कि मौजूदा बजट प्रावधान के अनुसार बाड़मेर जिले को 132 के. वी. लाइन की सुविधा मिल सकेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) क्या राज्य सरकार बाड़मेर जिले की बिजली की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए इस बीच एक और 33 के. वी. लाइन (जालोर से मोकलसर) से बाड़मेर जिले को बिजली देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां । बाड़मेर जिले के बालोतरा को 132 के. वी. लाइन द्वारा जालोर से जोड़ने की योजना बनाई गई है जिसकी अनुमानित लागत 160.00 लाख रुपये है । धनाभाव के कारण वर्ष 1975-76 में केवल 50 हजार रुपये का ही प्रावधान प्रारम्भिक कार्यों के लिए किया गया । वर्ष 1976-77 में इस लाइन व कुछ अन्य ग्रिड सब स्टेशनों के लिये एक मुश्त प्रावधान 92.50 लाख का रखा गया है ।

(3) जी हां । अधिक धन उपलब्ध होने पर और प्रावधान किया जा सकेगा । वर्ष 1977-78 में इस कार्य के पूरा होने की संभावना है ।

(3) ड्राउट-प्रोन-एरिया-प्रोग्राम के अन्तर्गत जालोर से मोकलसर 35 के. वी. लाइन से जोड़ने का प्रश्न विचाराधीन है ।

औषधियों में काम आने वाली वन सम्पदा

600. श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राजस्थान में औषधियों में काम आने वाली वन सम्पदा भी उपलब्ध है ? यदि हां, तो किन किन स्थानों में कौन कौन से वनों में औषधियां उपलब्ध हैं ?

(2) क्या वन विभाग इन औषधियों का संग्रह-विक्रय एवं विशेष रूप से उत्पादन बढ़ाकर अपनी आय बढ़ाने की कोई योजना रखता है ?

उत्तर

(1) जी हां । वनौषधियों की उपलब्धता का सर्वेक्षण नहीं किया गया है ।

(2) इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

बाड़मेर में जिला कृषि अधिकारी का कार्यालय

701. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में जिला कृषि अधिकारी के कार्यालय कहां कहां पर हैं ?

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन))
सूची सदन की मेज पर रखने का कृपा करें।

(2) क्या राज्य सरकार बाड़मेर जिले के विशाल क्षेत्र को देखते हुए एवं सिवाना, बालोतरा, धोरीमना और सिएवरी पंचायत समितियों में जहां रबी का फसल होती है, के काश्तकारों को फसल अभियान में प्रोत्साहन देकर पैदावार बढ़ाने के लिए और डी. पी., ए. पी. कार्यक्रम में कृषि कार्यक्रम को सुचारु रूप से संचालन के लिये जिले के मुख्यालय बाड़मेर नगर में जिला कृषि अधिकारी का कार्यालय खोलना आवश्यक और वाजिब समझती हैं? यदि हां, तो वहां जिला कृषि अधिकारी का कार्यालय जल्दी स्थापित न करके जिले का उपेक्षा क्यों की जा रही है?

उत्तर

(1) राजस्थान में जिला कृषि अधिकारियों के कार्यालयों का सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) कृषि कार्य हेतु जिले के पुनर्गठन के समय कृषि की दृष्टि से बाड़मेर जिले को जिला कृषि अधिकारी जालोर के अन्तर्गत रखा गया था। बाड़मेर जिले में केवल 1% सिंचित क्षेत्रफल है अतः कृषि कार्यों के लिये अलग से जिला कृषि अधिकारी की आवश्यकता नहीं है। डी.पी., ए. पी. कार्यक्रम के अन्तर्गत बाड़मेर तहसील के लिए एक जिला भू-संरक्षण अधिकारी का कार्यालय खोला जा चुका है।

राजस्थान में जिला कृषि अधिकारियों के कार्यालय

1. जयपुर
2. दौसा
3. भरतपुर
4. अलवर
5. सवाई माधोपुर
6. सीकर झुन्झुनू
7. अजमेर
8. कोटा
9. बारां
10. झालावाड़
11. बून्दी
12. टौंक
13. उदयपुर
14. कांकरोली
15. चित्तौड़गढ़ मुख्यालय कपासन
16. भीलवाड़ा
17. बांसवाड़ा
18. डूंगरपुर
19. जोधपुर-जैसलमेर
20. पाली
21. सिरोही
22. नागौर
23. जालोर-बाड़मेर
24. गंगानगर
25. हनुमानगढ़
26. चूरू

लघु एवं सीमान्त कृषक पर ऋण

602. श्री नारायणसिंह मसूदा (मसूदा): क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में ऋण निरस्तीकरण अधिनियम के पारित होने के समय

(श्री नारायणसिंह मसूदा)

तक लघु एवं सीमान्त कृषक पर कितना ऋण भार था ?

(2) उसमें महाजन कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियों तथा अनुसूचित बैंकों द्वारा अलग संस्थाओं द्वारा कितने प्रतिशत ऋण था ?

(3) महाजन द्वारा दिये गये ऋण को स्थानापन्न करने हेतु राज्य सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

(4) इस संदर्भ में जिला सहकारी बैंकों द्वारा सहकारी समितियों के मार्फत उन्हें ऋण देने का क्या लक्ष्य रखा गया है ? क्या सरकार इस लक्ष्य को पर्याप्त समझती है ?

(स्थगित किया गया)

पर्यटन विभाग

903. श्री दीपंकर (लाडनूं) : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि पर्यटन विभाग में कई पदों पर नई नियुक्तियां की गई हैं ? अगर हां, तो किस किस पद पर कितनी नियुक्तियां की गई ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ?

(2) क्या यह सही है कि नई नियुक्तियों का आधार किन्हीं कारणों से जातीय रखा है ? अगर हां, तो इसका क्या कारण है ? और किस किस जाति के कितने व्यक्ति लिए गए और इन नई नियुक्तियों में क्या रिजर्व कोटा जो हरिजनों के लिये था उसे भरा गया है या नहीं ? अगर नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(3) क्या यह भी सही है कि मार्च-अप्रेल, 1974 में मन्त्री महोदय और निदेशक, पर्यटन विभाग ने शिमला यात्रा एक साथ की और सपरिवार की इस यात्रा का उद्देश्य क्या था ? बताने की कृपा करें।

(4) विभाग द्वारा संचालित बंगलों में विदेशी पर्यटकों के साथ अभद्र व्यवहार की शिकायतें क्या राज्य को मिली हैं ? अगर हां, तो किस किस बंगले और स्थान से किसके खिलाफ प्राप्त हुई और सरकार ने उस विषय में क्या कदम उठाये हैं ?

(5) क्या यह भी सही है कि डाक बंगलों में निदेशक की आज्ञा पर 4 कमरे सदा रिजर्व रहते हैं ? अगर हां, तो किस किस स्थान पर ऐसी व्यवस्था है और उसका क्या कारण है ?

उत्तर

(1) जी हां, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) जी नहीं, नई नियुक्तियों में रिजर्व कोटा जो हरिजनों के लिए था उसका पूरा ध्यान रखा गया है। जिन पदों में सुरक्षित प्रतिशत की कमी रही है। इस जाति के व्यक्तियों की कमी पूरी करने के लिए वैकेन्सी कैरी फावर्ड कर दी गई है। सम्बन्धी पदों के लिए

(पर्यटन मन्त्री)
निर्धारित योग्यता रखने वाले इस जाति के व्यक्तियों का कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ।

(3) जी 1974 में नहीं। शिमला यात्रा सन् 1975 में निदेशक जी एवं मन्त्री महोदय द्वारा हिमाचल प्रदेश के पर्यटन मन्त्री के आमन्त्रण पर परिचायक भ्रमण योजना के अन्तर्गत की गई थी। यात्रा का उद्देश्य दोनों प्रदेशों में पर्यटकों सम्बन्धी किए जा रहे है कार्यों के विकास के लिए विचार विनिमय था।

(4) जी नहीं, अभद्र व्यवहार का न तो कोई प्रश्न था और न ऐसा किया गया टूरिस्ट बंगलों मे ठहरी श्रीमती फीना चौधरी की एक ही डोरमेन्ट्री में स्त्री पुरुष को ठहराना तथा कैन्टिन व्यवस्था की कुछ कमी के विषय में शिकायत अवश्य थी। स्त्रीयों के लिए अलग से डोरमेन्ट्री अब सुरक्षित कर दी गई है और कैन्टीन की कमियों को भी, पूरा कर दिया गया है।

(5) जी नहीं।

पर्यटन विभाग में 75-76 में की गई नई नियुक्तियों की सूची

नाम पद	नाम पदाधिकारी	अनुसूचित जाति/जन जाति
1	2	3
1. सहायक निदेशक	1. श्री बी. पी. दत्ता	
2. प्रबन्धक	1. श्री पृथ्वीसिंह राठोड़	
	2. श्री शशीकुमार सक्सेना	
3. पर्यटक अधिकारी	1. कुमारी तृप्ति पाण्डे	
	2. श्री रघुवीरसिंह	
4. सहायक प्रबन्धक	1. श्री उमरावसिंह	
	2. श्री मोहनसिंह	
	3. श्री रामजीलाल मीणा	अनुसूचित जन जाति
	4. श्री इब्राहिम अलीखां	
	5. श्री रामसिंह राठोड़	
5. सूचना सहायक	1. श्री मोहम्मद उमर मुरतुजा	
6. स्टेनोग्राफर	1. श्री राजेन्द्रकुमार वर्मा	

182

1	2	3
7. कनिष्ट लिपिक	1. श्री रामसिंह चौहान	
	2. श्री भंवरलाल	अनुसूचित जाति
	3. श्री भवानीशंकर मिश्रा	
	4. श्री शान्तिलाल जैन	
	5. श्री गोपालप्रसाद वर्मा	
	6. श्री सागरमल गुप्ता	
	7. श्री रामराजसिंह चौहान	
8. वाटर पम्प मैकेनिक	1. श्री कन्हैयालाल व्यास	
	2. श्री अशोक कुमार	
9. चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1. श्री जयचन्द	अनुसूचित जाति
	2. श्री रामसिंह	अनुसूचित जन जाति
	3. श्री हुक्कूमल शर्मा	
	4. श्री सूरजनलाल	
	5. श्री मूलचन्द सैनी	
	6. श्री बाबूलाल	
	7. श्री ओमप्रकाश	अनुसूचित जाति
	8. श्री रामविलास खटीक	अनुसूचित जाति
	9. श्री चन्द स्वीपर	अनुसूचित जाति

स्थगित प्रश्न
(दिनांक 25-3-76)

राज्य में प्रोपर्टी टैक्स

357. श्री श्रीराम गोटेवाला (किशन पोल बाजार) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में प्रोपर्टी टैक्स (भवन एवं भूमि) से कुल कितनी आय गत वर्ष में हुई तथा विभागीय खर्च कुल कितना हुआ ?

(2) प्रॉपर्टी टैक्स (भवन एवं भूमि टैक्स) कार्यालय राजस्थान में कहां कहां पर स्थित हैं ?

(3) प्रॉपर्टी (भूमि एवं भवन) असेसमेंट के क्या तरीके हैं ?

(श्री श्रीराम गोटेवाला)

(4) उक्त समस्त कार्यालयों का रैकरिंग व नॉन-रेकरिंग कुल व्यय कितना है? आय-व्यय के पूर्ण आंकड़े सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

उत्तर

(1) राजस्थान में भूमि एवं भवन कर से गत वित्तीय वर्ष (1974-75) में कुल आय 35.55 लाख रुपये हुई। विभागीय व्यय 16.47 लाख रुपये हुआ।

(2) भूमि एवं भवन कर के कार्यालय राजस्थान में निम्नांकित स्थानों पर स्थित हैं:--

क्र. सं.	नाम कार्यालय	स्थान
1.	निदेशक, भूमि एवं भवन कर, (मुख्यालय)	जयपुर
2.	सहायक निदेशक (मूल्यांकन) भूमि एवं भवन कर	जयपुर
3.	सहायक निदेशक (प्रथम) भूमि एवं भवन कर	जयपुर
4.	सहायक निदेशक (द्वितीय) भूमि एवं भवन कर	जयपुर
5.	सहायक निदेशक, भूमि एवं भवन कर	अजमेर
6.	सहायक निदेशक, भूमि एवं भवन कर	अलवर
7.	सहायक निदेशक, भूमि एवं भवन कर	कोटा
8.	सहायक निदेशक, भूमि एवं भवन कर	सीकर
9.	सहायक निदेशक, भूमि एवं भवन कर	उदयपुर
10.	सहायक निदेशक, भूमि एवं भवन कर	जोधपुर
11.	सहायक निदेशक, भूमि एवं भवन कर	गंगानगर
12.	सहायक निदेशक, भूमि एवं भवन कर	पाली
13.	सहायक निदेशक, भूमि एवं भवन कर	बीकानेर

(वित्त मंत्री)

(3) भूमि एवं भवन कर का असेसमेंट राजस्थान भूमि एवं भवन कर अधिनियम के लागू होने की दिनांक 1-4-73 की बाजारी कीमत है। इसी अधिनियम की धारा 4 के अनुसार किसी भूमि अथवा भवन या दोनों का बाजार मूल्य उस कीमत पर अनुमोदित किया जायेगा, जो निर्माण प्राधिकारी की राय में, ऐसी भूमि या भवन अथवा दोनों के लिये प्राप्त होता है यदि उन्हें राजस्थान नगरीय भूमि कर (संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारम्भ होने की तारीख को खुले बाजार में बेचा जाता है।

(4) वर्तमान में किसी भूमि अथवा भवन या दोनों का 1-4-73 को बाजार मूल्य ज्ञात करने के लिये, बाजारी कीमत का निर्धारण निम्नांकित चार विधियों से किया जाता है :—

(1) भूमि एवं भवन पद्धति

(2) किराया पद्धति

(3) लाभ पद्धति

(4) डवलपमेंट पद्धति

उपरोक्त लिखित कार्यालयों का रेकरिंग व नॉन रेकरिंग कुल व्यय 74-75 में रुपये 16.47 लाख हुआ। इसमें से रेकरिंग एवं नॉन-रेकरिंग व्यय इस प्रकार है:—

कुल व्यय	रेकरिंग	नॉन-रेकरिंग
16.47	15.95	0.52

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 25-3-76)

भादरा तहसील के गांवों के काश्तकारों को खातेदारी अधिकार

376. श्री ज्ञानसिंह (भादरा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि भादरा तहसील के कॉलोनाइजेशन क्षेत्र से 30 गांव आउट ऑफ फ्लो लाइन थे ? इन गांवों में से 7 गांवों के काश्तकारों को आउट ऑफ फ्लो लाइन घोषित कर काश्तकारों को खातेदारी अधिकार देने का कार्य शुरू है ?

(2) क्या भादरा तहसील के 23 गांव जो आउट ऑफ फ्लो लाइन हैं अभी तक उनको बाहर घोषित नहीं किया गया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि कॉलोनाइजेशन क्षेत्र से आउट ऑफ फ्लो लाइन घोषित करने से पहले इन गांवों के काश्तकारों को खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते ?

(4) राज्य सरकार तहसील भादरा के उपरोक्त 23 गांवों को कॉलोनाइजेशन क्षेत्र से आउट ऑफ फ्लो लाइन घोषित कर इन गांवों के काश्तकारों को खातेदारी अधिकार कब तक प्रदान कर देगी ?

उत्तर

(1) जी नहीं। तहसील भादरा के 23 गांव आउट ऑफ फ्लो लाइन थे जिनमें

(राजस्व मंत्री)
से 7 गांव आउट ऑफ फ्लो लाइन घोषित किये जा चुके हैं। इन गांव के काश्तकारों को खातेदारी अधिकार दिये जाने की कार्यवाही जारी है।

(2) जी नहीं। तहसील भादरा के शेष 16 गांव अभी तक आउट ऑफ फ्लो लाइन घोषित नहीं किये गये हैं।

(3) जी हां।

(4) शेष 16 गांवों को आउट ऑफ फ्लो लाइन घोषित करने के मामले में दिनांक 5-8-74 को एक बैठक हुई थी, जिसमें चक एवं नहरों का विवरण आदि प्रस्तुत नहीं हो सका और ना ही ब्लू प्रिन्ट प्राप्त हुए। अब सूचियां जिलाधीश कार्यालय से प्राप्त हो चुकी हैं तथा जांच की जा रही है। जांच के पश्चात् कार्यवाही की जायेगी।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 25-3-76)

राजस्थान नहर क्षेत्र से भूमि प्राप्ति हेतु भरे गये फार्म

380. श्री मोहरसिंह (सादुलपुर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही नहीं है कि राजस्थान नहर क्षेत्र में भूमि प्राप्ति हेतु भरे गये फार्मों की जांच में सख्ती बरती जा रही है ?

(2) क्या इस सिलसिले में यह सही नहीं है कि पेन्शन याफ्ता कई फौजी अफसरों को अधिक पेंशन प्राप्तकर्त्ता बतला कर उनके फार्मों को अस्वीकार कर दिया जाता है ?

(3) इसी प्रकार क्या प्रौढ़ विद्यार्थियों के फार्मों को भी विद्यार्थी बतला कर अस्वीकार नहीं कर दिया जाता है ?

(4) अगर हां, तो क्या सरकार इन्हें अन्य रोजगार देने की गारन्टी देकर ऐसा करती है ?

(5) किसी वजह से सन् 1953 की वोटर लिस्ट में नाम न आने से क्या कितने ही कदीमी वाशिन्दान के फार्मों को अस्वीकार नहीं किया जाता है ?

(6) क्या कुछ घुमक्कड़ जातियां जो सन् 1953 के बाद स्थाई तौर से जहां कहीं रहने लगी हैं वे इस भूमि से वंचित न रह जावेंगी ?

(7) जो गरीब आदमी फार्म भरने के बाद और फोटो अटेस्टेशन से पहले मजदूरी करने हेतु अपना ग्राम छोड़ कर अन्य जिलों जैसे हरियाणा, पंजाब में चले गये, उनके फार्मों को कैंसिल करने से पूर्व क्या उन्हें एक बार पुनः 15-20 दिन का वक्त और दिया जा सकेगा

(8) अगर हां, तो क्या जांच कर्त्ताओं के पास फौरन इस मुतल्लिक आदेश भिजवा दिये जायेंगे ?

(9) क्या उप-आयुक्त, उपनिवेशन के द्वारा इस प्रकार के अब तक कैंसिल कर दिये गये फार्मों को आयुक्त उपनिवेशन स्तर पर पुनः आवेदन कर्त्ताओं को एक मौका और देकर पुनः दुरुस्त मान लिया जावेगा ?

उत्तर

(1) यह सही नहीं है। फार्मों की जांच नियमानुसार की जाती है।

(186)

(उपनिवेशन मन्त्री)

(2) पेन्शन याफ्ता फौजी अफसर होने के आधार पर फार्म अस्वीकृत नहीं किये जाते हैं। भूमिहीन काश्तकार की परिभाषा, जो आवंटन नियमों में है, के अनुसार अपात्र होने के कारण अस्वीकृत की जाती है।

(3) जी नहीं।

(4) प्रश्न ही नही उठता।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं।

(7) जी नहीं। नियमानुसार पूर्ण अवसर पहले ही दिया जा चुका है।

(8) प्रश्न ही नहीं उठता।

(9) जी नहीं। नियमानुसार आवेदनकर्ता कार्यवाही कर सकता है।

परिशिष्ट 2

(अतारांकित प्रश्न संख्या 303 की सूची)

नागौर जिले के सिंचाई कार्य

क. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (प्रशासनिक स्वीकृति लाख रु. में)	व्यय : 3/74 (लाख रु. में)
1	2	3	4
1.	हुरसौर	1.06	1.06
2.	मकरां	9.08	9.08
3.	मेड़ा	3.22	3.11
4.	पीपलियां	0.48	0.40
5.	हुरसोलाव	1.99	1.00
6.	पीरजी-का-नाका	2.09	2.05
7.	मंगलाना	1.36	1.18
8.	डोडियाना	1.90	0.95
9.	करमांकुरी	0.49	0.33
10.	छितानी	0.86	0.92
11.	सतलास	0.28	0.24
12.	पूनलो	1.30	0.98
13.	बिजाथाल	0.81	0.74
14.	लाडपुरा	0.59	0.41
15.	बजवास	0.57	0.65
16.	पथरन्डा	1.06	1.26
17.	पीपलिया	0.49	0.50
18.	पालरा	3.62	5.26
19.	छीपोली	0.58	0.47
20.	भालरा	0.52	0.26
21.	भटसिया	2.48	2.49
22.	बिल्लू	3.21	2.59

1	2	3	4
23.	बनवाल	2.08	1.84
24.	गगराना	4.65	4.31
25.	बनापा	0.88	0.76
26.	राताडून्डा	2.06	0.50
27.	बालियां	2.69	0.57
28.	प्रतापसागर हुरसोर	0.82	0.51
29.	माताजी-का-बाला	2.93	2.91
30.	नरसिंह बासनी	1.47	0.49
31.	सोलियाना	2.45	1.81
32.	डोडियां कलां	1.75	0.96
33.	गगवां	1.52	0.67
34.	बिदयाद	1.34	0.66
35.	मोरचन्द मोदी	0.41	0.42
36.	सुरजिनियावास	0.50	0.42
37.	खनवार	0.49	0.43

परिशिष्ट 3

(अतारांकित प्रश्न संख्या 310 की सूची)

विराटनगर के बांधों का विवरण

1. पीपलोद:—इस बांध का सर्वेक्षण चल रहा है।

2. बनरपुरा:—इस बांध का सर्वेक्षण करने पर मालूम हुआ कि बांध के निर्माण से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष सिंचाई की सुविधा नहीं हो सकती अतः यह बांध नहीं बनाया जा सकता है।

3. देवीपुरा:—इस बांध के भू-मापन एवं अनुसंधान करने पर मालूम हुआ कि बांध के बनने पर कोई भी क्षेत्र सिंचित नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके ऊपर व नीचे कोई भी खेती योग्य जमीन नहीं है। आस-पास में कुछ न होने के कारण कुओं में पानी की बढ़ोत्तरी भी नहीं हो सकती अतः यह बांध नहीं बनाया जा सकता है।

4. पणदो :—इस बांध का सर्वेक्षण कर तखमीना तैयार कर लिया गया है व तखमीने की जांच की जा रही है।

5. भूलकोट:—इस बांध का सर्वेक्षण चल रहा है।

6. आतेला:—इस बांध का सर्वेक्षण चल रहा है।

7. सुहाकना:—इस बांध का सर्वेक्षण चल रहा है।

8. बाडीजोरी:—इस बांध का सर्वेक्षण चल रहा है।

9. रघुनाथपुरा:-इस बांध का कार्य अकालराहत कार्यों के अन्तर्गत हाथ में लिया था व इस बांध का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। अकाल राहत कार्य बन्द होने के कारण इस बांध का शेष कार्य बन्द है। जैसे ही उपयुक्त धनराशि उपलब्ध होगा इसका शेष कार्य पूर्ण किया जायेगा।

10. गोलाबास:--इस बांध पर अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कुछ काम हुआ है लेकिन वहां पर पर्याप्त मजदूर न मिलने के कारण पूरा काम नहीं हो सका। अब उपयुक्त धनराशि उपलब्ध होने पर शेष कार्य हो सकेगा।

11. देवन :—यह सिचाई विभाग का पुराना बांध है। इस बांध पर अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत कुछ काम हुआ है लेकिन पर्याप्त मजदूर न मिलने के कारण कार्य को पूरा नहीं किया जा सका। अब उपयुक्त धनराशि के उपलब्ध होने पर शेष कार्य पूरा किया जा सकेगा।

12. राडावास:—इस बांध का अनुसंधान करने पर मालूम हुआ कि बांध के पास ज्यादातर घाटियां हैं और वहां पर सिचाई योग्य क्षेत्र उपलब्ध न होने के कारण बांध नही बनाया जा सकता है। जिस नाले पर यह बांध प्रस्तावित है उसका पानी भी रामगढ़ बांध में जाता है जो जयपुर नगर को पानी देता है।

— —

Page No.193

(191)

परिशिष्ट 4

(अतारांकित प्रश्न संख्या 311 की सूची)

माह फरवरी, 1976 तक राज्य में जिलेवार विद्युतकृत ग्रामों के विद्युतिकरण की संख्या निम्न तालिका में दर्शाई गई है ।

क्र.सं.	जिले का नाम	जिले में कुल ग्राम (1971 की जनगणना के अनुसार)	माह फरवरी, 76 तक विद्युतिकृत ग्रामों की संख्या	विद्युतिकरण का प्रतिशत
1.	अजमेर	962	271	28.17
2.	अलवर	1873	560	29.99
3.	बांसवाड़ा	1441	214	14.85
4.	बाड़मेर	839	47	5.60
5.	भरतपुर	1877	379	20.19
6.	भीलवाड़ा	1512	386	25.52
7.	बीकानेर	546	78	14.28
8.	बूंदी	733	88	12.00
9.	चित्तौड़गढ़	2130	449	21.07
10.	चूरू	861	140	16.08
11.	डूंगरपुर	827	133	16.08
12.	जयपुर	2694	890	33.03
13.	जैसलमेर	434	3	0.56
14.	जालौर	597	114	19.09
15.	झुंझुनूं	705	289	40.99
16.	झालावाड़	1446	288	19.91
17.	जोधपुर	706	172	24.36
18.	कोटा	1911	311	16.27
19.	नागौर	1224	295	24.10
20.	पाली	830	241	29.03
21.	सवाई माधोपुर	1537	266	17.30
22.	सीकर	817	231	28.27
23.	सिरोही	428	68	15.88
24.	श्रीगंगानगर	2398	362	15.69
25.	टोंक	1012	187	18.47
26.	उदयपुर	3122	541	17.32
	योग	33462	7003	20.93

192

क्र.सं.	तहसील का नाम	कुल ग्रामों की संख्या	विद्युतिकृत ग्रामों की संख्या	विद्युतिकृत का प्रतिशत
1.	लाडनूं	92	16	17.39
2.	डीडवाना	149	66	44 29
3.	जायल	112	12	10.71
4.	नागौर	208	17	8.71
5.	नावा	123	32	26.01
6.	डेगाना	173	52	30.05
7.	परबतसर	209	57	27.27
8.	मेड़ता	158	43	27.21

मेड़ता की आर. ई. सी. योजना चालू है उसके फेजिंग के अनुसार वर्ष 1976-77 में कार्य किया जायेगा।

परिशिष्ट 5

(अतारांकित प्रश्न संख्या 316 का सूची)

परिशिष्ट (क)

नागौर जिले में जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों को ऋण दिया गया की सूची

क्रम स.	नाम समिति	स्वीकृत ऋण	ऋण देने की किश्त व दिनांक		राशि
			किश्त	दिनांक	
1	2	3	4		5
1.	लाडनूं गृ. नि. स. स. लि.	100000	प्रथम	2-8-73	10000
			द्वितीय	18-10-73	20000
			तृतीय	27-3-74	40000
2.	रोड गृ. नि. स. स. लि.	88000	प्रथम	17-1-74	8800
			द्वितीय	28-12-74	17400
			तृतीय	17-2-76	35200
3.	मगलाना गृ. नि. स. स.	188000	प्रथम	4-9-74	18800
4.	सरगोठ गृ. नि. स. स. लि.	80000	प्रथम	8-4-75	8000
			द्वितीय	27-2-76	16000
5.	बूण्डवा गृ. नि. स. स. लि.	84000	प्रथम	11-2-75	8400
			द्वितीय	24-6-75	16000
			तृतीय	16-2-76	32000
6.	बापू गृ. नि. स. स. लि.	160000	प्रथम	7-6-75	16000
7.	कुल्यासनी गृ. नि. स. स.	95000	प्रथम	10-7-75	9606
			द्वितीय	27-2-76	19200
8.	लालास गृ. नि. स. स. लि.	100000	प्रथम	18-6-75	10000
			द्वितीय	5-2-76	20000

1	2	3	4		5
9.	मंडली भंगीयान गृ. नि.	76000	प्रथम	22-7-75	7600
			द्वितीय	3-2-76	14400
10.	रसाल गृ. नि. स. लि.	76000	प्रथम	6-8-75	7600
11.	मनवा गृ. नि. स. स. लि.	96000	प्रथम	24-6-75	9600
			द्वितीय	9-3-76	19200
12.	सुद्रासन गृ. नि. स. स.	84000	प्रथम	7-7-75	8400
			द्वितीय	21-2-76	16800
13.	ताऊसर गृ. नि. स. स.	128000	प्रथम	22-7-75	12800
			द्वितीय	16-2-76	24800
14.	रायधनु गृ. नि. स. स.	60000	प्रथम	27-7-75	6000
15.	बसवानी गृ. नि. स. स.	72000	प्रथम	6-8-75	6800
16.	कुचेरा अनु. जाति व जन जाति गृ. नि. स. स.	168000	प्रथम	22-7-75	16400
17.	राल अनु. जाति गृ. नि. स. स. लि.	108000	प्रथम	27-7-75	10800
	योग:	489000		योग:	466600

परिशिष्ट 'ख'

THE RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE HOUSING FINANCE SOCIETY LTD., JAIPUR

DISTRICTWISE STATEMENT OF LOAN DISBURSEMENT ON 31-1-76

S.No.	Name of District	SC/ST Societies		Amount Rs. in lacs.	Other Societies		Amount Rs. in lacs.	Total No. of Societies	No. of Houses	Amount Rs. in lacs
		No. of Societies	No. of Houses		No. of Societies	No. of Houses				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Ajmer	6	130	0.55	2	103	13.21	8	241	13.76
2.	Alwar	13	444	4.86	1	15	0.39	14	459	5.25
3.	Banswara	28	1717	4.45	2	55	3.15	30	772	7.60
4.	Barmer	1	19	0.07	—	—	—	1	19	0.07
5.	Bharatpur	28	756	6.57	—	—	—	28	756	6.57
6.	Bhilwara	13	335	5.60	1	16	0.53	14	351	6.13
7.	Bikaner	8	232	1.07	—	—	—	8	232	1.07
8.	Bundi	2	51	0.20	1	39	0.41	3	90	0.61
9.	Churu	29	925	11.25	1	17	1.36	30	942	12.61
10.	Chittorgarh	12	243	1.91	5	77	8.51	17	320	10.42
11.	Dungarpur	10	242	1.54	—	—	—	10	242	1.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	Ganganagar	7	172	0.69	—	—	—	7	172	0.69
13.	Jaipur	68	2195	42.40	4	98	6.97	72	2293	49.37
14.	Jalore	5	115	1.95	—	—	—	5	115	1.95
15.	Jaisalmer	13	314	1.25	—	—	—	10	314	1.25
16.	Jahalawar	10	261	1.52	—	—	—	10	261	1.52
17.	Jodhpur	19	569	8.62	1	18	1.02	20	587	9 64
18.	Jhunjhunu	68	1994	40.86	1	5	0.31	69	1999	41.17
19.	Kota	7	188	1.58	1	23	0.43	8	211	2.01
20.	Nagour	17	439	3.06	—	—	—	17	439	3.06
21.	Pali	10	437	4.78	—	—	—	10	437	4.78
22.	Sawai Madhopur	5	145	0.59	—	—	—	5	145	0.59
23.	Sikar	95	2884	67.02	15	142	5.96	110	3026	72.98
24.	Sirohi	2	49	0.42	—	—	—	2	49	0 42
25.	Tonk	15	430	10.05	—	—	—	15	430	10.05
26.	Udaipur	20	441	4.32	6	251	24.56	26	692	28.88
	Total :	511	14735	227.18	41	859	66.81	552	15594	293.99

परिशिष्ट 6

(अतारांकित प्रश्न संख्या 324 की सूची)

ग्रामीण क्षेत्र में अनुसूचित जाति, जनजाति, भूमि हीन कृषि लघु एवं सीमान्त कृषकों के परिवारों को आवासीय भू-खण्ड आवंटन की प्रगति/आवासीय भूखण्ड आवंटन 19-11-75 से 31-1-76

क्र. सं.	नाम जिला	आवन्टन लक्ष्य	आवन्टित भू-खण्ड सं.	कुल आवन्टित ग्रामों की सं.	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1.	अजमेर	2278	5013	450	220.06
2.	अलवर	14832	8246	438	55.59
3.	बांसवाड़ा	6396	11654	397	182.20
4.	बाड़मेर	1344	982	61	73.06
5.	भरतपुर	12277	9355	656	76.19
6.	भीलवाड़ा	6582	10980	1104	166.81
7.	बीकानेर	1895	4051	180	213.77
8.	बून्दी	4879	5514	366	113.42
9.	चित्तौड़गढ़	7272	14208	1138	195.37
10.	चूरू	1784	8103	489	454.20
11.	डूंगरपुर	6677	5766	458	86.35
12	गंगानगर	7556	7588	467	100.42
13.	जयपुर	12731	17992	1234	141.32
14.	जैसलमेर	195	2287	194	1172.82
15.	जालौर	7888	9872	389	125.15
16.	झालावाड़	4979	7276	706	146.13
17.	झुन्झुनू	8830	15687	481	177.65
18.	जोधपुर	4852	8552	330	176.25
19.	कोटा	8173	7112	अ.प्र.	87.08
20	नागौर	8792	14569	529	165.70
21.	पाली	7426	12978	626	174.76
22.	सवाई माधोपुर	22105	16253	618	70.77

(198)

1	2	3	4	5	6
23.	सीकर	7287	18237	639	250.26
24.	सिरोही	3658	3909	228	106.86
25.	टौंक	5749	6163	404	107.20
26.	उदयपुर	18359	29092	अ.प्र.	158.46
27.	उपनिवेशन	—	1095	378	
		195797	262654	12960	134.14

6-12-74 से पूर्व 38006)
6-12-74 से 26-1-75 तक 553363) योग: 854023
19-11-75 से 31-1-76 तक 262654)

जयपुर जिले में पंचायत समितिवार आवासीय भूखण्ड की संख्या
(दिनांक 31-12-75 तक)

क्र.सं.	नाम पंचायत समिति	आवासीय भू-खण्डों की संख्या
1.	बांदीकुई	1525
2.	कोटपूतली	775
3.	बस्सी	541
4.	लालसोट	525
5.	सिकराय	347
6.	दूदू	1233
7.	गोविन्दगढ़	1076
8.	सांभर	1252
9.	शाहपुरा	1408
10.	सांगानेर	756
11.	दौसा	1314
12.	चाकसू	2324
13.	विराटनगर	544
14.	आमेर	1962
15.	झोटवाड़ा	511
16.	जमवारामगढ़	1277
17.	फागी	602
	योग :	17,972

(199)

परिशिष्ट 7

(अतारांकित प्रश्न संख्या 327 की सूची)

राज्य सरकार को मछली के ठेकों से प्राप्त आय का जिलेवार सूची
वर्ष 1975-76

1.	टोंक	1,87,140) रु.
2.	चित्तौड़गढ़	84,300) रु.
3.	कोटा	2,74,760) रु.
4.	बूंदी	5,45,550) रु.
5.	गंगानगर	9,03,100) रु.
6.	डूंगरपुर	26,850) रु.
7.	सिरोही	15,000) रु.
8.	भीलवाड़ा	2,57,825) रु.
9.	झालावाड़	2,700) रु.
10.	जालौर	3,202) रु.
11.	नागौर	1,000) रु.
12.	अजमेर	3 ,710) रु.
13.	उदयपुर	5,64,700) रु.
14	जयपुर	3,31,450) रु.
15.	सवाई माधोपुर	5,07,500) रु.
16.	पाली	38,800) रु.
17.	भरतपुर	3,04,700) रु.
18.	जोधपुर	1,300) रु.
19.	बांसवाड़ा	20,300) रु.
20.	अलवर	6,000) रु.
21.	बाड़मेर	800) रु.
22.	सीकर	4,100) रु.
	योग प्रथम	41,13,677) रु.
	ठेकों की जब्त चौथाई	1,50,875) रु.
	अन्तर्राजीय सीमावर्ती जलाशयों की आय	61,025) रु.
	महा योग आय....	43,25,777) रु.

(202)

परिशिष्ट 8

(अतारांकित प्रश्न संख्या 329 की सूची)

निम्न व्यक्तियों को मरुस्थली क्षेत्र में एम. डी. पी. दिये गये

सन् 1972

1. श्री मोहनसिंह	500 टन	150.00	29-3-72 से 28-5-72
2. ,, भूरालाल	200 टन	60.00	13-4-72 से 11-5-72
3. ,, गोवर्धनसिंह	500 टन	150.00	19-5-72 से 18-7-72
4. ,, मोहनसिंह	1000 टन	300.00	5-7-72 से 4-9-72
5. ,, मोहनसिंह	500 टन	150.00	29-5-72 से 28-6-72
6. ,, गोवर्धनसिंह	1000 टन	300.00	5-7-72 से 4-9-72
7. ,, हेमराज	200 टन	60.00	10-7-72 से 10-8-72
8. ,, भूरालाल	100 टन	30.00	17-7-72 से 16-8-72
9. ,, भूरालाल	100 टन	30,00	16-8-72 से 15-9-72
10. ,, हेमराज	100 टन	30.00	29-8-72 से 28-9-72
11. ,, गुमानसिंह	200 टन	60.00	2-9-72 से 1-10-72
12. ,, गुमानसिंह	500 टन	150.00	2-9-72 से 1-11-72
13. ,, मोहनसिंह	500 टन	150.00	2-9-72 से 4-11-72
14. ,, गोवर्धनसिंह	500 टन	150 00	8-9-72 से 8-11-72
15. ,, भूरालाल	100 टन	30.00	20-9-72 से 20-10-72
16. ,, हेमराज	200 टन	60.00	3-10-72 से 2-12-72
17. ,, मोहनसिंह	400 टन	120.00	5-11-72 से 4-1-73
18. ,, गुमानसिंह	400 टन	120.00	14-11-72 से 31-12-72
19. ,, गुमानसिंह	300 टन	90.00	14-11-72 से 31-12-72
20. ,, हेमराज	100 टन	30.00	7-12-72 से 6-1-72
21. ,, गोवर्धनसिंह	500 टन	150.00	21-12-72 से 31-3-72

सन् 1973

1.	श्री हेमराज	300 टन	60.00	20-1-73 से 20-3-73
2.	,, मोहनसिंह	500 टन	150.00	20-1-73 से 20-4-73
3.	,, गुमानसिंह	300 टन	60.00	20-1-73 से 20-3-73
4.	,, गुमानसिंह	300 टन	60.00	1-3-73 से 31-3-73
5.	,, मोहनसिंह	1000 टन	300.00	1-3-73 से 31-5-73
6.	,, गोवर्धनसिंह	1000 टन	300.00	5-2-73 से 4-4-73
7.	,, हेमराज	300 टन	90.00	2-4-73 से 1-6-73
8.	,, गोवर्धनसिंह	1500 टन	450.00	18-4-73 से 17-7-73
9.	,, मोहनसिंह	1500 टन	450.00	18-4-73 से 17-7-73
10.	,, मोहनसिंह	1500 टन	450.00	8-8-73 से 7-11-73

सन् 1974

1.	श्री मोहनसिंह	600 टन	180.00	14-3-74 से 13-5-74
2.	,, मोहनसिंह	600 टन	180.00	17-12-74 से 16-2-75

सन् 1975

1.	श्री गोवर्धनसिंह	600 टन	180.00	7-2-75 से 7-4-75
2.	,, मोहनसिंह	1,000 टन	300.00	17-2-75 से 16-4-75
3.	,, गोवर्धनसिंह	1,000 टन	300.00	22-4-75 से 20-6-75
4.	,, मोहनसिंह	1,000 टन	300.00	22-4-75 से 20-6-75
5.	,, माहनसिंह	1,000 टन	300.00	22-7-75 से 20 10-75
6.	,, गोवर्धनसिंह	1,000 टन	300.00	22-7-75 से 20-10-75
7.	,, मोहनसिंह	1,000 टन	500.00	29-11-76 से 31-1-76
8.	,, गोवर्धनसिंह	1,000 टन	500.00	29-11-75 से 31-1-76

शुद्धि-पत्र

दिनांक 1 अप्रेल, 1976

क.सं.	स्कम्भ सं.	पंक्ति सं.	अशुद्ध	शुद्ध
1.	2	ऊपर से 11	—यही	यह सही
2.	3	,, 4	मनारायण.	रामनारायण
3.	4	नीचे से 15	अरोपों	आरोपों
4.	10	ऊपर से 10	मेरा	मेरा नजरिया
5.	13	नीचे से 2	स्थिरकशन्स	एस्पर्शन्स
6.	15	,, 4	ने मेलाफाइलडली	मेलाफाइड
7.	34	ऊपर से 5	मोहमम्द	मोहम्मद
8.	34	नीचे से 14	चलाने के	चलाकर
9.	45	ऊपर से 1	नत्यीसिह	नत्थासिह
10.	133	,, 9	काज्ञा	आज्ञा
11.	117	नीचे से 8	दी	थी
12.	118	ऊपर से 13	एह	यह
13.	175	शीर्षक में	प्रतिवेदत	प्रतिवेदन
14.	213	ऊपर से 9	दिनशराय	दिनेशराय
15.	231	,, 7	भों	भी
16.	233	,, 1	नथाराम	माथूराम